दूसरी पंचवर्षीय योजना

प्रारम्भिक रूपरेखा

योजना आयोग

पब्लिकेशन्स डिवीज़न
सूचना व प्रसार मन्त्रालय
भारत सरकार

अप्रैल १९५६

मूल्य एक रुपया

दूसरी पंचवर्षीय योजना

प्रारम्भिक रूपरेखा

संक्षिप्त विषय-सूची

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

पृष्ठ

भूमिका

पचवर्षीय योजना का समारम्भ और समाप्ति राष्ट्र के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथिया है। प्रत्येक पचवर्षीय योजना अतीत का मूल्याकन होने के साथ-साथ भविष्य के लिए एक आह्वान भी है। वह देश के कोटि-कोटि जनो की आकाक्षाओ और आदर्शों को मूर्तरूप प्रदान करने की चेष्टा का प्रतीक है और रहन-सहन के स्तर को उन्नत करने और दु ख-दारिद्रय दूर करने के सार्वजनिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग देने का शुभ अवसर प्रदान करता है।

२ पहली पंचवर्षीय योजना मार्च, १९५६ को समाप्त हो रही है। उसका लक्ष्य और दृष्टिकोण हमारे समवेत चिन्तन का अग है। इसके द्वारा समाज के समाजवादी ढग के निर्माण का—ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का पथ प्रशस्त हुआ है जो स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की मान्यताओ पर आधारित हो, जिसमें जाति, वर्ग, विशेषाधिकार के भेद न हो, जहा रोजगार की सभावनाए और उत्पादन बढ़े और अधिकाधिक सामाजिक न्याय साध्य हो।

३. दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने जो सुझाव दिए है, इस प्रारूप में उनका सार प्रस्तुत है। यह सामान्य जन के सूचनार्थ, आलोचनार्थ और सम्मत्यर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। जनता की आलोचना एव टिप्पणियो आदि पर विचार करने के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

४. गत दो वर्षों से दूसरी पचवर्षीय योजना पर विचार हो रहा है। योजना आयोग ने अप्रैल, १९५४ में राज्य सरकारो से अनुरोध किया था कि वे मुख्यत कृषि उत्पादन, ग्रामोद्योगो और सहकारिता के सम्बन्ध में जिला और ग्राम योजनाए तैयार करने की व्यवस्था करे। यह अनुभव किया गया था कि योजनाए तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय प्रतिभा, उद्यम, साहस और साधनो को यथासम्भव स्पन्दित और गतिशील किया जाए। अत: ऐसी योजनाए तैयार करने का कार्य आरम्भ हुआ। योजना के क्षेत्रो का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य से अपरिहार्य सम्बन्ध है। और सामान्य जन का स्वेच्छानुकूल अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानीय रूप से योजना निर्माण ही अनिवार्य मार्ग है।

५. यह बात तो प्रारम्भ से ही स्वीकार कर ली गई है कि ग्राम और जिले की योजनाएं राज्य की योजना के ढाचे के अन्तर्गत हो, और राज्यो की योजनाएं राष्ट्र के

दृष्टिकोण से तैयार की जाए। राज्य के अन्दर विकास के कुछ कार्यों की योजना राज्यीय या आचलिक दृष्टिकोण से ही बननी चाहिये। फिर भी यह सत्य है कि ज़िला ही योजना के सारे ढाचे की धुरी है। इसी विन्दु पर आकर विभिन्न क्षेत्रो की योजनाये एकाकार होती है और जन-जीवन में घनिष्ठ रूप से रम जाती है।

६. १९५४ मे ही योजना आयोग तथा केन्द्रीय सचिवालयो मे राष्ट्रीय योजना के विशद पहलुओं पर विचार आरम्भ हुआ। उसी वर्ष के अन्तिम दिनो मे राष्ट्रीय योजना से सम्बन्धित प्राविधिक और आकडे सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए भारतीय आकड़ा सस्था से सहायता ली गई। सस्था ने कई व्यावहारिक परिपत्र तैयार किये। इन अध्ययनो और केन्द्रीय आकडा सस्था, वित्त सचिवालय की आर्थिक शाखा तथा योजना आयोग के अध्ययनो और निष्कर्षों को मिलाकर प्राध्यापक पी. सी. महलानबीस के दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सिफारिशो के मसौदे (जिसे सामान्यत "योजना के ढाचे" की सज्ञा दी जाती है) और वित्त मन्त्रालय की आर्थिक शाखा और योजना आयोग की ओर से "दूसरी पचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक ढाचे" के रूप में प्रस्तुत किया गया। योजना आयोग की अर्थ-शास्त्रियो की मडली ने इन पत्रो पर अप्रैल मास मे विचार किया और "योजना के ढाचे से सम्बन्धित मूल विचारणीय विषयो सम्बन्धी स्मृतिपत्र" तैयार किया। मडली के सदस्यो ने अलग अलग विषयो पर अध्ययन करके भी कई पत्र तैयार किए।

७. मई, १९५५ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 'योजना-ढाचे' एवम् उपर्युक्त अन्य परि-पत्रो पर विचार किया। राष्ट्रीय विकास परिषद् 'योजना-ढाचे" और तत्सम्बन्धी नीति-विचार के बुनियादी दृष्टिकोण से सहमत हो गई, जिसे अर्थशास्त्रियो की मडली ने स्मृतिपत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। परिषद् इस विचार से भी सहमत थी कि दूसरी पचवर्षीय योजना इस प्रकार तैयार की जाय, जिससे पाच वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि हो और एक करोड़ या एक करोड बीस लाख लोगो को रोजगार मिल सके। परिषद् ने यह आदेश भी दिया कि दूसरी पचवर्षीय योजना इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए जिससे समाजवादी ढग के समाज निर्माण सम्बन्धी निर्णय और नीति स्पष्टतः अभिव्यंजित हो सके।

८. उपरोक्त विभिन्न पत्रों को जनता की सूचनार्थ और सम्मत्यर्थ प्रकाशित किया गया। मई मास से लेकर अगस्त, १९५५ तक इन पत्रों में उल्लिखित बातों और प्रश्नों पर विस्तृत रूप से विवाद हुआ।

९. एक ओर जबकि योजना-ढाचे के मसौदे पर विचार हो रहा था, दूसरी ओर केन्द्रीय सचिवालयो और राज्य सरकारों ने दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए विस्तृत सुझावों और आवश्यकताओ का विवरण तैयार करना आरम्भ कर दिया। राज्य सरकारो के साथ जुलाई मास में विचार-विमर्श शुरू हुआ, जो अक्तूबर १९५५ तक जारी रहा। इस विचार-विमर्श के फल-स्वरूप योजना आयोग को प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्री के साथ परामर्श करने और उस राज्य की योजना के व्यापक पहलुओं को समझने का अवसर मिला। राज्यो के प्रस्तावों की ऐसी विचार

गोष्ठियो में बारीकी से जाच-पड़ताल की गई, जिनमें केन्द्रीय सचिवालयो, राज्य सरकारो और योजना आयोग के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। इस विचार बिमर्श के बाद जो सिफारिशें की गईं, उनके आधार पर राज्य सरकारो ने अपनी योजना के प्रारूप को सशोधित करके पुनः योजना आयोग के पास भेजा। केन्द्रीय सचिवालयो के साथ गर्मियो भर विचार विमर्श होता रहा। यह क्रम १९५५ के दिसम्बर मास के प्रारम्भ मे समाप्त हुआ।

१०. दूसरी पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित सुझावो के स्मृतिपत्र का मसौदा १९५५ के दिसम्बर मास के अन्त में तैयार हुआ। इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति और ससद् सदस्यो की परामर्शदात्री समिति ने विचार किया। बाद में २० और २१ जनवरी, १९५६ को स्मृतिपत्र के मसौदे तथा इससे पूर्व के विचार-विमर्श जनित सुझावो पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विचार किया। इन विचार विमर्शों और केन्द्रीय सचिवालयो, राज्य सरकारों आदि के स्मृतिपत्र के मसौदे पर जो प्रारम्भिक विचार प्राप्त हुए, उन सब को ध्यान में रखते हुए दूसरी पचवर्षीय योजना का यह प्रारूप तैयार किया गया।

११. जिस योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है, वह केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों के विभिन्न स्तर के बहुसख्यक कर्मचारियो के परिश्रम और देश के प्रत्येक भाग के विचारशील व्यक्तियो के सुझावो का परिणाम है। इसको प्रस्तुत करने में जीवन के प्रत्येक भाग के नर-नारियो ने अपना समय और सूझ लगाई है। दूसरी पचवर्षीय योजना को तैयार करने म जितना उत्साह दिखाया गया, देश भर के लोगो ने जिस प्रकार उसके तैयार करने में योग दिया वही इसकी शुभ समाप्ति का प्रशस्त सकेत है।

पहला अध्याय

दूसरी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण

पहली योजना का मूल उद्देश्य एक ऐसी नींव तैयार करना था जिस पर एक प्रगतिशील तथा विविधतापूर्ण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। कई बहुत आवश्यक समस्याएँ थी, जैसे खाद्य और कच्चे माल की कमी और मुद्रास्फीति का निरन्तर दबाव। पहले इनका निराकरण करना जरूरी था। पर योजना का असली उद्देश्य यह था कि वह भविष्य मे द्रुत उन्नति के लिए उपयुक्त ज़मीन तैयार करे। दीर्घकालीन आवश्यकताओं को देखते हुए अर्थ-व्यवस्था की समस्याओ पर विचार किया गया और विकास के सम्बन्ध मे ऐसे कार्यक्रम तैयार किए गए, जिनसे दीर्घकालिक आवश्यकताओ की पूर्ति होने के साथ-साथ एक सन्तुलित और व्यापक आर्थिक विकास की प्रक्रिया का प्रारम्भ हो। हमने इस बीच मे जो कुछ सफलता प्राप्त की है, दूसरी योजना को उसी पर आधारित करके उस प्रक्रिया को आगे बढाना है। योजना तैयार करते समय दो या तीन ऐसी योजनाओ तक विस्तृत परिप्रेक्षित सामने रखकर आगे बढना चाहिए।

२ अर्थ-व्यवस्था पर पहली योजना की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन मे बहुत काफी वृद्धि हुई है। मूल्य युक्तिसगत सतह पर है। देश का वैदेशिक हिसाब-किताब भी सन्तुलित है। पहली योजना मे जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए थे, वे पूर्ण हो चुके है और सच तो यह है कि कई क्षेत्रो मे हम उनको भी पार कर चुके है। इन ५ वर्षो मे कोई १,७०,००,००० एकड नई जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। बिजली उत्पादन की प्रस्थापित क्षमता २३ लाख किलोवाट से बढकर ३४ लाख किलोवाट हो गई है। रेलो के पुनस्सस्थापन के सम्बन्ध मे यथेष्ट प्रगति हुई है। सरकारी तथा निजी क्षेत्रो मे कई औद्योगिक कारखानो ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इसके विपरीत पहली योजना मे लोहे और इस्पात के एक नए कारखाने और बिजली के एक भारी कारखाने के स्थापित किए जाने की जो व्यवस्था की गई थी, उसके सम्बन्ध मे बहुत सीमित प्रगति के अतिरिक्त उसमे कोई उन्नति नही हुई। इसके अतिरिक्त सामुदायिक योजना कार्य, शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगो इत्यादि मे जितना व्यय होना था, वह नही हो सका। फिर भी इसमे सन्देह नही कि कुल मिला कर हमारी अर्थ-व्यवस्था काफी मज़बूत हो गई है। योजना के कारण

दीर्घकाल से स्थिर परिस्थिति मे एक नया गतिशील उपादान आ गया है। गत ५ वर्ष मे राष्ट्रीय आय मे अनुमानत १८ प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि केवल ११ प्रतिशत बढने की आशा थी। १९५५-५६ मे सार्वजनिक क्षेत्र मे विकास सम्बन्धी खर्च १९५१-५२ के मुकाबले मे ढाई गुने से अधिक है। निजी क्षेत्र मे पूजी विनियोग आशा के अनुरूप हुआ है। यह सारा विकास हमारी अर्थ-व्यवस्था पर किसी प्रकार का भारी दबाव डाले या असन्तुलन पैदा किए बिना ही हुआ है। योजना से योगदान मिला तथा सहयोग की भावना अधिक मात्रा मे जागृत हुई है। इसके कारण विश्वास तथा बडी-बडी आशाओ का वातावरण उत्पन्न हुआ है। अवश्य ही जो देश विकास के मार्ग मे आगे बढ रहा है, उसके लिए प्रत्येक कदम भविष्य मे विश्वास तथा उसकी सम्भावनाओ के सम्बन्ध मे दृढता उत्पन्न करता है। आज जो सफलता प्राप्त हुई है उसका तकाज़ा यह है कि कल हम और भी प्रयास करके आगे बढे।

उद्देश्य

३ दूसरी पचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था मे और भी अधिक तेज़ी से विकास हो, और देश की उत्पादन क्षमता इस प्रकार से बढे कि बाद की योजना अवधि मे विकास की गति द्रुततर हो। तात्कालिक आवश्यकताओ की पूर्ति करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम और भी दीर्घकालीन लाभाशो के बारे मे सोचे, क्योकि एक बडे और ठोस कार्यक्रम से बहुत कुछ आशा की जा सकती है। भारत जैसे देश को जो औद्योगीकरण के मार्ग मे बहुत बाद मे पग रख रहा है, विकास की इन प्रक्रियाओ को बहुत थोड़े समय के अन्दर पार करना है, जिन्हे पार करने मे दूसरे देशो ने पुश्ते गुज़ार दीं। इसके लिए हमें अपने साधनो को गतिशील करके इस प्रकार उद्देश्यपूर्ण तथा असरदार तरीके से काम मे लाना है कि लक्ष्य पूर्ण हो। विकास के सम्बन्ध मे योजना बनाने का सार यह है कि उपलब्ध वास्तविक साधनो का बताए हुए उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए समन्वित ढग से प्रयोग किया जाए। हम जिस वेग से अपने साधनो को गतिशील बना सकते है, तथा जितनी कार्यकुशलता के साथ हम अपने साधनो का प्राथमिकता की दृष्टि से इस्तेमाल कर सकते है, परिणाम भी उसी के अनुपात से होगा। योजना न केवल मौजूदा साधनो को लेकर चलती है बल्कि वह चालू रहने की प्रक्रिया मे उन्हे विकसित करती और उनका विस्तार करती है। बात यह है कि साधन कोई निर्दिष्ट या स्थिर परिमाण नही है, वे तब तक अज्ञात या आशिक रूप से ज्ञात पडे रहते है, जब तक उन्हे खोजने और उनके विकास करने के सचेष्ट और सगठित प्रयास नही किए जाते। इस सम्बन्ध मे बहुत भरपूर और क्रमबद्ध सर्वेक्षण और खोज, विशेषकर खनिज पदार्थों के क्षेत्र मे बहुत ही जरूरी है, और इस उद्देश्य को सामने रखकर वैज्ञानिको तथा टेक्नीशियनो की एक मडली को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास करना चाहिए। आर्थिक विकास का मतलब केवल इतना ही नही है कि उत्पादन अधिक हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि उत्पादन क्षमता बढ़े और बराबर बढती जाए। इस प्रक्रिया मे मानवीय गुणो तथा हुनर का विकास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक साधनो का

विनियोजन और सदुपयोग। विकास के अन्तर्गत नए टेकनीकों का अपनाया जाना तथा समाज के सस्थागत ढाँचे को युगोपयोगी करके उसे मजबूत बनाना भी आ जाता है। दूसरी पचवर्षीय योजना मे उपलब्ध माल तथा सेवाओ के प्रचलन को बढाना और साथ ही सामाजिक ढाँचे मे हेरफेर की प्रक्रिया को भी आग ले जाना है।

४ दूसरी पचवर्षीय योजना निम्न मुख्य लक्ष्यो को ध्यान मे रख कर बनाई गई है—

(क) राष्ट्रीय आय के स्तर मे इतनी वृद्धि करना जिससे देश के रहन-सहन का मान दड ऊँचा हो,

(ख) मूल तथा भारी उद्योगो के विकास पर विशेष ज़ोर देते हुए देश का तेज़ी से औद्योगीकरण,

(ग) रोजगार सम्बन्धी सुविधाओ का अधिक विस्तार, और

(घ) आय तथा सम्पत्ति की विषमताओ का निराकरण तथा आर्थिक शक्ति का पहले से अधिक समान वितरण।

ये उद्देश्य परस्पर मे एक दूसरे से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि तथा रहन-सहन के मानदंड मे अच्छी खासी उन्नति तब तक नही हो सकती जब तक कि उत्पादन और पू जीविनियोग मे पर्याप्त वृद्धि न हो। इस उद्देश्य से आर्थिक और सामाजिक (ओवरहैड) पू जी निर्माण, खनिज पदार्थों की खोज और विकास, इस्पात, यत्र निर्माण, कोयला और भारी रासायनिक पदार्थ इत्यादि जैसे मूल उद्योगो का विकास परम आवश्यक है। इन सारी दिशाओ मे एक साथ विकास के लिए उपलब्ध जनशक्ति और प्राकृतिक साधनो का अधिक से अधिक सदुपयोग करना है। एक ऐसे देश मे जहाँ अपेक्षतया अपार जनशक्ति है, रोज़गार सम्बन्धी सुविधाओ का विस्तार स्वय ही एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त विकास की प्रक्रिया और उसका रूप ऐसा होना चाहिए कि वह मूल सामाजिक मान्यताओ और उद्देश्यो को प्रतिफलित करे। विकास का परिणाम यह होना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक विषमताओ मे कमी हो और यह सब लोक-तन्त्रात्मक उपायो तथा प्रक्रियाओ के द्वारा हो। आर्थिक लक्ष्यो को सामाजिक लक्ष्यो से अलग नही किया जा सकता, साधन और उद्देश्य साथ ही साथ चलते है। यदि योजना ऐसी है जिससे जनता की उचित आकाक्षाओ की पूर्ति होती है, तभी ऐसा सभव है कि लोकतन्त्रात्मक समाज उसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करे।

५. इन सारे लक्ष्यो का तकाज़ा यह है कि एक विविधतापूर्ण आर्थिक ढाँचा हो। रहन-सहन का निम्न या स्थिर मानदड बेरोज़गारी या कम रोज़गारी, और कुछ हद तक औसत आयो और ऊँची से ऊँची आयो मे जो खाई है, वह सब उस आधारभूत अल्प-विकास का ही लक्षण है जो मुख्यत खेती पर आधारित अर्थ-व्यवस्था की विशेषता है। इस प्रकार द्रुत औद्योगीकरण ही विकास का प्रधान माग है। पर

यदि हमे यथेष्ट तेजी से औद्योगीकरण करना है, तो ऐसे उद्योगो का विकास करना पडेगा जिनमे ऐसी मशीनो का उत्पादन होता है जिनसे उपभोग्य सामग्री तथा बीच की उपजो के उद्योग चालू रह सके । यह तभी सभव है जबकि लोहा और इस्पात, लोहेतर धातुएँ, कोयला, सीमेण्ट, भारी रासायनिक पदार्थ तथा आधारभूत महत्व के दूसरे उद्योगो का पर्याप्त मात्रा में विस्तार हो । इसमे साधनो की कमी और जो साधन है उन पर आवश्यक दावो की अधिकता की कठिनाई अवश्य है । फिर भी हमारे सामने जो आदर्श है, वह यह नही है कि केवल तात्कालिक आवश्यकताओ की पूर्ति हो, बल्कि ज्यो-ज्यो विकास कार्य आगे बढता जाए, त्यो-त्यो हमारी बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति होती रहे । भारत के ज्ञात प्राकृतिक साधन अपेक्षतया काफी है, और इन में से कई क्षेत्रो मे, जैसे इस्पात के क्षेत्र मे सभव है कि अपेक्षतया यहाँ लागत कम बैठे । यह ज़रूरी है कि भारी तथा पूजीगत माल उत्पन्न करने वाले उद्योगधन्धो के विकास मे, जहॉ तक कि वे इस आदर्श को पूरा करते हो, हम अधिक से अधिक आगे बढ जाएँ ।

६ इन दिशाओ मे औद्योगिक विकास की यह माग है पूजी अधिक हो, पर इसमे बहुत काफी अपेक्षतया कम लोगो को रोज़गार मिलता है । आधारभूत उद्योगो में पूजी विनियोग से उपभोग्य वस्तुओ की माग पैदा होती है, पर अल्प काल मे इससे उपभोग्य वस्तुओ की पूर्ति का विस्तार नही होता । इस-लिए औद्योगीकरण के सतुलित ढाँचे का तकाजा यह है कि बहुत ज़रूरी उपभोग्य वस्तुओं की पूर्ति को बढाने के लिए श्रम के सुसगठित प्रयास का उपयोग किया जाए । यदि हम तुलनात्मक रूप से उत्पादन के ऐसे उपायो को काम मे लाएँ जिनमे श्रम की उत्पादकता अधिकतम है, तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरे तरीके से उपभोग्य वस्तुओ की पूर्ति में जितने श्रमिक लग सकते थे उससे कम श्रमिक लगेगे । इससे यह जाहिर हो जाता है कि उपभोग के मामले मे हमे उस काल मे कुछ हद तक त्याग करना जरूरी है, जिस काल मे कि मूल अर्थ-व्यवस्था मे मजबूती लाई जा रही है । पर यह त्याग उस समय घट जायगा जब उपभोग्य वस्तुओ के उद्योगो की उत्पादकता बढाने के लिए अधिक शक्ति, अधिक परिवहन, पहले से अच्छे औजार, मशीन और उपकरण प्राप्त हो, और दीर्घकाल मे समाज को अधिक लाभ होगा । इस बीच मे जो श्रम शक्ति काम मे नही आ रही है या कम काम मे आ रही है, उसके पूरे उपयोग पर जोर देने से बेरोज़गारी की समस्या का तात्कालिक रूप से कुछ समाधान होता है ।

रोज़गार

७. रोज़गार बढाने की सुविधाओ के प्रश्न पर योजना के पूजी विनियोग सम्बन्धी कार्यक्रम से अलग विचार नही किया जा सकता । रोज़गार तो पूजी विनियोग में अन्तर्निहित और उसके साथ आता है, और यह बताने की

ज़रूरत नही कि पूंजी विनियोग के रूप के निर्णय मे यह एक बहुत बडा विचारणीय प्रश्न हो जाता है। योजना मे पूजी विनियोग तथा विकास व्यय बहुत अधिक बढाया गया है, इसका मतलब यह है कि इससे आय और चारो तरफ श्रम की माग बढेगी। पूंजी विनियोग से कितना रोजगार बढ सकता है, इसका निर्णय करने के अलावा रोज़गार बढाने के लिए बनाई गई योजना का अर्थ और भी है। रोजगार सम्बन्धी सुविधाओ की उपलब्धि और अर्ध-रोजगारी घटाने पर केवल साधारण रूप से विचार नही किया जा सकता। इस पर ढग से विचार करने के लिए इस समस्या को क्षेत्रो, अचलो तथा वर्गो मे विभक्त करना होगा। आयोग ने जो अध्ययन किया है उससे यह पता लगता है कि यद्यपि दूसरी पचवर्षीय योजना के प्रारभिक चरण के युग के बेकारो पर कोई विशेष असर नही पडेगा, फिर भी नये भरती होने वाले श्रमिको के लिए रोजगार सम्बन्धी अवसर उत्पन्न होगे तथा खेती तथा ग्रामो और कुटीर उद्योगो मे जो कम-रोज़गार की अवस्था है उसमे कुछ सुधार होगा। विभिन्न प्रकार के पूजी विनियोग की रोज़गार सम्बन्धी सम्भावनाओ पर तथा पूजी विनियोग और इससे होने वाले रोज़गार मे वृद्धि के प्रश्न पर निरन्तर प्रौद्योगिक या प्राविधिक अध्ययन ज़रूरी होगा। नि सन्देह खानो और कारखानो, निर्माण, व्यापार, परिवहन तथा सेवाओ मे काम करने वाले लोगो की सख्या खेती और इससे सम्बद्ध पेशो की तुलना मे अधिक तेज़ी से बढेगी। यह स्वय एक बहुत अच्छा प्रारम्भ है। बहुत दिनो तक रोज़गार सम्बन्धी ढाँचे मे प्रथम क्षेत्र से दूसरे मे तथा दूसरे से तीसरे मे काम करने वाले लोगो का बदलते जाना ज़रूरी है और उसकी आशा की जाती है। योजना मे सिचाई, भूमि सरक्षण, पशुपालन मे उन्नति तथा आम तौर से खेती की उन्नति के सम्बन्ध मे बहुत काफी कार्यक्रम है। इनके फलस्वरूप ही ग्राम तथा कुटीर उद्योगो के जो कार्यक्रम है उनसे देहातो मे कम-रोज़गार की हालत घट जाएगी। आधारभूत रूप से यह स्मरण रखना है कि अर्द्धविकसित अर्थ-व्यवस्था में विकास की समस्याओ का एक पहलू कम-रोज़गार है। जिन बातो से विकास की गति को बढाने मे बाधा पहुचती है, उन्ही बातो से रोजगार सम्बन्धी परिस्थिति को उन्नत करने मे भी बाधा पहुँचती है। योजना मे सार्वजनिक तथा निजी, दोनो क्षेत्रो मे बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य बढाने की व्यवस्था है, और रोज़गार सम्बन्धी परिस्थितियो की ज़रूरतो को देखते हुए कुछ सीमाओ के अन्दर इस प्रकार के कार्य को बढाना या घटाना सम्भव होना चाहिए।

समाज का समाजवादी रूप

८ समाज के समाजवादी रूप की स्थापना आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप मे स्वीकृत हो चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हमे अब निजी मुनाफे को आधारभूत निर्णायिक रूप मे नही रखना है, बल्कि सारे प्रयासो को सामाजिक लाभ की कसौटी पर देखना है। उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा पूजीविनियोग के सम्बन्ध मे मुख्य फैसले—और सच तो यह है कि सामाजिक आर्थिक सम्बन्धो की सारी रूप रेखा का निर्माण—सामाजिक उद्देश्य को दृष्टि मे रखकर ही करने होगे। आर्थिक विकास का लाभ अधिकाधिक रूप से समाज के कम अधिकार प्राप्त वर्गों को पहुँचना चाहिए और इसी प्रकार आय, धन तथा आर्थिक सत्ता

का केन्द्रीकरण धीरे-धीरे घटता जाना चाहिए । समस्या यह है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमे उस साधारण व्यक्ति को जिसे अब तक सगठित प्रयास के जरिए से उन्नति की विशाल सभावनाओ मे भाग लेने तथा उसकी भलाई से परिचित होने के कम मौके मिले है, देश की बढती हुई समृद्धि और अपने लिए एक उच्चतर जीवन स्तर स्थापित करने के लिए भरपूर करने का अवसर मिल सके । इस प्रकार वह आर्थिक तथा सामाजिक रूप से उन्नति कर सकता है । इन परिस्थितियो को उत्पन्न करने के लिए राज्य पर जो सारे समुदाय की ओर से तथा उसके कल्याण के लिए काम करने वाली मुख्य सस्था है, बहुत भारी जिम्मेदारी है । सार्वजनिक क्षेत्र को तेजी से आगे बढाना है और निजी क्षेत्र को समाज या जनसमदाय द्वारा स्वीकृत व्यापक योजना के ढाँचे के अन्दर अपना हिस्सा अदा करना है ।

९ आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यह जरूरी है कि उत्पादन बहुत बडे पैमाने पर हो और एकीभूत नियत्रण हो । इसके साथ ही कुछ विशेष कार्यों की दिशाओ मे साधनो का आवण्टन आवश्यक है। इन के अन्तर्गत खनिज पदार्थ और मूल तथा पू जी गत मूल उद्योगो का पूर्ण उपयोग आ जाता है, क्योकि अर्थ-व्यवस्था किस गति से प्रगति कर रही है, ये उसके मुख्य निर्णायक है। इन क्षेत्रो मे नए विकास की जिम्मेदारी मुख्यत राज्य की होनी चाहिए, इसके साथ ही इस समय जो इकाइयाँ काम कर रही है उन्हे भी उस ढाँचे के साथ तालमेल रख कर चलना है जो धीरे-धीरे उद्भूत हो रहा है। आशिक या पूर्ण सार्वजनिक मिल्कियत, प्रबन्ध मे सार्वजनिक नियत्रण या सहयोग उन क्षेत्रो मे विशेष रूप से जरूरी है जिनमे प्रौद्योगिकीय कारणो का झुकाव आर्थिक शक्ति तथा सम्पत्ति के केन्द्रीकरण की ओर रहता है । सच तो यह है कि इस समय बहुत से ऐसे क्षेत्र है जिनमे सरकार की सहायता या सहारे के बिना वर्तमान परिस्थियों मे निजी उद्यम कोई विशेष कारगुजारी नही दिखा सकते । इन क्षेत्रो मे साधनो के सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक रूप को स्वीकार करना पडेगा। अर्थ-व्यवस्था के शेष भाग मे ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न करनी पडेगी जिनमे निजी उद्योग और उद्यम, चाहे वे वैयक्तिक ढग के हो या सहकारी आधार पर सगठित हो, पूरी सुविधा प्राप्त कर सके । एक विकासशील अर्थव्यवस्था मे जो अधिकाधिक रूप से विविधतापूर्ण होती जाती है, सार्वजनिक और निजी, दोनो क्षेत्रो के विस्तार की ग जाइश रहती है ।

१० समाज का समाजवादी रूप कोई निर्दिष्ट या बिल्कुल सकुचित रूप न समझा जाए । इसकी जड किसी विशेष सिद्धान्त या मतवाद मे नही है । प्रत्येक देश को अपनी प्रतिभा और परम्परा के अनुसार विकसित होना पडता है । ऐतिहासिक परिस्थितियो की रोशनी मे आर्थिक और सामाजिक नीति समय-समय पर बनानी पड़ती है । पर साथ ही यह बहुत जरूरी है कि कुछ आधारभूत मूल्यो को बराबर सामने रखा जाए और इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम किस दिशा मे जा रहे है । समाजवादी रूप का मतलब इस बात पर जोर देना है कि हमे ठोस लक्ष्यो की प्राप्ति हो यानी रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो, सबके लिए अवसरो मे वृद्धि हो; अब तक जो वर्ग असुविधापूर्ण हालत मे थे, उनमे उद्यम की वृद्धि हो

और समाज के सभी वर्गों के लोगो मे यह भावना उत्पन्न हो कि जो कुछ भी हो रहा है, उसमे उनका हाथ है और वह उनकी भलाई के लिए हो रहा है । सविधान मे जो निदेशक सिद्धान्त दिए गए है, उनमे यह दृष्टिकोण मोटे तौर पर सामने रख दिया गया था । उस दृष्टिकोण को अधिक वस्तुवादी ढग से रखने के लिए ही अब उसे समाजवादी रूप की सज्ञा दी गयी है। आर्थिक नीति और साथ ही सस्था सम्बन्धी परिवर्तन उन लोकतन्त्री तथा समतावादी आदर्शों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिएँ जिन्हे देश मान्यता देता है और जिन्हे वह प्राप्त करने के लिए सकल्प कर चुका है ।

कर्तव्य

११ दूसरी पचवर्षीय योजना के आकार तथा रूप का वर्णन दूसरे अध्योय मे किया गया है । थोड़े मे वह यह है कि केन्द्रीय और राज्यीय सरकारे मिलकर ५ वर्षों की अवधि मे ४,८०० करोड रुपए खर्च करने का सकल्प करती है । इसमे से सिंचाई और बिजली पर १८ प्रतिशत; खेती पर, जिसके अन्तर्गत सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ भी है, १२ प्रतिशत; उद्योग और खनिज पर १९ प्रतिशत; परिवहन और सचार पर २९ प्रतिशत और समाज सेवाओ पर जिनमे मकान बनाने तथा विस्थापित व्यक्तियो का पुनर्वास भी सम्मिलित है २० प्रतिशत खर्च होगा। सम्भव है कि किन्ही मजबूरियो के कारण इन आवटनो मे थोडा बहुत हेर-फेर करना पडे, पर जो प्रतिशत उल्लिखित है, उनसे यह पता लगता है कि आवटनो का रूप क्या है। इन आवटनो मे अन्तर्निहित प्राथमिकताओ से औद्योगीकरण पर स्पष्ट जोर मालूम होता है । उद्योगो के अन्दर मूल तथा पू जीगत माल के उद्योगो के विकास को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका अर्थ यह है कि परिवहन और सचार मे बहुत अधिक पूजी विनियोग की आवश्यकता है । सिंचाई और बिजली के विस्तार की भी व्यवस्था है क्योकि ये खेती और साथ ही उद्योगो दोनो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को कार्यान्वित करते है, जिनसे देहाती क्षेत्रो मे रहने वाले बहुत से लोग कार्यशील हो जाते है और वहा उद्यम, आत्म-निर्भरता तथा सहकारी प्रयासो के आधार पर लोगो को आर्थिक उन्नति का मौका मिलता है । दूसरी योजना मे इन कार्यक्रमो का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है । हमारी अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को जीवन दान देने की नितान्त आवश्यकता इसलिए है कि हमारे देश की बहुत विशाल जनसख्या इसी वर्ग मे है, और इस समय उनके रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा है । हमारी आवश्यकताओ को देखते हुए सामाजिक सेवाओ के लिए कुल धनराशि का केवल २० प्रतिशत आवटित होना कम है । योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिस प्रौद्योगिक कर्मचारी वर्ग की जरूरत होगी, उसकी प्रशिक्षण सुविधाओ के विस्तार को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है, और ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिससे सविधान का वह निर्देश पूरा हो सके जिसके अनुसार आगामी १० वर्षों मे १४ वर्ष तक की उम्र के सब बच्चो के लिए नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो जाय । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रो मे विकास कार्यक्रमो का सयक्त परिणाम यह होगा कि राष्ट्रीय आय लगभग २५ प्रतिशत बढ जाएगी।

१२. सुविधा के लिए किसी योजना की वित्तीय लागत बता कर उसकी परिभाषा की जा सकती है। फिर भी मूलत. यह बात समझ लेनी चाहिए कि योजना का अर्थ यह है कि इतने समय की अवधि मे इतना काम हो जाना चाहिए। अब जो काम या कर्तव्य सामने है उनमे कुछ और बाते भी है जैसे कितना श्रम चाहिए, कितने कारखाने तथा यत्र चाहिएँ, किस विशेष ढग के कुशल शिल्पी चाहिएँ। इस प्रकार से योजना के परिणाम को भी कुछ उत्पादनो के रूप मे बताया जा सकता है जैसे कितना खाद्य और कितना कच्चा माल उत्पन्न होगा, किंतनी उपभोक्ता सामग्री तथा उत्पादन के साधनो की उपज होगी, जिससे यथासमय उपभोक्ता सामग्री का और भी उत्पादन होगा। हमारे सामने जो कर्तव्य है, उनकी महानता तथा जितने परिणामो को प्राप्त करना है, उन्हें इन्ही वस्तुवादी कसौटियो पर अच्छी तरह कसा जा सकता है।

१३ दूसरी पचवर्षीय योजना मे केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों को कुछ बडे विकास कार्यो का बीडा उठाने के लिए कहा गया है, जिनमे से कुछ तो केवल उसी प्रकार के कार्यो के विस्तार का है जिनसे हम परिचित हो चुके है, पर कुछ काम ऐसे है जो तुलनात्मक रूप से नई दिशाओ से सम्बन्ध रखते है। योजना मे इस बात का सकल्प किया गया है कि सिंचाई वाली जमीन मे दो करोड दस लाख एकड की वृद्धि हो। इसी प्रकार यह सकल्प किया गया है कि बिजली का उत्पादन जहाँ दूसरी योजना के प्रारम्भ मे केवल ३४ लाख किलोवाट का है वहाँ इसी योजना के अन्त तक वह ६८ लाख किलोवाट तक पहुँच जाएगा। रेलो के सम्बन्ध मे यह आशा की जाती है कि मुसाफिर मीलो मे १५ प्रतिशत तथा माल टनो मे ३५ प्रतिशत वृद्धि होगी। सच तो यह है कि इस क्षेत्र मे इससे अधिक विस्तार की जरूरत है। इसका अर्थ यह है कि रेल इजनो, सवारी गाडियो तथा माल के डिब्बो मे बहुत अधिक वृद्धि हो, नई लाइनो का निर्माण हो, लाइनो की क्षमता मे वृद्धि हो, कुछ हिस्से का विद्युतीकरण हो तथा कई तरह के विस्तार कार्य जोर-शोर से हो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनुसार ३,८०० राष्ट्रीय विस्तार खण्डो तथा १,१२० सामुदायिक योजनाकार्य खण्डो मे अत्यधिक कार्य का सकल्प किया गया है। कुल मिलाकर इस कार्य का इतना विस्तार करना है जिससे १९६०–६१ मे यह कार्य ३२,५०,००,००० जनता को लाभ पहुँचा सके, जबकि इस समय वह केवल ८,००,००,००० जनता तक ही पहुँच सका है। इसका अर्थ यह है कि लगभग समूचा देहाती क्षेत्र इन खण्डो के दायरे मे आ जायगा। ये कार्यक्रम, तथा समाज सेवा के सम्बन्ध मे जो कार्यक्रम है, उनमे बहुत अधिक वित्त तथा सगठन की आवश्यकता है। ये ऐसे क्षेत्र है, जिनमे पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो चुका है, और आवश्यक कर्मचारी वर्ग या तो प्राप्त है या उन्हे जल्दी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक तथा खनिज विकास के सम्बन्ध मे सार्वजनिक क्षेत्र का भी बहुत अधिक विस्तार किया जाना है। इन नए ढग के कार्यक्रमो की मुख्य जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। इन नए कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने का अर्थ न केवल वित्त विनियोग है बल्कि सरकार के वर्तमान सगठन सम्बन्धी तथा प्रशासक कर्मचारी वर्ग को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि शीघ्र निर्णय करने तथा उन्हे कार्यान्वित करने के लिए

उचित ढग अपनाए जाएँ । सच तो यह है कि इससे भारी उद्योगो, तेल की खोज और कोयले के विकास कार्यक्रमो को बल प्राप्त होगा और आणविक शक्तियो के विकास का एक अच्छा प्रारम्भ होगा । दूसरी योजना की क्रान्तिकारी गतिशीलता बहुत कुछ इन नए कार्यक्रमो मे ही है, जिनको पूरा करने के लिए हमे अपनी सारी शक्ति लगा देनी पड़ेगी । दूसरी योजना से जिन परिणामो की आशा है, वे बहुत ही प्रभावशाली है, पर साथ ही यह स्मरण रहे कि वास्तविक तथा वित्तीय साधनो को लगाने तथा उन्हे गतिशील करने मे भी इसी प्रकार बहुत बडे प्रयास की ज़रूरत है ।

१४ सार्वजनिक क्षेत्र के इन विकासो को निजी क्षेत्र मे प्रस्तावित विकासो के साथ मिलाकर देखना चाहिए। बात यह है कि दूसरी योजना की अवधि मे माल के उत्पादन और सेवाओ मे जो वृद्धि होगी, वह इन दोनो क्षेत्रो के विकास का सम्मिलित परिणाम ही होगा । इन दो भागो को कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना है और सच तो यह है उन्हे एक ही यन्त्र के दो हिस्से मानने चाहिएं। कुल मिलाकर योजना तभी सफल हो सकती है जब दोनो क्षेत्रो का एक साथ और सन्तुलित विकास हो। योजना मे विनियोग सम्बन्धी जो निर्णय है वे सार्वजनिक अधिकारियो द्वारा प्रस्तुत है, और इसके फलस्वरूप होने वाले उत्पादन या लाभ का अन्दाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। पर निजी क्षेत्र के सम्बन्ध मे सरकारी नीति लाइसेंस और जहाँ तक आवश्यकता हो प्रयत्क्ष भौतिक आवटनो द्वारा, जिससे प्रस्तावित लक्ष्यो की प्राप्ति मे सुविधा हो तथा वे आगे बढ सके, प्रभाव डाल सकती है। निजी क्षेत्र मे उद्योग सारे देश मे फैले हुए है। इन क्षेत्रो का पूजी-विनियोग तथा लक्ष्य सम्बन्धी अनुमान केवल मोटे तौर पर बताया जा सकता है। सगठित उद्योगो तथा व्यापार के विषय मे अधिक तथ्य प्राप्त है और वे सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनो या रोको से अधिक प्रभावित होते है, पर उनमे साधनो और सफलता के बीच उस प्रकार का घनिष्ट सम्बन्ध नही हो सकता जैसा कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चलाए हुए धधो मे हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे सिंचाई, बिजली और परिवहन मे विविध तरह के पूजी-विनियोग किए जा रहे है। उससे निजी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढती है, और सम्बद्ध उत्पादन तथा उद्यम इन सुविधाओ का फायदा उठा सकते है। तुलनात्मक मूल्यो का एक उपयुक्त ढाँचा मौजूद होने पर जिसे सरकार नियत्रित तथा प्रभावित कर सकती है और जिसे सरकार को करना है, निजी क्षेत्रो मे साधनो के वाछित आवण्टन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । सच बात तो यह है कि इस समय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो की एक दूसरे मे अन्त प्रविष्ट रूप मे कल्पना करना उचित होगा न कि दो अलग अलग क्षेत्रो के रूप मे ।

औद्योगिक नीति

१५ योजना के सम्बन्ध मे औद्योगिक नीति निर्धारित करने मे कुछेक सामान्य बाते निम्न है । स्वतत्रता के बाद से सरकार की औद्योगिक नीति मोटे तौर पर १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी व्यापक प्रस्ताव पर आधारित रही है। उस प्रस्ताव मे सरकार पर बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का ज़ोर डाला गया था कि वे राष्ट्रीय हित मे उद्योगो

को बढाए, उसे सहायता पहुँचाए तथा उसे नियंत्रित करे । सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यह बताया गया कि वह अधिकाधिक रूप से क्रियाशील रहे । इस प्रस्ताव मे सार्वजनिक हित में राष्ट्र का यह स्वभावसिद्ध अधिकार मान लिया गया कि ज़रूरत पडने पर वह किसी भी औद्योगिक कारखाने को अपने कब्जे मे ले ले। साथ ही इस प्रस्ताव मे उस समय की परिस्थितियो के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो के बीच मोटे तौर पर एक सीमा रख ली गई थी। इस बीच में जो तजुर्बे हुए और अर्थव्यवस्था की जो जरूरते प्रतीत हुई, उनको देखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार हो रहा है और नए सिरेसे उस पर विचार किया जा रहा है। १९४८ के प्रस्ताव मे अस्त्र-शस्त्र और आणविक शक्ति का उत्पादन और नियत्रण तथा रेलो का स्वामित्व और प्रबन्ध सम्पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार के लिए सुरक्षित है। इसमे यह साफ साफ कहा गया है कि सकट काल उपस्थित होने पर सरकार को हर समय यह अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी किसी भी उद्योग को वह हस्तगत कर ले । ६ उद्योगो का नाम लेकर प्रस्ताव में यह कहा गया है कि एकमात्र राष्ट्र पर इसकी जिम्मेदारी है कि उन क्षेत्रो मे नए कारखाने स्थापित करे। पर राज्य को यह अधिकार होगा कि जहाँ पर भी सार्वजनिक हित मे ज़रूरत है वह वहाँ निजी उद्यम का सहयोग प्राप्त कर सकेगा । प्रस्ताव के अनुसार उद्योग के शेष क्षेत्र को निजी उद्यम के लिए चाहे वह वैयक्तिक हो या सहकारी, खुला रखा गया। फिर भी यह बताया गया था कि राज्य इस क्षेत्र मे अधिकाधिक रूप से भाग लेगा, साथ ही जहाँ और जब भी उसे मालूम पडेगा कि निजी उद्योग के क्षेत्र मे प्रगति असन्तोषजनक है तो वह हस्तक्षेप कर सकेगा । प्रस्ताव मे केन्द्रीय नियत्रण तथा नियमन के लिए १८ महत्वपूर्ण उद्योग बताए गए थे । अब प्रस्ताव यह है कि नीति पर पुनर्विचार किया जाए, और इन तीन सूचियो पर फिर से विचार हो और फिर से निश्चय किया जाए कि कौनसे क्षेत्र सार्वजनिक उद्यम के लिए सुरक्षित रखे जाएँ, किन क्षेत्रो मे सार्वजनिक उद्यम को वृहतर जिम्मेदारी लेनी है और किन क्षेत्रों मे निजी उद्यम को नियत्रण और नियमन के अधीन कार्य करना है।

१६. देश की खनिज सम्पत्ति की मालिक सरकार है और उससे फायदा उठाने और उसे विकसित करने का अधिकार भी सरकार को ही है । देश के औद्योगिक विकास के लिए यह सम्पत्ति अत्यधिक मूल्यवान है, और इसलिए आवश्यक है कि उसके उत्खनन आदि के काम सार्वजनिक लाभ को देखकर किये जाए, जिससे राष्ट्रीय विकास मे अधिकतम सहायता मिले । यह तभी हो सकता है जब कि खानो का उत्खनन और उनका विकास सरकार स्वय करे। परन्तु कुछ मामले ऐसे भी हो सकते है जिनमें खानो से निकलने वाली वस्तु का ख्याल करते हुए उनका स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार के हाथ मे रखना उचित न हो। कुछ उदाहरण ऐसे भी हो सकते है जिनमे, सरकार ऐसा समझे कि सार्वजनिक लाभ के लिए उन्हे निजी उद्यम के सहयोग से चलाना अधिक-अच्छा होगा। परन्तु अन्तिम रूप से खानो और खनिज पदार्थों के विकास का प्रधान उत्तरदायित्व सरकार पर ही रहना चाहिए।

१७. औद्योगिक क्षेत्र में मूल पूजीगत माल के उत्पादन और भारी मशीने बनाने के लिए जो नए कारखाने खोले जाएँ उनका स्वामित्व और प्रबन्ध सार्वजनिक

हो। कुछ खास मामलो और परिस्थितियो मे ऐसे उद्योगो के राज्य तथा निजी उद्यम के सयुक्त स्वामित्व की भी गु जाइश रहनी चाहिए। जिन उद्योगो को सरकार लम्बी मियाद के कर्ज देकर सहायता करे, उन्हे किसी निश्चित ब्याज की दर पर कर्ज देने के बजाय उनमे बराबरी का हिस्सा रखना अधिक अच्छा रहेगा। किन उद्योगो को किस वर्ग मे रखा जाए, इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए गौर से जाँच करने की आवश्यकता है, और इसका फैसला प्रत्येक मामले की आवश्यकताओ को देख कर ही किया जा सकता है। ज़ोर इस बात पर देने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर बढते हुए योग को भली भाँति समझ लिया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि उसका कर्तव्य उद्योगो को बढ़ावा देना, उनके क्षेत्र का विस्तार करना, उनके प्रबन्ध को सुधारना और उन्हे अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अधिक समर्थ बनाना है।

१८ १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव मे यह भी बतलाया गया है कि दस्तकारियो और कुटीर तथा छोटे उद्योगो के सम्बन्ध मे क्या नीति रखनी चाहिए। उसके पश्चात् इस विषय पर बहुत अधिक विचार हो चुका है। स्पष्ट है कि विकास और लोगो को रोज़गार मे लगाने की दृष्टि से, यह देश की अर्थ-व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अग है। छोटे उद्योगों को बढावा देने, उन्नत और पुनर्गठित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इनके सम्बन्ध मे प्रभावशाली नीतियो को अपनाने और इनके सगठन की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यदि उत्पादन के सभी क्षेत्रो मे आधुनिक उपायो और साधनो का उपयोग बिना किसी नियम के या बिना सोचे समझे किया जाने लगेगा तो कुशल श्रमिको मे भी बेरोजगारी फैल जाएगी। इसलिए उनका उपयोग एक नियम और नियत्रण के अनुसार ही करना चाहिए। इसका यह अर्थ नही है कि आर्थिक या सामाजिक नीति के कारण वर्तमान साधनो से काम लेना बन्द कर दिया जाए या पुराने ढग के साधनो का ही प्रयोग किया जाए। इसका अर्थ केवल यह है कि ऐसे हालात पैदा करने चाहिएँ जिनमे आधुनिक उपायो और साधनो का उपयोग उत्पादन की पुरानी विधियो मे ही अधिकाधिक किया जा सके और जो परिवतन हो वे धीरे-धीरे और व्यवस्थित हो। पुराने ढग के उद्योगो मे कारीगरो की एक बडी कठिनाई जगह की और ऐसी ही दूसरी सहूलियतो की होती है। प्राय कारखाना भी घर के ही एक हिस्से मे होता है। इसलिए देहातो मे ऐसे कारखाने खोलने की ज़रूरत है जिनमे कई उद्योगो के कारीगर इकट्ठे होकर काम कर सके और जहॉ उन्हे अपने काम के अनुकूल परिस्थितियॉ मिल सके। इसी तरह इस बात की ज़रूरत है कि सरकार की तरफ से औद्योगिक सगठनो द्वारा माल ढोने, बिजली और इसी किस्म की दूसरी सहूलियते देकर छोटे और मध्य दर्जे के कारखानो को बढावा दिया जाए। जहॉ कही देहाती और छोटे कारखानो द्वारा रोज़गार और उत्पादन बढाना सम्भव हो और उनमे नए ढग के साधनों का उपयोग किया जा सके, वहॉ उत्पादन का कायक्रम ऐसी पूरी इकाई के रूप मे बनाना चाहिए कि उसमे बडे और छोटे दोनो प्रकार के कारखानो को सम्मिलित किया जा सके। दूसरी पचवर्षीय योजना मे इस बात पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि रोजमर्रा काम आनेवाले सामान की उपलब्धि बढाते हुए, पहले से मौजूद कारीगरो और कारखानो का पूरा उपयोग

करना चाहिए और साथ ही देहातो तथा छोटे कारखानो मे सुधरे हुए यन्त्रों का प्रयोग निरन्तर बढाते रहना चाहिए। इन उद्योगो का सगठन अधिकाधिक सहकारी ढग पर करना चाहिए, जिससे छोटे कारखानो को भी कच्चा माल खरीदते और तैयार माल बेचते हुए बडे पैमाने पर खरीदने और बेचने का लाभ मिल सके, उसकी पहुँच ऋण देनेवाले बैको आदि तक हो सके, और वह सुधरे हुए उपायो तथा साधनो का उपयोग कर सके। सगठित उत्पादन का यह कार्यक्रम कही तो भिन्नक कर के आधार पर आपस मे बाँट लेने के आधार पर चलाया जा सकेगा और कही ऐसा होगा कि माल को एक नियत दाम पर खरीद कर उसे बिक्री की सरकारी अथवा सहकारी व्यवस्था द्वारा बेच दिया जाएगा।

१६ इस समस्या को केवल वर्तमान दस्तकारो या घरेलू उद्योगो मे लगे श्रमिको की रक्षा करने की दृष्टि से नही देखना चाहिए। यह साथ ही माल की पैदावार बढाने की, उसके नए से नए नमूने और किस्में तैयार करने की, उपलब्ध नए साधनो का प्रयोग करने की, और लोगो की आमदनी बढ जाने पर उनकी नई से नई मागो को उचित मूल्य मे तथा कुशलता से पूरा करने की भी समस्या है। वस्तुत उद्योग के इस क्षेत्र को पुनर्गठित करने और नई दिशा मे ले जाने का यत्न करते हुए, उद्देश्य, इसके सरक्षण का इतना नही होना चाहिए जितना कि इसको उन्नत बनाने का। गृहोद्योगो और दस्तकारियो के आगे न बढ सकने का एक कारण यह रहा है कि अब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था बडी सकीर्ण थी और इस कारण माल की मांग का प्राय अभाव था। विकास की योजनाएँ आगे बढने पर पूजी-विनियोग भी अधिक होगा, और उससे न केवल वर्तमान माग मे बढती होगी, नई-नई मागे भी होने लगेगी। भारत एक बडा देश है। इसलिए यहाँ की दूरियाँ तो लम्बी-लम्बी है ही, यहाँ बाजारो मे प्रसार की भी गुजाइश है। यह माग कुशल विकेन्द्रीकृत इकाइयो के उत्पादन से पूरी की जानी चाहिए। उद्योगो का क्षेत्र अधिक विस्तृत करने के पक्ष मे और भी अनेक युक्तियाँ है। किसी हद तक नगरो और शहरो की तरक्की औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ होती है। बिजली, परिवहन और बैको आदि की सुविधाए एक जगह इकट्ठी हो जाने पर कुछ ऐसी अर्थ-व्यवस्थाएँ सुलभ हो जाती है कि एक साथ बहुत से उद्योग शहरो व नगरो मे ही फलने-फूलने लगते है। परन्तु एक हद से आगे बढने पर समाज को उनका मूल्य गन्दी, घनी बस्तियो और सक्रामक रोगो के रूप मे चुकाना पडता है। परिवहन, सचार साधनो और बिजली का विकास हो जाने के साथ-साथ, अब उद्योगो को एक ही जगह केन्द्रित कर देने के लाभ भी घटते जा रहे है। इस दृष्टि से भी, छोटे उद्योगो के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके द्वारा ही, इस विशाल देश मे दूर-दूर तक बिखरे हुए हुनरो, कारीगरी और कुशलता के कीमती खजाने का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त

२०. देश का चौमुखी विकास करने के लिए वित्त और ऋण की पर्याप्त

व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है, यह सभी जानते और मानते है । इस पर जितना ज़ोर दिया जाए उतना ही थोडा है । इस व्यवस्था को विकास की आवश्यकताओ के अनुकूल बनाने के लिए पहली पचवर्षीय योजना की अवधि मे ही कई महत्वपूर्ण उपाय किए जा चुके है । 'इम्पीरियल बैंक-आव्-इडिया' देश का सब से बड़ा व्यापारिक बैंक था। उसका राष्ट्रीयकरण करके उसका स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया, जिस से कि ग्रामीण जनता के लिए भी ऋण की प्राप्ति सुलभ हो जाए और वह उसे महाजनो के स्थान पर संगठित सस्थाओ से ले सके । 'रिजर्व-बैंक-आव्-इडिया' न केवल देश की मुद्रा, ऋण के लेने देने और विदेशी मुद्रा के विनिमय के क्षेत्रो मे अपने कर्त्तव्य का पालन करता है, वह 'को-आपरेटिव क्रेडिट-एजन्सियो' अर्थात् ऋण देने वाले सहकारी अभिकरणो का विकास करने मे भी सहायता देता है । इस बैंक और सरकार ने मिलकर ग्रामो मे ऋण मिल सकने की अवस्थाओ की जाँच करने के लिए 'रूरल-क्रेडिट सर्वे-कमेटी' नाम से एक समिति बिठाई थी । उसने ग्रामीण ऋण-व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए सिफारिशे की थी उनपर अब अमल किया जा रहा है । गाँवो मे उचित दरो पर ऋण प्राप्ति की व्यवस्था करने का काम बड़ा भारी है । पुनर्गठन के नए सुझाओ मे जो रिजर्व बैंक, सरकार और सहकारी अभिकरणो के सयुक्त दृष्टिकोण और समन्वित कार्य का प्रस्ताव है, उससे इस काम मे प्रगति शीघ्र हो सकेगी । औद्योगिक क्षेत्र मे निजी क्षेत्र की ज़रूरते पूरी करने के लिए 'इण्डस्ट्रियल-फाइनेन्स-कार्पोरेशन' और 'इण्डस्ट्रियल-क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमैंट कार्पोरेशन' नामक दो बहुत बडी सस्थाएँ सगठित की जा चुकी है । ये बडी-बडी निजी कम्पनियो और कारखानो को ऋण देती है । एक और बडी सस्था 'नेशनल-इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट-कार्पोरेशन' की सहायता से सरकार विकास और उन्नति का कार्य सर्वथा नए ढग से कर सकेगी । छोटे कारखाने खोलने को बढावा देने और उनकी सहायता करने के लिए भी खास सस्थाओ की जरूरत है । इस दिशा मे काम की शुरुआत, 'स्टेट-फाइनेन्स-कार्पोरेशन' और 'सेण्ट्रल-स्माल इण्डस्ट्रीज-कार्पोरेशन' की स्थापना करके की जा चुकी है । इनके अलावा ऋण देने वाली और सस्थाएँ सगठित करने की जरूरत हो सकती है । ऋण और पूजी लेने देने के लिए एक सुसगठित बाज़ार का भी विकास करना चाहिए क्योकि भविष्य मे मैनेजिग एजेन्सी प्रणाली के ह्रास की सम्भावना है । हाल मे जीवन-बीमे के रोजगार को सरकारी स्वामित्व और प्रबन्ध मे ले लेने का निश्चय किया गया है । उसके द्वारा जनता की बचत को इकट्ठा करने और पूजी के प्रवाह को योजना की आवश्यकताओ के अनुसार चलाने तथा नियत्रित करने का एक और प्रबल साधन सरकार के हाथ मे आ गया है ।

२१ इस सचाई को बार-बार जोर देकर बतलाने की आवश्यकता नही कि किसी भी योजना की सफलता आवश्यक साधन एकत्र कर सकने की कुशलता पर ही निर्भर रहती है, और लोकतन्त्री शासन-प्रणालियो मे साधन एकत्र तथा नियंत्रित करने

का मुख्य उपाय वित्तीय व्यवस्था ही होता है। इसलिए जितनी बडी योजना हाथ मे ली जा रही है वह सफल तभी हो सकेगी जबकि ऐसी वित्तीय नीति पर चला जाए जिससे कि सरकार की साधन-सम्पन्नता मे वृद्धि हो सके। अगले अध्याय मे सरकार की जिस वित्तीय योजना का विवरण दिया गया है उसमे बतलाया गया है कि नए कर कितने लगाने पडेगे, केन्द्र और राज्यो की सरकारो को कितने नए ऋण लेने पडेगे, और किन अवस्थाओ मे हीना अर्थ-प्रबन्धन का सहारा लेना पडेगा। ये सभी उपाय जनता की बचत को एकत्रित और नियत्रित करने के है, और महत्व की बात यह है कि इन सबसे प्रकट होता है कि देश ने स्वय कितना प्रयत्न किया है। योजना की पूर्ति के लिए विदेशो से कितनी सहायता मिल सकेगी, इसका अन्दाज सम्भवत: पहले से नही लगाया जा सकता। यह सहायता योजना की सफलता की दृष्टि से तो अवश्य महत्वपूर्ण योग प्रदान करेगी परन्तु अधिक प्रयत्न तो देश की जनता को स्वय ही करना होगा। विकास मे निरन्तर और अधिकाधिक सफलता अन्य किसी भी प्रकार प्राप्त नही की जा सकती।

२२ जब पू जी का विनियोग बढाया जाता है तब मुद्रा स्फीति की सम्भावना रहती है, परन्तु यदि वढाए हुए व्यय के वडे भाग की पूर्ति कृत्रिम रूप से नोट छापकर की जाए तो इसका रूप चिन्ताजनक हो जाता है। योजना मे घाटे की वित्त-व्यवस्था खासी बडी की गई है परन्तु इसके बाद भी वित्त की कमी रहेगी, और उसे पूरा करने के लिए अभी किसी उपाय का सकेत नही किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अगले अध्याय मे जिस वित्तीय योजना का उल्लेख किया गया है उसमे निर्दिष्ट करो की अपेक्षा अधिक कर लगाने पडेगे, और इसलिए अतिरिक्त करो के इस लक्ष्य को न्यूनतम मानकर ही चलना चाहिए।

आर्थिक नीति और पद्धतियाँ

२३ आवश्यक आवण्टनो की वाछित प्राप्ति के लिए केवल सफल वित्तीय और आर्थिक अनुशासन कभी-कभी ही काफी होता है। इसलिए प्रत्यक्ष नियत्रणो और आवटनो की भी सहायता लेनी पडती है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था मे, वित्तीय और आर्थिक क्षेत्रो मे सरकार की बुनियादी प्रवृत्ति अनिवार्य-रूपेण प्रसारात्मक होती है। सरकारी खर्च मे कमी और हाथ रोक कर चलने के अन्य उपायो का प्रयोग केवल अन्तिम उपाय के रूप मे किया जा सकता है; और वैसा ही करना भी चाहिए। मुद्रा स्फीति को रोकने और देश के भीतरी साधनो को बढाने के लिए विदेशी मुद्रा-कोष का प्रयोग, उसके सीमित होने के कारण, स्पष्टत एक हद तक ही किया जा सकता है। फिर भी, कठिनाइयो और रुकावटो के सामने आने पर विकास कार्यक्रम को रोका या धीमा नही किया

जा सकता। किसी हद तक जोखिम उठानी ही पडेगी । अनिवार्य नियन्त्रणो को आवश्यकतानुसार वहन करने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और यदि नियन्त्रणो को सफल बनाना हो तो उनका लगभग एक सूत्र मे बँधे रहना आवश्यक है ।

२४. दो शब्दो मे, विकास को योजनानुसार करने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक और सामाजिक नीतियो म एकसूत्रता हो, और वे उन लक्ष्यो से सगत हो जिन्हे कि योजना मे पहला स्थान दिया गया है । प्रयुक्त• किये जानेवाले साधन आवश्यकतानुसार भिन्न हो सकते है अथवा उन्हे भिन्न होना पडता है। कही तो वित्त अथवा मूल्य सम्बन्धी प्रोत्साहनो पर भरोसा करना पडेगा और कही लाइसेन्स देने की प्रणाली मे सुधार करना पडेगा; कही विदेशी मुद्रा के निर्धारण और लाभ की मात्रा पूँजी सम्बन्धी मामलो को स्वीकृति देने, नियत कर देने या दुर्लभ कच्चे माल का हिस्सा बाध देने की आवश्यकता पडेगी । किसी भी योजना के साथ ये नियम रहते ही है; क्योंकि योजना का अर्थ उन परिणामो मे सुधार का प्रयत्न करना होता है जो अनियमित और असमन्वित निजी उद्योगो के द्वारा प्राप्त किये जा सकते है । और केवल नियमन के उपाय ही पर्याप्त नही है । सरकार को और सहकारी क्षेत्र को अपने कार्य का क्षेत्र क्रमश बढाते रहना पडेगा, और इसके साथ, सामान, सेवाओ और सुविधाओ की बिक्री से जो नफा होता है उसे इकट्ठा करने की अपनी सामर्थ्य को भी बढाना होगा । तभी अधिक पूँजी विनियोग सम्भव हो सकता है । विकास की आवश्यकताए पूरी करने के लिए वर्तमान ढाँचे मे नियमन का होना ही पर्याप्त नही है, ढाँचे को भी बदलने की ज़रूरत है ।

२५. इस अध्याय का उद्देश्य है योजना की मोटी रूप-रेखा का निर्देश करना, नीति और सस्था सम्बन्धी परिवर्तन की वह दिशा बतलाना जो विकास सम्बन्धी योजना मे निहित है । कृषिसुधार और मालिक मजदूरो के सम्बन्ध आदि विशिष्ट क्षेत्रो मे इस रूप-रेखा और नीति पर अमल किस प्रकार किया जाएगा, इसकी तफसील का फैसला अलग सोच-विचार के बाद करना होगा । योजना के दो-एक पहलू और ऐसे रह गए है जिनका यहा जिक्र कर देना जरूरी हैं ।

विषमता में कमी

२६ रहन-सहन के मान मे सुधार, पूजी-विनियोग मे वृद्धि, रोज़गार मिलने के मौको मे तरक्की, और धन तथा आमदनी की विषमता मे कमी आदि उद्देश्य पूरे तभी हो सकते है जबकि सब उपायो और सस्था सम्बन्धी परिवर्तनो का प्रयोग एक साथ और पूरा पूरा किया जाए । उदाहरणार्थ, आय तथा सम्पत्ति की विषमता मे कमी करने के लिए कई वित्त सम्बन्धी उपाय सुझाये गए है, आय के अनुसार कर बढाते जाना, सम्पदा-सुल्क मे वृद्धि, धन पर थोड़ा-सा वार्षिक कर, ऊँची

ऊँची आमदनियो पर आमदनी के बजाय खर्च के अनुसार कर का लगाना आदि। इनमे से प्रत्येक सुझाव पर विचार करते हुए देखना होगा कि उससे सरकार को आमदनी कितनी होती है, उद्योग-व्यवसाय पर उसका असर कैसा पड़ता है, शासन पर उसके परिणाम क्या होते है, और विषमता कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी पूर्ति मे वह कहाँ तक सहायक होता है। कर जॉच-आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। उसने इस बात पर जोर दिया था कि आय, सम्पत्ति और अवसरो मे समानता की प्राप्ति को, अभी से आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति का आवश्यक अग बनाकर चलना चाहिए। आय की असमानता पर रोक लगाने और निजी रूप से धन-सग्रह को एक हद से आगे न बढने देने का सिद्धान्त, इन समस्याओ पर वर्तमान विचार का एक माना हुआ भाग बन चुका है। इसे लागू करने के सर्वोत्कृष्ट उपाय कौन से है, इसका फैसला सोच-समझकर करना होगा। इस बात पर प्राय सब सहमत है कि उच्चतम क्षेत्रो मे भी निजी आय का, देश की औसत वैयक्तिक अथवा पारिवारिक आय के साथ अनुपात उचित रहना चाहिए। कर-जॉच आयोग ने सुझाया था कि वैयक्तिक आय की उच्चतम उचित सीमा, सब कर दे चुकने के पश्चात् औसत परिवार की वर्तमान आय का तीस गुना मानी जाए और इस लक्ष्य की ओर क्रमश आगे बढना आवश्यक है।

२७ इस प्रक्रिया मे वित्तीय उपायो से सहायता मिल सकती है। परन्तु उनसे भी अधिक महत्व, नीची आमदनी वालो की आय बढाने, विपरीत परिस्थितियों में फँसे हुए वर्गों को रोजगार प्राप्त करने के अवसर देने, काम सीखने की सहूलियतें पहुचाने, और जनता का शोषण करने वाली महाजनी तथा खरीदने-बेचने की बाजारी प्रथाओ का अन्त करने के प्रत्यक्ष उपायो का है। सक्षेप मे समस्या, वर्तमान विषमताओ को केवल घटाने की उतनी नही, जितनी कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की है जिनमें अधिक असमानता होने ही न पावे। इस दृष्टि से, काश्तकारी के नियमो मे सुधार, जमीन का नया बन्दोबस्त, उत्पादन के विकेन्द्रित तरीको को बढावा, और सार्वजनिक क्षेत्र के बढते हुए योग जैसे सगठनात्मक परिवर्तनो का महत्व बहुत अधिक है।

२८ इसी प्रसग म एक अन्य प्रकार की असमानता का भी जिक्र कर देना चाहिए; और वह है देश के विभिन्न प्रदेशो में विकास की असमानता। विकास को कोई भी व्यापक योजना बनाते हुए कम विकसित क्षेत्रो की विशेष आवश्यकताओ को ध्यान मे रखना होगा, जिससे पू जी-विनियोग का सारा ढाचा ऐसा बन जाय कि देश मे प्रादेशिक विकास सन्तुलित रूप मे हो सके। हाल मे "नेशनल डेवलपमेण्ट-कौन्सिल" अर्थात विकास योजनाओ पर विचार करने वाली राष्ट्रीय परिषद् ने इस प्रश्न पर विचार किया था, और उसमे यह सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया गया था कि विकास के लिए उपलब्ध साधनो की सीमा में ही ऐसा प्रयत्न करना चाहिए

कि देश के विविध भागो का विकास सन्तुलित हो। इस समस्या को सामना नाना उपायो से करना होगा। "नेशनल-डेवलपमेण्ट कौन्सिल" ने पहली सिफारिश तो यह की है कि औद्योगिक उत्पादन का कार्यक्रम ऐसा बनाया जाय कि वह एक जगह केन्द्रित न होने पाए। दूसरे, निजी या सार्वजनिक नये उद्यम स्थापित करते हुए यह ध्यान रखा जाय कि देश के विभिन्न भागो की अर्थ व्यवस्था सन्तुलित हो। कुछ उद्योगो को, माल मिल सकने की या दूसरी सहूलियतो के कारण, कुछ खास जगहो पर कायम करना पडता है। परन्तु ऐसे भी. उद्योग है, जिन्हे कायम करते हुए, आर्थिक दृष्टि से भी जगह का चुनाव करने मे खासी बड़ी गुंजाइश रहती है। तीसरे, देश के विविध भागो मे यातायात की सुविधाए बढाने के उपाय करने होगे। ऐसा करते हुए, एक जगह से उठकर दूसरी जगह जमने और घनी बस्ती के इलाको से हटाकर छिदरी बस्ती के इलाको मे बसाने का भी ध्यान रखना होगा। 'नेशनल डेवलपमेण्ट-कौन्सिल" ने सिफारिश की थी कि प्रादेशिक बिषमताओ को घटाने का अध्ययन निरन्तर करते रहना चाहिए और उसे जाँचने के लिए उचित कसौटियाँ तय कर लेनी चाहिएँ।

योजना का ढाँचा

२९. एक अन्तिम बात और है। पाँच वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए जो योजना बनायी जाय उसे लचकदार रखना जरूरी है। इस पुस्तिका मे दूसरी पचवर्षीय योजना की जो रूप-रेखा दी गयी है उसम बतलाया गया है कि जो काम किए जाएँगे वे कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण होगे, विकास के जो सुझाव रखे गए है उनसे क्या क्या लाभ होगे, और हाथ मे लिए हुए काम पूरे करने के लिए आवश्यक साधन एकत्र करने के प्रयोजन से क्या क्या उपाय और तरीके अपनाये जाएँगे। योजना के सम्बन्ध मे नीति मे जो परिवर्तन करने पडेगे, उन्हे भी खुले शब्दो मे स्पष्ट कर दिया गया है। पाँच वर्ष के लिए पहले से जो कई अन्दाजे लगा लिये गए है उनमे अनिश्चितता का रहना स्वाभाविक है। यह भी सम्भव है कि योजना के कुछ कार्यक्रमो के पूरा होने मे कुछ अधिक समय लग जाय। इतनी बड़ी योजना पर अमल करते हुए यह अनुभव से ही मालूम पड़ेगा कि खर्च बढ़ाने की आवश्यकता कहा है और किस काम की प्रगति कुछ मन्द गति से होगी। इसलिए समय-समय पर योजना मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने पड़ेगे। योजना बनाते हुए, केवल साधनो की उपलब्धि और आवश्यकता के सन्तुलन की भाषा मे विचार कर लेना पर्याप्त नही है; जरूरत यह देखने की है कि अपनी आवश्यकताओ को हम उपलब्ध साधनो से, विशेषत. मूलभूत साधनो से कहाँ तक पूरा कर सकते है। इसके अलावा, ज्यो ज्यो विकास का काम होता जाता है त्यो त्यो अपने आर्थिक साधनो की सीमा मे रहने की आवश्यकता के कारण या बाहर की विवशताओ के कारण नयी नयी समस्याए भी सामन आ जाती है। फिर, कुछ कामो के लिए तो पाँच वर्ष का समय उपयुक्त हो सकता है, दूसरो के लिए १५ या २० वर्ष के लम्बे समय की जरूरत पड़ सकती है।

ज्यों ज्यों यह पता चलता जाएगा, अथवा विकास की नयी सम्भावनाएं व दिशाएं प्रकट होती जाएगी त्यो त्यो कौन से कामो या योजनाओ को पहले हाथ लगाया जाय और किनको पीछे, यह क्रम तुरन्त ही बदल सकता है । इन सब कारणो से, योजना के वर्तमान रूप को ऐक ऐसा ढाचा मान कर चलना होगा जिसमें प्रत्येक वर्ष पूरे किये जाने वाले कामो का विवरण और निश्चित रूप पीछे सोचकर प्रस्तुत और कार्यान्वित करना पड़ेगा ।

दूसरा अध्याय

योजना की रूपरेखा

योजना का समस्त व्यय और उसका आवण्टन

केन्द्र और राज्यों की सरकार मिलकर इस योजना के पाँचो वर्षों मे जो व्यय करेंगी, उसका समस्त योग ४,८०० करोड रुपये बैठता है। इस व्यय को विकास के मुख्य मार्गों में निम्न प्रकार बाँटा गया है :—

	पहली योजना		दूसरी योजना	
	सारा व्यय करोड रु० में	प्रतिशत	सारा व्यय करोड रु० मे	प्रतिशत
१. कृषि और सामुदायिक विकास	३७२	१६	५६५	१२
२. सिचाई और बाढों का नियन्त्रण	३९५	१७	४५८	९
३. बिजली	२६६	११	४४०	९
४. उद्योग और खनिज	१७९	७	८९१	१९
५. परिवहन और सचार	५५६	२४	१,३८४	२९
६. समाज-सेवा, मकान और पुनर्वास	५४७	२३	९४६	२०
७ विविध	४१	२	११६	२
योग	२,३५६	१००	४,८००	१००

अधिक विस्तृत विवरण संलग्न सूची सं० १ में दिया गया है।

२. व्यय के इस आवण्टन से प्रकट होता है कि योजना मे किस काम को कितनी प्राथमिकता दी गई है। दूसरी योजना मे सबसे अधिक जोर औद्योगिक उन्नति पर दिया गया है। रेल और खानो का विकास भी उद्योग के साथ जुडा हुआ है। रेलो के पुराने सामान को बदलने और नया सामान खरीदने का पहले से बचा हुआ बड़ा भारी काम भी पूरा करना है। यही कारण है कि उद्योगो और खानो के विकास के साथ यातायात और सचार को मिलाकर, द्वितीय योजना के समग्र व्यय का लगभग आधा उनके लिए रक्खा गया है। इसकी तुलना में प्रथम योजना मे लगभग एक-तिहाई व्यय इन कामो के

लिए रखा गया था। यदि विद्युत शक्ति के उत्पादन को भी औद्योगिक विकास का भाग मान लिया जाय तो इस मद का व्यय ५७ प्रतिशत बैठ जाता है। प्रथम योजना मे, सिचाई और कृषि के विकास से सीधा सम्बन्ध रखने वाले कामो के लिए समस्त व्यय का लगभग एक-तिहाई रखा गया था। उसके मुकाबले मे द्वितीय योजना मे यह व्यय समस्त योग का लगभग पंचमाश है। समाज-सेवाओ, मकानो और पुनर्वास का व्यय समस्त योग का लगभग २० प्रतिशत है। इन मदो पर प्रथम योजना मे भी लगभग इतना ही प्रतिशत व्यय किया गया था।

३ औद्योगिक विकास की दिशा में बडा कदम उठाने का समर्थन करने के लिए बहुत युक्तियाँ देने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक कृषि ही अत्यधिक मात्रा में भारतीय अर्थ-व्यवस्था का आधार बनी हुई है। इस आधार का भार अन्य साधनों पर भी डालने की आवश्यकता है, और यदि विकास की गति को तीव्र करना हो तो बुनियादी और यन्त्र बनाने के उद्योगो पर विशेष बल देना होगा। प्रथम योजना-काल मे कृषि के उत्पादन और राष्ट्र की आय में जो वृद्धि हुई थी उसने औद्योगिक उन्नति पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये जमीन तैयार कर दी है। द्वितीय योजना मे औद्योगिक उन्नति पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता इस कारण भी है कि प्रथम योजना मे इस कार्य के लिये जितना धन रखा गया था उससे कम व्यय हुआ। प्रथम योजना के अन्त मे बडे उद्योगो, वैज्ञानिक अनुसन्धान और खनिजों पर व्यय लगभग ७५ करोड रुपये तक होने की सम्भावना है, जबकि इन कामो के लिए रखी गई राशि १४६ करोड रुपये थी। द्वितीय योजना में इन कामो के लिए ६६१ करोड रु० रक्खे गए हैं। गृहोद्योगों और अन्य छोटे उद्योगो के लिए, इसके अतिरिक्त २०० करोड रु० की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक विकास के कारण, उससे सम्बद्ध आवश्यकता कितनी बढ जायगी, इसका कुछ अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवहन और सचार के लिये १,३८४ करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इसमे ६०० करोड रु० रेलो के लिये है।

४ जब प्रथम योजना आरम्भ की गई थी तब अन्न और अन्य आवश्यक कच्चे मालो की कमी के कारण गम्भीर समस्या का सामना करना पड रहा था। वे कमियाँ अब दूर हो चुकी है। फिर भी खेती की पैदावार बढाने के प्रयत्न मे ढील डाल देने का कोई प्रश्न नही है। भारत की आबादी प्रतिवर्ष ४५ से ५० लाख तक के हिसाब से बढ रही है। द्वितीय योजना मे पूजी-विनियोग के जो भारी कार्यक्रम रखे गए है उनसे लोगो की आमदनियाँ भी बढेगी, और उनका बहुत बडा भाग खाने पीने की वस्तुओ पर व्यय किया जायगा। औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ कच्चे माल की माँग भी बढ जायगी। इस लिये भविष्य मे कई वर्ष तक खेती की पैदावार को बढाना विकास की योजनाओ का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा। इसके लिए सिंचाई अच्छे बीज और खाद पहुंचाने, पशु-पालन और खेती के तरीको मे सुधार आदि के कार्यक्रमो को निरन्तर पूरा करते रहना होगा। द्वितीय योजना में देहातो का पुनर्गठन करने के लिए, राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो को उचित प्राथमिकता प्रदान की गई है।

५ ४८००करोड रु० के समस्त विकास व्यय मे से, २२१४ करोड रु० राज्यों की योजनाओ के हिसाब मे दिखलाए गये है। जो कार्यक्रम राज्यों द्वारा अथवा उनकी मारफत पूरे किए जाएगे, उन्हे यथासम्भव उनकी ही योजनाओ मे शामिल किया गया है। कुछ क्षेत्रो में, राज्यों की योजनाओ मे दिखलाये हुए व्ययो को, ऐसे मदो मे से सहायता दी जायगी जो अब केन्द्र के हिसाब मे दिखलाये हुए है। उदाहरणार्थ, पिछडे हुए वर्गों की उन्नति, ग्रामोद्योग और छोटे उद्योग, और नगरो मे सफाई तथा पानी का पहुचाना, राज्यो की योजनाओ के अग है, परन्तु इन कामों में केन्द्रीय सरकार भी सहायता देगी। राज्यो की योजनाओ में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के लिए अभी जो राशियाँ रक्खी गई है वे अस्थायी मात्र है। २०० करोड रुपये की वर्तमान व्यवस्था पर, कुछ समय पश्चात् राज्यो की सलाह से पुनर्विचार किया जायगा, और सम्भव है कि तब आवण्टन मे कुछ परिवर्तन करना पड जाय। प्रत्येक राज्य की योजना का विवरण सलग्न सूची स० २ में दिया गया है।

दूसरी योजना में पूंजी का विनियोग

६. योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नियत ४८०० करोड रु० के समस्त विकास व्यय में से, १००० करोड रु० तो विकास-कार्यों के चालू व्यय में लग जाएंगे और शेष ३८०० करोड रु० का विनियोग उत्पादक कारखानो आदि के बनाने मे होगा। निजी क्षेत्र में, योजना के पाचो वर्षों मे, मोटे हिसाब से २३०० करोड रु० का बिनियोग होने का अनुमान किया गया है। इसमें से आशा है कि ५०० करोड रु० का विनियोग सगठित उद्योगो और खानो में होगा। बागानो, निजी परिवहन और बिजली के कारखानों म लगी हुई निजी पूंजी कितनी है, इस सम्बन्ध मे उपलब्ध जानकारी इतनी अपर्याप्त है कि उसके आधार पर केवल कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस हिसाब मे लगी हुई पूंजी की राशि १०० करोड रु० मान ली गई है। खेती और देहाती तथा छोटे उद्योगो मे लगी अधिकतर पूंजी नकद नही है। इसलिए उसे इस हिसाब मे सम्मिलित नही किया गया। इस भाग मे लगी हुई नकद पूंजी मोटे हिसाब से ३०० करोड रु० होगी। मकानो, दुकानो, स्कूलो और चिकित्सालयो आदि के निर्माण पर पाँचो वर्षों मे मिलकर लगभग १००० करोड रु० लग जाएगे। इसके मुकाबले मे "टैक्सेशन-इन्क्वायरी-कमीशन" अर्थात् कर-जाँच-आयोग ने अन्दाजा लगाया था कि १९५३-५४ मे शहरी इमारतो में १२० करोड रु० लगा हुआ होगा। इसके अतिरिक्त योजना के कारण उत्पादन के कार्यों और आर्थिक हलचलो में वृद्धि हो जाएगी, इस लिए स्टाको मे और भी पूंजी विनियोग करने की आवश्यकता होगी। इसका अन्दाज ४०० करोड रु० लगाया जा सकता है।

७. सार्वजनिक और निजी, दोनो विभागो का पूजी-विनियोग पाँच वर्ष के काल मे ६१०० करोड रु० बैठता है—३८०० करोड रु० सार्वजनिक क्षेत्र का और २३०० करोड निजी क्षत्र का। प्रथम योजना मे ३५०० करोड रु० का विनियोग हो जाने की कल्पना की गयी थी, उसमें से आधा सार्वजनिक क्षेत्र का था। द्वितीय योजना का समस्त पूंजी-

विनियोग, पहली योजना की अपेक्षा ७५ प्रतिशत अधिक है, और सार्वजनिक तथा निजी क्षत्रों के विनियोगों में अनुपात ६२ ३८ का है।

८ ६१०० करोड रु० का विनियोग कार्यक्रम बना लेन का अर्थ यह है कि देश की जनता को भारी परिश्रम करना होगा। आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक राष्ट्र की आय में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी। पूजी-विनियोग की भाषा मे इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ अब राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत व्यवसायो में लगा हुआ है, वहाँ पांच वर्ष के पश्चात् वह १२ प्रतिशत हो जाना चाहिए। यदि यह मान कर चलें कि राष्ट्रीय बचत के अलावा विदेशी सूत्रो से भी सहायता मिल जायगी, तो भी बचत के वर्तमान ७ प्रतिशत के स्तर को उठाकर, योजना के अन्त तक १० प्रतिशत से ऊपर ले जाना होगा।

उत्पादन और विकास के लक्ष्य

९ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो मे जितनी पूजी का विनियोग करने की सोची गई है, उसके आधार पर पाँच वर्ष के अन्त मे रखे गये उत्पादन और विकास के प्रधान लक्ष्यों का विवरण संलग्न सूची सं० ३ मे दिया गया है। संक्षेप में दूसरी योजना में कृषि-उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य १८ प्रतिशत रक्खा गया है। खाद्यान्नों का उत्पादन १ करोड टन अर्थात् १५ प्रतिशत बढ जायगा। कपास, चीनी और तिलहनों का उत्पादन खाद्यान्नो की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा। इनके उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य क्रमश ३४, २८ और २१ प्रतिशत रक्खा गया है। योजना-काल के अन्त मे, इसके अतिरिक्त उत्पादन के फल-स्वरूप प्रति व्यक्ति पीछे अन्नो की खपत वर्तमान १७ २ औंस से बढकर १८ ३ औंस और चीनी की खपत वर्तमान १ ४ औंस से बढकर १ ७५ औंस हो जाएगी। चीनी की खपत का यह हिसाब कच्ची खांड को आधार मानकर लगाया गया है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक-विकास के कार्यक्रमो को इतना बढाया जायगा कि देश की आबादी मे से ३२॥ करोड जनता उनसे लाभान्वित होने लगेगी। सिंचाई की भूमि मे २१० लाख एकड़ की वृद्धि हो जायगी। पहली योजना में इस वृद्धि का लक्ष्य १७० लाख एकड रक्खा गया था। बिजली का उत्पादन बढाने के लिए ३४ लाख किलोवाट क्षमता के नये यन्त्र लगाये जाएँगे। इससे १९६०-६१ तक देश में ६८ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने लगेगी जब कि पहली योजना के आरम्भ में केवल २३ लाख किलोवाट बिजली ही उत्पन्न होती थी। इस्पात, कोयले, सीमेण्ट, और रासायनिक खाद के घरेलू उत्पादन में भी बहुत अधिक वृद्धि हो जायगी। तैयार इस्पात का उत्पादन अब १९५५-५६ में १३ लाख टन हो रहा है, १९६०-६१ तक इसे बढाकर ४३ लाख टन कर देने की योजना है। कोयले का उत्पादन ३७० लाख टन से ६०० लाख टन, सीमेण्ट का ४८ लाख टन से १०० लाख टन, और रासायनिक खादो मे अमोनियम सल्फेट का ४ लाख टन से १६ लाख टन तथा सुपर फौस्फेट का १ लाख टन से बढकर ६ लाख टन हो जायगा। उत्पादक सामान का निर्माण आगामी पॉच वर्षों मे १५० प्रतिशत बढ जाने की आशा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मकानो, विस्थापितो के पुनर्वास, और अन्य सामाजिक सेवाओ मे भी बहुत प्रगति होने की आशा है।

राष्ट्रीय आमदनी और रोजगार

१० इन सब विकास-कार्यों का प्रभाव राष्ट्र की आय पर भी होगा। निम्न सूची से ज्ञात होगा कि पहली और दूसरी योजनाओ के काल मे राष्ट्रीय आय मे कितनी वृद्धि होगी.

राष्ट्र के औद्योगिक साधनों से शुद्ध उत्पादन
अंक करोड़ रुपयों में

(१९५२-५३ मे प्रचलित मूल्यो के आधार पर)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	वृद्धि का प्रतिशत १९५१-५६	वृद्धि का प्रतिशत १९५६-६१
१ कृषि और तत्सम्बन्धी कार्य	४४५०	५२३०	६१७०	१८	१८
२. खनिज पदार्थ	८०	९५	१५०	१९	५८
३. कारखाने	५९०	८४०	१३८०	४३	६४
४. छोटे व्यवसाय	७४०	८४०	१०८५	१४	३०
५. निर्माण या तामीर	१८०	२२०	२९५	२२	३४
६. व्यापार, परिवहन और सचार	१६५०	१८७५	२३००	१४	२३
७. पेशे और नौकरियाँ (सरकारी नौकरियाँ शामिल करके)	१४२०	१७००	२१००	२०	२३
८. समस्त राष्ट्रीय उत्पादन	९११०	१०८००	१३४८०	१८	२५
९ प्रति व्यक्ति आय रु०	२५५	२८०	३३०	१०	१८

राष्ट्रीय आय १९५५-५६ मे १०८०० करोड़ रुपये थी। १९६०-६१ मे उसके १३४८० करोड़ रुपये हो जाने की आशा है; अर्थात् उसमें २५ प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। प्रति व्यक्ति पीछे आय मे वृद्धि का यह औसत १८ प्रतिशत (१९५५-५६ के २८० रु० से १९६०-६१ मे ३३० रु०) बैठेगा। पहली योजना में वृद्धि का यह औसत १० प्रतिशत (२५५ रुपये से २८० रुपये) था।

११. स्मरण रखना चाहिए कि पहली योजना मे दूरस्वर्ती विकास का एक चित्र तैयार किया गया था, जिसमे १९७१-७२ तक राष्ट्रीय आय दुगुनी दिखलाई गई थी। पहली योजना की अवधि मे राष्ट्रीय आय लगभग १८ प्रतिशत बढ़ी है। यदि तीसरी और उसके पश्चात् की योजनाओ में भी वृद्धि का क्रम, दूसरी योजना के समान, २५ प्रतिशत बना रहे तो राष्ट्रीय आय १९६७-६८ तक ही, अर्थात् आरम्भिक अनुमान से चार वर्ष पूर्व ही दुगुनी हो जाएगी।

१२. दूसरी योजना से लोगो को रोजगार दिलाने मे कितनी सहायता मिल सकती है और इस सम्बन्ध मे किन आदर्शों और नीतियो को सामने रक्खा जाएगा, इस विषय पर तीसरे अध्याय में विचार किया गया है। दूसरी योजना की अवधि मे, कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो मे ८० लाख नये लोगो को रोजगार मिलने का अनुमान है। यह अदाजा लगाते हुए केवल पूरे समय के रोजगारो की गिनती की गई है। योजना मे सिंचाई और पडती जमीन को तोड़ना सरीखे ऐसे कार्यक्रम भी है जिनसे अधूरा रोजगार प्राप्त लोगो को पूरे समय का रोजगार देने और नए आदमियो को खपाने मे सहायता मिलेगी। अभी तक देहाती क्षेत्रो का सामाजिक तथा आर्थिक गठन ऐसा है कि उस मे, काम और आमदनी की दृष्टि से, अधूरे और पूरे समय काम मे लगे रहने वालो की पृथक्-पृथक् गणना नही की जा सकती। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, यह स्पष्ट ही है कि खेती की पैदावार १८ प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है। इस बात का विचार करते हुए कि कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो मे रोजगार मिलने के अवसर बहुत अधिक बढ़ जायेगे, ऐसे आदमियो की सख्या अपेक्षाकृत कम हो जाने की सम्भावना है जा अब तक अपने निर्वाह के लिए केवल भूमि पर निर्भर करते है। इससे आशा होती है कि कृषि के क्षेत्र मे लोगो की आय बढ जाएगी और अधूरे समय काम करने वालो की सख्या घट जाएगी। देहाती और छोटे उद्योगो को उन्नत और पुनर्गठित करने के लिए योजना मे जो कार्यक्रम बनाया गया है उससे भी इन कामो मे लगे हुए बहुसख्यक लोगो को अधिक रोजगार मिल सकने की आशा है। सब मिलाकर सम्भावना यह है कि मजदूरी से अपना निर्वाह करने वालो की सख्या में आगामी पॉच वर्षो मे १ करोड़ की जो वृद्धि होगी उसका बहुत बड़ा भाग, योजना के कारण श्रमिको की निरन्तर बढती हुई माग पूरी करने मे खप जाएगा।

वित्तीय साधन

१३. ४८०० करोड़ रुपए के व्यय की जो योजना बनाई गई है उसकी पूर्ति करने वाले वित्तीय साधनो का परीक्षणात्मक अन्दाजा नीचे दिया जाता है —

	(करोड़ रुपए)
१. चालू राजस्व की आय मे से बचत	८००
(क) करो की वर्तमान दरो के आधार पर	३५०
(ख) नए करो से अतिरिक्त आय	४५०
२. जनता से प्राप्त होने वाला ऋण	१२००
(क) खुले बाजार के ऋण	७००
(ख) छोटी-छोटी बचतें	५००

३. बजट के सूत्रो से अन्य आय	४००
(क) विकास के कार्यक्रम मे रेलों का योगदान	१५०
(ख) प्रोविडेण्ट फण्ड और इसी प्रकार के अन्य खातो से	२५०
४. विदेशो से मिलने की आशा	८००
५ घाटे का बजट बनाकर	१२००
६. कमी रह जाएगी	४००
सर्वयोग	४८००

इस सूची से प्रकट है कि योजना के लिए ३५० करोड़ रुपए तो बजट की आय मे से करो की वर्तमान दरो के आधार पर ही, प्राप्त किये जा सकते है। ४५० करोड रुपए नए कर लगाकर एकत्र करने का यत्न किया जाएगा। इन दोनो राशियो को मिला देने पर योजना के समस्त व्यय का छठा भाग बजट के वर्तमान राजस्व मे से ही मिल जाता है। आशा है कि रेले अपने विकास के कार्यक्रमो के लिए १५० करोड रुपए स्वय दे सकेगी। इस राशि का एक भाग रेलो की उस अतिरिक्त आय मे से मिल जाने की आशा है जो कि उन्हें, योजना के कारण, उनका काम बढ जाने से होगी। उक्त राशि का शेष अंश, भाड़े और किराये की दरो मे थोडा-बहुत परिवर्तन करके एकत्र किया जा सकेगा। प्रोविडेण्ट फण्ड और इसी प्रकार के अन्य ऋणो तथा बचतो से २५० करोड़ रुपए मिल जाने का अन्दाजा, इन खातो की वर्तमान तथा उस भावी आय के आधार पर किया गया है जो कि होने की आशा है।

१४ बाजार से मिलने वाले ऋणो और छोटी बचतो की राशि हाल के वर्षों के अनुभव के आधार पर, बहुत बढ़ा कर रक्खी गई है। गत दो वर्षों में, खुले बाजार मे जनता से सरकार को जो ऋण मिला उसका औसत स्तर लगभग १०० करोड रुपए का रहा। अब पूजी का बाजार, पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा, अधिक नरम हो गया है। इस सुधार प्रवृत्ति के बने रहने की आशा है और ऋणो से ७०० करोड रुपए मिल जाने का लक्ष्य सम्भवत अधिक ऊचा नही है। इसके विपरीत, इसी अवधि मे ४३० करोड़ रुपए के सरकारी ऋणो की मियाद पूरी हो जाएगी। इतनी राशि सरकार को वापिस करनी होगी। निजी उद्योगो मे लगाने के लिए भी पूजी की माँग बहुत बढ़ गई है। इन सब हालात को देखते हुए, पुराने ऋण चुकाने के बाद, सरकार ने ऋणो से पूजी एकत्र करने का जो कार्यक्रम बनाया है, वह खासा बड़ा है।

१५. १९५०–५१ मे छोटी बचतो से एकत्र हुई पूँजी का स्तर ३३ करोड रुपए था। वह बढ़ कर चालू वर्ष मे ६० करोड रुपये तक पहुँच गया। योजना मे इस बात का लक्ष्य औसतन १०० करोड़ रुपये प्रति-वर्ष रक्खा गया है। यदि छोटी-छोटी बचत करने का खूब प्रचार किया जाए, और ज़िलो तथा तहसीलों में भी उस प्रयत्न को घर-घर तक पहुँचा दिया जाए तो यह लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य-सरकारे

और निजी सगठन मिलकर प्रयत्न करे कि समाज के प्रत्येक वर्ग को कुछ न कुछ बचत करने की आदत पड जाए। योजना मे समस्त व्यय की राशि का २५ प्रतिशत तक बाजार के ऋणो और छोटी बचतो से मिल जाने का भरोसा किया गया है। कम-विकसित अर्थ-व्यवस्था के इस देश मे, करो से या सार्वजनिक उद्योगो से जो आय हो सकती है उसकी सीमाओं का विचार करते हुए, जनता से ऋण लेकर पूजी एकत्र करने के प्रयत्नो को उतना ही तीव्र करना पडेगा।

१६ यहाँ तक जिन साधनो की चर्चा हुई उनसे मिलने वाली पूजी का योग २,४०० करोड रुपए होता है। समस्या शेष २,४०० करोड रुपए एकत्र करने की रह जाती है। इसका ५० प्रतिशत, अर्थात् १,२०० करोड रुपए घाटे का बजट बनाकर प्राप्त किए जा सकते है। परन्तु इस राशि का बोझ भी वस्तुत देश की आन्तरिक बचत पर ही पडेगा। समस्त पूंजी का इतना बडा भाग अर्थात् २५ प्रतिशत इस प्रकार एकत्र करना पडेगा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि विकास की आरम्भिक अवस्थाओ मे कर बढाने मे कितनी कठिनाई होगी। विकसित होती हुई अर्थ-व्यवस्था मे धन की भी अधिकाधिक आवश्यकता होती है, इसलिए एक हद तक घाटे का बजट बनाना न केवल सुरक्षित रहता है, आवश्यक भी हो जाता है। परन्तु एक हद से आगे बढने पर, घाटे के बजट से मुद्रा-स्फीति होने लगती है। जिस सीमा तक हमने घाटे का बजट बनाकर पूजी एकत्र करने की बात सोची है, उसमे भी खासी जोखिम है। यह हमे केवल विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिए उठानी पड़ रही है, और इसीलिए, यदि हालात बिगडने लगे तो, जनता और अधिकारियों, दोनो को, उनका सामना करने के लिए नियन्त्रण आदि सुरक्षा के आवश्यक उपायो का प्रयोग करने को तैयार रहना चाहिए।

१७. वर्तमान परिस्थितियो मे स्वभावत उन विदेशी साधनो का पहले से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता जो कि देश की बचत मे सहायता करने के लिए मिल सकेगे। पहली योजना की अवधि मे इन साधनो का औसत ४० करोड रुपए वार्षिक रहा था। इस राशि की तुलना मे, ऊपर वर्णित योजना मे १६० करोड रुपए वार्षिक का जो अन्दाजा लगाया गया है, वह निश्चय ही बहुत अधिक है। इस्पात के कारखानो तथा अन्य नए उद्योगो को आरम्भ करने के लिए जो व्यावसायिक ऋण मिलेगे, उन्हे हिसाब मे शामिल करने के बाद भी यह अन्दाजा अधिक ही रहता है। परन्तु ८०० करोड रुपए की यह बड़ी राशि हमारी आवश्यकताओ को प्रकट करती है। जिस योजना मे सर्वप्रथम स्थान औद्योगिक विकास को दिया जाएगा उसमे अनिवार्य-रूपेण विदेशी मुद्रा का भाग अधिक रहेगा ही। जैसा कि आगे स्पष्ट किया गया है, अपने देश के विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कोष और देश मे लगी हुई निजी विदेशी पूजी का खासा उपयोग कर लेन के पश्चात् भी, पाच वर्षों मे विदेशी मुद्रा की ८०० करोड रुपये की कमी रह ही जाएगी। परन्तु अधिक विकसित देशों में, उन देशो से बाहर लगाने के लिए जो अतिरिक्त पूजी मिल सकती है, उसे देखते हुए ८०० करोड़ रुपए की विदेशी सहायता मिल जाना असम्भव तथा व्यवहार-कोटि से बाहर की बात नही है।

१८. अब भी ४०० करोड रुपये की कमी रह जाती है। इसे देश की आन्तरिक बचत से पूरा करना होगा। अभी यह बतलाना सम्भव नही है कि इस राशि की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी। स्पष्ट है कि यह कार्य अत्यन्त कठिन है। जैसा कि पहले बतलाया गया है, इस योजना का रूप केवल एक ढाचे का है। इसमे प्रति वर्ष का सुस्पष्ट कार्यक्रम साथ साथ निश्चित करते हुए चलना होगा। इस प्रकार अपनी आवश्यकताओ और कमियो पर विचार निरन्तर चलता रहेगा। वित्तीय साधनो तथा इस्पात सरीखे बुनियादी सामान और विदेशो से मगाये जाने वाले यन्त्रों आदि के सम्बन्ध में अनिश्चितता पर विचार करते हुए पचवर्षीय ढाचे के भीतर वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित किये जाएगे।

१९. इस योजना के कारण देश के वित्तीय साधनो पर कितना भारी बोझ पड़ेगा, यह अब इतना स्पष्ट हो गया है कि उसकी और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नही रही। स्पष्ट है कि असाध्य साधन या भरपूर प्रयत्न करके ही योजना को पूर्ण किया जा सकता है। न केवल देश के आन्तरिक साधनो का प्रयोग ऊपर बतलायी गई मात्राओ तक करना आवश्यक है, बल्कि उपलब्ध विदेशी साधनो में जो न्यूनता रह जाय उसे पूरा करने के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। इसके लिए, आवश्यक कर लगाने के प्रयत्न का महत्व अत्यधिक है। पूजी-विनियोग का कार्यक्रम पूरा करने के लिए साधनो को बचाकर चलना होगा, और आवश्यक बचत प्राप्त करने का सबसे अधिक प्रभावशाली और न्यायोचित उपाय कर लगाना है। निस्सन्देह इसकी भी सीमाए है, परन्तु पाँच वर्षों मे ४५० करोड रु० का अतिरिक्त कर, सम्भावनाओ और आवश्यकताओ की दृष्टि से बहुत अधिक नही है। विकास की योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र का भाग अधिक बडा रखकर, उसकी आवश्यकताए केवल इस प्रकार पूरी की जा सकती है कि राष्ट्रीय आय का अधिकाधिक भाग, सरकारी आमदनी के मार्ग से, सार्वजनिक, कोष मे एकत्र होता चला जाय। भारत मे इस का अनुपात बहुत नीचा है—राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत से कुछ अधिक। ४५० करोडरु० के नये कर लगाने के पश्चात् भी इस अनुपात का स्तर स्वल्प ही ऊचा उठेगा। इसी कारण इसे न्यूनतम लक्ष्य मानकर ही चलना चाहिए। सारी योजना मे कर के अतिरिक्त साधन-सूत्रो पर इतना अधिक भरोसा किया गया है कि करो के क्रम मे तनिक-सी असफलता हो जाने से भी समस्त योजना जोखिम मे फंस जायगी। यह भी बतला देना आवश्यक है कि करो को केवल सरकारी आय बढाने का साधन नही समझना चाहिए, इनका सम्बन्ध योजना के कई मौलिक लक्ष्यो और उद्देश्यो के साथ भी है। बडे कारखानो मे बने माल पर अधिक कर लगाने की आवश्यकता इस कारण भी है कि उत्पादन के विकेन्द्रीकृत उपायों को सफल बनाने मे सहायता मिल जाय। करो से आर्थिक विषमताए कम करने मे भी सहायता मिलती है।

२०. अतिरिक्त कर लगाने के इस प्रयत्न मे, केन्द्र और राज्यो की सरकारो के भाग समान रहने की आशा की जाती है। राज्य-सरकारो को जिस मार्ग पर चल कर अतिरिक्त आय करनी होगी, उसका निश्चय उनके साथ विस्तृत विचार-विनिमय करके किया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार कर-जाच आयोग की कुछ सिफारिशो पर अमल पहिले ही कर चुकी है, और

आवश्यक कार्रवाई भी शीघ्र ही की जायगी। राज्यो की आयो का लक्ष्य, बहुत-कुछ कर-जांच-आयोग के सुझावों के अनुसार ही, निश्चित किया गया है, और उन्हे उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यथासाध्य प्रयत्न करना होगा। केन्द्र और राज्यों, दोनो स्थानो पर, पू जी का व्यय बहुत बडे परिमाण मे किया जाने वाला है। इस कारण उनके बजटो मे घाटा रहने की सम्भावना है। परन्तु यदि उसे पूरा करने के लिए उधार लेना पडे, तो उससे बचने का निर्णय किया जा चुका है। औचित्य का तकाजा यह है कि विकसित होती हुई अर्थ-व्यवस्था मे, पू जी-के कार्यक्रमो की विनियोग पूर्ति अधिकाधिक मात्रा मे वर्तमान राजस्व मे से ही की जाय।

२१. सार्वजनिक क्षेत्र मे विकास के बडे-बडे कार्यक्रमो के लिए साधन एकत्र करते हुए, आरम्भ मे स्वभावत कठिनाइयो का सामना करना पड़ेगा। परन्तु जब सार्वजनिक उद्यमो में बचत होने लगेगी तब और विनियोग करने के लिए, साधन अधिकाधिक मात्रा मे उपलब्ध होने लगेगे। समस्त समुदाय की दृष्टि से, मूल निर्णय यह करना है कि आरम्भ मे कितना विनियोग करने की जिम्मेदारी उठाई जाय। यह निर्णय हो चुकने पर, आवश्यक शेष पू जी का भार पद्धति को उठाना पडेगा। सार्वजनिक उद्यमो को अपने मूल्य की नीति का निर्धारण, समस्या के इस पहलू को देख कर करना होगा। समाज के समाजवादी ढाचे और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को केवल लक्ष्य मानकर ही नही चलना चाहिए, वे शीघ्रता पूर्वक विकास करने के साधनों के अग भी है। ज्यो-ज्यो सार्वजनिक उद्यमो मे बचत के द्वारा पू जी एकत्र होती जायगी त्यो-त्यो प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था की नीव पड़ती जायगी।

योजना के लिए विदेशी विनिमय के साधन

२२ देश की भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति मे गत दो वर्षों मे खासी उन्नति हुई है। १९५४ मे देश के चालू खाते मे भुगतान स्थिति प्राय सन्तुलित हो गई थी, और १९५५ मे कुछ बचत होने की आशा है। देश मे विकास-व्यय ऊंचा होते जाने पर भी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे यह सुधार, प्रथम योजना की अवधि मे देश की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। फिर भी दूसरी योजना-काल मे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के साधनों पर अनिवार्य-रूपेण भारी बोझ पडेगा, क्योकि एक तो योजना पर व्यय बहुत अधिक किया जाना है और दूसरे आधार-भूत उद्योगों तथा परिवहन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

२३. आगामी पांच वर्ष मे विदेशी विनिमय की कमाई कितनी हो सकेगी और उसकी कितनी आवश्यकता पडेगी, इन दोनो अन्दाजो मे स्वभावत अनिश्चय की मात्रा बहुत अधिक रहेगी। पटसन के माल और मैंगनीज सरीखी भारतीय निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुओ की माग मे भारी उतार-चढाव होता रहता है। चाय, पटसन और सूती वस्त्र आदि भारतीय निर्यात की अन्य अधिकाश वस्तुओ को दूसरे देशो के साथ अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता है। यदि मानसून प्रतिकूल हो जाय तो अनाजों का आयात बडी मात्रा मे करना पड़ता है। इस्पात सरीखे जिन आयात पदार्थों की योजना के विकास-कार्यों के लिए आरम्भ में ही आधारभूत

आवश्यकता पडती है उनके भी विदेशो से निश्चय-पूर्वक मिल जाने की कल्पना नही की जा सकती। इन सब कारणो से इस समय तो योजना के लिए कितनी विदेशी विनिमय की आवश्यकता पडेगी और उसकी पूर्ति के लिए किन किन समस्याओ का सामना करना पडेगा, ये दोनो अन्दाजे केवल अस्थायी रूप से किये जा सकते है।

२४ आरम्भ मे अपनी आवश्यकता और कमाई का जो अन्दाजा लगाया जा सकता है उसके अनुसार निर्यात और आयात के मूल्यो के सन्तुलन मे, चालू अवस्थाओ के आधार पर दूसरी योजना की अवधि मे १,१०० करोड रु० का कुल घाटा रहेगा। ११ सौ करोड़ रुपये के घाटे की पूर्ति बाहरी साधनो के द्वारा करनी पडेगी, जिनमे शुद्ध निजी वैदेशिक पूजी विनियोग तथा देश के सगृहीत वैदेशिक विनिमय कोष से धन वापस लेना शरीक है।

२५ ५ सालो मे १,१०० करोड रुपये के कुल घाटे का जो अन्दाज है वह प्रत्याशित आय तथा जरूरतो के ब्योरेवार हिसाब पर आधारित है। यह हिसाब कई-एक कल्पनाओ के आधार पर लगाया गया है। उनमे से मुख्य-मुख्य ये है —

(क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो के कार्यक्रमो की पूर्ति के लिए यन्त्रो और अन्य सामान का आयात अन्दाजन १,३५० करोड़ रु० के मूल्य का करना पड़ेगा;

(ख) योजना के प्रथम चार वर्षो मे लोहे और इस्पात का आयात औसतन १५ और १६ लाख टनो के बीच रहेगा और पाँचवे वर्ष में आयात लगभग नहीं करना पड़ेगा;

(ग) पाचो वर्षोंमे कुल मिलाकर खाद्यान्न का आयात लगभग ४० लाख टन होगा, इसका वार्षिक औसत बहुत-कुछ वही होगा जो गत दो वर्षो मे था,

(घ) चोनी का आयात औसतन एक लाख टन वार्षिक से अधिक नही होगा, और कपास का आयात औसतन लगभग वही रहेगा जो अब है;

(ङ) रासायनिक पदार्थों, रगो, कागज, कार्ड-बोर्ड और खनिज तैल आदि पदार्थों का आयात, देश को आवश्यकताएँ बढ जाने पर भी, सब मिलाकर वर्तमान स्तर से बहुत अधिक ऊँचा नही उठेगा;

(च) विदेशी विनिमय की न्यूनता होने के कारण, देश की व्यापारिक और वित्तीय नीति यह रहेगी कि वस्त्र, खाद्य-वस्तुओ, बिजली के सामान और छुरी-काँटे आदि तैयार उपभोग्य पदार्थों का आयात वर्तमान स्तर से ऊपर न उठने दिया जाय,

(छ) सूती वस्त्रो का निर्यात क्रमशः बढ़ जायगा। १९५४-५५ मे इसकी मात्रा ८१ करोड़ ४० लाख गज थी, १९६०-६१ मे यह ११० और १२० करोड़ गज के बीच पहुँच जायगी,

(ज) कच्चा लोहा, मैगनीज़, लोहे की छीलन-कतरन और तिलहनो का निर्यात खासा बढ़ जायगा,

(झ) चाय के निर्यात मे थोड़ी ही वृद्धि होगी और पटसन के सामान का निर्यात औसतन १९५४-५५ के स्तर से कुछ नीचा रहेगा;

(ञ) सीने की मशीनें, साइकिले, बिजली के पंखे और इंजीनियरिंग के अन्य सामान के जो देश में नये बनने लगे है निर्यात मे खासी वृद्धि हो जायगी;

(ट) आगामी पांच वर्षों में अन्त र्राष्ट्रीय व्यापार औसतन उतना ही अनुकूल रहेगा जितना कि १९५४-५५ मे था, और

(ठ) द्वितीय योजना काल मे अप्रत्यक्ष खातो मे जो शुद्ध कमाई होगी वह वर्तमान दर से कुछ कम ही रहेगी।

२६ उद्योगो और परिवहन के विकास का जो बडा कार्यक्रम बनाया गया है, उसके लिए यन्त्रो और अन्य साधनो का आयात १ ३५० करोड रुपये के मूल्य का करना पडेगा। अकेले सार्वजनिक क्षेत्र मे ही यन्त्रो और अन्य साधनो का आयात लगभग ९५० करोड रुपये के मूल्य का होगा। इसमे से ४२५ करोड रुपये परिवहन और सचार के, २८० करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के, १७० करोड रुपये सिंचाई तथा बिजली के कार्यक्रमो के और शेष कृषि तथा समाज-सेवाओ के हिसाब मे है। निजी क्षेत्र मे ४०० करोड़ रुपये के यन्त्रादि आयात किये जाने का जो अनुमान लगाया गया है, वह मुख्यत सब औद्योगिक कार्यक्रमो के लिए होगा।

२७ अनाज और चीनी आदि आवश्यक वस्तुओ का आयात गत कुछ वर्षों में पहले ही बहुत घट चुका है। कृषि के विकास पर अधिकाधिक जोर दिये जाने के कारण, कृषिजन्य वस्तुओ का आयात वर्तमान स्तर से अधिक करने की आवश्यकता नही पड़ेगी। इसका अपवाद तभी करना पड़ेगा जब मानसून अनुकूल न रहे। यदि ऐसा हो गया तो अन्न और अन्य कृषि जन्य पदार्थों का आयात विदेशो से बड़ी मात्रा मे करना पड़ जायगा। आजकल विदेशो मे इन वस्तुओ के बडी मात्रा मे फालतू रहने के कारण आवश्यक आयात करने मे कोई कठिनाई नही होगी।

२८. दूसरी पचवर्षीय योजना मे देश में रासायनिक पदार्थों और रगों आदि वस्तुओ के निर्माण मे खासी वृद्धि हो जाने का अन्दाज़ा लगाया गया है। इसलिए आशा है कि देश की इन वस्तुओ की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति, विदेशो से आयात बढ़ाये बिना ही की जा सकेगी।

२९. दूसरी पचवर्षीय योजना के लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता बहुत अधिक होगी, इसलिये देश का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये पूरा प्रयत्न करना होगा। भारत का निर्यात-व्यापार अभी तग है, उसे बढ़ाने और विकसित करने की आवश्यकता है विशेषत. पटसन, चाय, सूती वस्त्र, कच्चो धातुओ और तिलहनो के सम्बन्ध मे। जिन विविध उपभोग्य और इजीनियरिंग वस्तुओ का निर्यात शुरू हुआ है, उनके व्यापार से विदेशी विनिमय की कमाई अभी अल्प मात्रा मे ही होती है, और इनके व्यापार से जल्दी ही अधिक कमाई होने लगने की आशा भी नही की जा सकती। फिर भी यह बात महत्वपूर्ण है कि ज्यो-ज्यो अर्थ व्यवस्था के औद्योगिक आधार का विस्तार होता जा रहा है त्यो त्यो हमारे निर्यात की विविधता भी बढ़ती जा रही है।

३०. यह कल्पना कि आगामी पाच वर्षों में भी व्यापार उतना ही अनुकूल रहेगा जितना कि वह १९५४-५५ मे था, बाद की प्रवृत्तियो को देखते हुए कुछ अधिक आशापूर्ण है। १९५४-५५ की तुलना मे हालात पहले ही बिगड चुके हैं। विशेषत चाय का मूल्य गत वर्ष बहुत गिर गया। व्यापार की स्थिति का महत्व कितना अधिक है, इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि आयात के मूल्य में केवल १० प्रतिशत वृद्धि या निर्यात के मूल्य मे केवल १० प्रतिशत कमी हो जाय तो एक ही वर्ष मे हमारे देश पर ६० से ८० करोड रुपए तक के विदेशी विनिमय का अतिरिक्त भार बढ जाता है।

३१ दूसरी पचवर्षीय योजना मे भारत मे पर्यटन सुविधाएँ बढ़ाने की भी व्यवस्था है, इसलिए पर्यटन उद्योग से आय क्रमश. बढ़ती जाने की आशा है। परन्तु व्यापार मे वृद्धि, विदेशी विनियोग की बड़ी मात्रा, और ब्रिटेन में सुरक्षित भारतीय पौण्ड-पावना-कोष से सम्भावित निकासी के कारण जहाजी भाडे, ब्याज और लाभाश आदि अप्रत्यक्ष मदो से होने वाली शुद्ध आय, वर्तमान स्तर से भी कुछ कम होने की सम्भावना है।

३२ चालू खाते मे अन्दाजे गए १,१०० करोड़ रुपये के घाटे मे से, २०० करोड़ रुपये तक की पूर्ति, ब्रिटेन मे सचित देश के पौण्ड-पावना-कोष मे से कुछ रकम निकालकर की जा सकती है। यदि इस कोष मे से आगामी पाच वर्षो में २०० करोड़ रु० निकाल लिये गए तो योजना के अन्त मे यह सचित निधि लगभग ५०० करोड़ रुपये की ही रह जायगी। यह राशि हमारे केवल ७ महीनें के आयात के मूल्य के बराबर होगी, और इसको वहा सुरक्षित बनाये रखना इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्तुलन मे जो कठिनाई पड़ जाती है उसे यह पूरा करन का काम देती रहती है।

३३. दूसरी योजना की अवधि मे लगभग १०० करोड़ रु० की निजी विदेशी पूजी आने की भी आशा की जा सकती है। दिसम्बर १९५३ को समाप्त हुए ५½ वर्षो मे, हमारे देश मे लगी हुई निजी विदेशी पूजी मे १३२ करोड़ रु० की वृद्धि हो गई थी, परन्तु इस राशि में ६० से ७० करोड़ रु० तक का ऐसा नफ़ा था जिसका विनियोग पुन. इसी देश मे कर दिया गया था। इस प्रकार इस अवधि मे नई लगी हुई शुद्ध निजी विदेशी पूजी की मात्रा कोई ७० करोड़ रु० ही बैठती है। इसलिए दूसरी योजना की अवधि में शुद्ध निजी विदेशी पूजी के नये विनियोग की मात्रा का अन्दाजा १०० करोड़ रु० लगाना तर्कसगत ही है।

३४. शुद्ध निजी विदेशी पूजी के नये विनियोग और ब्रिटन मे सचित पौड-पावना-कोष मे से निकासी की गणना कर लेने के पश्चात्, विदेशी विनिमय मे ८०० करोड़ रु० की जो न्यूनता रहती है, उसकी पूर्ति केवल दो सूत्रो से की जा सकती है—अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो से प्राप्त होने वाली वैदेशिक सहायता तथा उस सहायता से जो विदेशी सरकारें भारत-सरकार को कभी कभी दे देती है। भारत को कई देशो और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सहायता अब भी मिल

रही है। गत कुछेक वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में जो उन्नति हुई है उसके कारण वह विदेशी ऋणों का भुगतान करने मे अधिक समर्थ हो गया है। औद्योगिक विकास की कुछ महत्तम योजनाओं के लिए व्यापारिक शर्तों पर विदेशी ऋण मिलने की काफी सम्भावना है विदेशो में कृषि की फालतू पैदावार को बेचने का जो कार्यक्रम है उससे भी विदेशी सहायता की मात्रा बढ़ जाने की आशा है। इन सब कारणो से हमे आगामी वर्षों में गत वर्षों की अपेक्षा अधिक विदेशी सहायता मिलने की आशा है। परन्तु यह क्षेत्र ऐसा है कि इसमें विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकता और बाहरी साधनों की उपलब्धि के अन्दाजो की अनिश्चितता के कारण समय समय पर इन पर विचार करते रहना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में, हमारा बल, निर्यात की आय बढाने और आयात का व्यय घटाने पर ही होना चाहिए। इसी प्रसग मे, यह भी ध्यान रखने की अत्यधिक आवश्यकता है कि देश की आन्तरिक मांग मे अत्यधिक वृद्धि होकर, उसका परिणाम, मुद्रा-स्फीति और विदेशी विनिमय पर भार ब जान के रूप मे प्रकट न हो।

संलग्न सूची सं० १

	पहली योजना		दूसरी योजना	
	सारी व्यवस्था (करोड रु० मे)	प्रति शत	सारी. व्यवस्था (करोड रु० में)	प्रति शत
१. कृषि और सामुदयिक विकास	३७२	१६	५६५	१२
(क) कृषि *	२८२	१२	३६५	८
(ख) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास	९०	४	२००	४
२. सिंचाई और बिजली	६६१	२८	८९८	१८
(क) सिंचाई और बाढ-नियन्त्रण	३९५	१७	४५८	९
(ख) बिजली (छोटे नगरो और देहातो मे बिजली लगाने के कार्यक्रम सहित)	२६६	११	४४०	९
३. उद्योग और खनिज	१७९	७	८९१	१९
(क) बड़े पैमाने के उद्योग, वैज्ञानिक अनुसन्धान और खनिज	१४९†	६	६९१	१५
(ख) ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग	३०	१	२००	४
४. परिवहन और संचार	५५६	२४	१३८४	२९
(क) रेले	२६८	१२	९००	१९
(ख) सड़के और सड़क-परिवहन	१४६	६	२६५	६
(ग) जहाज़, बन्दरगाहो और नदी-नहरों का परिवहन	५८	२	१००	२
(घ) डाक व तार, नागरिक उड्डयन प्रसार और अन्य सचार	८४	४	११९	२

* स्थानीय विकास-कार्यों का व्यय भी इसमे सम्मिलित है।

† चित्तरजन रेल-इजन कारखाने, पेराम्बूर की इटीगरल कोच फैक्टरी और भारतीय टेलीफोन उद्योग का व्यय इसमे शामिल नही है; वह सं० सू० ४ में गिना गया है। 'नेसनल-इण्डस्ट्रियल-डेवलपमेण्ट-कार्पोरेशन' और अन्य वित्तीय कार्पोरेशनों और उद्योगो की सीधी सहायता का व्यय इसमे शामिल है।

	१	२	३	४
५. समाज-सेवाएं, मकान और पुनर्वास	५४७	२३	९४६	२०
(क) शिक्षा	१६९	७	३२०	७
(ख) स्वास्थ्य (जल-व्यवस्था और सफाई के कार्यक्रमों सहित)	१४०	६	२६७	६
(ग) श्रमिक और श्रम-कल्याण, पिछड़ी जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो का कल्याण और समाज कल्याण	३९	१	१४९	३
(घ) आवास	६३	३	१२०	२
(ङ.) पुनर्वास	१३६	६	९०	२
६. विविध	४१	२	११६	२
सर्वयोग	२३५६	१००	४८००	१००

संलग्न सूची सं० २

राज्यों की योजनाएँ

राज्य	योजना का प्रस्तावित व्यय (करोड रु० में)
आन्ध्र	११६ २
आसाम	५६·४
बिहार	१९२ ९
बम्बई	२६४·४
मध्य प्रदेश	१२३ ३
मद्रास	१७०·३
उडीसा	९७·३
पजाब	१२६·२
उत्तर प्रदेश	२४८·६
पश्चिम बगाल	१५२ ५
	१५४८·१
हैदराबाद	१००·०
मध्य भारत	६६·५
मैसूर	७८·०
पेप्सू	३६·१
राजस्थान	९६·८
सौराष्ट्र	४७·६
तिरुवाकुर-कोचीन	७१·२
जम्मू व काश्मीर	३३ १
	५२९ ३
अजमेर	७·८
भोपाल	१४ ३
कुर्ग	३ ७
दिल्ली	१७·५
हिमाचल प्रदेश	१४·७
कच्छ	७·८

मणिपुर	६·२
त्रिपुरा	८ ५
विन्ध्य प्रदेश	२४ ७
	१०५ २
अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	५ ०
उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी	९ ५
पाण्डिचेरी	४ ७
	१९·२
दामोदर-घाटी-कार्पोरेशन मे केन्द्र का भाग	१२ २
सर्वयोग	२२१४ ०

संलग्न सूची सं० ३

उत्पादन और विकास के लक्ष्य

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९५५-५६ से १९६०-६१ में प्रतिशत वृद्धि
	१	२	३	४
१. कृषि				
क खाद्यान्न (लाख टन)	५४०·०*	६५०·०	७५०·०	१५
ख. कपास (लाख गाठें)	२६ ०	४२ ०	५५ ०	३१
ग. गन्ना—गुड (लाख टन)	५६·०	५८ ०	७४ ०	२८
घ. तिलहन (लाख टन)	५१ ०	५५ ०	७०·०	२७
ड. जूट (लाख गाँठे)	३३ ०	४०·०	५० ०	२५
च. राष्ट्रीय विस्तार खड (सख्या)	०	५००	३,८००	६६०
छ. सामुदायिक विकास खंड (सख्या)	०	६२२	१,१२०	८०
ज. च ओर छ से प्रभावित जनता (करोड व्यक्ति)	०	८·०	३२ ५	३०६
झ. ग्राम पचायतें (हज़ार)	८३	११८	२००	७०
२. सिंचाई और बिजली				
क. सिंचित प्रदेश (करोड एकड)	५·०	६ ७	८ ८	३१
ख बिजली (प्रस्थापित क्षमता) (करोड़ किलोवाट)	०·२३	० ३४	० ६८	१००
३. खनिज पदार्थ				
क. कच्चा लोहा (लाख टन)	३०·०	४३·०†	१२५ ०	१६१
ख कोयला (लाख टन)	३२३ ०‡	३६८·०‡	६००·०‡	६३
४. बड़े पैमाने के उद्योग				
क. तैयार इस्पात (लाख टन)	११ ०	१३ ०	४३ ०	२३१
ख. ढला हुआ लोहा (ढलाई के कारखानो को बेचने के लिए) (लाख टन)	...	३·८	७ ५	१००

* यह सख्या १९४९–५० की है।

† यह संख्या १९५४ के पचांग वर्ष की है।

‡ ये संख्याए पचांग के वर्षों की है।

		१	२	३	४
ग. अल्युमिनियम	(हजार टन)	३ ७	७ ५	२५.०	२३३
घ इस्पात की ढली हुई और चादरें	(हजार टन)	०	०	१५	...
ड. बिक्री के लिए ढला हुआ इस्पात	(हजार टन)	०	०	१२	...
च इस्पात का इमारती सामान	(हजार टन)	अप्राप्य	१८०	५००	१७८
छ मशीनो के औज़ार (वर्गीकृत)	(लाख रु० मे मूल्य)	३१.८	७५	३००	३००
ज सीमेन्ट की मशीने	(लाख रु० में मूल्य)	अप्राप्य	७५	२००	१६६
झ. चीनी बनाने की मशीनें	(लाख रु० में मूल्य)	अप्राप्य	५०	२५०	४००
ञ. सूत और जूट वस्त्र बनाने की मशीने	(लाख रु० मे मूल्य)	अप्राप्य	४१०	१,९५०	३७६
ट. कागज़ बनाने की मशीने	(लाख रु० मे मूल्य)	नाम मात्र	नाम मात्र	४००	...
ठ शक्ति से चलने वाले पम्प	(हजार)	३४	४०	८६	११५
ड. डीज़ल इजन	(हजार अश्व शक्ति)	अप्राप्य	१००	२०५	१०५
ढ मोटर-गाडियाँ	(सख्या)	१६,५००	२३,०००	५७,०००	१४७
ण. रेल के इजन	(सख्या)	३	१७०	३००	७६
त ट्रैक्टर	(सख्या)	..	...	१६००	...
थ. सीमेन्ट	(लाख टन)	२७	४८	१००	१०८
द. रासायनिक खाद					
१. अमोनियम सल्फेट के रूप म नत्रजन युक्त	(हजार टन)	४६	३८०	१६००	३२१
२. सुपर फोस्फेट	(हजार टन)	५५	१००	६००	५००
ध. गधक का तेज़ाब	(हजार टन)	९९	१६०	४५०	१७१
न. सोडा ऐश	(,, ,,)	४५	८०	२५०	२१३
प. कास्टिक सोडा	(,, ,,)	११	३५	१२०	२४३
फ पेट्रोलियम शोधनकारखाने के द्रव पदार्थ	(लाख गैलन)	..	७,५००	८,९५०	२०
ब. ३३ किलोवाट के और इससे छोटे बिजली के ट्रान्सफार्मर	(हजार के.वी.ए)	१७९	५२०	८८०	६९
भ. बिजली के भारी तार ए. सी एस. आर कन्डक्टर,	(टन)	१,४२०	९,०००	१५,०००	६५
म. बिजली के मोटर	(हजार अश्व शक्ति)	९९	२४०	६००	१५०
य. चीनी	(लाख टन)	११	१७	२३	३५
र कागज और गत्ता	(हजार टन)	११४	१८०	३५०	९४
ल. बाइसिकले (केवल संगठित क्षेत्र)	(हजार)	१०१	५००	१,०००	१००

मद	इकाई	१	२	३	४
ब. सीने की मशीने (केवल सगठित क्षेत्र)	(हजार)	३३	९०	२२०	१४४
श. बिजली के पखे	(हजार)	१९४	२७५	४५०	६४
५. परिवहन और संचार					
क. रेल.					
(१) सवारी गाडियो के मील	(लाख)	९५०	१,०८०	१,२४०	१५
(२) बोझ ढोया	(लाख टन)	...	१,२००	१,६२०	३५
ख. सड					
(१) राष्ट्रीय राजपथ	(हजार मील)	११·९	१३·०	१३·६	५
(२) पक्की सडकें	(हजार मील)	९७ ०	१०२·०	[illegible]	९
ग. जहाज :					
(१) तट-वर्ती और आस-पास के	(लाख जी.आर.टी.)	२ २	३ २	४ ३	३४
(२) समुद्र-पार गामी	(लाख जी.आर टी)	१ ७	२ ८	४·७	६८
घ बन्दरगाह · माल सम्हालने की क्षमता	(लाख टन)	२००	२६०	३३८	३०
ङ. डाक व तार					
(१) डाक घर	(हजार)	३६	५३	७३	३८
(२) तार घर	(हजार)	३·६	५·१	६·५	२७
(३) टेलिफोनो की संख्या	(हजार)	१६८	२६५	४५०	७०
६. शिक्षा					
क. विभिन्न वयवर्ग में स्कूल जाने की आयु के बालको का प्रतिशत					
(१) प्राइमरी (६ से ११ वर्ष तक)		४२ ०	५०·०	६०·०	
(२) मिडिल (११ से १४ वर्ष तक के)		१४·०	१७·०	१९·०	
(३) हाई अथवा हायर सेकण्डरी (१४ से १७ वर्ष तक के)		६·४	९ ०	१०·०	

		१	२	३	४
ख. आरम्भिक या बुनियादी स्कूल	(लाख)	२ २३	२·८३	३·४८	२३
ग. प्राइमरी और मिडिल या सेकण्डरी स्कूलों अध्यापक	(लाख)	७४	९७	१२१	२५
घ. टीचर-ट्रेनिंग संस्थान	(संख्या)	८३५	८८५	१,०८०	२२
ङ. ट्रेनिंग संस्थानों में पढ़ने वालो की संख्या	(हजार)	७५ ६	९१·०	१११·४	२२
७. स्वास्थ्य					
क· चिकित्सा संस्थान	(हजार)	८ ६	१०	१२ ६	२६
ख. अस्पतालों में रोगी-शैयाएं	(हजार)	११३	१२५	१५५	२४
ग. डाक्टर	(हजार)	५९	७०	८०	१४
घ. नर्स	(हजार)	१७	२२	३१	४१
ङ मिडवाइफें	(हजार)	१८	२६	३२	२३
च. नर्स-दाइयाँ और दाइयाँ	(हजार)	·४	६	४१	५८३
छ. हेल्थ-असिस्टेण्ट और दारोगा सफाई	(हजार)	३·५	४	७	७५

तीसरा अध्याय

योजना का रोज़गार-प्रबन्ध

जब पहली पचवर्षीय योजना का आधा समय बीत चुका तब 'एम्प्लायमेण्ट एक्स्चेजो' अर्थात् नौकरी दिलाने के दफ्तरो मे दर्ज सख्याओ से पता लगा कि देश मे रोज़गार की अवस्था बिगड रही है। इसलिए १९५३-५४ मे, योजना मे श्रम सम्बन्धी कुछ ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित किए गए जिनसे अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। फिर भी पहली योजना की अवधि मे रोज़गार मिल सकने के हालात बिगडते ही गए । 'एम्प्लायमेण्ट एक्स्चेञ्जो' के रजिस्टरो मे दर्ज बेरोज़गार व्यक्तियो की सख्या, जो मार्च १९५१ मे ३ लाख ३७ हज़ार थी, वह दिसम्बर १९५३ और दिसम्बर १९५५ मे बढ कर क्रमश ५ लाख २२ हज़ार और ६ लाख ९२ हज़ार तक पहुच गई । इन संख्याओ से बेरोज़गारी का अन्दाज़ा एक हद तक ही लगाया जा सकता है; इनकी त्रुटिया प्राय सर्वविदित है। परन्तु यह अनुभव अधिकाधिक मात्रा मे किया जा रहा है कि औद्योगिक विकास की योजनाएं तभी लोकप्रिय हो सकती है जबकि लोगो को रोज-गार दिलाना भी उनका एक प्रधान लक्ष्य हो। इसलिए इस सम्बन्ध मे सब की सहमति है कि दूसरी पचवर्षीय योजना का एक स्पष्ट उद्देश्य लोगो को रोज़गार देना ही होना चाहिए ।

२. इसका अर्थ यह नही है कि पहली योजना का रोज़गार पर कुछ भी प्रभाव नही पडा था । प्रत्युत सचाई यह है कि गत चार-पॉच वर्षों मे, शहरो और देहातो में, दोनो जगह, रोज़गार मिलने के क्षेत्रो और दिशाओ मे निरन्तर विस्तार होता गया है । खयाल तो यह है कि पहली योजना के सार्वजनिक और निजी, दोनो क्षेत्रो मे जो काम-काज बढा, उसके कारण पाँच वर्षों में इतने नए रोज़गार पैदा हो गए होंगे कि ४५ लाख आदमियो की रोज़ी का बन्दोबस्त हो गया होगा । इस अन्दाज़े मे, रोजगार मिलने के उन नए अवसरो की गिनती नही की गई है, जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र मे उत्पन्न हुए होगे । इतना कुछ होने पर भी, रोज़गार के हालात बिगड जाने का प्रधान कारण यह है कि जितने नये रोज़गार मिल सकने की योजना बनाई गई थी उतने, पाँच वर्ष में बढी हुई श्रमिक-सख्या की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नही हुए। इसके अतिरिक्त

पहली योजना का प्रभाव मुख्यतया देहाती इलाको पर पड़ा । वहाँ, कृषि के विकास और बडी सख्या मे मकानो के निर्माण से, बहुत-से लोगो को पूरे समय का रोजगार तो मिला ही, एक हद तक कुछ समय काम करने वालों की सख्या मे भी कमी हो गई। हालात का यह सुधार 'एम्प्लायमेंट एक्सचेजो' के रजिस्टरों की सख्याओ से प्रकट नही होता, क्योकि उनका सम्बन्ध मुख्यतया शहरो से ही है।

३ दूसरी पंचवर्षीय योजना में, नये रोज़गार दिलाने का काम तीन भागो मे बाँटकर करना पड़ेगा । पहला भाग तो उन लोगो का है जो कि इस समय शहरो और देहातो मे बेरोज़गार पड़े है । दूसरा भाग उन नये श्रमिको का है जो कि प्रतिवर्ष अन्दाज़न २० लाख की सख्या में बढते जा रहे है और तीसरे भाग में उन लोगो की गिनती होती है जो देहाती धन्धो मे लग कर पूरा समय काम नही करते अथवा जो शहरो मे घरो की नौकरियाँ करते है और रोजगार के अधिक अच्छे अवसर की तलाश मे रहते है । इन तीन भागो मे विभक्त समस्या का हल खोजते हुए, बेरोज़गारी के प्रश्न पर न केवल समग्र दृष्टि से, अपितु शहरो और देहातो की पृथक्-पृथक् दृष्टि से भी, विचार करने की आवश्यकता है । देश के कुछ भाग--शहरी और देहाती, दोनो—ऐसे है जहा बेरोज़गारी अन्य स्थानो की अपेक्षा अधिक फैली हुई है। इसलिए इस समस्या की गम्भीरता पर विचार करते समय देश के विभिन्न प्रदेशो मे शहरी और देहाती बेरोज़गारी की विशालता को भी ध्यान मे रखना होगा ।

४ पहली योजना की अवधि मे बेरोज़गारी का जो अध्ययन किया गया था उससे पता चला था कि शहरो मे नौकरी करने मे समर्थ लोगो मे ८ से १० प्रतिशत तक अर्थात् मोटे हिसाब से कोई २५ लाख व्यक्ति बेरोज़गार है । 'नेशनल सैम्पल सर्वे' अर्थात् थोडी-सी जगह के अध्ययन को नमूना मानकर उसके आधार पर सारे देश की अवस्था का अन्दाज़ा लगाने वाले सगठन ने शहरी इलाको का जो प्रारम्भिक अध्ययन किया था उससे उन्होने शहरो की बेरोज़गारी का अन्दाजा २२ लाख ४० हज़ार लगाया था। उन्होनें, बेरोज़गारो की सख्या और 'एम्पलायमेण्ट एक्स्चेजो' अर्थात् काम-दिलाऊ दफ्तरो द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी मे तुलना करके देखने की बात भी सुझायी थी। इस तुलना के और १९५५ के अन्त मे काम-दिलाऊ दफ्तरो की पुस्तको मे दर्ज सख्या के आधार पर, बिना जोखिम के यह कहा जा सकता है कि इस समय शहरो मे बेरोज़गारों की सख्या लगभग २५ लाख है ।

५. इस संख्या मे उन लोगो को भी जोड़ लेना चाहिए जो शहरों की श्रमिक सेना मे नये नये भरती होते रहते है । इनको मिलाकर आगामी पाच वर्षों मे शहरी बेरोज़गारो की सख्या ३८ लाख और बढ जाने की सम्भावना है । इस संख्या का हिसाब इस कल्पना के आधार पर निकाला गया है कि १९५१-६१ के दस बर्षो में शहरी आबादी ३३ प्रतिशत बढ जायगी। शहरी आबादी मे बढोतरी का यह क्रम, १९३१-४१ की दशाब्दी के क्रम (३१%) से कुछ अधिक और १९४१–५१ की दशाब्दी के क्रम (४०%)

से कम है। १६४१-५१ की दशाब्दी में, शहरी आबादी मे वृद्धि का क्रम, महायुद्ध और देश के विभाजन के कारण असाधारण ऊँचा चला गया था। दूसरी योजना मे 'अर्थ-व्यवस्था का विकेन्द्रित विकास करने पर विशेष बल दिया जा रहा है, इसलिए आशा है कि ग्रामो की अवस्था सुधर जायगी और १६५१-६१ की दशाब्दी मे जनता की शहरो मे जाकर बसने की प्रवृत्ति कुछ मन्द पड जायगी।

६. देहातो में बेरोज़गारी और अर्ध-रोज़गारी मे भेद सुगमता से नही किया जा सकता। वहाँ रोज़गार मे तरक्की का अन्दाजा यह देखकर करना पडता है कि आमदनी मे कितनी बढोतरी हुई। फिर भी बेरोज़गारी पर विचार के प्रकरण मे, कृषि-जीवी जनता के कुछ भागो का—जैसे खेत-मजदूरो का, विशेषत बिना ज़मीन के मजदूरो और बेरोज़गार गैर खेतिहरो का—महत्व उतना ही है जितना कि शहरो के बेरोज़गारो का। १६५०-५१ की 'एग्रिकल्चरल-लेबर-इक्वायरी' (खेत-मज़दूर-जाच) और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर अन्दाजा लगाया गया है कि देहातों मे लगभग २८ लाख व्यक्तियो को बेरोज़गार माना जा सकता है।

७ जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दूसरी योजना की अवधि मे श्रमिक-सेना मे नये भरती होने वालो की सख्या १ करोड मानी गयी है। इस सख्या मे से यदि ३८ लाख की शहरो की नयी भरती को घटा दिया जाय तो १६५६-६१ मे देहाती मजदूरो की नयी भरती की सख्या ६२ लाख रह जायगी।

८. निम्न तालिका से एक नज़र मे ही पता चल जायेगा कि दूसरी योजना की अवधि मे यदि बेरोज़गारी का सर्वथा अन्त करना इष्ट हो तो कितने नये काम या काम मिलने के अवसर मुहैया करने पडेगे —

(कामो की सख्या लाखो मे)

	शहरो मे	देहातो मे	योग
श्रमिक-सेना मे नये भरती होने वालो के लिए	३८	६२	१००
पुराने बेरोज़गारो के लिए	२५	२८	५३
योग	६३	६०	१५३

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इन आँकडो से समस्या के उस भाग पर प्रकाश नही पडता जिसका सामना देश के अर्ध-बेरोज़गार लोगो के लिए अतिरिक्त काम के अवसर खोजने मे करना पडेगा। यद्यपि विकास के कार्यक्रमो की तीव्र प्रगति और देहातो पर अधिक ध्यान देने के कारण अर्ध-बेरोज़गारी किसी हद तक कम हो जाने की सम्भावना है, परन्तु देश के

कुछ भागो में देहाती परिवारो की आमदनी इतनी कम है कि उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पडेगी। इन क्षेत्रो मे रोज़गार की स्थिति सुधारने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से, इनके हालात का विशेष अध्ययन किया जा रहा है।

९. पिछले पैराग्राफो में जिन विचारो का उल्लेख हुआ है उन्हें ध्यान मे रखते हुए दूसरी पचवर्षीय योजना के बेरोज़गारी-प्रकरण को समझ लेने का यत्न किया जा चुका है। इस योजना के सार्वजनिक क्षेत्र पर समस्त व्यय ४,८०० करोड रुपए किया जाएगा, जिसमे से ३,८०० करोड रुपये विनियोग की राशि है। इसके अतिरिक्त २,३०० करोड़ रुपए का विनियोग निजी क्षेत्र के उद्योगो मे होने की आशा है। योजना के द्वारा कितने अतिरिक्त व्यक्तियो को रोज़गार मिल सकेगा, इस बात का हिसाब, सार्वजनिक क्षेत्र मे राज्यो और केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा दी गयी रोजगार-सम्बन्धी जानकारी के आधार पर और निजी क्षेत्र मे इस कल्पना के आधार पर लगाया गया है कि उनके लक्ष्य क्या होगें और वे कितना उत्पादन बढा सकेंगे। इस हिसाब के परिणाम नीचे की तालिका में दिये है।

अतिरिक्त रोज़गार का अन्दाज़ा

	(सख्या लाख म)
१. निर्माण	२१·०*
२. सिंचाई और बिजली	०·५१
३. रेलें	२·५३
४. अन्य परिवहन और सचार	१ ८०
५. उद्योग और खनिज	८·००

* विभिन्न विकास क्षेत्रो के निर्माण के कामो मे मिलने वाले रोज़गार का विवरण निम्न प्रकार है :—

विभाग का नाम	सम्भावित अतिरिक्त रोज़गार
१. कृषि और सामुदायिक विकास	२ ६६
२. सिंचाई और बिजली	३ ७२
३ उद्योग और खनिज (घरेलू और छोटे उद्योगो को सम्मिलित करके)	४·०३
४. परिवहन और सचार (रेलो को सम्मिलित करके)	१·२७
५. समाज सेवाए	६·९८
६. विविध (सरकारी नौकरियो को सम्मिलित करके)	२·३४
योग	२१·००

(संख्या लाख मैं)

६,	घरेलू और छोटे उद्योग	४ ५०
७.	जगलात, मछली-व्यवसाय, राष्ट्रीय-विस्तार सेवा तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रम	४ १३
८.	शिक्षा	२ ६०
९.	स्वास्थ्य	१ १६
१०.	अन्य समाज-सेवाएं	१ ४२
११.	मरकारी नौकरियाँ	४ ३४
	१ से ११ तक का योग	५१ ९९
१२	तथा 'अन्य' व्यापार वाणिज्य सहित (१ से ११ तक के योग का ५२ प्रतिशत)	२७ ०४
	कुल योग	७९ ०३ अथवा ८०*

१०. इन अन्दाजो पर विचार करते हुए यह स्मरण रखना चाहिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य लोगो को कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो मे, यथाशक्ति अधिक रोजगार दिलाने का है। यदि बेरोज़गारी की वर्तमान अवस्था अपरिवर्तित रहे तो भी १ करोड नए कामो की तलाश तो करनी ही पडेगी। परन्तु श्रमिक-वर्ग मे नये भरती होने वाले १ करोड आदमियो मे से बहुत-से ऐसे परिवारो के होगे जिनकी जीविका ज़मीन से चलती है। जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका है, इन लोगो के लिए अतिरिक्त रोज़गार का हिसाब नौकरियो की सख्या के आधार पर नही, इस आधार पर करना चाहिए कि इन्हे अतिरिक्त आमदनी कितनी होने लगी। उदाहरणार्थ, योजना की अवधि मे सिचाई की जो नयी व्यवस्था की जायगी उसके भरोसे यह कल्पना कर लेना युक्ति-सगत होगा कि उससे जितनी नयी ज़मीन की सिंचाई होगी उसके ३० प्रतिशत पर श्रमिक-वर्ग की नयी भरती को देहाती हिसाब से पूरे समय का काम मिल जायगा। इस प्रकार आशा है कि देहातो मे लगभग १६ लाख आदमियो को खेती मे ही नया काम मिल जायगा। सिंचाई की शेष व्यवस्था से खेती के कामो मे अधूरे समय के रोज़गार का भी अन्त हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, देहाती तथा छोटे

---

* सम्भव है कि तामीरात मे मिलने वाले रोज़गार का अन्दाज़ा कुछ अधिक निकले, परन्तु व्यापार-वाणिज्य आदि अन्य धन्धो मे मिलने वाले रोज़गार का अन्दाज़ा कुछ कम निकलने की सम्भावना है। सब मिलाकर, आशा है कि कृषि से इतर विभागों मे ८० लाख आदमियो को नया रोज़गार मिल जाने का अन्दाज़ा अधिक सिद्ध नही होगा।

उद्योगों में पूरे समय का नया रोज़गार मिल सकने के जो अवसर उपस्थित होगे उन्हे भी ध्यान मे रखना चाहिए । इस प्रकार बेरोज़गारी मिटाने के लिए योजना के परिणाम महत्वपूर्ण निकलने की सम्भावना है। फिर भी, बेरोजगारी की समस्या पर निरन्तर ध्यान रखना ही पड़ेगा ।

११ अब पहली और दूसरी योजनाओ से मिलने वाले प्रत्यक्ष रोज़गार के अन्दाजो की तुलना भी करके देख लेनी चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि पहली योजना से कोई ४५ लाख आदमियो को प्रत्यक्ष रोज़गार मिला होगा । दूसरी योजना मे विकास के प्रयत्न प्राय दुगुने हो जाने पर भी इसकी पाच वर्ष की अवधि मे अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोज़गार पा सकने वालो की सख्या बहुत ऊची जाने की सम्भावना नही है । कारण यह है कि दूसरी योजना की अवधि मे विकास का व्यय, पहली योजना की अवधि से बहुत अधिक नही बढ पायेगा । पहली योजना के अन्तिम वर्ष मे सार्वजनिक क्षेत्र मे विकास-कार्यो पर जो व्यय हुआ, वह १९५०-५१ के व्यय से लगभग ४०० करोड़ रु० अधिक होगा । दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष का यह व्यय, आशा है, पहली योजना के अन्तिम वर्ष के इस व्यय की तुलना मे, ६०० करोड रु० अधिक बैठेगा । इसके अतिरिक्त, दूसरे अध्याय मे पू जी-विनियोग का जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट है कि अधिकतर व्यय परिवहन और उद्योगो पर करने का विचार है; और इन कामो मे नया रोज़गार तुरन्त नही मिल पाता । इसलिए यदि दूसरी योजना की अवधि मे अतिरिक्त रोज़गार के अवसर प्रथम योजना-काल से विशेष अधिक न हो तो, आश्चर्य नही करना चाहिए ।

१२. बेरोज़गारी की साधारण समस्या और उसकी प्रादेशिक विशेषताओ के अतिरिक्त, शिक्षित बेरोज़गारो की समस्या अलग ही है । उस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है । इस समस्या का अध्ययन करने और इसके हल के उपाय सुझाने के लिए योजना-आयोग ने एक अध्ययन-मण्डली की नियुक्ति की थी । उसने अपनी रिपोर्ट हाल ही मे दी है। उसने अपना अन्दाज़ा, देश मे उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करके लगाया था, और उसके अनुसार मैट्रिक से ऊपर शिक्षित लोगो मे इस समय ५½ लाख बेरोज़गार हैं । इस मण्डली का अन्दाजा यह भी है कि १९५६-६१ की अवधि मे, १४½ लाख नये शिक्षित नौकरी तलाश करन वाले बेरोजगार सेना मे भरती हो जाएगे । इसलिए शिक्षितो मे बेरोजगारी की पूरी पूरी समाप्ति करनी हो तो दूसरी योजना की अवधि मे २० लाख नयी नौकरिया तैयार करनी होगी । यह भी स्पष्ट है कि नौकरी के इन २० लाख अवसरो का महत्व कुछेक प्रदेशो के लिये अन्यो की अपेक्षा अधिक विशिष्ट हैं । उदाहरणार्थ, पश्चिम- बंगाल और तिरुवाकुर-कोचीन में शिक्षितो की बेरोज़गारी का रूप अधिक विकट है ।

१३. शिक्षितो के लिये नये काम तलाश करते हुए इस समस्या पर विचार, ऊपर उल्लिखित अवस्थाओ को ध्यान मे रखकर करना चाहिए। उपरोक्त अध्ययन-मण्डली को

राज्यो की सरकारो ने जो सामग्री दी थी उसका विश्लेषण करने के पश्चात् मण्डली की राय यह हुई कि वर्तमान कार्यक्रमों से १४ लाख ४० हज़ार व्यक्तियो को रोज़गार मिल सकेगा। इसलिए उसने यह विचार प्रकट किया कि यदि विशेष रूप से शिक्षित बेरोज़गारो की सहायता के लिए कोई अतिरिक्त योजना न बनायी गयी तो इस समस्या की विकटता बहुत कुछ अपरिवर्तित ही रहेगी। इस मण्डली ने सिफारिश की है कि छोटे पैमाने के उद्योगो और माल ढोने की सहकारी समितिया सगठित करने के लिये १३० करोड रुपये व्यय किये जाये। इस मण्डली ने शिक्षितो मे बेरोज़गारी कम करने के लिए राज्य-सरकारो द्वारा तैयार किये गये कुछ कार्यक्रम भी पसन्द किये है। मण्डली का अन्दाजा है कि इन सिफारिशो पर अमल करने से २ लाख ४० हज़ार शिक्षित बेरोज़गारो को काम पर लगाया जा सकेगा। विचार यह है कि मण्डली द्वारा सुझाये गये कार्यक्रम पर अगले ही वर्ष से परीक्षण के रूप मे अमल करके देखा जाय। इससे पता चल जायेगा कि उपरोक्त मण्डली द्वारा सुझाये गए विशेष कार्यक्रमो से रोज़गार के जो अवसर मिलेगे उनका लाभ शिक्षित बेरोज़गार कहा तक उठायेगे।

१४. सामान्य बेरोजगारी के सम्बन्ध मे आमतौर पर जिस प्रकार अदाज़ा लगा लिया जाता है उसी प्रकार शिक्षित बेरोज़गारो की सख्या ठीक ठीक नही जानी जा सकती। अकुशल अथवा अशिक्षित बेरोज़गारो के सम्बन्ध मे तो शायद केवल इतना बतला देने से ही काम चल जाता है कि इतनी नौकरियो की आवश्यकता होगी, परन्तु जब शिक्षित बेरोज़गारो के लिये नौकरियो की संख्या पर विचार किया जाने लगता है तब यह भी देखना पडता है कि जिन शिक्षितों के लिये काम तलाश किया जा रहा है उनकी शिक्षा किस प्रकार की हुई है। समस्या के प्रादेशिक और पेशे सम्बन्धी पहलू पर भी पृथक् विचार करना पडता है। खासे ऊचे स्तर के अतिरिक्त, शिक्षित बेरोज़गार प्राय अपने निवास का प्रदेश छोडकर जाना नही चाहते, इसलिए उनका पूरा पूरा उपयोग नही किया जा सकता। ऐसे उदाहरण बहुधा देखने मे आते है कि एक 'एम्लायमेट एक्स्चेज' (काम दिलाऊ दफ्तर) मे शिक्षित लोगो के जैसे विशिष्ट प्रशिक्षण-प्राप्त वर्ग ने अपने नाम दर्ज कराय वैसे ही आदमियो की आवश्यकता उसी समय किसी दूसरे एक्स्चेंज मे पडी परन्तु इन प्रशिक्षित बेरोज़गारो के वहा जाने को तैयार न होने के कारण समस्या का रूप यह हो गया कि एक स्थान के बेरोजगारो को दूसरे स्थान की माग पूरी करने के लिये वहा जाने के लिए प्रेरित किस प्रकार किया जाये। इस समस्या के पेशे सम्बन्धी पहलू को हल करने के लिए, बहुत पहले से यह हिसाब लगा कर रखना पड़ता है कि किस प्रकार के आदमियो की कहा, कब और कितनी आवश्यकता पडेगी और समय आने पर उसे कैसे पूरा किया जायेगा।

१५. इसी प्रसग मे यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि कभी-कभी कई प्रदेशो से इस प्रकार की मांग आती है कि वहाँ फलाँ पेशे के प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढा दी जाये। इसलिए राज्यों की योजनाओ मे जिस पेशे के आदमियो की कमी पड़ने की

संभावना समझी गई उसके प्रशिक्षण की सुविधा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरी योजना मे इस बात का विशेष अध्ययन किया गया है कि विविध क्षेत्रो मे किस-किस पेशे मे प्रशिक्षित व्यक्तियो की कितनी आवश्यकता पडेगी। योजना मे निर्माण का स्थान क्योकि मुख्य है, इसलिए योजना-आयोग ने इन्जीनियरो की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए एक बिशेष समिति नियुक्त की थी। आगे एक अध्याय में इस समिति की सिफारिशो पर चर्चा की गई है।

१६. अब तक जो विचार और विश्लेषण किया गया, उससे निम्न परिणाम निकलते हैं:—

(क) दूसरी योजना मे अधिक प्रयत्न करने पर भी बेरोज़गारी का परिमाण आगामी पाच वर्षों मे प्राय वही रहेगा जो कि अब है;

(ख) खेती का काम करने वालो की सख्या कुछ बढ़ जायेगी, परन्तु इस क्षेत्र मे जिन कार्यक्रमो पर अमल किया जायगा उनके कारण काम मे लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति की आय १७ या १८ प्रतिशत बढ़ जायेगी, और

(ग) देहाती और छोटे पैमाने के उद्योगो के क्षेत्र मे, ऊपर जो हिसाब लगाया गया है वह केवल पूरे समय की नौकरियो का है, देहाती तथा छोटे पैमाने के उद्योगो पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट मे अधिक काम मिलने के जिन अवसरो का ज़िक्र किया है, उनसे अर्ध-बेरोज़गार लोगो को भी थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी ही।

१७ इन परिणामो से प्रकट है कि दूसरी योजना मे उपलब्ध साधनो का अधिकतम उपयोग करने के लिए सगठित प्रयत्न करने पर भी, बेरोज़गारो और अर्ध-बेरोज़गारो की दोहरी समस्या पर उतना प्रभाव नही पडेगा जितना कि आज की परिस्थितियो में पडना चाहिए। इसके अतिरिक्त, योजना की अवधि मे जो पूजी लगाई जा सकती है, उसकी भी सीमा है। इस योजना मे भारी उद्योगो पर जो जोर दिया गया है उसके कारण, पूजी लगाने के कार्यक्रम मे परिवर्तन करने की गुंजाइश भी बहुत थोडी है, और इसलिए यदि अभी तक निर्धारित प्राथमिकताओ मे थोडा-बहुत आगा-पीछा कर भी लिया गया तो भी रोज़गार मिलन की दृष्टि से परिणाम मे विशेष अधिक अन्तर नही पडेगा। साथ ही, योजना मे जिन भारी उद्योगो मे पूजी लगाने का विचार किया जा रहा है, उनका रोज़गार पर जो प्रभाव पडेगा उस सबका पूरा पूरा हिसाब लगा लेना, हमारी अभी तक की जानकारी के अनुसार सम्भव भी नही है। योजना को कार्यान्वित करते हुए यह बात भी ध्यान मे रखकर चलना होगा कि उसे क्रियान्वित इस प्रकार किया जाय कि उससे उत्पादन और रोज़गार मिलने के अवसरो की प्राप्ति अधिकतम हो। इसके लिये योजना के सहायक कार्यों मे लगाई हुई पूजी के साथ मेल बिठलाने, योजना पर अमल करने से पानी और बिजली आदि के जो साधन स्वयमेव उपलब्ध हो जाते है उनका

उचित प्रयोग करने तथा नव स्थापित संस्थाओं और एजेन्सियों की सेवाओं द्वारा जनता को अधिकतम लाभ पहुचाने का ध्यान रखना पडेगा । ज्यो-ज्यो योजना आगे बढती जायेगी त्यो-त्यो यह देखते रहना होगा कि उससे रोजगार कितने अतिरिक्त लोगो को मिला, जिससे रोजगार के निर्धारित लक्ष्यो तक पहुचने के लिए उचित और आवश्यक उपाय किये जा सके।

चौथा अध्याय

प्रशासनिक कार्य और संगठन

दूसरी योजना के कार्य

राष्ट्रीय विकास की समस्याए सुलझाने के लिए जिस सामान्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण का निर्माण हुआ है, उसमे समस्याओ के विश्लेषण और नीति विषयक बहुत से आधारभूत प्रश्नो के बारे मे काफी मतैक्य है। इन समस्याओ की गहराई मे जाने के समय या तो परिप्रेक्षित अथवा ब्यौरे मे अक्सर मतभेद नजर आता है। नीति के बारे में तो मतैक्य का क्षेत्र बडा है, पर यह शका प्रकट की जाती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना मे जितने उत्तरदायित्वो का भार केन्द्रीय और राज्य सरकारे लेगी प्रशासनिक विस्तार और कुशलता की दृष्टि से क्या उन्हे वहन करने की क्षमता भी उनमे होगी। यह सभव है कि ज्यो-ज्यो योजना का काम आगे बढेगा त्यो-त्यो नीति और दृष्टिकोण की बजाय प्रशासन और वित्तीय कठिनाइयो का सामना अधिक करना पड़ेगा। करो की उगाही, धन का व्यय और छोटी बचत एकत्र करने की व्यवस्था सरकार की कार्यपालिका के कार्य है, पर इसके साथ ही वित्त भी प्रशासन की समस्या का एक अग मान लिया जायगा।

२. विकास की प्रगति होने पर 'प्रशासन' शब्द की व्याख्या विस्तृत हो जाती है। उसकी सीमा मे अमले का गठन, व्यक्तियो की शिक्षा, प्रशासन का सचालन, जनता को शिक्षित करना और अन्त मे ऐसी सुदृढ योजना की व्यवस्था करना आ जाते है जिसमे हर स्तर पर श्रेष्ठ प्राविधिक, आर्थिक और आँकडो की जानकारी के साथ-साथ जनता का सहयोग भी प्राप्त होता रहे। अगर केन्द्रीय और राज्यो के प्रशासन विभागो ने योग्यता, ईमानदारी और लक्ष्य का ध्यान रख कर तीव्र गति से काम किया तो दूसरी पचवर्षीय योजना की सफलता पूर्ण निश्चित है। इस प्रकार वास्तव मे दूसरी पचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप-रेखा वाले प्रशासनिक कार्यों की श्रृंखला है।

३. पहली योजना के मुकाबले इन कार्यों का क्षेत्र विशाल है। यह पेचीदा भी बहुत है। कुछ क्षेत्र तो जाने-बूझे है और उनका पिछले कामो से सम्बन्ध है चाहे अब क्षेत्र भले ही बड़ा हो गया हो। पर इसके साथ ही यह मानना पड़ेगा कि बहुत सा काम नया होगा और उसके लिए साधारण रूप से, अधिक तैयारी की जरूरत है। दूसरी पंचवर्षीय

योजना काल में प्रशासन के मुख्य कार्यों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बाटा जा सकता है :—

(१) प्रशासन मे ईमानदारी की स्थापना ;

(२) प्रशासनिक और प्राविधिक सवर्गो का निर्माण ;

(३) सब क्षेत्रो मे बडे पैमाने पर शिक्षण कार्यक्रमो की व्यवस्था और प्रशिक्षण के समस्त साधनो को जुटाना, जिनमे सरकारी और निजी सस्थाओ, औद्योगिक तथा अन्य प्रतिष्ठानो, शिक्षार्थी और काम करते लोगो की शिक्षा भी शामिल है ;

(४) काम के तेज, अच्छे और कम खर्चीले तरीको को निकालना, लगातार काम की देखभाल तथा समय-समय पर परिणामो की तथ्यपूर्ण जाँच ;

(५) प्राविधिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की मदद को सर्व-साधारण तक पहुचाना जैसे कृषि, राष्ट्रीय विस्तार, सामुदायिक योजना क्षेत्र, ग्राम और छोटे उद्योगो मे लगे लोगो तक ;

(६) औद्योगिक कारखानो, परिवहन सेवा विभाग और नदी घाटी योजनाओ जैसे सरकारी कामो के कुशल प्रबन्ध की व्यवस्था ;

(७) स्थानीय सामुदायिक कार्य और जन सहयोग के बल पर सरकारी धन का ऐसा व्यय किया जाय कि कृषि और सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र मे परिणाम अधिक से अधिक अच्छा निकले ;

(८) व्यवस्था और प्राविधिक अमले की मदद तथा सहकारी, आर्थिक और हाट-व्यवस्था वाली सस्थाओ की स्थापना करके अर्थ व्यवस्था के सहकारी क्षेत्र को सुदृढ बनाना ।

४ इनमे से हर काम अपने मे बहुत बडा है। पहली पचवर्षीय योजना मे यह सकेत दिया गया था कि भ्रष्टाचार के कारण ऐसी गडबडियां हुई जिनका दुरुस्त करना कठिन हो गया। उससे प्रशासन के ढाचे पर बुरा असर पडा और जनता का प्रशासन पर विश्वास डावाडोल हुआ । इसलिये ज़रूरी है कि प्रशासन अथवा अन्य सार्वजनिक जीवन मे भ्रष्टाचार के प्रत्येक स्वरूप को समाप्त करने के लिये लगातार युद्ध किया जाय तथा इस दोष को दूर करने के तरीको की बराबर छान-बीन होती रहे। इस बारे मे केन्द्रीय और राज्य सरकारो ने अनेक कदम उठाये है । रेल विभाग में सबसे अधिक व्यक्ति नौकर है। अभी हाल में एक जाच समिति ने रेल विभाग के भ्रष्टाचार के बारे मे जाच की है। जाच समिति ने अनेक सुझाव दिये हैं और उन पर अमल किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक देख-भाल के लिये एक अलग विभाग खोल दिया

है। उस विभाग के साथ विभिन्न मंत्रालयों के जांच अधिकारी सहयोग करते हैं। राज्यो मे भी इस प्रकार के कदम उठाये जाने चाहिएं। जिन बातो से भ्रष्टाचार या अन्य गडबडिया पैदा होती है उनकी खोज कर के उन को दूर करना जरूरी है। विफलताओ का निरीक्षण और उनकी जाच करके उन के कारणो को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। अत मे जहा भी भ्रष्टाचार की आशका के लिए उचित आधार हो तो तुरन्त कडा कदम उठाया जाय। काम करने के तरीको के बारे मे पहली पचवर्षीय योजना मे काफी कहा गया है। मन्त्रिमडल-सचिवालय के सगठन और व्यवस्था विभाग ने जो तरीका अपनाया है उसको हम समस्त राज्यो मे विकसित करे। दूसरी पचवर्षीय योजना मे इस मूल सिद्धात पर ज़ोर दिया जाय कि ऐसी सस्थाओ और तरीको को अपनाना है जिससे सरकारी एजेन्सियो के द्वारा जन साधारण को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। दो अन्य बातो पर विशेष ध्यान देना है। पहली यह कि गैर-सरकारी सस्थाओ और व्यक्तिगत रूप से पूछी गई बातो का कम-से-कम समय मे उत्तर दिया जा सके। यह उद्देश्य ढग से की गई जाच और उत्तरदायित्व सौपने की व्यवस्था से पूरा हो सकता है। दूसरी यह कि, प्रशासन के हर स्तर पर ऐसे दृष्टिकोण का विकास हो, जिससे फिजूलखर्ची कम हो, व्यय और लाभ को आका जाय और व्यय के परिणामस्वरूप देश को अधिक से अधिक लाभ पहुचे। प्रशासन के अन्य कार्यों पर भी कुछ विचार प्रगट किये जा सकते है।

५ पहली पचवर्षीय योजना मे सरकारी प्रशासन मे सुधार करने के अनक सुझाव दिये गये थे। केन्द्र ने अनेक सुझावो को क्रियान्वित किया है। योजना आयोग ने जिला विकास कार्यक्रमो के प्रशासन के बारे मे पूरी छानबीन की थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ की व्यवस्था से जिला प्रशासन मे काफी दृढता आई है। अब जिले और राज्य के स्तर के विकास कार्यो मे काफी समन्वय होने लगा है। अधिकाश राज्यो मे ग्राम स्तर के कार्यो मे विकास-अभिकरणो के रूप मे पन्चायतो पर विशेष भरोसा किया जाता है। ग्राम पचायतो की सख्या (योजना से पहले) ८३ हज़ार से बढ कर १९५५-५६ मे १ लाख १८ हज़ार पहुच जाएगी। दूसरी पचवर्षीय योजना मे ग्राम पचायतो की सख्या दो लाख तक पहुच जाने की संभावना है।

६ भारत सरकार ने मेट्रिक प्रणाली के आधार पर देश भर मे नाप तोल की समान प्रणाली स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आजकल देश के विभिन्न भागो मे नाप-तोल की अनेक प्रणालिया प्रचलित है। नाप-तोल का यह भेद विभिन्न क्षेत्रो तक ही सीमित नही। एक ही क्षेत्र मे विभिन्न वस्तुओ के लिए नाप-तोल की इकाइयो तक मे भेद है। यह भी देखा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रो मे मन और सेर की तोल मे भी फरक है। दैनिक जीवन के लेन-देन मे इस प्रकार नाप-तोल मे भेद गड़बडी और कठिनाइयाँ पैदा कर देता है। नाप-तोल मे मेट्रिक प्रणाली को अपनाने से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मापदण्ड निर्धारित करने मे सुविधा होगी और अनेक प्रकार के हिसाब किताब करने मे आसानी पड़ेगी। इस प्रकार के सुधार औद्योगीकरण के

आरम्भ में सरलता से हो जाते है। यह सुधार का काम १० से १५ साल के अन्दर पूरा हो जायगा। मेट्रिक प्रणाली अपनाने के लिये पहले यह निश्चय किया गया है कि दूसरी पचवर्षीय योजना-काल मे दशमलव प्रणाली का प्रयोग मुद्रा से आरम्भ किया जाय। इस बारे मे आवश्यक कानून स्वीकार कर लिया गया है।

प्रशासनिक और प्राविधिक संवर्ग

७ आवश्यक अमले के बिना कोई भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा नही किया जा सकता। प्रत्येक क्षेत्र मे अधिकाश कार्य दीर्घकालीन है और हर महत्वपूर्ण समस्या पर कई वर्ष तक लगातार ध्यान रखना लाजमी है। साधारण प्रणाली यह है कि अस्थायी तौर पर नये अमले को रख कर काम कराया जाता है। उचित सुरक्षा और सतोष की व्यवस्था किए बिना उन व्यक्तियो से साल-दर-साल काम लिया जाता है। इससे जन-शक्ति के साधन का ह्रास होता है। यह मान लेना उचित है कि देश के आयोजित विकास के साथ हर क्षेत्र में अमले की आवश्यकता बढेगी ही। इसलिए यह उचित जान पड़ता है कि दूसरी पचवर्षीय योजना के कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए स्थायी सवर्ग का निर्माण किया जाय। पहली पचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रमो तथा उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी मे इस सिद्धान्त को अपनाकर लाभ उठाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगो की सख्या बढाने की ओर भी कदम उठाए जा रहे है।

८. पचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारे विभिन्न स्तर पर प्रशासनिक अमले की आवश्यकता की छानबीन कर रही है। राज्यो की रिपोर्टो के आधार पर वर्तमान स्थिति मे विभिन्न सुझावो का स्वरूप निम्न प्रकार है :—

(१) प्रशासनिक अमले की समस्या पर दीर्घकालीन आवश्यकता को ध्यान मे रखकर विचार हो, जैसे १० वर्ष ,

(२) आवश्यकताओ का अनुमान लगाते समय उत्तरदायित्वो के उस सम्भावित विस्तार का भी ध्यान रखा जाय जिसे राज्य-सरकारो को करना पड़ेगा। यथेष्ट रक्षित शक्ति की आवश्यकता का भी ध्यान रखना होगा;

(३) विभिन्न सवर्गो की वृद्धि दीर्घकालीन और सम्भव हो तो स्थायी आधार पर हो ;

(४) विकास कार्यक्रम कलक्टर पर बोझा बढा रहे है। वे अपना काम उचित रूप से कर सके इसलिये उन्हे उचित सहयोग देने की जरूरत है। यह देखा गया है कि जिले को छोटी प्रशासनिक इकाइयों मे बाट देने से कलक्टर पर दिन-प्रतिदिन के नियमित कार्य का भार कम हो जाता है और विकास कार्यक्रमो को अच्छी तरह लागू करने मे सुधार होता है ;

(५) अधिकाश राज्यो मे प्रशासनिक अमले के प्रशिक्षण-कार्यक्रम सुदृढ हो रहे है और अब देहात विकास कार्य की भी शिक्षा दी जाने लगी है। इस बात

के लिए यह जरूरी है कि कुछ वर्ष तक चुने हुए अनुभवी अधिकारी अपने नीचे के अमले के प्रशिक्षण मे निजी देखरेख और रुचि का प्रदर्शन करे। शिक्षा के तरीको पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बात के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न राज्यो के बीच सूचनाओ और अनुभवों का लगातार आदान-प्रदान होता रहे।

९. पहली पचवर्षीय योजना काल मे यह अनुभव हुआ कि विकसित राज्यों में भी विकास कार्यक्रमों का साधारण विस्तार करते ही, खास कर ऊचे स्तर के प्राप्त प्राविधिक अमले पर, अधिक भार पड़ता है। यह बात विकास के सभी क्षेत्रो पर लागू है। कम विकसित राज्यो में इसका कभी-कभी बुरा असर पडता है। उदाहरण के तौर पर कई विभाग बिना डाइरेक्टर या उच्च अधिकारियो के ही रह जाते है। कुछ "ग" भाग के राज्यो मे प्राविधिक अमले की कमी, के कारण चाहे वह नीचे स्तर पर ही क्यो न हो, निर्धारित मात्रा मे व्यय न हो सका, और परिणामस्वरूप पहली पचवर्षीय योजना के लक्ष्यो को वहा पूरा नही किया जा सका। कुछ राज्यो मे औरों के मुकाबले प्राविधिक अमले की स्थिति अच्छी है। पहली पचवर्षीय योजना से जो महत्वपूर्ण शिक्षा मिली है वह यह है कि अधिकाश साधारण राज्य क्षेत्र मे इतने बड़े नही होते कि ऊची योग्यता के अमले की भर्ती वहा से हो सके, या उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था वहा की जा सके अथवा वे राज्य निरन्तर बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए सुरक्षित अमले दे सके। अतः राज्य के अमले की पूर्ति के लिए निम्न प्रकार के प्रबन्धो मे से किसी-न-किसी को सुविधानुसार अपनाना पडेगा—

(१) राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय सेवा सगठन;

(२) पहली पचवर्षीय योजना द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार केन्द्र और सहयोग देने वाले राज्यो का सयुक्त विकास सवर्ग।

(३) क्षेत्रीय आधार पर ऐसे सवर्ग की व्यवस्था जो आस-पास के राज्यो की जरूरतो को पूरा करे।

यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर हुए निर्णयो को ध्यान मे रख कर केन्द्रीय मन्त्रालयो और राज्यो से इस विषय पर परामर्श किया जाय।

१०. ग्राम और छोटे उद्योगो का क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए आरम्भ से ही अच्छा सवर्ग तैयार कर उसे पूरी तरह शिक्षित करना होगा। दूसरी पचवर्षीय योजना मे इन उद्योगो के विकास के लिए अच्छी रकम निर्धारित की गयी है। देश के आर्थिक ढांचे मे ग्राम और छोटे उद्योगों का विकास बहुत महत्व रखता है। अगर हमें वाछित परिणामो की प्राप्ति करनी है तो उस ओर उचित व्यवस्था करना जरूरी है।

सरकारी उद्यम

११. आधुनिक उद्योग, वित्त और व्यापार में अब सरकारी क्षेत्र का कार्य तेजी से बढ़ेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के कारण सरकार

पर अन्य बातों के साथ-साथ नये इस्पात कारखानो, कोयला खानो, भारी मशीन बनाने के कारखानो, खाद के कारखानो, बिजली के भारी सामान की तैयारी और तेल की खोज व विकास करने का उत्तरदायित्व आ जाता है। औद्योगिक विकास की भी अनेक ऐसी योजनाएं है जिनसे सरकार का अधिक सम्बन्ध है। औद्योगिक कारखानो और मशीनो के डिजाइन तैयार करने वाली सस्थाओ की व्यवस्था भी सरकार की ओर से होनी चाहिये । उद्योग विकास और नियमन कानून के अनुसार उद्योगो के लिए जो विकास परिषदे नियुक्त होंगी उनकी मदद के लिये अमले की जरूरत होगी। स्टेट बैंक आफ इडिया की स्थापना, जीवन बीमा का राष्ट्रीय-करण और सरकारी व्यापार सस्था की स्थापना का प्रस्ताव यह सकेत करता है कि सरकार को ऐसे अमले की जरूरत होगी जिसके बल पर वर्तमान काल के उत्तरदायित्व को ही नही, भविष्य मे आने वाले भारी उत्तरदायित्वो को सम्हालने के लिए तैयार रहना है।

१२ अभी हाल मे एक प्रस्ताव पर विचार हुआ है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगो की व्यवस्था के लिए औद्योगिक प्रबन्ध सवर्ग तैयार किया जाय जिस से व्यवस्थापक मिल सके। यह प्रस्ताव है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रो से अमले भर्ती किये जाए। नीचे स्तर पर ऐसी नौकरिया है जिनपर नियुक्त करके अमले को इस उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जाय कि वह आगे चल कर भारी-उत्तरदायित्व को सम्हाल सके। प्रथम अध्याय मे जिस आयोजित विकास की व्यवस्था की गई है और दूसरी पचवर्षीय योजना मे जिस औद्योगिक और खनिज विकास कार्य क्रम को पूरा करना है उसके लिए अमले के प्रश्न पर पहले से अधिक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना पडेगा। प्रस्तावित प्रबन्ध सवर्ग पर्याप्त बड़ा होना चाहिए जिससे केन्द्रीय सरकार की खास सीधी आवश्यकताओ की पूर्ति के साथ-साथ राज्य सरकारो के उद्योग विभागो के लिये उच्च स्तर के अमले मिल सके, क्योकि राज्यो मे विशेषकर छोटे, मध्यम और सहकारी उद्योगो मे कार्य बढने की सभावना है। प्राविधिक अमले के लिए अभी कोई सवर्ग स्थापित करने का प्रस्ताव नही है। केन्द्रीय मत्रालय इस प्रश्न पर विचार कर अपनी जरूरतो के अनुसार भर्ती और प्रशिक्षणका प्रबन्ध कर रहे है। व्यापार-प्रबन्ध की शिक्षा सुविधाओ के विकास का औद्योगिक विकास पर काफी प्रभाव पडता है। व्यापारिक प्रशासन मे छोटे अधिकारियो के प्रशिक्षणार्थ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली मे पाठ्य-क्रम चालू किये गये है। यह भी प्रस्ताव है कि प्रशासनिक स्टाफ कालेज की स्थापना की जाए जहा विभिन्न क्षेत्रों के उच्च अधिकारियो को व्यवस्था और प्रशासन कार्य पद्धति का अध्ययन कराया जाय। निकट भविष्य मे एक प्रबन्ध समिति की स्थापना की जाने वाली है और प्रमुख केन्द्रों मे उक्त सस्था की शाखाएं होगी।

१३. आजकल सार्वजनिक उद्यमो के प्रशासन के लिये ऐसी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां स्थापित करने का चलन हो गया है जिनकी सारी पूजी सरकार की होती है। सार्वजनिक उद्यमो की व्यवस्था के प्रश्नो पर लगातार विचार होता रहता है और हाल ही मे लोकसभा की अनुमान समिति ने इस बारे मे कुछ सिफारिशे की है। सरकारी उद्यमो के डाइरेक्टरो के बोर्डो के स्वरूप और एक प्रकार के उद्यमो के लिये समान व्यवस्था के प्रश्नों पर आजकल सम्बद्ध मन्त्रालय विचार

कर रहे हैं। प्रबन्ध प्रणाली के प्रश्नों और सार्वजनिक उद्यमो मे अमले विषयक नीतियों का सूक्ष्म तथा लगातार अध्ययन करना जरूरी है।

प्राविधिक अमला

१४. प्राविधिक अमले के बारे मे कार्यक्रमो के चालू करने से काफी पहले निर्णय कर लेना जरूरी है। आवश्यक अमले की जूरूरत कूतने के लिए कार्यक्रमो का पूरा-पूरा लेखा-जोखा न होने पर भी कभी-कभी सम्भावित माग पहले से ही कर देनी पडती है। भूतकाल मे अमले की खास कमी इसलिए महसूस नही हुई क्योकि विकास कार्यक्रम सीमित कोटि के थे। पहली पंचवर्षीय योजना की प्रगति के परिणाम स्वरूप अब शायद ही कोई ऐसा विकास क्षेत्र है जिसमे अमले की कमी कुछ हद तक महसूस न होती हो। मिसाल के तौर पर पहली योजना काल मे कुछ राज्यो मे कुशल अमले की कमी का अनुभव हुआ, जैसे इजीनियर, सर्वेयर, कृषि विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विभाग का अमला और प्रशिक्षित अध्यापक। विभिन्न क्षेत्रो मे अमले की स्थिति कुछ असतुलित भी थी। जैसे देश के किसी भाग मे तो एक खास प्रकार के अमले की बहुतायत थी और दूसरे क्षेत्र मे उसी की कमी। पहली और दूसरी योजनाओ की आवश्यकता के लिए योजना आयोग ने १९५३ के मध्य मे "जन शक्ति" का अध्ययन प्रारम्भ किया। कुछ क्षेत्रो मे तो प्रशिक्षण-सुविधाओ के विस्तार का कदम शीघ्र ही उठा लिया गया। द्वितीय योजना के प्रस्ताव तैयार करते हुए समस्त राज्यो और मत्रालयो ने विभिन्न श्रेणियो के बारे मे साल-दर-साल आवश्यकताओ का अनुमान लगाया है।

१५. कृषि, वन-विकास, पशु-चिकित्सा, सहकारिता, स्वास्थ्य अमले, अध्यापक और इजीनियरी के अमले के प्रशिक्षण की सुविधाओ के विस्तार के लिए जो कदम उठाये गये है उनका सक्षिप्त विवरण सम्बन्धित अध्यायो मे दिया गया है। उदाहरण के तौर पर चार नये कृषि-कालेज, चार पशु-चिकित्सा कालेज और छ मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कई वर्तमान सस्थाओ का विस्तार भी किया जाएगा। दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए इजीनियरिंग अमले की तैयारी के क्षेत्र मे जनशक्ति और प्रशिक्षण की समस्याए सम्भवत खास कठिनाई पैदा करे। योजना आयोग ने सितम्बर १९५५ मे इजीनियरिंग अमला समिति की स्थापना की थी और वह इस क्षेत्र की समस्याओ का अध्ययन कर रही है। उक्त समिति पहली पचवर्षीय योजना के अन्त मे सुपरवाइजरी और उच्च स्तर के इजीनियरिंग अमले की कमी को कूत कर दूसरी पचवर्षीय योजना मे मकान, सडक, रेल, सरकारी और निजी क्षेत्रो के कारखानो, खनिक, सिंचाई और बिजली के क्षेत्रो मे विकास के लिए सभावित आवश्यकताओ का अनुमान लगा रही है।

१६ इजीनियरिंग अमला समिति ने आगामी कई वर्ष तक की जरूरतो का ध्यान रखा है। केन्द्रीय मन्त्रालय और राज्य सरकारो की विस्तार योजनाओ तथा वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओ को ध्यान मे रखते हुए उक्त समिति ने अनेक अन्तरिम सिफारिशे की है। उन सिफारिशो में से मुख्य निम्न प्रकार है

(१) दूसरी योजना काल मे प्रशिक्षण सुविधाओ के बढ़ान के लिए जो भी प्रस्ताव

किये गये हैं उनके अतिरिक्त १,६६० इंजीनियरिंग स्नातकों और ५,७५० डिप्लोमा होल्डरों को तैयार करने की सुविधा होनी चाहिए;

(२) यह अतिरिक्त सख्या निम्न प्रकार से तैयार की जा सकती है—

(क) वर्तमान सस्थाओ की स्नातक तैयार करने की क्षमता मे २० प्रतिशत और डिप्लोमा प्रशिक्षण की क्षमता में २५ प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए;

(ख) १४ नये कालेज और ६२ इंजीनियरिंग स्कूल खोले जाए।

(३) ओवरसियरो की सहायतार्थ प्राविधिक सहायको का एक नया वर्ग खोला जाय जिसको खास कामो के लिए कम समय में प्रशिक्षण दिया जा सके;

(४) देश भर में सरकारी और निजी उद्योगो मे उम्मीदवारी और कारखानों मे प्रशिक्षण की व्यवस्था बडे पैमाने पर होनी चाहिए;

(५) विभागो की माग के अनुसार प्राविधिक अमले की भर्ती में जो आजकल देर होती है उसको कम किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ-लोक सेवा आयोग को और सुदृढ बनाना जरूरी है। आयोग को इजीनियरिंग अमले का एक रजिस्टर रखना चाहिए जिससे प्राविधिक जनशक्ति की माग आने पर उसको पूरा किया जा सके। यह उचित जान पडता है कि विभिन्न विभागो की अमले विषयक मांगो को एकत्र करके एक साल मे एक या दो बार इकट्ठा चुनाव कर लिया जाया करे; और

(६) "एक उच्च शक्ति निकाय" की, जिसे पर्याप्त अधिकार युक्त एक कार्यपालिका-सगठन का सहयोग प्राप्त हो, केन्द्र में स्थापना की जाए जो प्राविधिक जनशक्ति के सम्बन्ध मे नीति विषयक निर्णय किया करे। राज्य सरकारें भी प्राविधिक अमले की पूर्ति और माग के समन्वय के लिए उसी प्रकार की एजेंसियां कायम करें।

इन सिफारिशो पर विचार हो रहा है।

१७ दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रमो पर विचार करते समय एक पहलू की ओर ध्यान खीचना जरूरी है। उच्च वर्गीय अमले के प्रशिक्षण के लिए, चाहे वह इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक, भेषज या कृषि क्षेत्रीय हो, काफी धन और समय की जरूरत होती है, और यदि प्रत्येक राज्य अपने यहा की सस्थाओं मे अपनी पूर्ति के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करे, तब भी आवश्यक वित्त प्रबन्ध के अलावा यह स्पष्ट है कि आवश्यक सख्या मे प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राप्त करने मे देर लगेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान संस्थाओं के विस्तार को ऊँची प्राथमिकता दी जाय और निकट भविष्य मे ऐसी सुविधाजनक

प्रबन्ध किया जाय कि जिन पडोसी राज्यो में प्रशिक्षण की संस्थायें नही है, खास तौर पर उच्च स्तरीय अमले के प्रशिक्षण के लिए, उन मे प्रशिक्षण की सुविधाए जुटाई जाएं।

राज्यों में योजना संचालन व्यवस्था

१८ प्रथम पचवर्षीय योजना काल मे अनेक राज्यो ने उपयुक्त योजना-संचालन एककों का गठन कर लिया है। योजना और विकास के लिए उनके यहा पूरे समय अथवा लगभग पूरे समय काम करने वाले सेक्रेटरी मौजूद है। योजना विभाग के सेक्रेटरी विकास कमिश्नरो के उत्तरदायित्वो को निबाहते हुए राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना का कार्य देखते है। यह व्यवस्था काफी सफल सिद्ध हुई है। योजना सेक्रेटरियो की विभिन्न समितियो ने विभिन्न विभागो मे समन्वय की सुविधा पैदा कर दी है। सर्वोपरि निर्देशन का काम अधिकतर मन्त्रिमण्डलीय विशेष समिति करती है। दूसरी पचवर्षीय योजना काल में आयोजन का कार्य बढेगा और पेचीदा होता जायगा। अब तक राज्य-स्तर पर योजना विभागो का काम अधिकतर अनेक विभागो के काम का समन्वय करना था। अब इन विभागो का कार्य अधिकतर राज्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओ, वित्तीय और भौतिक साधनो, प्रशिक्षण कार्यक्रमो और राज्य के कार्यक्रमो की नीति का मूल्याकन करना होगा। नियोजन का स्तर, कुशल अमले की पूर्ति, योजना को कार्य-रूप देने के लिए भौतिक साधनो का जुटाना, छोटी बचतो का सगठन, कीमतो की गतिविधि और उपभोग्य वस्तुओ के सभरण के काम अधिक मात्रा मे राज्यो के आयोजन-क्षेत्र मे आ जायेगे। वार्षिक योजनाओ की तैयारी, आयोजन की प्रणाली में सुधार, विभिन्न कार्यक्रमो और राज्य की आर्थिक व्यवस्था की प्रगति का ठीक मूल्याँकन करने का उत्तरदायित्व भी योजना विभागो को ग्रहण करना होगा। ऐसी स्थित में यह ज़रूरी होगा कि राज्य सरकारे अपनी आयोजन इकाइयो को सुदृढ बनाये। दूसरी आवश्यक बात यह है कि राज्यो मे आकडा और आर्थिक विभागो के कर्मचारी योजना विभागों से निकट सम्पर्क रख कर काम करें।

राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं पर वार्षिक पुनर्विचार

१९ जैसा कि पहले सुझाव दिया गया था, आयोजित विकास के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के बारे मे विचार करते समय हमे कम से कम १५ वर्ष की अवधि का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी पचवर्षीय योजना को तैयार करते समय, जैसा कि सम्बन्धित अध्यायो में पता चलेगा, इस्पात और भारी उद्योगो के विकास, सिंचाई और बिजली, अमले के लिये योजना, शिक्षा योजना, खाद्य की पूर्त्ति और जनसख्या की वृद्धि के क्रम को कूतते समय दो या तीन योजना-कालो की सम्भावित आवश्यकताओ अथवा विकास पर ध्यान देना होगा। दीर्घकालीन योजना ऐसा परिप्रेक्षित प्रस्तुत कर देती है जिससे सतुलित विकास की प्राप्ति व आर्थिक और सामाजिक गतिविधि के बारे में निर्णय करते समय बडी सहायता मिलती है। थोडे काल, जैसे एक वर्ष, के लिए विस्तृत योजना तैयार करना जरूरी हो जाता है। पचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय एक ओर तो योजना के दीर्घकालीन स्वरूप को ध्यान में रखना होता है, और दूसरी ओर विस्तृत वार्षिक योजनाओं को, पचवर्षीय योजना उन निश्चित और स्पष्ट कार्यों पर हमारा

ध्यान केन्द्रित कर देती है जिनके लिये देश के साधन और शक्ति को संगठित करना है। पर किसी भी पचवर्षीय योजना का गठन और सचालन लचीले ढग पर होना चाहिये।

२०. पचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने मे लचीलापन आवश्यक भी है और लाभदायक भी। मशीनो और इस्पात के आयात तथा विदेशी विनिमय मे अस्थिरता और परिस्थितियो मे हेरफेर होते रहने के कारण किसी योजना का समय-समय पर पुनरावलोकन कर लेना अनिवार्य होता है। योजना जितनी ही लचीली होगी, उतनी ही हद तक नयी सूचनाओ, अनुभवो और नये प्राविधिक विकासो से लाभ उठाना सभव होगा। यह तो मानना ही होगा कि दीर्घकालीन योजनाओ और विकास कार्यक्रमो के लिए कई साल आगे के वायदे करने पडते है और इसके परिणाम स्वरूप थोडे काल के वायदो और अल्प समय की व्यवस्था वाली योजनाओ के लिये कम स्थान रह जाता है। इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि पचवर्षीय योजना के सामान्य ढाचे के अतर्गत साल-दर-साल खास और विस्तृत ढग पर योजनाओ को तैयार किया जाय। इस प्रकार कार्य चालू करने मे अनावश्यक सख्ती नही आयगी और अर्थनीति के हित मे आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेगे।

२१. वार्षिक योजनाओ मे होने वाले सम्भावित परिवर्तन और सामजस्य राष्ट्रीय योजना के उन्ही क्षेत्रो मे होगे जो खास कर केन्द्रीय सरकार की देखभाल मे है—जैसे उद्योग, खनिज, यातायात और बिजली। योजना के ढाचे के अन्तर्गत कुछ मामूली परिवर्तन राज्यो मे भी करने आवश्यक होगे। अत राज्यो के प्रतिनिधियो की सलाह से वार्षिक-पुनरावलोकन करने की उपयुक्त प्रणाली हाल ही मे तैयार करली गई है।

जिला-योजनाएँ

२२ दूसरी पचवर्षीय योजना के लिये अपने मसविदे तैयार करते समय राज्य सरकारो ने ग्राम, नगर और ज़िलो के लिए तैयार की गयी योजनाओ का ध्यान रखा था। अब राज्यो की योजनाओ के बारे मे तो मोटे तौर पर निर्णय कर ही लिये गये है, अत यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यक्रमो को अलग-अलग छाटा जाय जो ज़िला-योजना के अग बने और उन्हे मुख्यत राज्य स्तर पर ही पूरा किया जाय। लोकतन्त्रीय आयोजन के ढाचे मे जिले को धुरी बताना ठीक ही है। जिले के स्तर और ज़िले के अन्दर अन्य स्तरो की चालू योजनाओ पर इसीलिये जोर दिया जाता है कि राज्य और ज़िला योजनाओ को जहा तक सम्भव हो जनता के निकट तक ला दिया जाय, इन योजनाओ को प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र की ज़रूरी समस्या को सुलझाने का ऐसा साधन बनाया जाय जिसमे वहा की जनता भाग ले और सहकारिता के रूप मे स्वत अपनी मदद करे, तथा उक्त योजनाए पूर्ण प्रयास में सहायक होकर स्थानीय प्रेरणाशक्ति और नेतृत्व को विकसित होने का अधिकाधिक अवसर दें। अगर योजना के लोकतन्त्रीय उद्देश्यो की पूर्ति करनी है तो उत्साहपूर्ण स्थानीय आयोजन की परम आवश्यकता है। ज़िला योजना की एक खास बात यह है कि वह एक ऐसे समान कार्य-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जिससे बहुसख्यक जनता का कल्याण होता है और उस पर विचारों और अभिरुचियो की विभिन्नताओ का बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

२३. यह आवश्यक है कि राज्य के योजना कार्यक्रम से उन कार्यक्रमों को अलग कर ज़िलो को सौप दिया जाय जिनमें स्थानीय जनता सामूहिक रूप से काम कर के अपना विशेष योग दे सके। पर ज़िले की योजना के बारे मे यह न समझ लिया जाय कि वह पूर्व-निश्चित वित्तीय सीमाओ से खास तौर पर आबद्ध है। उस का वास्तविक महत्व इस बात में है कि वह आयोजन के एक विशिष्ट तरीके और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा पहले कहा गया है, ज़िला स्तर के विभिन्न विभागीय कार्यक्रमो को ऐसे समन्वय के साथ तैयार किया जाना चाहिए कि जनता की ज़रूरतों की पूर्ति और ज़िले के साधनों का ध्यान रहे। साथ ही योजना को ऐसे कार्यों के रूप मे प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिनको प्रशासन और जनता सयुक्त रूप से करें। ऐसी ज़िला योजना के मुख्य अग है :—

(१) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम,

(२) समाज कल्याण विस्तार योजनाए,

(३) कृषि उत्पादन कार्यक्रम और देहात विकास सम्बन्धी अन्य कार्य जैसे पशु-पालन, भूमि सरक्षण आदि,

(४) सहकारिता और ग्राम पचायत,

(५) स्थानीय विकास कार्य,

(६) समाज सेवा विषयक कार्यक्रम, खास तौर पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा का बिस्तार, स्वास्थ्य एकक, मलेरिया नियत्रण और परिवार नियोजन आदि,

(७) ऐसी योजनाए जिनमे निम्न कारणों से विकसित हुए साधनों का उचित प्रयोग हो सके—

(क) बडी योजनाए जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क, सड़क परिवहन, सचार-साधन, औद्योगिक कार्य आदि,

(ख) नई प्रशिक्षण संस्थाए, और

(ग) नई सेवाए जैसे ग्राम, छोटे उद्योग और पिछडी जातियो आदि की मदद के लिए,

(८) छोटी बचत के कार्यक्रम, और

(९) नशा बन्दी।

२४. अधिकाश राज्यो मे पहली योजना काल में ज़िला विकास समितियों की स्थापना कर दी गयी थी। विभिन्न राज्यो मे इन ज़िला विकास समितियों के गठन में भिन्नता है। नियम के अनुसार इन समितियो मे ज़िला बोर्डों के प्रतिनिधि, ज़िले के संसद और राज्य विधान मडल के सदस्य और प्रमुख सामाजिक कार्य-कर्ता सदस्य के रूप में लिए जाते है। ज़िला स्तर पर इस व्यवस्था का रूप क्या हो इसका निर्णय राज्य सरकार स्थानीय हालतों को देख कर करती है। किसी-न-किसी प्रकार की ज़िला विकास परिषदों अथवा

यह उद्देश्य तब ही सर्वोत्तम रूप से पूरा होता है जब प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता है कि वह अपने समय और शक्ति का कुछ भाग अपने समुदाय के हित में लगाए। लोकतन्त्रीय सहकारी विकास का यही तरीका है। राष्ट्रीय विस्तार सगठन का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि वह जन शक्ति के उचित उपयोग की व्यवस्था करे, विशेष कर देहाती क्षेत्रो मे, जिससे समुदाय को समष्टि रूप से लाभ पहुचे। यह काम कई तरह से हो सकता है, जैसे, ग्रामों मे सडके बनाना, ईंधन के लिए वृक्षारोपण, तालाब, पानी की व्यवस्था और गदे पानी का निकास, तथा छोटे सिंचाई कामो को कायम रखना। जहा भी बडे काम जारी किये जाये, जैसे सिंचाई योजना, तो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना के अमले को गैर सरकारी नेताओ की मदद से पहल करके नहर-प्रणाली और तत्सम्बन्धी हलचलो में दिलचस्पी लेने वाले ग्रामो मे श्रमिक सहकारी सस्थाओ का गठन करना चाहिए। यह बात सडक और अन्य योजना-कार्यों पर भी लागू होती है। इससे योजना-कार्यों में भाग लेने के लिए लोगो को प्रोत्साहन मिलेगा। काम के अवसरो की वृद्धि होगी। साथ ही स्थानीय जनता को योजना कार्यो मे होने वाले भारी व्यय का लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक दशा सुधरेगी।

ऐच्छिक श्रम और स्थानीय जन शक्ति साधनो को जुटाने से कई क्षेत्रो मे लक्ष्य-पूर्ति मे सहायता ही नही मिलेगी बल्कि लक्ष्य से काफी अधिक लाभ भी मिल सकेगा। इन दिशाओ मे सहकारी प्रयत्नो के बड़े अवसर दूसरी योजना मे रहेंगे।

२७ कालेज और स्कूलो के छात्र-छात्राए राष्ट्रीय विकास के कार्य मे अधिकाधिक भाग ले रही है। पहली पचवर्षीय योजना में युवक शिविरो और श्रम सेवाओ के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। शिक्षा मत्रालय की प्रेरणा से अक्तूबर १९५५ तक ७९५ युवक शिविरो की व्यवस्था की गई जिनमें ६६ हजार युवको ने भाग लिया। इन शिविरो से श्रम की प्रतिष्ठा की भावना विकसित होती है, नये क्षेत्रो की ओर रुझान होता है और समुदाय के विभिन्न अग परस्पर समीप आते है। इस ओर नेशनल केडेट कोर ने अच्छा काम किया है। कोर के सीनियर डिवीज़न में ४६,००० और जूनियर मे ६४,००० युवक है। लडकियों के डिवीज़न की सख्या ८,००० है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सस्थाओ के ३,००० अध्यापक और शिक्षण सस्थाओ के अन्य व्यक्ति भी इसमे शामिल है। सहायक केडेट कोर की शक्ति अब ७५०,००० है। भारत स्काउट और गाइडसंस्था में ४३८,४०५ स्काउट और ६१,११८ गाइड है। पहली योजना के आरम्भ से इसमे ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत सेवक समाज ने लगभग ५०० युवक और विद्यार्थी शिविरों की व्यवस्था की जिनमें लगभग ४० हज़ार युवको ने भाग लिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए इन समस्त संस्थाओ ने अपने विकास के बड़े कार्यक्रम बनाये हैं। राष्ट्र के निर्माण में युवको और छात्रो को अभूतपूर्व योगदान देना है और योजना का भी यह उद्देश्य है कि उनको सेवा और सहयोग का अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। योजना आयोग ने भी दूसरी पचवर्षीय योजना के निर्माण में छात्रो और अध्यापको का पूरा सहयोग पाने की चेष्टा की है। योजना आयोग के सुझाव पर अनेक विश्वविद्यालयों और अन्य सस्थाओ में आयोजन-गोष्ठियो का गठन हो रहा है,

जिनमें अध्यापकों और विद्यार्थियो को राष्ट्रीय विकास की समस्याओं पर विचार करने तथा अपने सुझावो को योजना आयोग, राज्य सरकारो और स्थानीय अधिकारियो के पास भेजने का मौका मिलता है। योजना गोष्ठियो के सदस्य ऐच्छिक श्रम सेवा के कार्यक्रमो की व्यवस्था करते है।

२८ पहली पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सेवक समाज नाम से एक गैर-राजनीतिक और गैर-सरकारी संस्था की स्थापना हुई है जो रचनात्मक काम के लिए राष्ट्रीय मच बन गई है। अब इसकी ३१ प्रदेश, और २२९ जिला शाखाओं के अतिरिक्त तहसील, ताल्लुका नगर और ग्राम शाखाए है। सप्ताह मे ५ घटा समाज सेवा के लिए देने वाले सदस्यो की सख्या ५०,००० तक पहुच गई है। कुछ सख्या मे पूरा समय काम करने वालो के अतिरिक्त भारत सेवक समाज मे काम करने के लिए अवसर प्राप्त और अनुभवी कर्मचारियो ने सहयोग दिया है। अब भारत सेवक समाज, समाज शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, श्रमिक सहकारी सस्थाओ, कार्य केन्द्रो, युवक शिविरों, सूचना केन्द्रो और सास्कृतिक हलचलो की व्यवस्था करता है। अपना काम करने के साथ-साथ भारत सेवक समाज समाज सेवा करने वाली अन्य सस्थाओ को सहयोग भी देता है। शिविर नेताओ के प्रशिक्षण के लिए विशेष शिविरो की व्यवस्था की गयी है। कुछ शिविरो की व्यवस्था शिक्षा विभागो और विश्वविद्यालयो के अधिकारियो की ओर से की गयी है। समाज ने भारत युवक समाज नाम की नयी सस्था चालू की है। भारत युवक समाज ने जिन हलचलो मे भाग लिया उनमे कोसी योजना का १६½ मील लम्बा बाध बनाना, यमुना बाध पर काम, सहकारी सस्थाओ की स्थापना, अल्प बचत आन्दोलन और स्थानीय विकास कार्यों मे सहयोग देना उल्लेखनीय है।

२९ ग्राम योजनाओ को तैयार कराने मे जनता ने सर्वत्र बडी रुचि दिखलाई है और वे योजना के परिणाम स्वरूप आने वाले उत्तरदायित्वो को सभालने को तैयार है। स्थानीय विकास कार्यों के लिये दूसरी योजना मे १५ करोड़ रुपया रखा गया है तथा जन सहयोग पाने की व्यवस्था के लिए ५ करोड रुपया। अधिकाश कार्यक्रमो मे जनता से कम या अधिक मात्रा मे सहयोग पाने के अवसर की व्यवस्था है। जिन क्षेत्रो मे जन सहयोग से साधनो की भौतिक वृद्धि हो सके और लक्ष्य की प्राप्ति मे सहायता मिले उनकी ओर केन्द्र और राज्यो की सम्बधित एजेंसियो को विशेष ध्यान देना चाहिए तथा जन सहयोग नियमित और निरन्तर रूप मे लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

३० केवल ग्राम समूहो और स्वेच्छा से सूचालित सस्थाओ के बल पर ही जन सहयोग पाने की चेष्टा न की जाय। जैसा कि प्रथम पचवर्षीय योजना मे सुझाव दिया गया था, राज्य सरकारो को स्थानीय अधिकारियो का, चाहे वे देहाती हो या शहरी, अपने अभिकरणो के रूप मे अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहिए। स्थानीय अधिकारियो को चाहिए कि वे सेवा सस्थाओ और सामाजिक कार्यकर्ताओ का सहयोग पाने की चेष्टा करे। पेशो का प्रतिनिधित्व करने वाली सस्थाओ जैसे डाक्टरो, वकीलो, अध्यापको, प्राविधिको और प्रशासको से सामुदायिक कल्याण की वृद्धि मे महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। विश्व-

विद्यालयों, शिक्षा संस्थाओ और युवक संस्थाओ ने कल्याण कार्यक्रमो मे उत्साहवर्धक सहयोग दिया है और नेतृत्व किया है । दूसरी पचवर्षीय योजना मे उपर्युक्त व अन्य सम्भावनाओ का पूरा विकास करना चाहिए ।

३१ श्रम के रूप मे सहयोग देने के अतिरिक्त छोटी बचत का आन्दोलन हर नागरिक को ऐसा अवसर देता है, जिस मे अपनी स्थिति के अनुरूप सहयोग देकर राष्ट्रीय योजना की सफलता मे हाथ बटाया जा सकता है। जिस पैमाने पर दूसरी पचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जा रही है उसके लिए यह आवश्यक है कि समुदाय के साधनो को पूरी तरह पर सगठित किया जाय। विस्तृत सीमा मे फैले हुए छोटे-छोटे प्रयास राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास की गति को बढाने मे महान सहयोग दे सकते है। पहली योजना मे छोटी बचत का लेखा-जोखा उत्साहवर्धक है, पर दूसरी योजना मे उससे भी अधिक काम करना है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाओ का एक उद्देश्य यह भी है कि देहात के प्रत्येक परिवार तक उसका असर पहुचे और बचत को प्रोत्साहन देकर देश भर के शिक्षित स्त्री-पुरुष विशेष क्षेत्रो के समस्त परिवारो से लगातार सम्पर्क बनाए रख कर उनको छोटी बचत आन्दोलन मे नियमित रूप से कुछ-न-कुछ योगदान देने की प्रेरणा देते रह कर योजना की सफलता मे सहयोग दे सकते है । गत तीन वर्षो मे महिलाओके बचत आन्दोलन मे जो काम हुआ है वह ऐसा है जिसका अनुकरण सर्वत्र किया जा सकता है । देश की प्रत्येक सस्था के कार्यों का एक मुख्य अग यह भी होना चाहिए कि उनसे छोटी बचत आदोलन मे व्यावहारिक और लगातार सहयोग मिले ।

योजना का प्रचार

३२. सामुदायिक सहयोग और उसके परिणामो के कारण पहली पचवर्षीय योजना बड़ी सख्या मे लोगो तक पहुच गई है। फिर भी देश की जनसख्या के अनुपात मे वह कम है । इस बात को ध्यान मे रख कर पहली पचवर्षीय योजना मे सूचना व प्रसार मत्रालय तथा राज्यो के सहयोग से जो सम्मिलित प्रचार का कार्यक्रम बना है उसके लिए ७ करोड रुपये रखे गये है। कार्यक्रम के अनुसार देश भर मे सूचना-केन्द्रो की लड़ी स्थापित की जायगी तथा प्रचार-साहित्य, फिल्म, चलती-फिरती गाड़ियो, प्रदर्शनियो, सामुदायिक रेड़ियो सैटो और पुस्तको तथा पत्रिकाओ की व्यवस्था होगी । 'योजना' नाम की एक नयी पत्रिका निकालने का विचार है जिसके द्वारा योजना के उद्देश्यो और महत्व को देश भर की सहकारी सस्थाओ, पचायतो, अन्य सस्थाओ, सरकारी नौकरो, गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओ आदि तक पहुचाने का प्रयत्न किया जायगा ।

पाँचवाँ अध्याय

सहकारिता का विकास

सहकारिता और राष्ट्रीय योजना

जनतान्त्रिक आधार पर आर्थिक विकास से सहकारिता को उसके विविध रूपों मे प्रयोग मे लाने का विस्तृत क्षेत्र मिलता है। समाज के समाजवादी ढाचे का अर्थ है—कृषि तथा उद्योग दोनो के क्षेत्र मे विकेन्द्रीकृत बहुसख्यक सस्थाओ का निर्माण। ये छोटी सस्थाए मुख्यत. एकत्र होकर ही अपने बड़े आकार और सगठन का लाभ उठा सकती है। सामाजिक परिवर्तन पर बल देने के साथ भारत मे, आर्थिक विकास जो स्वरूप ग्रहण कर रहा है, उससे सहकारिता सम्बन्धी गतिविधि के सगठन के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत होता है। इसलिए आयोजित विकास के एक अग के रूप मे सहकारी क्षेत्र का निर्माण हमारी राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उद्देश्यो मे से एक है।

२. जिन कार्यों मे सहकारिता के सिद्धान्त को प्रयोग मे लाया जा सकता है, उनके क्षेत्र का सीमा-बन्धन इस तथ्य के आधार पर किया गया है कि कोई भी सहकारी सस्था इतनी उचित रूप मे छोटी हो, जिससे उसके सदस्य एक-दूसरे को जान तथा परस्पर विश्वास कर सके। किन्ही विशिष्ट उद्देश्यो की पूर्ति के लिए छोटी सहकारी सस्थाओ को मिला कर बड़ा रूप दिया जा सकता है और वस्तुत. देना पड़ता है, परन्तु सहकारिता की शक्ति अपेक्षाकृत छोटी-छोटी और एक ही प्रकार की सस्थाओ से मिलती है, क्योकि वे बड़ी चुस्ती से काम करती है। यदि शुरू मे मजबूत प्राथमिक सहकारी सस्थाए बनायी जाय, ता उच्च स्तर पर प्रभावशील सगठन का निर्माण किया जा सकता है, तब वह सारा सगठन अपने ऊपर कार्यभार ले सकता है, और ऐसी सेवाए भी प्रदान कर सकता है जिनके लिए बड़े-बड़े साधनो और सगठन की आवश्यकता है, इस दृष्टि से जिन क्षेत्रों के लिए सगठन की सहकारी पद्धति विशष रूप से उपयुक्त हैं, वे है—कृषि सम्बन्धी ऋण, माल की बिक्री तथा वस्तुशोध, ग्रामीण क्षेत्रो मे सब प्रकार का उत्पादन, उपभोग्य सहकारी स्टोर, कारीगरो की सहकारी संस्थाए तथा सहकारी निर्माण समितिया। इन क्षेत्रो मे सहकारिता का उद्देश्य यह है कि सहकारिता आर्थिक गतिविधि के संगठन का अधिकाधिक मुख्य आधार बन जाय।

इसका अर्थ यह भी है कि नयी आर्थिक गतिविधियां सहकारी आधार पर सगठित की जानी चाहिएँ, और वर्तमान आर्थिक गतिविधियो को भी क्रमश सहकारिता के अन्तर्गत ले आना चाहिए ।

३. जिन क्षेत्रो के लिए सहकारिता उपयुक्त बैठती है, उनमे सगठन के सहकारी रूप के इतने लाभ है जितने न तो निजी उद्योगो के क्षेत्र मे है, और न सरकारी उद्योगो के । विशेष कर यह समान रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान कर समाज को मूल्यवान लाभ पहुचाने का एक साधन है । जहा-जहा सहकारिता सफल होती है, समाज को बहुत लाभ पहुचता है, परन्तु इसके साथ जो मानवीय कारण सलग्न है, वे पेचीदा है और कुछ अश मे समाजवादी अथवा व्यक्तिगत उद्योग की अपेक्षा सहकारी उद्योग मे सफलता कही अधिक कठिन है । इसलिए राष्ट्रीय विकास की योजनाओ में इसके लिए निर्धारित क्षेत्रो मे सफलता प्राप्ति के लिए प्रभावकारी उपाय बरतना आवश्यक है ।

४ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण की रिपोर्ट मे इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है । उसमे जो सुझाव दिए गए है मुख्यत: उन्ही को आधार बनाकर दूसरी पचवर्षीय योजना मे सहकारिता के विकाससम्बन्धी कार्य-क्रम रखे गए है । ऐतिहासिक कारणो से गत पचास वर्षों से सहकारिता का अधिकाश विकास ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋण की व्यवस्था के रूप मे हुआ है । उचित शर्तों पर उचित ऋण की व्यवस्था निश्चय ही सहकारिता का एक अत्यन्त प्रमुख अग है, पर इस आन्दोलन के और विस्तृत तथा दूरग्रामी उद्देश्य है । सहकारिता मे मुख्य इकाई गाव है । सहकारिता के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में तीन बातो पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है । प्रथम तो यह कि ऋण व्यवस्था सहकारिता का आरम्भ मात्र है । इससे आगे बढकर सहकारिता को गाव की और बहुत सी प्रवृत्तियो को अपने अन्तर्गत लेना होता है। सहकारिता के आधार पर खेती भी इसमे सम्मिलित है । सहकारिता में विकास के कठोर नियम नही बनाए जा सकते, और अनुभव ही प्रत्येक अगले कदम को निर्धारित करता है । दूसरी बात यह है कि गाव के प्रत्येक परिवार को कम-से-कम एक सहकारी सस्था का सदस्य अवश्य होना चाहिए । तीसरी बात यह है कि सहकारी आन्दोलन को अपना यह लक्ष्य बना लेना चाहिए कि गाव का प्रत्येक परिवार ऋण लेने योग्य हो जाय । इस समय जिन क्षेत्रो मे सहकारिता आन्दोलन सबसे अधिक जोर पर है, वहा भी केवल तीस या चालीस प्रतिशत परिवार ऐसे है, जो ऋण सम्बन्धी शर्तों को पूरा कर सकते है । यदि गाव के सब परिवारो की आवश्यकताओ को पूरा करना है, तो प्रारम्भिक सहकारी सस्था और ग्राम पचायत को मिल कर काम करना होगा । इसलिए प्रारम्भिक सस्था के रूप का निर्धारण करते हुए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि एक तो संस्था इतनी बडी अवश्य हो कि वह एक प्रबन्ध समिति की व्यवस्था कर सके और दूसरी ओर वह इतनी बड़ी भी न हो कि प्रबन्ध समिति परिवारों से सम्पर्क न रख सके और उनके पुनर्वास का भार न उठा सके । सामाजिक

सहयोग तथा सहकार्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहकारी संस्थाएं ग्राम पचायतो की तरहे सस्थाओ के रूप में काम करती है। जिस देश के आर्थिक स्वरूप की जड गाव में है, उसके लिए सहकारिता का मूल्य सहकारी आधार पर सगठित गतिविधियो से कुछ अधिक है। मूलत इसका उद्देश्य सहकारी समाज-सगठन की एक ऐसी पद्धति का निर्माण है, जो जीवन के सब रूपो से सबध रखती हो। ग्राम समाज मे ऐसे लोग भी होते है, जिन्हे विशेष सहायता की जरूरत होती ही है। इसलिए सहकारिता का यह अर्थ होना चाहिए कि वह ग्राम समाज के सब परिवारो के प्रति कर्तव्य निभाए, और समस्त ग्राम के सार्वजनिक हित मे भूमि तथा अन्य साधन स्रोतो और सामाजिक सेवाओ का विकास करे।

ग्राम विकास का रूप

५. आगामी दस-पन्द्रह वर्षों मे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को जिस रूप मे सगठित और विकसित होना है, वह विभिन्न क्षेत्रो मे सामाजिक और आर्थिक नीतिया निर्धारित करने की दृष्टि से एक अत्यत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदाहरण के लिये भविष्य मे जिस प्रकार की ग्राम्य अर्थ व्यवस्था के विकास की कल्पना की जा रही है, उससे भूमि सुधार की योजना, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में ग्रामोद्योगो का स्थान, सहकारी आन्दोलन का सगठन, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो के बीच सम्बन्ध, औद्योगीकरण के कार्यक्रम मे छोटे उद्योगो का भाग और सतुलित आचलिक विकास के विचार के प्रयोग का बहुत निकट का सम्बन्ध है। सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय योजना तथा उन परिवर्तनो के बीच की एक कडी है, जिनकी प्राप्ति की चेष्टा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम में समुदाय का अर्थ है वे परिवार जो ग्राम नामक सामाजिक इकाई के अग है। इसलिए सामुदायिक योजना, उसमे सम्मिलित सब ग्राम समुदायो के एक सुसम्बद्ध और सुआयोजित विकास के कार्यक्रम का ही एक नाम है। इस समय जो बहुत से विकास कार्यक्रम चालू है, उनकी सफलता को मापने का सच्चा मापदण्ड तो वे सामाजिक परिवर्तन और वह आर्थिक प्रगति है जो ग्रामो मे हुई है। सहकारिता के आधार पर ग्राम के पुनर्निर्माण का अर्थ प्रथमत तो यह है कि इस प्रकार के एक समरूप सामाजिक ढाचे का निर्माण हो जिसमे समाज के सब वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो और दूसरे यह कि ग्रामीण जीवन के आर्थिक आधार को खूब व्यापक और मजबूत बनाया जाय। भूमिसुधार, ग्रामोद्योग के विकास, ग्राम पचायतो की स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाओ तथा अन्य कार्यक्रमो पर, इन्ही दो मूल उद्देश्यो को दृष्टि मे रखकर विचार करना होगा।

६. ग्राम समाज के सब वर्गों को समान स्थिति और समान अवसर प्राप्त हो इसके लिए निश्चय ही पहला कदम यह होगा कि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध मे वर्तमान असमानता को दूर कर दिया जाय। खेतिहरो को सरक्षण प्रदान करना, और जिस भूमि को वे जोतते है, उन्हे उसके स्वामी बनने की सुविधायें प्रदान करना तथा प्रति व्यक्ति अधिकतम कृषि के योग्य भूमि की सीमा निर्धारित करना, ये ठीक दिशा में कदम है, परन्तु ये प्रारम्भिक कदमों से अधिक कुछ नही है। ग्राम समाज के अधिकाश लोग भूमि-विहीन तथा काम के उचित अवसरो से वचित है। आर्थिक विकास ज्यो-ज्यों बढ़ता जायगा, ग्रामीण जनता का अधिकाधिक भाग शहरो मे काम के लिये जाता जायगा। जितनी कल्पना की जा रही है उससे भी तेज गति

सेयदि शहरी क्षेत्रों मे काम मिलने के अवसर बढ गये तो भी भूमि पर बहुत दबाव बना रहेगा, क्यो कि ग्रामों मे रहने वाले अधिकाश मजदूरो के लिये भूमि से ही काम दिलाने की व्यवस्था करनी होगी और उनके लिये ऐसे व्यवसायो का प्रबन्ध करना होगा जो ग्रामीण क्षेत्रो मे पनप सकते है।

७ इसलिए राष्ट्रीय योजना को जिन महत्वपूर्ण प्रश्नो की ओर ध्यान देना है, उनमे से एक उस पद्धति और अभिकरणो से सम्बन्धित है, जिनके द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत नये काम शुरू किये जाने वाले है। आर्थिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने मे औद्योगीकरण और विशेष कर मूल उद्योगो के विकास का बहुत बडा भाग होता है, परन्तु ग्रामो में जो प्राप्य जन शक्ति है, उसके उपयोग और काम पर लगाने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रो मे काम के अवसर मिलने तथा उनको कायम रखने मे इस औद्योगीकरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव कुछ विशेष कारगर नही होगे। यदि छोटे उद्योगो के लिये क्षेत्रो की व्यवस्था का सक्रिय प्रयत्न किया जाय तथा देश के विभिन्न भागो मे सतुलित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओ को दृष्टि मे रखते हुए बडे उद्योगो के स्थान का निर्धारण किया जाय तो ग्रामीण समस्या का हल अधिक सरल हो जायगा। इस आधार पर क्रियान्वित राष्ट्रीय नीतियो से जो अवसर प्राप्त होगे, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था द्वारा उसका लाभ उठा सकने के लिये ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था मे भी कुछ परिवर्तन करने होगे।

८. औसत गाव मे दो मुख्य चीजे होती है—भूमि और जनशक्ति। भूमि की उत्पादन शक्ति को सिचाई, राष्ट्रीय विस्तार अथवा अन्य उपायो से बढ़ाने के लिये ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था मे विस्तार की गुजाइश रखी गई है। परन्तु यदि विशेष रूप से सहायता प्राप्त भूमिखण्डो की बात छोड़ दी जाय तो कृषि सम्बन्धी ढाचे के पुनर्गठन के बिना ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मे पूरा काम न मिलने की समस्या बहुत बड़े रूप मे बनी रहेगी। राष्ट्रीय विकास को योजना मे एक एक ग्राम को योजना की इकाई के के रूप मे रखना होगा। बहुत से उद्देश्यो के लिये एक एक ग्राम को अपेक्षा ग्राम समुदाय योजना की अधिक अच्छी इकाइया बन सकेगी। तथापि प्रारम्भिक सगठन तो ग्राम स्तर पर ही करना होगा। सहकारी ग्राम व्यवस्था को ग्राम्य अर्थ व्यवस्था का एक लक्ष्य बनाने के पीछे यही कारण है।

९. सहकारी ग्राम-व्यवस्था की प्रथम बात तो यह है कि उसमे भूमि का स्थायी मालिक किसान होता है। भूमि-सुधार के साथ ग्राम समाज मे भू-स्वामियो की सख्या बढ़ेगी और भू-स्वामित्व सम्बन्धी असमानताए बहुत कम हो जायेगी। कारीगरो तथा कृषि से भिन्न कार्यों मे लगे अन्य लोगो को छोड़ कर कृषक समाज मे एक ऐसा वर्ग रहेगा जो कृषि पर तो आश्रित रहेगा पर भूस्वामी नही होगा। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या है जिसका हल ढूढना होगा—विशेषकर इसलिये, जैसा कि पहले भी सकेत किया जा चुका है कि वे तथा और बहुत से छोटे भूस्वामी ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था पर एक भार बने रहेगे। इसलिये सहकारी ग्राम व्यवस्था का दूसरा रूप यह है कि वह भूमि तथा ग्राम के साधन स्रोतो के विकास और समस्त ग्राम समाज के लिये काम के नये अवसरो की खोज को अपना उद्देश्य बनाती है। दूसरे शब्दो में समाज इस बात का जिम्मा लेता है कि वह कृषि तथा कृषि से भिन्न क्षेत्रो मे उन सब लोगों के लिये लाभजनक काम की व्यवस्था

करेगी जो काम की तलाश मे है और जो कोई भी काम मिले, करने को तैयार हैं।

१०. कृषि तथा कृषिभिन्न क्षेत्रो में विभिन्न कार्यों की व्यवस्था के लिये ग्राम की अर्थ-व्यवस्था को स्वयं नये तरीके ग्रहण करने होगे। इस प्रकार भावी प्रगति के लिये कार्यविधि मे शीघ्र परिवर्तन—जिसमे बिजली और अन्य उन्नत साधनो का उपयोग भी शामिल है—एक आधारभूत बात है। जब तक छोटी कृषि भूमि—जिस से अधिकतर कोई आर्थिक लाभ नही तथा जो टुकडो-टुकडों में बंटी होती है—कृषि व्यवस्था की इकाई बनी रहती है तब तक काम के ढाचे को अधिक समृद्ध और विविध बनाने के लिये ग्राम्य अर्थ व्यवस्था के विस्तार की संभावनाएं सीमित रहेगी। व्यवस्था की इकाई और 'काम' की इकाई मे भेद किया जाना चाहिये। जहा व्यवस्था की इकाई एक अधिक व्यापक क्षेत्र अथवा समस्त ग्राम हो जायगा वहा अनेक वर्षों तक काम की सामान्य इकाई किसान का खेत ही बना रहेगा। यदि ग्राम योजना की इकाई है तो अधिक अच्छे बीज के प्रयोग, सम्मिलित खरीद और बिक्री, भू-सरक्षण, पानी के प्रयोग तथा स्थानीय निर्माण आदि कामो में सहकारिता से काम लिया जा सकता है।

११. सहकारी ग्राम-व्यवस्था के सक्राति काल में ग्रामो मे जमीन की व्यवस्था तीन विभिन्न तरीको पर की जायगी। प्रथम ऐसे व्यक्तिगत खेतिहर होगे जो अपने ही खेतो मे काम करेगे। दूसरे, खेतिहरो के ऐसे समुदाय होगे जो अपने ही हित मे स्वेच्छा से अपने खेतो को सहकारी कार्य-सस्थाओ मे दे देगे। तीसरे, कुछ भूमि ऐसी होगी जो सारे ग्राम समाज की होगी। इसमें गाव की साझी भूमिया, ग्रामस्थान, ग्राम कृषि योग्य पड़ती जमीने तथा वे जमीने होगी जिनका स्वामित्व अथवा जिनकी व्यवस्था प्रत्येक के लिये अधिकतम कृषि भूमि की व्यवस्था के बाद ग्राम के हाथ मे आ जायगी, इसके अतिरिक्त इसमे वे भूमिया भी होगी जो भूमिहीनों की बसावट के लिये उपहार के रूप मे दी जायगी। इस प्रकार ग्राम की भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत देखने को मिलेगा—एक व्यक्तिगत क्षेत्र, ऐच्छिक सहकारिता क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्र। इन क्षेत्रों मे क्या अनुपात रहेगा यह तो उनके विकास और निश्चित योजना पर निर्भर करता है। उद्देश्य यह होगा कि सहकारिता क्षेत्र को तब तक बढाया जाय जब तक ग्राम की समस्त भूमि की व्यवस्था ग्राम समाज की सहकारी जिम्मेदारी नही बन जाती। ऋण, माल के बाजार तथा वस्तु शोध की व्यवस्था के सहयोग से उत्पादन मे भी सहकारिता बढ़ेगी। ये सब कार्य परस्पर सम्बद्ध है। जिन कार्यों को सगठित करना अधिक सरल होगा, स्वभावत पहले उन्हे हाथ मे लिया जायगा। सहकारिता अपने सब रूपों में और सब क्षेत्रो में एक स्वागत योग्य चीज है, क्योकि सहकारिता की आदत तथा दृष्टिकोण भी उतनी ही महत्वपूर्ण चीज है जितने वे रूप जिनके द्वारा वह आदत प्रकाश में आती है।

१२. जहां सहकारिता सगठन का एक सिद्धान्त है, वहा ग्राम में पथ-निर्देश तथा नेतृत्व का काम पचायत करती है। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम, भूमिसुधार और भूमि व्यवस्था के क्षेत्रों में पंचायत के जिम्मे महत्वपूर्ण काम रखे गये है। इसलिये सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमो मे पचायत का विकास एक आधारभूत चीज है। ग्राम-अर्थ-व्यवस्था मे पंचायत के काम ज्यों-ज्यों बढ़ते जायेंगे और ग्रामीण जनता जीवनमान को उन्नत करने

के लिये सहकारिता द्वारा प्रदत्त अवसरो का लाभ उठाती जायगी, त्यो-त्यों स्थानीय जनमत और नेतृत्व उससे अधिक तेजी से सहकारी ग्राम-व्यवस्था के पक्ष मे बढता जायगा जितना पहले सभव प्रतीत नही होता था। राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमो में सहयोग से ग्रामीण जनता को स्थिति का नवीन ज्ञान होगा और वे परिवर्तन के लिये अपने मन को तैयार कर सकेगे।

१३ जब एक बार सहकारी ग्राम-व्यवस्था इस स्थिति पर पहुच जायगी तो जिनके पास जमीन है और जिनके पास नही है उनमे अन्तर बहुत नही रह जायगा। तब वास्तविक अन्तर उन विभिन्न हुनरो वाले कार्यकर्ताओ मे प्रतीत होगा, जो कृषि तथा कृषि-इतर दोनो प्रकार के विभिन्न कामो मे लगे होगे। कृषि, व्यापार तथा ग्रामोद्योग से ग्राम समाज को जो साधन स्रोत प्राप्त होगे, उन्हे ग्राम के बाहर तक फैले कार्यो मे सहयोग तथा ग्राम के अन्दर कार्य के द्वारा उत्पादन तथा रोजगार मे अधिकतम वृद्धि करने के उपयोग में लाया जायगा। इस प्रकार के ग्राम समाज मे एक सयुक्त सामाजिक और आर्थिक ढाचा खडा हो जायगा और वह उत्पादन और व्यवसाय की एक इकाई के रूप मे तहसील अथवा जिले के आर्थिक जीवन से सयुक्त हो सकेगा। इस प्रकार ग्राम सम्बन्धी आर्थिक स्वरूप की एक ऐसी कल्पना की गयी है जिसमे कृषि-उत्पादन, ग्रामोद्योग, वस्तु शोध उद्योग, बाजार की व्यवस्था तथा ग्रामीण व्यापार आदि सब सहकारी गतिविधियो के रूप मे सगठित होगे। देश की बैंक-व्यवस्था और विशेषकर रिजर्व बैंक आव इण्डिया, राज्य बैंक और सहकारी ऋण सस्थाओ का जाल निश्चय ही इसमे बहुत बडा और बढता हुआ भाग अदा करेगा तथा क्षेत्रो की बचत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिये प्राप्त हो सकेगी। राज्य, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य सस्थाओ से जिस प्रकार की सहायता अपेक्षित होगी, उसकी व्यवस्था करने का लक्ष्य यह है कि एक ऐसी सहकारिता पद्धति का निर्माण किया जाय, जिसमे ग्राम-समाज एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक इकाई के रूप मे हो तथा नेतृत्व जनता से ही आवे। सहकारी ऋण, बिक्री तथा अन्य कार्यो सम्बन्धी सस्थाए ग्राम ऋण भार व्यवस्था सर्वेक्षण के सुझाव के अनुसार राज्य के सहयोग से बनायी जायगी और इनका मुख्य कार्य होगा—उपर्युक्त तरीके पर बढते हुए सहकारी क्षेत्र के एक दृढ एव व्यावसायिक आधार पर हो रहे विकास कार्य में सहायता।

विकास कार्यक्रम

१४. पहली पचवर्षीय योजना मे, मुख्यत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सबसे पहले कदम उठाने पर सहकारिता आन्दोलन को पुनर्गठित करने के लिये महत्वपूर्ण व्यवस्थाए की गई हैं—विशेषकर कृषि सम्बन्धी ऋण के मामले मे। इस समय सहकारी आन्दोलन में २२ राज्यीय सहकारी बैंक, ४६९ सैण्ट्रल बैंक और बैक यूनियनें, १२६६५४ प्राथमिक ऋण-सोसाइटिया और ६ सैण्ट्रल तथा २९१ भूमि-बन्धक बैक सम्मिलित हैं। कृषि सम्बन्धी ऋण-सोसाइटियो के अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर काम करने वाली ३०३०६ ऋण-सस्थाए एसी हैं, जो कृषि कार्य के लिए तथा ८३८९ संस्थाएं ऐसी हैं, जो कृषि-भिन्न कार्यों के लिए ऋण देती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण-संस्थाओ की सदस्य सख्या ५८ लाख और गैर ऋण संस्थाओं की २७ लाख है।

१५. ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण न जो सुझाव दिये थे उन्हे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया केन्द्रीय सरकार और इण्डियन को ओपरेटिव काग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, और गत-वर्ष उनमे से अनेक को क्रियान्वित करने के लिए भी कार्यवाही की गयी है। सहकारी सस्थाओ का पुनर्गठन जिस मुख्य सिद्धान्त पर आधारित है वह है राज्य की भागीदारी। यह भागी-दारी विभिन्न स्तरो पर और विभिन्न प्रकार की सस्थाओ के लिए भिन्न-भिन्न रूपो और भिन्न-भिन्न मात्रा मे है। बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालिक कोष) तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण (सस्थापन कोष) की व्यवस्था कर सकने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया कानून मे सशोधन किया गया था। राज्य सरकारे अब इस स्थिति मे है कि वे ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण द्वारा प्रस्ता-वित तरीके पर सगठित बड़ी ऋण-सस्थाओ, सैण्ट्रल बैंको, राज्य सहकारी बैंको और सैण्ट्रल भूमि-बन्धक बैंको की भागीदारी-पूजी मे राज्य के योगदान के लिए रिजर्व बैंक की सहायता प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार माल को जमा करने के गोदामो के निर्माण, तथा बिक्री एवं वस्तु शोध-सोसाइटियो की भागीदारी पूजी मे हिस्सेदारी ग्रहण करने के काम मे केन्द्रीय सरकार राज्यो की सहायता करेगी।

१६. राज्यो के सहकारिता विभागो के मन्त्रियो का एक सम्मेलन अप्रैल, १९५५ में ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये हुआ था। उसमे यह प्रस्ताव रखा गया था कि दीर्घकालिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि सहकारी आधार पर ग्रामीण व्यवसाय का पुनर्गठन इस तरीके से किया जाय कि पन्द्रह वर्ष के अन्दर ही सम्पूर्ण व्यवसाय का ५० प्रतिशत भाग—जिसमे ऋण, बिक्री, वस्तु शोध आदि की व्यवस्था शामिल होगी, सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाय। यह प्रस्ताव किया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल मे प्राथमिक कृषि ऋण-सस्थाओ की सदस्य सख्या ५० लाख से डेढ करोड तक पहुच जानी चाहिये और सहकारी आन्दोलन के जरिये जो धनराशि दी जाय वह अल्पकालिक ऋणो के रूप मे ३० से १५० करोड तक, मध्यकालिक ऋणो के रूप मे १० से ५० करोड़ तक तथा दीर्घकालिक ऋणो के रूप में ३ से २५ करोड़ तक हो।

१७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये सहकारिता के विकास-कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार, राज्यो और रिजर्व-बैंक आफ इण्डिया के मध्य परामर्श के बाद निर्धारित किये गये है। सहकारी कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य, जो प्रत्येक राज्य के लिये विस्तार के साथ निर्धारित किये गये है, निम्न हैं :—

ऋण

बड़ी सोसाइटियो की सख्या	१२,०००
अधिकतम अल्पकालिक ऋण	१५० करोड़ रु.
अधिकतम मध्यमकालिक ऋण	५० करोड़ रु.
अधिकतम् दीर्घकालिक ऋण	२५ करोड़ रु.

बिक्री और वस्तु शोध

संगठित की जाने वाली बिक्री	
संस्थाओं की संख्या	१७००
चीनी मिलें	३६
रुई ओटने के कारखाने	७७
अन्य संस्थाए	११२

भण्डार और गोदाम

केन्द्रीय तथा राज्य कारपोरेशनो के भण्डार	३५०
बिक्री-संस्थाओं के गोदाम	१७००
बड़ी सोसाइटियो के गोदाम	५०००

रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि के अलावा इन लक्ष्यो की पूर्ति के लिये योजना मे लगभग ४८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

१८. ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण की सिफारिशो के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डार निगमों की स्थापना के लिये खाद्य तथा कृषि मत्रालय ने एक विधेयक की रूपरेखा बनायी है। प्रस्ताव किया गया है कि २० से २५ लाख टन माल रख सकने योग्य भण्डार बनाये जाएं। आशा की जाती है कि केन्द्रीय भण्डार-निगम लगभग १०० भण्डारो का निर्माण करेगा—उनमे से प्रत्येक में १० हजार से २० हजार टन तक अथवा उससे अधिक सामग्री आ सकेगी। राज्य-भण्डार-निगमो द्वारा २५० भण्डार बनाये जाने की आशा है और उसमे से प्रत्येक मे २ हजार से १० हजार टन तक माल आ सकेगा। इन भण्डारो के लिये जगह अस्थायी रूप मे निर्धारित कर ली गयी है।

१९. सहकारी ऋण तथा बिक्री-संस्थाओ के विकास में—वस्तुत: तो सहकारी विकास के सभी कामों मे—कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उच्च प्रकार के सहकारी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये रिजर्व बैंक पूना में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया था और मध्यम दर्जे के सहकार कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण के लिये तीन प्रादेशिक सहकारी प्रशिक्षण-संस्थाएं काम कर रही हैं, और दो अन्य शीघ्र स्थापित किये जाने की आशा है। निम्न कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकारो ने २१ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए है और १० अन्य के शीघ्र ही स्थापित किये जाने की आशा है। खंड अधिकारी के समतुल्य कर्मचारियो को जो राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास मे कार्य करेंगे, प्रशिक्षित करने के लिये भी एक विशेष योजना बनाई गई है।

२०. यह उन कार्यो का संक्षिप्त विवरण है जो ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण द्वारा अपना काम पूरा करने के बाद किये गये। ये यह प्रकट करते है कि सहकारिता विकास की एक सक्रिय स्थिति मे पहुंच गया है और उसे केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के साधन

प्रगति के मार्ग मे सगठन तथा कार्यकर्ताओ सम्बन्धी बड़ी समस्याये खडी हो गई है । इन समस्याओ का सम्बन्ध उन सहकारी विभागो से है जो अपने कार्यक्रम पर चल रहे है तथा उस काम से है जो ग्राम स्तर पर किया जा रहा है। सहकारिता सभी प्रकार के ग्राम विकास का आवश्यक अग है । उच्च स्तर पर सहकारी सस्थाओ के निर्माण तथा दृढीकरण के साथ सहकारी कर्मचारियो को राष्ट्रीय विस्तार के कार्यकर्ताओ के साथ प्राथमिक संस्थाओ को सौपे हुए कार्यो की ओर अधिकतम ध्यान देना चाहिये। दूसरी पचवर्षीय योजना मे राज्यो मे सहकारी विकास के लिये जो कार्यक्रम निर्धारित किये गये है, वे मुख्यत ऋण तथा बिक्री से तथा कुछ अश मे वस्तु शोध से सम्बद्ध है । सहकारी कृषि के कार्यक्रम पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है । इस पहलू पर और भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

२१ पहली पचवर्षीय योजना मे छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसानो की स्वेच्छा से सहकारी कृषि-सस्थाओ के रूप मे सगठित होने के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे । ये सुझाव इस काम मे उत्साहवर्धन तथा सहायता के लिये किये गये थे । कृषि के पुनर्गठन के कार्य से सम्बद्ध भूमि-सुधार समिति ने इन सुझावो पर पुन विचार किया है और उन्हे और व्यापक बनाया है । समिति ने यह सुझाव दिया है कि जिन क्षेत्रो मे साम्पत्तिक अधिकार सहकारी कृषि की स्थापना के मार्ग मे बाधक नही—उदाहरणार्थ गैर सरकारी पडती भूमि जिन्हे सुधारा गया है अथवा वे भूमि जो अधिकतम कृषि भूमि निर्धारण के बाद अतिरिक्त भूमि के रूप मे प्राप्त होगी—वहा बन्दोबस्त यथासम्भव सहकारी आधार पर किया जाय। इन क्षेत्रो मे सहकारी कृषि कार्यो के लिये उपयुक्त तरीको को उन्नत करने के जोरदार प्रयत्न किये जाने चाहिय और आवश्यक टक्निकल पथ-प्रदर्शन , आर्थिक सहायता तथा देख-भाल की व्यवस्था की जानी चाहिये। जो खेत छोटे है, उनमे इस उद्देश्य से विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि वहा सब कामो मे सहकारिता को विकसित किया जा सके।

छठा अध्याय

भूमि सुधार

भूमिका

ग्राम्य अर्थ व्यवस्था को जिन रूपो मे पुनर्गठित किया जाएगा उस सम्बन्ध मे पिछले अध्याय मे जिक्र किया जा चुका है। राष्ट्रीय आयोजनो के अग के रूप मे सहकारी समितियो और ग्राम पचायतो द्वारा ही मुख्यत. भूमि पुनर्गठन का कार्य किया जायगा। ऐसी भूमि सुधार व्यवस्था को सहकारी ग्राम प्रबन्ध कहा गया है। इस प्रयोजन को हल करने के लिए जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए जाएगे उनमे भूमि सुधार कार्यक्रमो का विशेष महत्व है।

२. राज्यो मे भूमि सुधार कानून विशेषतया भूस्वामियो और काश्तकारो के सम्बंधो को ठीक करन के विषय मे ही है। यद्यपि बहुत से राज्यो मे काश्तकारो के अधिकारो की सुरक्षा के लिए व्यवस्था और लगान मे कमी की जा चुकी है फिर भी भू-स्वामित्व के अधिकार काश्तकारो को देने के सम्बन्ध मे बहुत कम प्रगति हो पाई है। कई राज्यो मे छोटी-छोटी भूमियो के स्वामियो और काश्तकारो के अधिकारो के सम्बन्ध मे कठिनाइया सामने आई है। भूमि बिहीन कृषि मजदूरो के लिए भूमि की व्यवस्था करने की दृष्टि से कोई उपाय नही किया गया है, और सहकारी कृषि और सहकारी ग्राम्य व्यबस्था की दिशा मे जो कदम उठाए गए है, वे भी अनुत्साहपूर्ण और अपर्याप्त है। स्पष्ट है कि भूमि सुधार कानून से उस हद तक लाभ नही हुआ है जितनी कि आशा थी, चूकि प्रशासनिक कार्रवाई अपर्याप्त रही और ग्राम्य स्तर पर सगठन भी ढीला रहा। भूमि सुधार के लिए नियुक्त केन्द्रीय समिति के कार्य, जिसमे योजना आयोग और केन्द्र के सम्बन्धित मत्रिगणो के कार्य भी सम्मिलित है—के कारण विभिन्न राज्यो मे भूमि सुधार के सम्बन्ध मे सामान्य कार्यक्रम बनाया गया है। राज्यो का ध्यान समय समय पर भूमि सुधार सम्बन्धी नीति के पालन तथा भूमि सुधार सम्बन्धी क्रमिक कार्यक्रम की पूर्ति की ओर आकर्षित किया जाता रहा है।

३. दूसरी योजना की अवधि में भूमि सम्बन्धी एक व्यापक नीति बनाने के लिए योजना आयोग ने १९५५ में (ग्रीष्म काल में) एक पैनल नियुक्त किया था। इसका काम चार अलग अलग समितियो द्वारा हो रहा है, जो क्रमशः काश्तकारी

सुधार, जोत की सीमा, खेती का पुनर्गठन और भूदान के विषयो पर कार्य कर रही है। इन समितियो की रिपोर्ट और सिफारिशे प्राप्त होने पर यह पैनल दूसरी योजना के लिए भूमि सुधार का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगा।

४ पहली योजना मे भूमि वितरण तथा जोतो की सीमा के बारे में पक्की जानकारी के अभाव के सम्बन्ध मे जिक्र किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि जोतो और खेती के बारे में आकडे एकत्र किए जाए। प्राय सभी राज्यो मे ये आकडे एकत्र किए गए है। १९ राज्यो से इस सम्बन्ध मे जानकारी भी हासिल हो चुकी है और शीघ्र ही अन्य राज्यो से भी हो जाएगी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आठवे दौर मे जोत की भूमि के सम्बन्ध मे जाच की गई थी और उसके परिणाम एक विशेष रिपोर्ट मे प्रस्तुत किए गए है। ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण द्वारा कुछ और नए तथ्य प्रकाश मे आए है। अब इन सूचनाओं के द्वारा भूमि नीति के विभिन्न पहलू भली भाति समझे जा सकते है, और उसे अधिक सतोषजनक रूप से लागू किया जा सकेगा।

भूस्वामियों के अधिकार

५. देश के अधिकाश भाग मे बिचवैयो के अधिकारो का उन्मूलन किया जा चुका है। पट्टो की विविधता मे भी कुछ कमी हुई है। यद्यपि उसका पूर्ण रूप मे उन्मूलन नही हो सका है। सामान्य दृष्टिकोण से वर्तमान काश्तकारी प्रथा मे दो प्रकार के भू-स्वामियो के अधिकारा के सम्बन्ध मे सुधार किये जा रहे है, यथा—

(१) वे भू-स्वामी जिनका राज्य से सोधा सम्बन्ध है; (२) वे काश्तकार जो भू-स्वामियो से भूमि प्राप्त करते है। यह अधिक उपयुक्त होगा कि देश मे भूमि के स्वामित्व की एक समान व्यवस्था चलाई जाए जो अधिकारो और जिम्मेदारियो के सामान्य स्वरूप के अनुरूप हो। निकट भविष्य मे छोटे-छोटे काश्तकार ही कृषक-समाज के मुख्य अग होगे। विकास शील राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था मे अनाज और कच्चे सामान की आवश्यकता की पूर्ति भूमि व्यवस्था से ही हो सकती है, यदि भूमि का उपयोग उचित ढग से किया जाय, ग्राम्य काम-काज सहकारी सगठनो के द्वारा किया जाय और प्रगतिशील कृषि-प्रणाली के साथ साथ बहुत-सा गैर खेतिहर कार्य ग्राम्य उद्योगो एव श्रम सहकारी समितियो के विकास द्वारा किया जाय तथा पशुओ व कृषि जन्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। भूमि सुधार करने में राष्ट्रीय बिस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओ के अन्तर्गत होने वाले कार्यक्रमो का महत्वपूर्ण भाग है। वास्तव मे भूमि सुधार को सामाजिक और आर्थिक विकास का ही एक अग मानना चाहिए।

६. प्रगतिशील समाज मे अधिकारो के साथ साथ जिम्मेदारिया भी होती है। भू-स्वामित्व के अधिकार को भी कुछ जिम्मेदारिया और सीमाए है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भूमि के उपयोग और उसकी देखरेख के सम्बन्ध में है जिस पर विशेष रूप से प्रकाश आगे इसी अध्याय मे डाला गया है। अनेक राज्यो में स्वामित्व के सम्बन्ध मे सीमा बाध दी गई है। जहा यह सीमा निश्चित नही की गई है वहा एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि खरीदने अथवा अन्य तरीको से भूमि प्राप्त करने की सीमा निर्धारण के

लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है । कई राज्यो मे चकबन्दी सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत ऐसे उपाय किए गए है जिनसे जोत की भूमि के और बटवारे न होने पावे । पर बहुधा ऐसा देखा गया है कि इन उपायो को पर्याप्त रूप से लागू नही किया जाता। कृषि विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि खेतो या जोत की भूमि के बटवारे अथवा हस्तान्तरण या तकसीम द्वारा उनके और छोटे छोटे टुकड़े होने दिए जाए कारण और छोटे छोटे टुकडे होने और वर्तमान टुकडो के हस्तान्तरित होने के सम्बन्ध मे रोक लगाने की व्यवस्था की जाए और ग्राम पचायतो की सक्रिय सहायता से उसे लागू किया जाए।

७ पहली योजना मे यह विचार प्रकट किया गया था कि भूमि को पट्टे पर उठाने का जितना भी काम किया जाय वह ग्राम पचायतो के जरिये किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। यह कई और दृष्टिकोणो से भी लाभदायक सिद्ध होगा। जहा भी पचायते यह काम कर सके, जमीन सीधे नही उठाई जानी चाहिए ।

काश्तकारी के अधिकार

८. काश्तकारो के अधिकारो की सुरक्षा करना आवश्यक माना गया है । 'खुद काश्त' की परिभाषा के कारण इस नीति को अमल मे लाने मे अनेक कठिनाइया उपस्थित हुई है । इस लिए राज्यो के भूमि सम्बन्धी कानूनो मे 'खुद-काश्त' की परिभाषा के सम्बन्ध मे एकरूपता आवश्यक है । 'खुद-काश्त' के तीन मुख्य अग कहे जा सकते है--खुदकाश्त की पूरी जोखिम, काश्त की देखभाल और उस पर मालिक अथवा उसके परिवार का आदमी स्वय मेहनत करे । कोई व्यक्ति जो काश्त की पूरी जोखिम स्वय नही उठाता या किसी और को उसके उत्पादन मे साझीदार बना लेता है तो उसे खुदकाश्त करने वाला नही माना जा सकता। "खुद देखभाल करने" मे यह भी शामिल माना जाएगा कि भूमि का स्वामी स्वय देखभाल करे अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को यह काम सौप दे जो कृषि-काल में अधिकतर उसी गाव मे या उसके समीप ही रहता हो। खुदकाश्त के एक अग के रूप मे, न्यूनतम मेहनत करना यद्यपि सिद्धान्तत ठीक ही प्रतीत होता है, परन्तु व्यावहारिक रूप मे काफी कठिनाइया उपस्थित होती है। अत. यह सुझाव दिया गया है कि काश्तकारी सम्बन्धी कानून में 'खुदकाश्त' की परिभाषा इस प्रकार की जाय, कि "खुद-काश्त" की पूरी जोखिम भूमि के मालिक पर रहे और काश्त की देखभाल, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मालिक अथवा उसके परिवार का सदस्य करे । जब कोई जमीन खुदकाश्त के लिए अधिकार मे ली जाए तो इस बात पर बल देना आवश्यक है कि खुदकाश्त के सब अगो का पालन कराया जाय, यहा तक कि मालिक खुद ही खेती मे मेहनत करे ।

९ 'खुदकाश्त' की ऊपर दी गई परिभाषा की कसौटी पर वर्तमान कानूनो की फिर से जाच होनी चाहिए और उन लोगो को काश्तकारी अधिकार देने के सम्बन्ध मे कदम उठाए जाने चाहिए जिन्हे पहले केवल मजदूर या 'खेती का भागीदार' ही माना जाता था । चूकि खुदकाश्त की परिभाषा भूतकाल मे कुछ दोषपूर्ण रही है इसलिए यद्यपि कई राज्यो म भागीदारी की प्रथा तो चल रही है जो काश्तकारी के समान ही है, परन्तु इन भागीदारो को काश्तकारो जैसे अधिकारो से वञ्चित रखा गया है ।

१०. काश्तकारी कानून की अनेक समस्याए, खुदकाश्त के लिए भूमि अधिकार मे लेने से सम्बन्धित है। इससे सभी सहमत होगे कि यदि कोई व्यक्ति अशक्त या अपाहिज हो, तो वह अपनी भूमि किसी दूसरे व्यक्ति को उठा सकता है और जब. वह ठीक हो जाय, तो फिर उस भूमि को खुदकाश्त के लिए ले सकता है । इस प्रकार की छूट अविवाहित महिलाओ, विधवाओ, नाबालिगो, सेना मे काम करने वालो और मानसिक अथवा शारीरिक रोगो से पीडित व्यक्तियो के सम्बन्ध मे दी गई है । पहली पचवर्षीय योजना मे, यह सुझाव दिया गया था कि खुदकाश्त के लिए इस प्रकार अधिकार मे ली जाने वाली भूमि की सीमा निर्धारित कर दी जाए और उसे एक परिवार की जोत की भूमि से तिगुनी मानी जाय। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि इस प्रकार से भूमि अधिकार मे लेने का कारण खुदकाश्त करना ही होना चाहिए और इस प्रकार अधिकार मे ली जाने वाली भूमि उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि परिवार के सदस्य जोत सके । व्यावहारिक दृष्टि से इन सिफारिशो से कुछ अधिक समाधान नही हो सका । इसलिए अब यह सिफारिश की गई है कि खुदकाश्त के लिए इस प्रकार अधिकार मे ली जाने वाली भूमि एक परिवार की जोत के बराबर हो और साथ ही काश्तकार के लिए भी ऐसी हालत मे एक निर्धारित मात्रा मे जमीन छोडी जाय। भूमि सुधार के पैनल की एक समिति ने एक परिवार की जोत की यह परिभाषा की है—भूमि का वह टुकडा जिससे कुल १,६०० रुपये सालाना की सकल आमदनी हो या (परिवार की मजदूरी मिलाकर) जिससे १,२०० रुपये साल की शुद्ध आय हो तथा जो एक हल की जोत से कम न हो।

११ एक परिवार की जोत, या इससे कम भमि वालो को छोटे भू-स्वामी कहा जा सकता है। अब तक के अनुभव के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि छोटे भू-स्वामी खुदकाश्त के लिए अपनी जमीन का आधा भाग ले सकते है। परन्तु यह भाग बुनियादी जोत से कम न होना चाहिए अर्थात वह कम से कम इतना होना चाहिये कि जिसमे लाभप्रद खेती हो सके और जो जमीन के टुकडे होने से रोकने के लिए कानून की निर्धारित सीमा से कम न हो। यदि कही इस प्रकार से भूमि अधिकार मे लेने के कारण काश्त के लिए भूमि बुनियादी जोत से कम पड जाय, तो सरकार को इसे पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। जोत की अधिकतम सीमा बाध देने मे जो अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी, उस से यह पूर्ति कार्य आसानी से किया जा सकेगा ।

१२ जमीदार जितनी भूमि पर कब्जा कर सकता है उसे यथाशीघ्र निर्धारित करना उपयुक्त होगा । उन क्षेत्रो मे जहा खुदकाश्त के लिए ली जा सकने वाली भूमि की सीमा से अधिक भूमि हो वहा काश्तकारो के वश परम्परागत अधिकार होने चाहिएं । उन जमीनो के काश्तकारो को जो खुदकाश्त के लिए ली जा सकती हो, भूमि पर वश परम्परागत (स्थाई नही) अधिकार और भूमि उन्नत करने के अधिकार दिए जाने चाहिए ।

पहली योजना के अनुसार उपज के एक चौथाई या पाचवे हिस्से से अधिक

लगान को विशेष समर्थन पर उचित माना जायगा। अनेक राज्यों में उचित कानूनो के अभाव के कारण लगान का नियमन प्रगति नही कर सका। भूमि की उपज के पाँचवे भाग से अधिक लगान, देश के किसी भी भाग मे उचित नही कहा जा सकता, जहा जहा राज्य सरकारें लगान कम करना आवश्यक समझे वहा लगान कम करने के साथ वे, सीमा निर्धारण से सम्बन्धित कानूनो के अन्तर्गत मुआवजे के बदले अपनी जमीनें सरकार को देने का विकल्प भूस्वामियो के सामने रख सकती है।

१३ बेदखल न होने वाले क्षेत्रो के सभी काश्तकारो का सीधा सम्बन्ध राज्य से स्थापित कर देना उचित होगा। राज्य काश्तकारो से उचित लगान वसूल करे और लगान की उगाही का खर्च काटने के बाद उसे जमीदार को दे। जैसे ही ऐसा करना सम्भव हो जाए, वैसे ही राज्य सरकारे लगान व लगानों के स्तर और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियो को देखते हुए बेदखल न हो सकने वाले क्षेत्रो मे जमीदार के हक को मुआवजा दे कर खरीद सकती है। मुआवजे की दर निश्चित करते समय राज्य सरकारो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि २० साल तक राज्यो के राजस्व मे कुल कितनी शुद्ध बढती हुई है (कुल शुद्ध बढती का अर्थ मालगुजारी कम करके उचित लगान है)। मुआवजे की क्रमिक दरे भी हो सकती है। मुआवजा ऐसे बाण्डो के रूप मे दिया जाना चाहिए जिनका बीस वर्ष मे भुगतान हो सके। काश्तकार पर उचित लगान देने की जिम्मेदारी तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि राज्य सरकार पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी रहती है। इसके अतिरिक्त भू-स्वामित्व के ऐच्छिक रूप से खरीदने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और उसका मूल्य भूमि की लगान-कीमत या मालगुजारी के उचित अपवर्त्य पर निर्धारित करना चाहिए।

१४. पिछले दो तीन वर्षों में कुछ राज्यो मे बडे पैमाने पर बेदखली की गई हैं और कही कही काश्तकारो ने स्वेच्छा से भी अपनी काश्ते छोड़ दी है। जिन मामलो के बारे मे यह कहा जाता है कि लोगो ने स्वेच्छा से जमीन छोड दी है वे सब संदिग्ध ही हैं और पिछले तीन वर्षों मे ऐसे सब स्वेच्छा से छोडे हुए खेतो के सम्बन्ध में जाच की जानी उचित रहेगी। जहा जरूरी हो वहा किसानो को इस प्रकार की बेदखल जमीन वापिस दिलाई जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि लगान न देने या जमीन का दुरुपयोग करने के अलावा बाकी किसी भी कारण से काश्तकार या उपकाश्तकार की बेदखली न होने देनी चाहिए। पिछले तीन साल में जितनी बेदखलिया हुई हैं, उनकी जाच होनी चाहिए और जहा उचित हो, जमीन वापिस दिलाई जानी चाहिए।

अधिकतम जोत का निर्धारण

१५. पहली पचवर्षीय योजना मे यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि एक व्यक्ति के पास जोत की अधिक-से-अधिक भूमि की सीमा बाध दी जानी चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक राज्य अपने कृषि सबन्धी इतिहास और वर्तमान समस्याओं के अनुसार अधिकतम जोत की सीमा बाधे। जोत की भूमि और काश्त के सम्बन्ध मे सही गणना एकत्र करने का प्रस्ताव इसलिए किया गया था ताकि जोत की

भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए आवश्यक आँकडे उपलब्ध हो सकें। जैसा पहले कहा जा चुका है, जोत की भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सामान्य प्रस्ताव बनाने के लिए पर्याप्त सूचना प्राप्त की जा चुकी है । इन प्रस्तावों मे राज्य सरकारें अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताओ की दृष्टि से फेरबदल कर सकती हैं ।

१६. यह सुझाव दिया गया है कि दूसरी पचवर्षीय योजना मे देश भर में अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित करने की नीति पर अमल किया जाना चाहिए । प्रत्येक राज्य को योजना के सामान्य प्रस्तावो के आधार पर अपनी नीति का व्यौरा अलग-अलग बनाना पड़ेगा । अधिकतम सीमा उस जमीन पर लागू होगी जो खुदकाश्त मे हो (इसमे स्थायी और वशानुगत अधिकार की जमीन भी शामिल है) । पट्टे पर दी हुई भूमि पर काश्तकारो को भूमि-स्वामित्व के अधिकार ऊपर दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार हासिल होगे। इस अधिकतम जोत के लिए परिवार के सब सदस्यो की जमीन को एक साथ मिलाकर विचार करना चाहिए। परिवार का अर्थ पति, पत्नी,आश्रित पुत्र, पुत्रिया, पोते,पोतिया हैं। परिवार की जोत की परिभाषा ऊपर दी जा चुकी है। यह सिफारिश की गई है कि एक औसत परिवार के लिए अधिकतम जोत की सीमा, परिवार जोत की तिगुनी होनी चाहिए— औसत परिवार का अर्थ है, ऐसा परिवार जिसमें पाच से अधिक सदस्य न हो। जहा परिवार के सदस्यो की मख्या इससे अधिक है, वहा अधिकतम जोत की सीमा, परिवार की जोत से ६ गुनी तक हो सकती है। प्रत्येक राज्य अपने यहा की स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार इस सीमा निर्धारण के लिए परिवार का आधार निश्चित करेगा। एक बात जिस पर प्रत्येक राज्य को ध्यान देना आवश्यक होगा वह यह है कि पिछले दो तीन वर्षों में किए गए जमीन के दुर्भावपूर्ण हस्तान्तरणो का जोत की सीमा निर्धारण लागू करने पर क्या प्रभाव होगा ।

१७. निम्नलिखित फार्मों को जोत की सीमा निर्धारण से छूट दी जा सकती है ।

(१) मिश्रित उद्योग जैसे चाय, काफी या रबर के बागान । इनमे जमीन से होने वाली आय पर उद्योग से होने वाली आय के साथ कर लगेगा। ऐसी जमीन को खेती की जमीन नही माननी चाहिए ।

(२) बड़े-बड़े फल-बगीचो के क्षेत्र ।

(३) पशु-प्रजनन, दूध, मक्खन या ऊन पैदा करने वाले फार्म ।

(४) ऐसे बडे-बडे फार्म, जिनमे खेती के तरीको पर काफी रुपया लगाया गया हो, या बड़ी-बड़ी स्थायी इमारतें बनाई गई हो और जिनके टुकड़े करने से उपज घट जाने की सभावना हो ।

इन सामान्य सुझावो को हर राज्य मे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करके अमल मे लाया जा सकता है ।

१८. हाल ही मे यह प्रश्न उठाया गया है कि चीनी-मिलो के गन्ने के फार्मों को मिश्रित

उद्यमो से अलग फार्म समझा जाय या उन्हे काश्त की जमीन जैसा माना जाय । इस समस्या के विभिन्न पहलुओ पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

१९ नियत सीमा से अधिक जमीनो को सरकार मुआवजा देकर अपने अधिकार मे ले सकती है, किन्तु मुआवजे की दर निश्चित करनी होगी । नियत सीमा से अधिक भूमि लेने के लिए उनके मालिको को मुआवजे के बाड दिए जा सकते ह जो २० सालो मे भुनाए जा सकेगे । मय सूद के मुआवजे की रकम का निश्चय इस आधार पर किया जायगा कि अगले २० वर्षों में राज्य को कुल कितनी शुद्ध अतिरिक्त आय (यानी उचित लगान मे से मालगुजारी घटा कर) होगी । जहा इस अतिरिक्त भूमि का वितरण किया जाए वहाँ काश्तकार सीधा राज्य से सम्बन्ध रखेंगे और सरकार को ही उचित लगान देंगे ।

२० एक आदमी के पास अधिक-से-अधिक कितनी जमीन रहे यह निश्चित हो जाने पर जो अतिरिक्त भूमि सरकार को मिले, उसके बन्दोबस्त मे खुदकाश्त के कारण बेदखल किए जाने वाले किसानो, अलाभकर जोत वालो और भूमि हीन मजदूरो को तरजीह दी जानी चाहिए । जहा इस प्रकार प्राप्त होने वाली भूमि के काफी बडे बडे खड हो वहां सहकारी समितियो द्वारा खेती की व्यवस्था की जानी चाहिए । जिन किसानो के पास आधार-जोत से कम जमीन है और जिससे उन्हे लाभ नही होता, उन्हे भी इस शर्त पर सहकारी समितियो मे शामिल किया जा सकता है कि वे अपनी जमीन को भी सहकारी ज़मीन के साथ मिला देंगे ।

भूमि-हीन कृषि मज़दूर

२१ पहली पचवर्षीय योजना मे कुछ राज्यो मे न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने और रहने के लिए मकानो की व्यवस्था के लिए कुछ उपाय करने के अतिरिक्त भूमि-हीन कृषि मजदूरो के लाभ के लिए बहुत कम कार्य किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि दूसरी योजना मे कृषि मज़दूरो को ज़मीन देने का काफी बडा कार्यक्रम बनाया जाय । यह स्वीकार किया गया है कि ज़मीन पर अब भी इतना बोझ है कि बहुत थोडे से ही कृषि मज़दूरो को ज़मीन दी जा सकेगी । फिर भी सामाजिक नीति और आर्थिक विकास दोनो की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जब राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के परिणामस्वरूप कृषि मजदूरो एव अन्यो को रोजगार के अधिक विस्तृत अवसर मिले तब ग्राम्य अर्थव्यवस्था मे उन लोगो को कुछ राहत दी जाय जो चिरकाल से बहुत सी असमर्थताओ के शिकार रहे है और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के अवसरो से वचित रहे है।

अत इस बात की सिफारिश की गयी है कि हर राज्य को, काश्त और जोत भूमि के आकडो का अध्ययन कर लेने और कितनी अतिरिक्त भूमि बचेगी, इसका अदाज लग जाने पर कृषि मजदूरो को भूमि देने की विस्तृत योजना बनानी चाहिए । जो भूमि भूदान से मिले उसे भी जोत सीमा से अतिरिक्त भूमि के समान माना जाय और उसके बटवारे की भी योजना बनाई जाए

२२. यद्यपि भूमिहीन कृषि मज़दूरो को भूमि देने की व्यवस्था करने के लिए विशेष

कर्मचारियो की आवश्यकता पडेगी, परन्तु विकास कार्यक्रमो के लिए आवश्यक साधन कृषि सम्बन्धी, राष्ट्रीय विस्तार व सामुदायिक विकास तथा ग्राम उद्योगो और अन्य विकास कार्यक्रमो के द्वारा ही उपलब्ध हो सकेगे जिनके लिए योजना मे व्यवस्था की जा चुकी है। फिर भी इन उपलब्ध साधनो के सम्बन्ध मे जाच करनी आवश्यक होगी। प्रत्येक राज्य मे ऐसे विशेष बोर्ड बनाये जाना अच्छा रहेगा जिसमे गैर सरकारी सदस्य भी हो और वे भूमि-हीन किसानो को भूमि देने के बारे मे सलाह दे और समय समय पर इस कार्य की प्रगति की समीक्षा कर सके। इसी प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड स्थापित करना भी अच्छा रहेगा ताकि सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में नीति और सगठन तथा भूमि के पुनर्बंदोबस्त की योजनाओ की प्रगति के विषय मे समय समय पर समीक्षा होती रहे ।

२३ इस सम्बन्ध मे भूदान आन्दोलन का उल्लख भी उचित है। अब तक भूमि-हीन किसानो मे बाटने के लिए ४० लाख एकड से अधिक भूमि दान मे प्राप्त हो चुकी है और इसमे से तीन लाख एकड बाटी भी जा चुकी है । भूदान से प्राप्त भूमि के बटवारे के सम्बन्ध मे राज्य सरकारे कानून भी बना रही है ।

भूमि का प्रबन्ध

२४ पहली पचवर्षीय योजना मे राज्यो मे चकबन्दी का काम बडे पैमाने पर और तेजी से करने पर जोर दिया गया था। पर इस दिशा मे थोड़े से ही राज्यो मे कुछ प्रगति हुई है । हम अपनी पहली सिफारिशो को फिर दोहराते है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजनाओ के क्षेत्रो मे चकबन्दी को कृषि कार्य-क्रम मे प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए ।

२५ पहली योजना मे इस सिद्धान्त पर भी ज़ोर दिया गया था कि भू-स्वामियो को खेती ऐसी कुशलता से करनी चाहिए जो तत्सम्बन्धी कानून द्वारा निर्धारित की जाए। पहले पहल इस सिद्धान्त को बडे बडे कार्यों पर ही लागू करने का विचार किया गया था। भूमि सुधार के लिए नियुक्त किए गए पैनल की एक उप-समिति ने इसके सम्बन्ध मे विस्तार से अध्ययन किया है। उपसमिति के मुख्य मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(१) प्रत्येक काश्तकार के लिए उपज का एक उचित स्तर रखना और भूमि की उर्वरता बनाए रखना और उसे बढाना जरूरी हो। भूमि-प्रबन्ध सम्बन्धी कानून ऐसे हो जिनसे इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन मिले और वे कानूनन इस कार्य को करने के लिए काश्तकारो को बाध्य करे। परन्तु इसका आशय यह नही है कि इन कानूनों का प्रयोग कृषि-उत्पादन को उचित स्तर पर बनाए रखने के अन्य साधनो से पृथक् दमन के उपाय के रूप मे किया जाए। नियत स्तर कायम रखने के कर्तव्य के साथ साथ कुछ सुविधाए भी प्रदान करनी आवश्यक है जैसे भूमि पर किसान के पट्टे का स्थायित्व, चकबन्दी, सहकारिता का क्रमिक विकास, खेती के लिए पूजी जुटाने में सरकार की ओर से सहायता, प्राविधिक पथ-प्रदर्शन और सामग्री का प्रबन्ध ।

(२) भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून मे उत्तम खेती और कुशल प्रबन्ध के मानदण्ड भी निर्धारित होने चाहिए जिनके द्वारा उनकी ठीक ठीक और किस्म की दृष्टि से जाच की जा सके। उप-समिति ने कुछ ऐसी बातो की सूची तैयार की है जिन्हे किसी फार्म या जोत के प्रबन्ध की कुशलता की जाच करते समय ध्यान मे रखना चाहिए । इन्हे विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक तथा कृषि सम्बन्धी परिस्थितियो के अनुरूप बनाया जा सकता है । इन कसौटियो के आधार पर विभिन्न फार्मों को उनकी प्रबन्ध कुशलता के अनुसार भिन्न भिन्न श्रेणियो में बाटा जा सकेगा, उदाहरणार्थ, औसत श्रेणी के फार्मों से दो श्रेणिया ऊपर और दो नीचे रखी जा सकती है। पहली दो श्रेणियो के खेतो को उचित प्रोत्साहन और प्रशसा मिलनी चाहिए परन्तु साथ ही इस प्रकार के उपाय करने चाहिए कि उन फार्मों को जो औसत से नीची श्रेणी के हैं उन्हे अपने सुधार के लिए सहायता दी जाए। अच्छा प्रबन्ध न करने वालों के सम्बन्ध मे कानून मे चेतावनी देने, हिदायते देने व निरीक्षण करने तथा अतिम उपाय के रूप मे सरकार द्वारा उनका प्रबन्ध अपने हाथ मे लेने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(३) कानून मे कुछ जिम्मेदारियो को बाध्य रूप से पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि (क) बडे और मध्यम जोत वाले किसानो के लिए पडती भूमि को एक उचित समय के भीतर खेती के योग्य बनाना, (ख) भूमि सम करना, बाध बाधना, बाड लगाना, सिचाई की नालियो को ठीक रखना, पौधो के कीड़ो और बीमारियो की रोकथाम, खेतो की निराई करना, और खेतो मे क्यारी बनाना, और (ग) सुधरे हुए बीजो का प्रयोग, कूडे करकट से खाद बनाना, आदि

(४) यद्यपि भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून सभी फार्मो पर लागू होगे परन्तु अनुभव प्राप्त करने और उसके द्वारा उपयुक्त तरीके निकालने के लिए पहले उन्हे प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजना क्षेत्रो मे ही लागू किया जा सकता है । गाव मे इन कानूनो को मुख्यत. ग्राम पचायतों के द्वारा लागू किया जा सकता है, परन्तु उनकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

२६ मोटे तौर पर इन्ही सिद्धान्तो के अनुसार भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी कानून बनने चाहिए । उन्हे अमल में लाने के लिए विस्तृत बाते प्रत्येक राज्य की परिस्थिति के अनुसार विचार करके तय करनी चाहिए । भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी प्रभावपूर्ण व्यवस्थाएँ उपज बढ़ाने और प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित रखने में बडी सहायक होगी और राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रो मे इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

सातवां अध्याय

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार

विकास के जिन क्षेत्रो का देहाती जनता की भलाई से सबसे अधिक और निकट का सम्बन्ध है, उनमे सामुदायिक विकास योजनाओ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को मूलमहत्व का स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओ के ढाचे पर भरपूर कार्य के लिये जिन क्षेत्रो को चुना जायगा, उनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामोद्योग। और सहकारिता के क्रम को तेज किया जाएगा, और इसके लिए कार्यक्रमों की तेजी से उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। इन योजना कार्यों का उद्देश्य यह है कि जनता के सहयोग से विभिन्न अभिकरण तथा सस्थाए, जो विभिन्न इलाको मे काम करती है, उनमे एकरूपता और ताल-मेल स्थापित करके उमे सुसगठित कार्यक्रम का स्वरूप प्रदान किया जाय। इस प्रकार यह राष्ट्रीय विस्तार सेवा आन्दोलन ज्यो-ज्यो बढता जाएगा, त्यो-त्यो वह जनकल्याणकारी राज्य के सामान्य नमूने का स्वरूप ग्रहण करता जाएगा।

२. पहली पचवर्षीय योजना मे ग्राम विस्तार सेवा को, उस साधन और सामुदायिक विकास के उस अभिकरण की सज्ञा दी गई है, जिसके द्वारा गावो के सामाजिक और आर्थिक जीवन मे क्राति का सूत्रपात किया जाना है। इस की मुख्य-मुख्य बाते ये है —एक, सामुदायिक विकास का तरीका; दो, जन सहयोग से सामुदायिक विकास के लिए विस्तार सेवा द्वारा ऐसे अभिकरण की व्यवस्था, और तीन, विकास के ऐसे कार्यक्रमो का अपनाया जाना, जिनसे सामुदायिक दृष्टिकोण विकसित हो और समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्त्ता एक होकर काम कर सके। प्रारम्भिक प्रेरणा और गति प्राप्त होते ही यह कार्यक्रम अपने अनुभवो और शक्ति से स्वयम् बढने और विस्तृत होने लगता है। यह कार्यक्रम ज्यो-ज्यो आगे बढता जाता है, त्यो-त्यो पुरानी आवश्यकताए पूरी होती जाती है और नई का सृजन होने लगता है। नए-नए तरीको का पता चलता है, वे कमजोरिया, जो अर्से से उपेक्षित पड़ी थी, सामने आने लगती है, और कार्यक्रम जिस ढग से आगे बढ़ता है, उसके फलस्वरूप समाज की कई महत्वपूर्ण समस्याये हल हो जाती है।

३. विकास के विभिन्न क्षेत्रो में विभिन्न सरकारी सस्थाए काम कर रही है। सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की गतिविधियां उन्ही कारंवाइयों के अविभाज्य अंग हैं।

अत' विभिन्न विकास सस्थाओ से सम्बन्धित कार्यो और उन परिणामो को, जिनका श्रेय मुख्यत' सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमो को प्राप्त है, पृथक् कर सकना बडा कठिन है। यह समस्या वस्तुत' कई देहाती कार्यक्रमो के, एक-एक करके और मिले-जुले रूप मे उनके परिणामो को आकने की बडी समस्या का एक अग है। कार्यक्रम अकन सस्था (प्रोग्राम इवैलुएशन ओर्गनाइजेशन) की दूसरी रिपोर्ट मे सस्था की उन समस्याओ का बडी बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जो सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम पर अमल करते समय सामने आए। देहातो की बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काया पलट करने मे इस कार्यक्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए भी इसमे सहकारी सस्थाओ की मन्द प्रगति, ग्राम पचायतो के कार्यों आदि की चर्चा की गई है और सामान पहुचाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था एव ग्रामोद्योगो को विकसित करने की आवश्यकता बताई गई है। सामुदायिक योजनाओ और विस्तार कार्यकर्त्ताओ की प्रादेशिक गोष्ठियो एवं अन्य अनेक उपायो द्वारा ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रमो को प्रभावशाली और उपादेय बनाने के सतत प्रयास जारी है।

४ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए लोगो को सुधरे हुए तौर-तरीको से उत्पादन की शिक्षा पर बल देने और इस दिशा मे प्रयास करते रहने का अच्छा असर पडता है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के परिणामो को इस दृष्टि से देखने की अपेक्षा कि उन पर कितना प्रत्यक्ष खर्च हुआ अथवा उनसे कितना भौतिक लाभ हुआ, इस दृष्टि से देखना चाहिए कि लोगो की गतिविधियो पर उनका कैसा और कितना प्रभाव पडता है। जनता की उत्सुकता और तत्परता का पता तो इस बात से चलता है कि अब तक इस दिशा मे सरकार ने जितना खर्च किया, जनता ने उसके करीब ६० प्रतिशत भाग के बराबर योग दिया।

कार्यक्रम की विशेष अधिक उत्साहवर्द्धक बात यह है कि योजनाएँ तैयार करने और उनको पूरा करने मे जनता का सहयोग प्राप्त है। जहा अधिकारियो की ओर से सही रास्ता अपनाया गया, वही जनता स्वेच्छा से सहयोग देने के लिए आगे आई। श्रम करके सहयोग देने के क्षेत्र में सडके, स्कूलो की इमारत बनाना आदि, कामो मे ग्रामीण जनता द्वारा सहयोग देने की विशेष उत्सुकता दिखाना स्वाभाविक ही है।

५. जनता का सहयोग प्राप्त करने मे देहाती सस्थाओ ने महत्वपूर्ण काम किया है। विकास कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए स्थानीय सस्थाओ, जैसे पचायतो, सहकारी समितियो, यूनियन बोर्डों आदि से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है। कुछ इलाको मे तो विकास कार्यों के निमित्त तदर्थ, अननुविहित, अनिर्वाचित समितिया बनाकर विकास कार्य उन्ही को सौंप दिया गया है, जैसे मध्यप्रदेश मे ग्राम विकास मण्डल, उडीसा मे ग्राम मगल समिति, मद्रास में ग्राम सेवा सघ और बगाल मे पल्ली उन्नयन समितियो को यह कार्य सौपा गया है। स्थानीय समितियो ने विकास सम्बन्धी ऐसी गतिविधियां आरम्भ की जिनसे आम जनता उनमें हाथ बटा सके। इससे गाव में नेतृत्व तैयार करने मे बडी मदद मिल रही है। कई स्थानो पर तो विद्यार्थियों और नेशनल केडेट कोर वालो ने बहुमूल्य विकास कार्य किया है।

६. सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की कार्यरत इकाई विकास खंड है। एक विकास खड मे औसत रूप से एक सौ गाव होते है, जिनकी आबादी ६६ हजार होती है। विकास खड का औसत विस्तार १५० से १७० वर्गमील तक होता है। यह कार्यक्रम अक्तूबर १९५२ से आरम्भ किया गया। तब से समय-समय पर नए-नए क्षेत्रो मे यह कार्यक्रम आरम्भ किया जाता रहा। १९५५-५६ तक इस कार्यक्रम को देश की एक-चौथाई देहाती आबादी मे आरम्भ कर देने का लक्ष्य था। अब तक कुल मिलाकर १,२०० विकास खड खोले जा चुके है। इन खडो मे १ लाख २३ हजार गाव आ गए है, जिनकी आबादी लगभग आठ करोड है। इन बारह सौ खडो मे से सात सौ सामुदायिक विकास योजनाए होगी, अर्थात् यहा विकास कार्य और तेज़ी से होगा।

७ राष्ट्रीय बिकास परिषद् ने सितम्बर १९५५ मे भविष्य के लिए जो कार्यक्रम स्वीकार किया है, उसके अनुसार दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि मे समूचे देश मे राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरम्भ कर देने का विचार है। यह लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि देश भर मे चालू विकास खडो मे से कम-से-कम चालीस प्रतिशत खड सामुदायिक विकास खड में परिणत होगे, जहा विकास कार्य भरपूर तेजी से चल सकेगा। यदि पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके तो कुल विकास खडो मे से आधे खडो को सामुदायिक विकास खडो का रूप दिया जा सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग तीन हजार आठ सौ नए राष्ट्रीय विस्तार खड खोलने होगे, जिनमे से कम से कम ११२० खड ऐसे होगे जिन्हे दूसरी योजना काल मे ही सामुदायिक विकास खडो मे बदल दिया जायगा।

८ ऊपर विकास के जिस कार्यक्रम की चर्चा की गई है, उस पर अनुमानत २६३ करोड रुपया खर्च होना था, पर इसके लिये दो अरब रुपये की मजूरी दी गई है। विचार यह है कि १९५६-५७ के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उसे पूरा कर लिया जाए। उसके पूरा हो जाने पर राष्ट्रीय बिकास परिषद् प्राप्त अनुभवो, प्रगति की रफ्तार आदि के देखते हुए इस प्रश्न पर विचार करेगी कि सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार खडो का बजट ठीकठाक किया जाय, कार्यक्रम को कुछ धीमा कर दिया जाय अथवा अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था की जाय।

९. पहली योजना काल मे इस कार्यक्रम से कई क्षेत्रो मे, मुख्यत. कृषि, पशुपालन, सिंचाई, शिक्षा, समाज-शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सचार आदि के क्षेत्र मे पर्याप्त सफलता मिली है। फिर भी कार्यक्रम मे कई महत्वपूर्ण कमिया है। अत दूसरी योजना काल मे यद्यपि कार्यक्रम सामान्यत. जारी रहेगा, तथापि इस अवधि मे जिन क्षेत्रो पर विशेष बल दिया जायगा, मोटे तौर पर वे निम्न है :—

(१) देहातों मे रोजगार की सभावनाएं बढाने और अतिरिक्त आय की व्यवस्था करने के लिए ग्रामोद्योगो और छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योगों का विकास;

(२) सहकारी गतिविधियो का विकास;

(३) महिलाओ और युवको मे कार्यक्रम को बढाना और तेज़ करना, और

(४) आदिवासी इलाको मे तेजी से काम करना।

१०. सामुदायिक योजनाओ और राष्ट्रीय विस्तार खडो के लिए प्रशासनिक और प्राविधिक कार्यकर्ताओ की बडी ज़रूरत है। अनुमान यह है कि पहली पचवर्षीय योजना समाप्त होने तक इस कार्यक्रम की विभिन्न शाखाओं मे, जैसे योजना कार्यपालिका अधिकारी, खड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, समाज शिक्षा अधिकारी, पशुचिकित्सक और पशुचिकित्सा से सम्बन्धित अन्य व्यक्ति, सहकारी समितियो के निरीक्षक, डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, धाय,महिला स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, ओबरसियर, कला-कौशल सुपरवाइज़र, मैकेनिक, इजीनियर आदि कुल मिलाकर लगभग ८४ हज़ार लोग काम कर रहे होगे। इन शाखाओ मे दूसरी योजना काल मे उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियो के अलावा जितने क्लर्क, निम्न कर्मचारी आदि लगेगे उनकी सख्या लगभग दो लाख तक पहुच जायगी।

११. विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। चार साल पहले इन कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए सिर्फ २५ केन्द्र थे, जिनकी सख्या बढकर अब ४३ हो गई है। इन केन्द्रो मे प्रतिवर्ष लगभग पाच हजार कर्मचारियो को प्रशिक्षित किया जाता है। ग्राम सेवको को विस्तार सम्बन्धी और बुनियादी प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजना काल में देश भर के कृषि कालेजो और शिक्षण केन्द्रो में कुल ७१ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और ८५ बुनियादी कृषि स्कूल खोल दिये जायेगे और प्रशिक्षण कार्य आरम्भ हो जाएगा। ग्राम सेविकाओ को गृह-विज्ञान की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई है। ग्राम और छोटे उद्योगो का तेज़ी से विकास करने के लिए २६ प्रारम्भिक योजनाए चालू करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिन लोगो को सामुदायिक योजनाओ और राष्ट्रीय विस्तार खडो मे काम करने के लिये चुना गया है, उनके सहकारिता और कुटीर उद्योगो के सम्बन्ध मे विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार खड विकास अधिकारियो, समाज-शिक्षा सगठनकर्ताओ और स्वास्थ्य कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

१२. सामुदायिक योजनाओ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का एकमात्र उद्देश्य गावों में पर्याप्त भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य और मनोरजन के साधनो की व्यवस्था करना ही नही है। ये बात तो जरूरी है ही। किन्तु यह बात भी कम महत्व की नही कि लोगो के दृष्टिकोण मे परिवर्तन किया जाय और उनमें उच्चतम जीवनमान की आकाक्षा पैदा की जाय। देहातो मे रहने वाले सात करोड़ परिवारो के दृष्टिकोण को कैसे बदला जाय, नए ज्ञान और जीवन के नए तौर-तरीको के प्रति उनमें किस प्रकार उत्साह पैदा किया जाय और उनमे अच्छे ढग से रहन-सहन की आकाक्षा कैसे पैदा की जाय, यह हमारी अनिवार्य मानवीय समस्या है। अब तक जो परिणाम निकले, वे काफी उत्साहवर्द्धक रहे और प्रशासक एवं ग्राम-समाज के नेताओं का अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे इस बात की आशा बढ़ना भी स्वाभाविक है कि आन्दोलन में नई जान और नई गति आएगी।

१३ विस्तार सेवाए और सामुदायिक सस्थाए लोकतान्त्रिक योजना की जान है। सामुदायिक योजनाओ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के माध्यम से दूसरी पचवर्षीय योजना देश के करोडो लोगो तक पहुचेगी। ये योजनाए ही वे साधन है, जिनके द्वारा स्थानीय रूप सें आपस में मिल जुल कर सहकारी काम करते हुए ग्रामीण जनता और ग्राम न केवल बड़े पैमाने पर सामाजिक तब्दीली ला सकते है, वरन् आर्थिक तरक्की करते हुए राष्ट्रीय प्रयास में भागीदार बन सकते है।

आठवां अध्याय

कृषि-विकास का कार्यक्रम

कृषि-उत्पादन

१ कृषि-बिकास के कार्यक्रमो को पहली पंचवर्षीय योजना मे केन्द्र बिन्दु माना गया था। कुल खर्च का लगभग ४५ प्रतिशत व्यय सिंचाई और विद्युत व्यवस्था के साथ-साथ कृषि तथा सामुदायिक विकास पर हुआ। यद्यपि इस प्रकार की प्राथमिकता योजना तैयार करते समय उस समय के खाद्याभाव तथा मुद्रा-स्फीति की विशेष परिस्थितियो को दृष्टि मे रखते हुए दी गई थी, परन्तु ऐसा आर्थिक-विकास के साधारण दृष्टिकोण की स्थिति मे उचित ही रहा। १९५२-५३ से जो वृद्धि कृषि उत्पादन मे हुई है उससे, अन्य किसी कारण की अपेक्षा, मुद्रा-स्फीति की समाप्ति, अर्थ-व्यवस्था को दृढ बनाने तथा दूसरी योजना के काल मे अधिकाधिक उन्नति करने का मार्ग प्रशस्त करने मे सहायता मिली है। १९५५-५६ तक के लक्षित उत्पादन और पहली योजना के अतिरिक्त उत्पादन की तुलनात्मक सख्याए निम्न है —

पदार्थ	इकाई	आधार-वर्ष मे उत्पादन †	१९५४-५५ मे उत्पादन	१९५५-५६ का अनुमानित उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य	आधार-वर्ष से तुलनात्मक वृद्धि	
						वास्तविक	प्रतिशत
अनाज	लाख टन	४६०	५५३	५५०	६६	९०	१९.६
दालें	”	८०	१०५	१००	१०	२०	२५.०
कुल खाद्यान्न	”	५४०	६५८	६५०	७६	११०	२०.४
मुख्य तिलहन	”	५१	५९	५५	४	४	७.८
गन्ना (गुड़)	”	५६	५५	५८	७	२	३.६
रूई	लाख गाँठें	२९	४३	४२	१३	१३	४४.८
जूट	”	३३	२९	४०	२१	७	२१.२

† खाद्यान्नो (अनाज व दालो) के सम्बन्ध में आधार-वर्ष १९४९-५० को माना गया है, शेष के सम्बन्ध में १९५०-५१ को।

१९५०-५१ मे कृषि-उत्पादन का देशनाक (आधार वर्ष : १९४९-५०=१००) ९६ था। आशा की जाती है कि १९५५-५६ मे यह बढकर ११५ हो जायगा।

२ पहली पचवर्षीय योजना के लिए खाद्यान्नो के सबध मे अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य यह सोच कर रखा गया था कि समयानुसार सिंचाई व्यवस्था मे विकास, उर्वरको के अधिकाधिक उपयोग, उन्नत किस्म के बीजो की उपलब्धि और भूमि के पुनरुद्धार और भूमि-सुधार के कारण अधिक उत्पादन सम्भव हो सकेगा। पहली योजना काल मे छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओ से लगभग एक करोड़ एकड भूमि मे सिचाई व्यवस्था की जा सकी है जब कि लक्ष्य १ करोड १० लाख एकड भूमि की सिचाई का रखा गया था। अमोनियम सल्फेट का उपभोग भी दुगुने से अधिक हो गया है। इसका उपभोग, पहली योजना के लागू होने से पूर्व के २,७५,००० टन से चार वर्ष बाद बढ कर ६,१०,००० टन हो गया। केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन द्वारा १० लाख एकड से अधिक भूमि और राज्यीय ट्रैक्टर सगठन द्वारा १३ लाख एकड भूमि का पुनरुद्धार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ५० लाख एकड भूमि अन्य भूमि सुधार के उपायो द्वारा उन्नत की जा चुकी है—यथा मशीनी खेती, शारीरिक श्रम द्वारा भूमि मे बाँध बनाना, भूमि सम करना तथा उसका पुनरुद्धार करना। १९५४-५५ मे कुल कृषि-क्षेत्रफल ३,२६० लाख एकड़ से बढ़ कर ३,५०० लाख एकड हो गया है। खाद्यान्नो का कृषि-क्षेत्रफल २,५७० लाख एकड़ से बढ कर २,७००लाख एकड हो गया है और व्यापारी फसलो का कृषि-क्षेत्रफल ४९० लाख एकड़ से बढ़ कर लगभग ६०० लाख एकड हो गया है। अन्य फसलो की कृषि के क्षेत्रफल मे जो २०० लाख एकड़ था, थोड़ा परिवर्तन हुआ। व्यापारी फसलो की खेती का क्षेत्रफल जो पहले कुल कृषि-क्षेत्रफल का १५ प्रतिशत था, बढ कर १७ प्रतिशत हो गया पर खाद्यान्न का पहले का ७ ९ प्रतिशत कृषि-क्षेत्रफल घट कर ७७ प्रतिशत ही रह गया है।

३. पहली योजना काल मे कृषि-क्षेत्र के संतोषप्रद परिणामो से यह प्रतीत होता है कि भविष्य मे जो योजनाए बनाई जाए, उनमे कृषि-विकास को भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाय। अब यह आवश्यक नही रह गया है कि अन्न की फसलो को सर्वाधिक महत्व दिया जाय। अब तो यह उद्देश्य होना चाहिए कि विभिन्न फसलो की कृषि की जाय और भूमि से जहां तक सभव हो अधिकाधिक लाभ उठाया जाय। भूमि का कुल उत्पादन भी बढे और विभिन्न फसले भी अधिकाधिक उन्नत हो। जैसे-जैसे सिचाई की व्यवस्था सुचारु होती जायगी और खेती के अधिक उत्तम तरीके अपनाए जाने लगेगे, विशेषतया उन प्रदेशो मे जहा राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाए चालू है, वैसे-वैसे ही भूमि उपयोग के जिन पक्षो की ओर पहले ध्यान नही दिया जाता था—यथा फल-उत्पादन, पशु-उन्नति और दुग्ध-शालाओ के विकास की दृष्टि से उपयोगी चारे की फसले, गावो मे ईंधन की पूर्ति के लिए लकड़ी का उत्पादन—उन पर निरन्तर विशेष ध्यान देना होगा।

४. केन्द्रीय व राज्य सरकारो ने दूसरी योजना के लिए कृषि-कार्यक्रम बनाने में यह दृष्टिकोण सामने रखा है। कृषि और अन्य सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को, यह देखते हुए कि उनका ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक साथ ही बनाना होगा।

पहली योजना मे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओ के निमित्त ९० करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी, इसमे से लगभग दो-तिहाई राशि के उपयोग की सम्भावना है। दूसरी योजना मे इस पक्ष के लिए २०० करोड रुपयो की व्यवस्था की गई है। कृषि के विभिन्न पक्षो के विकास के लिए, (जो इसी प्रकार के विकास कार्यक्रमो से, जो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओ के अन्तर्गत चलाए जा रहे है, भिन्न है) निर्धारित राशि २४३ करोड से बढाकर ३५० करोड रु० कर दी गई है। निम्न तालिका मे विभिन्न मदो पर दोनो योजनाओ मे स्वीकृत राशि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है

(करोड रुपये)

विषय	स्वीकृत राशि	
	पहली योजना में	दूसरी योजना में
कृषि	१९५	१६४
बागबानी	१	९
पशु-पालन और दुग्ध उद्योग	२२	६१
वन और भूमि सरक्षण	१२	४८
सहकारिता	७	४७
मछली उद्योग	५	११
अन्य	१	१०
कुल	२४३	३५०

इस तालिका से, दोनो योजनाओं के विभिन्न पक्षो पर ज़ोर देने के बारे मे जो परिवर्तन किया गया है उसका निर्देश हो जाता है। जब इस योजना के लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी तब विविधतापूर्ण कृषि व्यवस्था की दशा मे काफी प्रगति हो जाएगी।

५. योजना-काल मे कृषि उत्पादन के सम्बन्ध मे मुख्य लक्ष्य निम्न तालिका मे दिए गए है :—

पदार्थ	इकाई	१९५५-५६ मे अनुमानित उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य	१९६०-६१ तक अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	लाख टन मे	६५०	१००*	७५०	१५ ४
तिलहन	,,	५५	१५	७०	२७ ३
गन्ना (गुड)	,,	५८	१३	७१	२७ ६
रूई	लाख गाँठे	४२	१३	५५	३१ ०
जूट	,, ,,	४०	१०	५०	२५.०

*फसलो का विवरण कुछ इस प्रकार से होगा:—

	लाख टन
चावल	४०-५०
गेहूं	१५-२०
अन्य अनाज	२०-२५
दालें	१५-१५

६. खाद्य उत्पादन में १०० लाख टन की अनुमानित वृद्धि मोटे तौर पर निम्न रूप मे होगी :—

	लाख टन
बडी सिंचाई योजनाओ से	२४
छोटी सिंचाई योजनाओ से	१८
खाद और उर्वरक से	२५
उन्नत किस्म के बीज से	१०
भूमि-पुनरुद्धार और भूमि सुधार से	८
उन्नत टेकनीक द्वारा अधिकाधिक कृषि (इसमे भूमि सरक्षण के तरीके और किफायत से पानी का प्रयोग भी सम्मिलित है)	१५
कुल	१००

७ यह आशा की जाती है कि योजना काल की समाप्ति पर खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग वर्तमान १७.२ औंस से बढकर १८ ३ औंस हो जायगा, और शक्कर का उपभोग (कच्ची शक्कर के रूप में) १ ४ औस (१९५५-५६) से बढ कर १.७५ औंस हो जायगा।

८. इस योजना के अन्तर्गत बडी और छोटी सिंचाई योजनाओ द्वारा लगभग २१० लाख एकड अतिरिक्त भूमि और सीची जा सकेगी।इसमे से लगभग ९० लाख एकड़ भूमि छोटी सिंचाई योजनाओ से और इसमें भी बारह लाख एकड़ भूमि नल-कूपो से सीची जायगी। इस अनुमान में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओ के अन्तर्गत होने वाली सिंचाई भी सम्मिलित है। यह आशा की जाती है कि योजना की समाप्ति पर नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों (अमोनियम सल्फेट के हिसाब से) की खपत ६,१०,००० टन से बढकर १८ लाख टन वार्षिक हो जायगी। सुधरे हुए बीजो के उत्पादन और वृद्धि के लिए भी प्रभावकारी उपाय किए जाएगे। पहली योजना-काल मे लगभग २० लाख एकड भूमि पर जापानी विधि से धान की कृषि प्रारम्भ की गई थी, दूसरी योजना की समाप्ति पर लगभग ४० लाख एकड भूमि पर इस विधि से कृषि की जा रही होगी। इस विधि से कृषि करने का परिणाम काफी उत्साह-जनक रहा है और यह आशा की जाती है कि इस विधि के विस्तार से धान की उपज काफी अधिक बढ जायगी। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास क्षेत्रो मे तथा सिंचाई वाले सभी क्षेत्रो में भरपूर कृषि और फसलो की औसत उपज को बढाने की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा।

९ गन्ना, रूई और जूट जैसी फसलो के सम्बन्ध मे कुछ विशेष उपाय प्रयुक्त किए जाएगे। जिन क्षेत्रो में शक्कर की मिले नही है,उन क्षेत्रों मे गन्ना उत्पादन के भरपूर विकास की योजनाएं चालू की जाएगी। इन योजनाओ मे मुख्यत सिंचाई व्यवस्था, भरपूर खाद डालने और बिक्री, कर्जे तथा उत्पादन के लिए सहकारी सगठनो के विकास की ओर ध्यान दिया जायगा। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि के कारण १० लाख एकड़ अधिक भूमि में गन्ने की खेती की जा सकेगी।

अधिकाधिक भूमि में रूई की फसल उगाने और लम्बे रेशे वाली कपास की उपज की वृद्धि की ओर ध्यान दिया जायगा। कई एक बहुद्देशीय योजनाओ से लाभ प्राप्त करने के कारण बहुत से क्षेत्रो में रेशे वाली कपास की फसल उगाई जा सकेगी और इस प्रकार रूई उत्पादन काफी बढ़ जायगा। पटसन के सम्बन्ध में उसकी किस्म सुधारने पर विशेष बल दिया जायगा। कम व उचित दरो पर सुधरे हुए बीज वितरित किए जाएगे और पटसन मुलायम करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

१०. राज्य सरकारो की विकास योजनाओ में भी सुधरी किस्म के तम्बाकू की उपज, काली मिर्च, लाख व काजू के उत्पादन और बिक्री के लिए उन्नत व्यवस्था तथा देश में नारियल के तेल (४०,००० टन) व सुपारी (३५,००० टन) का उत्पादन बढ़ा कर उनकी मौजूदा कमी दूर करने के लिए व्यवस्था की गई है।

११. बागान जाच आयोग चाय, कॉफी और रबड़ के उत्पादन मे विकास और उनसे सम्बन्धित अन्य समस्याओ की जाच कर रहा है। १९५०–१९५४ मे चाय का उत्पादन ६,१३० से ६,४४० लाख पौड तक रहा, और इसका निर्यात ४,२७० से ४,७०० लाख पौंड के बीच रहा। यह आशा की जाती है कि इसके उत्पादन को ७,००० लाख पौड तक तथा निर्यात को ५,००० लाख पौंड तक बढाया जा सकेगा। कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी के विकास के लिए एक १५ वर्षीय योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्तमान २५,००० टन के उत्पादन के अलावा २३,००० टन की वृद्धि की आशा की जाती है। इस वृद्धि मे लगभग १०,००० टन वर्तमान बागानो की भरपूर खेती और उनके पुनरुद्धार से तथा १३,००० टन नए बागानो से उपलब्ध हो सकेगी। रबड का उत्पादन १९५० के १५,५९९ टन से बढ कर १९५४ मे २१,४९३ टन हो गया। १९५०-५४ मे औसतन ३,००० टन रबड़ का निर्यात किया गया। रबड़ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई रबड़ उत्पादन के ७०,००० एकड पुराने क्षेत्र मे ७,००० एकड प्रति वर्ष के हिसाब से फिर से खेती करने और प्रति वर्ष २,००० एकड़ नई भूमि मे रबड़ उत्पादन की योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

१२. दूसरी योजना के अन्तर्गत कृषि के क्षेत्र में फल और तरकारियो के उत्पादन की वृद्धि एक मुख्य उद्देश्य है। यह सरक्षक खाद्य पदार्थो की अधिक उपज और विभिन्न प्रकार की खेती करने की दृष्टियो से आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत फल और तरकारियों के अधिक उत्पादन के लिए ८ से ९ करोड रुपयो की व्यवस्था की गई है। किसानो को नई भूमि में फलो के बगीचे लगाने और पुराने बगीचो के पुनरुद्धार करने के लिए क्रमश बडी और थोडी अवधि के लिए रुपया उधार देने की योजना बनाई गई है। अच्छे और बढिया किस्म के बीज और पौधे उगाने के लिए नई नर्सरिया खोली जाएगी। राज्य सरकारो की योजनाओ के अन्तर्गत लगभग ५,००,००० एकड़ भूमि के बगीचो के पुनरुद्धार और लगभग २,००,००० एकड़ भूमि मे नए बगीचे लगाने की व्यवस्था की गई है। तरकारियो की खेती को अधिक प्रोत्साहन दिया जायगा, विशेषतया शहरो के समीप के क्षेत्रो मे। आलू की बीज-गाठों के उत्पादन में वृद्धि करने के भी प्रयत्न किए जाएंगे। फल और तरकारी पैदा करने

वालो के सहकारी बिक्री सघ बनाने की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। दूसरी योजना मे फल और तरकारी के सुरक्षण और उन्हे डिब्बो में बन्द करने के उद्योग के विकास के लिए डिब्बा बन्द करने के नए कारखाने और कोल्ड स्टोरेज कारखाने खोलने के लिए उधार रुपया दिया जाएगा। इस सम्बन्ध मे उद्योग को सहायता देने के लिए विस्तृत विवेचन किया जा रहा है।

पशु पालन

१३. ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था और जीवन-स्तर को ऊचा करन मे पशु-पालन और दुग्ध उद्योग का जो महत्व है, आज उस पर अधिक गौर नही किया जाता। दूसरी पचवर्षीय योजना मे पशु-पालन के लिए ४० करोड रु० से अधिक और दुग्ध उद्योग के विकास के लिए लगभग २२ करोड रुपयो का प्रबन्ध किया गया है, और यह आशा की जाती है कि कृषि की इस सम्बन्ध मे जितनी उन्नति अब तक की जा सकी है, उससे अधिक प्रगति की जाएगी। पशु उन्नयन के कार्यक्रमो मे कई व्यावहारिक कठिनाइया सामने आती हैं। इसके पहले कि उस समस्याके समाधान के उपाय ढूंढे जा सके यह आवश्यक है कि उसके विस्तार और विशिष्ट पहलुओ को समझा जाए।

१४. १९५१ की पशु गणना के अनुसार भारत का पशु धन इस प्रकार था :–

(लाख में)

गोजाति		भैंस	
प्रजनक गायें	४६३.४	प्रजनक भैसे	२०९.९
प्रजनक साड	६.५	प्रजनक साड	३.१
भारवाहक पशु		भारवाहक पशु	
नर-पशु	५८४.१	नर-पशु	६० १
मादा-पशु	२३.१	मादा-पशु	५ ३
शावक-धन	४३४.९	शावक-धन	१४७ ३
बेकार पशु	३८.९	बेकार पशु	७.८
	१,५५०.९		४३३.५

१९५०-५१ की पशु गणना के अनुसार पशु-संख्या इतनी होने पर भी पशु-उत्पादनो से कुल ६६४ करोड रुपये की आय हुई, जो कृषि से प्राप्त आय का ११ प्रतिशत ही है। पशु-पोषण सम्बन्धी अध्ययन से पता चलता है कि सूखे चारे, हरे चारे और दाने आदि के रूप मे प्राप्त पशु-खाद्य आवश्यकता से बहुत कम उपलब्ध है। खाद्य पदार्थों की सीमित उपलब्धि को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक-तिहाई पशुओ के लिए खाद्य सामग्री नही है और वे भारस्वरूप है। पशु-सख्या अधिक होने के कारण उन्हे पूरी मात्रा मे चारा नही मिल पाता, और इस कारण उत्पादन बढाने के मार्ग मे बाधा पड़ती है। कृषि सगठन की पुनर्व्यवस्था किए बिना चारे आदि का अधिक उत्पादन सम्भव नही है। चूकि अकाल और महामारियो को काफी हद तक नियन्त्रित किया जा चुका है इसलिए पशुओ की सख्या और भी अधिक हो जाएगी जो खाद्य साधनो पर अधिक भार बढाएंगे। हाल

ही के कुछ वर्षो मे पशु-वध के पूर्ण निषेध की दिशा मे जो कदम उठाए गए उनसे पशुओ की सख्या-वृद्धि की समस्या और भी जटिल हो जाएगी । पहली पचवर्षीय योजना मे फालतू पशुओ की समस्या के हल के लिए जो गोसदन-योजना चालू की गई थी उससे कुछ अधिक सतोषजनक परिणाम नही प्राप्त हुए । केवल २० गोसदन ही स्थापित किए जा सके, और उनमे से भी कई गोसदनो मे पर्याप्त चरागाह की व्यवस्था नही हो पायी ।

१५. राज्य सरकारो की पशुधन विकास योजनाओ मे पशु चिकित्सा की सुविधाओ मे वृद्धि, केन्द्र-ग्रामो की स्थापना, रिंडरपेस्ट तथा अन्य बीमारियो की रोकथाम और गोसदन तथा गोशालाओ की स्थापना का प्रबन्ध किया गया है । प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओ मे वृद्धि और पशुपालन सम्बन्धी प्रशासन मे प्रगति करने की भी व्यवस्था की गई है। मुर्गीपालन, भेड पालन और ऊन उद्योग के विकास के लिए भी प्रबन्ध किया गया है। पहली योजना काल मे पशु चिकित्सा केन्द्रो की सख्या लगभग २,००० से बढकर लगभग २,६५० हो गई। दूसरी योजना काल मे १,६०० नए पशु अस्पताल खोले जाने की आशा है।

१६. रिंडरपेस्ट तथा अन्य पशु बीमारियो से बहुत अधिक पशुओ की मृत्यु होती है, ६० प्रतिशत मृत्यु तो अकेले रिंडरपेस्ट से ही होती है । पहली योजना काल मे रिंडरपेस्ट के नियत्रण के लिए एक प्रारम्भिक योजना बनाई गई थी और उससे जितने कार्य की पूर्ति हुई, उसी से यह सम्भव हो सका है कि दूसरी योजना मे सम्पूर्ण देश मे रिंडरपेस्ट बीमारी के समूल विनाश करने का कार्यक्रम बनाया गया ।

१७ पशु-धन की उन्नति का कार्यक्रम अधिकतर केन्द्र-ग्रामो के कारण सम्भव हो सका । इस योजना मे केन्द्र-ग्रामो मे कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन-सुविधाए प्रदान की जाती है। प्रत्येक केन्द्र मे लगभग ५,००० प्रजनन-योग्य गायो को गर्भ धारण कराया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु उन्नयन के लिए व्यापक प्रयत्न किए जाते है, साडों को बधिया कर दिया जाता है, चारा उत्पादन के साधन विकसित किए जाते है, बछडो के सुचारु प्रजनन के लिए सहायता दी जाती है और पशु-उन्नति के सहकारी कार्यक्रम बनाए जाते है । पहली पचवर्षीय योजना काल मे ६०० केन्द्र-ग्राम और १५० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गए थे । दूसरी योजना मे इससे दुगुना लक्ष्य रखा गया है, और आशा है कि १,२०० केन्द्र-ग्राम तथा ३०० कृत्रिम गर्भाधान खोले जायगे । इन केन्द्र-ग्रामो से लगभग ३,००० उन्नत नस्ल के साड़, ६,३६,००० उन्नत नस्ल के बैल और १०,००० गाये पैदा की जा सकेगी। कुछ दुग्ध देने वाली अच्छी नस्लो के विकास के लिए नस्ल सुधार केन्द्र खोले जाने का भी विचार है।

१८ जिन प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियो मे पशु-पालन किया जाता है, उनके कारण दुग्ध-उत्पादन कम होता है। अन्य देशो मे जहां गाय एक दुग्ध-काल मे औसतन ३,००० से ४,००० पौंड तक दूध देती है, अच्छी नस्ल की भारतीय गाय केवल १,५०० पौंड दूध दे पाती है । सामान्य औसत तो इसकी भी आधी है । प्रति व्यक्ति

दुग्ध उपभोग पाच औस से कुछ ही अधिक बैठता है जब कि सन्तुलित पोषण का न्यूनतम परिमाण १० औस प्रति व्यक्ति रखा गया है । इसलिए यह आवश्यक है कि अगले १०-१५ वर्षो मे दुग्ध उत्पादन दुगुना करने की कोई व्यवस्था की जाए। यह लक्ष्य व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव भी है बशर्ते कि पशुओ को खिलाने पिलाने और उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त बडे पैमाने पर व्यवस्था की जाए और उनकी सख्या नियन्त्रित की जाए । भैसो के दूध मे भी वृद्धि की जा सकती है । बैलों की कार्य-शक्ति बढाने के लिए उनकी सुचारु और सुव्यवस्थित देख-रेख का बहुत अधिक महत्व है । इस स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि देश भर मे बैलो की कार्य-शक्ति डेढ गुनी की जा सकती है, और पूर्वी भागो मे तो इससे भी अधिक हो सकती है । बैलो की कार्य-शक्ति अधिक हो जाने से कृषि कार्यों के लिए अब से एक-चौथाई या एक-पाचवे पशुओ की आवश्यकता होगी, और इससे भूमि पर निर्वाह-भार कम हो जायगा ।

१९ कुल दुग्ध उत्पादन और प्रति पशु दुग्ध-उत्पादन बढाने मे शहरी क्षेत्रो दूध वितरित करने की सुचारु व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व है । दूसरी पच-वर्षीय योजना मे विकास के इस पक्ष पर विशेष बल दिया गया है । इस काल में ३६ दूध वितरण करने वाली सस्थाएँ, १२ सहकारी क्रीम बनाने वाले और ७ सूखा दूध तैयार करने वाले सघ खोले जाएगे । ये सघ मक्खन, घी और क्रीम निकले हुए दूध का पाउडर तैयार करेगे । जहा-जहा बम्बई की आरे दुग्ध कालोनी जैसी बडी कालोनियो की व्यवस्था करना परमावश्यक है, वहा तो ऐसी कालोनी स्थापित की जाएगी, परन्तु अनुभव से यह पता चलता है कि ग्राम्य स्तर पर दुग्ध-उत्पादको के सहकारी सगठन अधिक उपयुक्त सिद्ध होगे । दुग्ध-उत्पादको को पशु खरीदने और अन्य कार्यो के लिए कर्ज दिए जाएगे । यदि गाव मे किसी केन्द्रीय स्थान मे दूध दूहने का एक स्थान प्रस्तुत किया जाय, तो सील-बन्द करके दूध को विधायन केन्द्रो मे भेजना और वहा से वितरण करना सरल हो जायगा । गावो के फालतू दूध-घी की सुचारु रूप से बिक्री और विधायन से दुग्ध-उत्पादक को अच्छा मुनाफा हो सकेगा, पशुओ की किस्म अच्छी हो सकेगी और शहरी क्षेत्रों मे उपभोक्ताओ को शुद्ध दूध उपलब्ध हो सकेगा ।

२० दूसरी योजना मे मुर्गीपालन और भेड़-पालन तथा ऊन उद्योग के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, जिसके लिए क्रमश ३ करोड़ और १.६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । यह अनुमान लगाया गया है कि भारत मे एक मुर्गी की अंडा देने की क्षमता प्रति वर्ष ५० अडे से कुछ अधिक है । अगले १० वर्षो मे इस सख्या को देशी मुर्गियो की उन्नति और बीमारी की रोकथाम के द्वारा दुगुना किया जा सकता है । भेडो की नस्ल सुधारने तथा उन्नत किस्म की भेडे पैदा करने के लिए तीन नए केन्द्र खोले जाएगे । बढिया किस्म का ऊन तैयार करने के लिए, जिसका आजकल आयात होता है, दो-नस्लीकरण भी पर विचार किया जा रहा है । प्रत्येक केन्द्र में भेड के बाल जाच करने की एक प्रयोगशाला खोली जायगी ताकि भेड और ऊन विकास केन्द्रों में तैयार की गई ऊन की जांच की जा सके । दूसरी पंचवर्षीय योजना

काल मे ४०० भड और ऊन विकास केन्द्र खोले जाने की आशा है। शुष्क जलवायु वाले क्षत्रो मे जहा सिचाई के साधन सीमित है, और आजकल बहुत कम ऊन पैदा होता है, ऊन का उत्पादन बढाने की बहुत अधिक गुजाइश है।

मछली उद्योग

२१. दूसरी योजना मे मछली उत्पादन और मछली उद्योग की उन्नति के लिए अधिक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। खाद्य व कृषि मत्रालय की योजनाओ के अन्तर्गत सागरतट पर व गहरे समुद्र मे मछली पकडने के उद्योग के विस्तार की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए अंदमान द्वीप-समूह व पूर्वी और पश्चिमी तटो पर तट के पास अतिरिक्त गवेषणा केन्द्र खोले जाएगे। एक मछली उद्योग टेकनोलोजी केन्द्र भी खोला जाएगा। मछली-उपलब्धि के साधनो के उपयुक्त विकास के लिए मछली उद्योग विस्तार सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है। पहली पचवर्षीय योजना काल मे कुछेक विस्तार एकक स्थापित किए गए थे, ताकि वे मछली पकडने और उनकी सख्या बढाने के नवीनतम तरीको का प्रदर्शन करे और दूसरी योजना मे इनकी सख्या बढाने का प्रबन्ध किया गया है। मछली पकडने के केन्द्र से उपभोग के स्थान तक रेफ्रिजरेटरो मे मछली पहुचाने की पर्याप्त सुविधाओ के लिए शीतातव-रक्षित रेल के डिब्बे उपलब्ध करने का आयोजन किया गया है। मछली पकडने के मुख्य मुख्य केन्द्रो में बर्फ और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाए तो अब भी उपलब्ध है, और यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य मे अन्य केन्द्रो मे भी ये सुविधाए प्राप्त हो सकेगी। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारो की योजनाओं मे १८ बर्फ और कोल्ड स्टोरेज के और १० फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर तैयार करने के कारखाने खोले जाने की व्यवथा है। मछली पकडने की सुविधाओ मे उन्नति करने के लिए तटवर्ती केन्द्र विकसित किए जाएगे। मछली और अन्य समुद्रीय पदार्थों के उपयोग और मछली सुरक्षित रखने और स्टोर करने तथा मछली पकडने के यत्रो आदि से सम्बन्धित समस्याओं की छान-बीन की जाएगी। समुद्रतटवर्ती राज्यो में मछली पकडने की क्रिया मे भी मशीनों के उपयोग की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन दिशाओ मे तिरुवाकुर-कोचीन मे जो भारत-नार्वे कार्यक्रम चालू है, उसे और विकसित किया जायगा। मछुवाहो के सहकारी सघ विकसित करने के भी प्रयत्न किए जाएगे और मछली पकडने मे काम आने वाले साज-सज्जा यथा इंजन, चरखी, हुक, डडा और सूत आदि मछुवाहों को सस्ते दामो पर दिए जाएगे। योजना मे मछली उद्योग के विकास के लिए १२ करोड रुपयो की व्यवस्था की गई है।

कृषि उत्पादनों की बिक्री

२२. कृषि-उत्पादनो की सहकारी बिक्री के विकास के सम्बन्ध मे पहले एक अध्याय मे जिक्र किया जा चुका है। कृषि मडियो को नियत्रित करने की आवश्यकता होती है, ताकि उत्पादको के साथ न्याय हो। इस बात को पहली योजना मे स्वीकार किया गया था और उसमें कृषि-उत्पादनो की बिक्री अधिनियम को सब बड़े बड़े हाटो पर लागू करने की सिफारिश की गई थी। १९५०-५१ मे ऐसे नियत्रित बाजारो की सख्या २६५ थी। आशा की जाती है कि यह संख्या पहली योजना की समाप्ति पर ४८० हो जाएगी। दूसरी योजना में ५०० से ६०० ऐसे बाजारो की स्थापना करने का विचार है। बाजारों को नियंत्रित

करने से सम्बन्धित नियमो को विस्तृत क्षेत्रो मे लागू किया जा रहा है। बाजार नियमन कार्यक्रम मे न केवल कम तौलने या हल्के बांट रखने जैसे व्यवहारो को बद करने का प्रयत्न किया जाएगा, बल्कि उत्पादनों का वर्गीकरण, बाँट और नाप के साधनो का प्रमापीकरण किया जाएगा और बाजार-समाचार सेवा के प्रसार की सुचारु व्यवस्था की जाएगी।

२३. बिक्री के लिए आये उत्पादनो के वर्गीकरण का लाभ यह रहता है कि उससे उत्तम कोटि के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है, और मोल-भाव करने में सुविधा रहती है। विदेशो से व्यापार के सम्बन्ध मे वर्गीकरण और प्रमापीकरण आवश्यक रूप से होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का नमूना दिखाया जाय वैसा ही माल देने से विदेशो में माल की साख बन जाती है। पहली योजना मे कुछ पदार्थों के आवश्यक वर्गीकरण की सिफारिश की गई थी—यथा ऊन, सुअर के बाल, काजू, काली मिर्च आदि। ऊन और सुअर के बालों के वर्गीकरण की योजना चालू कर दी गई है। पहली योजना के अंतिम चरण में मुख्य मुख्य तेलो के वर्गीकरण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। कुल मिलाकर ११० कृषि व पशुजन्य उत्पादनों मे एगमार्क सील लगाई जाती है, और ३० अन्य पदार्थों के प्रमाप निर्धारित करने के सम्बन्ध मे जाँच की जा रही है। अधिकाधिक पदार्थों के प्रमापीकरण और उनके अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्रो मे लागू करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जंगलात

२४. भारत मे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के २२ प्रतिशत मे जगल है, जब कि जंगलात सम्बन्धी नीति सरकारी प्रस्ताव मे ३३ प्रतिशत भूमि मे जगल होने की सिफारिश की गई है। इसलिए राष्ट्रीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए जगलो के विस्तार और इमारती लकडी तथा औद्योगिक पदार्थों के अधिकाधिक उत्पादन के सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। दूसरी योजना मे इमारती लकडी, दियासलाई की लकड़ी, वाटल, लुगदी तथा गोद का उत्पादन बढाने और जगल-क्षेत्रो का भरपूर उपयोग और उपलब्ध जगलात के साधनो का अधिकतर उपयोग करने का कार्यक्रम बनाया गया है। जगल सम्बन्धी योजना मे, जिसके लिए २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ६,००,००० एकड भूमि मे जगलो को विकसित करने और ३,००,००० एकड़ भूमि मे नए जगल बनाने और ५०,००० एकड भूमि में चरागाह बनाने का प्रबन्ध किया गया है। नए जगलो मे से १,००,००० एकड भूमि मे औद्योगिक पदार्थों यथा दियासलाई की लकडी, लुगदी और गोद का उत्पादन किया जाएगा। यह भी विचार है कि ७,००० मील लम्बी जगली सडके बनाई जाए, और कम प्रसिद्ध इमारती लकडियो के रासायनिक प्रयोगों और अन्य तरीको से उन्नयन के लिए या जहा उनके स्थान पर बढिया किस्म तैयार की जा सके, वहा अनेक उत्पादन के लिए १० लकडी-उन्नयन के कारखाने खोले जाएगे। जगलात सम्बन्धी आकडो का अधिक अच्छी तरह सग्रह किया जाना आवश्यक है। क्योकि उपलब्ध आकडो से सरकारी जगल विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों का समुचित मूल्याकन नही हो सकता, इसलिए जंगल सम्बन्धी योजना का व्यापक विवेचन किया जाना आवश्यक है।

भूमि-संरक्षण

२५ पहली पचवर्षीय योजना में दिए गए सुझाव के अनुसार १६५३ के अन्त में एक भूमि सरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका कार्य भूमि-सरक्षण का कार्यक्रम बनाना और राज्य सरकारो के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर भूमि-सरक्षण का कार्यक्रम संगठित करना है। तब से २२ राज्यो मे भूमि-सरक्षण बोर्ड स्थापित किए जा चुके है । अनुसंधान कार्य और कर्मचारी-प्रशिक्षण के लिए चार आचलिक केन्द्र खोले गए है । दूसरी योजना मे भूमि-सरक्षण के लिए २५ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । एक व्यापक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमे ३० लाख एकड़ से अधिक भूमि मे भूमि-सरक्षण का कार्य किया जायगा । इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्र शामिल है—यथा कृषिक्षेत्र, नदी पार्श्व क्षेत्र, खड्ड वाले क्षेत्र, बेकार पडी भूमि और पहाडी क्षेत्र । अनुसधान कार्य के लिए सर्वक्षण करने का भी आयोजन किया गया है । रेगिस्तानी क्षेत्रो मे केन्द्रीय सरकार स्वय भूमि-सरक्षण का कार्य कर रही है । भूमि सरक्षण कार्यक्रमो को चलाने मे किसानो की सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाकार्य के क्षेत्रो मे भूमि-सरक्षण कार्य को काफी महत्व दिया जाना चाहिए । ग्रामीण व्यक्तियों को भूमि सरक्षण के लाभ बताने और उसके साधारण व आसान तरीको के अधिक से अधिक प्रदर्शन किए जाने चाहिए । ग्रामीण समुदायो के सहयोग से भूमि सरक्षण का कार्य शीघ्रतापूर्वक और कम खर्च से किया जा सकता है ।

अनुसन्धान

२६. हाल के वर्षों में ग्राम-विकास कार्यों से सम्बन्धित अनुभवो से पता चलता है कि कृषि के सम्बन्ध में विस्तार कार्यों को सफल बनाने के लिए नए अनुसन्धान आवश्यक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल मे केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा सचालित अनुसन्धानशालाओ मे कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाएगा, ताकि विस्तार कार्यों के परिचालन मे जो समस्याए सामने आए, उनका समुचित समाधान किया जा सके । विशेषतया सूखी खेती, भूमि सरक्षण, भूमि की देख-रेख और उसका उपयोग, कुछ विशिष्ट चुनी हुई फसलो के विकास, दोनस्लीकृत पौधो का उपयोग, फसली कीडो और बीमारियो की रोकथाम तथा उर्वरक और खाद के प्रयोग के सम्बन्ध मे अनुसन्धान किया जाएगा । जंगलात, मछली उद्योग, पशु व मुर्गी-पालन, भेड व ऊन विकास और पशुओ के उत्तम पोषण के लिए चारा व पोषक खाद्य के सम्बन्ध मे भी अनुसधान करने का कार्यक्रम बनाया गया है । देश भर मे होने वाले अनुसन्धान कार्यों मे समन्वय किया जाएगा और यह भी प्रयत्न किया जाएगा कि एक राज्य के अनुसन्धान कार्य से अन्य राज्य भी अधिकाधिक लाभ उठाएं और खोज होने के पश्चात उसे प्रयुक्त करने में कम से कम समय लें । एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में भारतीय और अमेरिकन कृषि कालेजों तथा अनुसन्धान सस्थाओं के संगठन और कार्यक्रम के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन किया, और उसने कई सिफारिशे की जिन पर विचार किया जा रहा है। दूसरी योजना

काल में जो नई संस्थाएं खोली जाएंगी उनमें एक राष्ट्रीय दुग्ध अनुसन्धान संस्था है । कृषि-अर्थ व्यवस्था सम्बधी अनुसन्धान, जिसका प्रारम्भ हाल ही मे किया जा चुका है, और भी विकसित किया जाएगा ।

प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग

२७ पहली योजना के कार्यक्रमो को चलाने मे एक बडी कठिनाई योग्य व शिक्षित कर्मचारियों की रही है। विकास के और भी अधिक विस्तृत कार्यक्रमो को देखते हुए शिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता पहले से अधिक हो गई है । इसलिए दूसरी योजना में शिक्षित कर्मचारियो की कमी दूर करने के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया है । कृषि कार्यो के लिए लगभग ४,५०० कृषि स्नातकों की आवश्यकता है । चार नए कालेज खोलने और वर्तमान कालेजो के विस्तार की व्यवस्था की गई है । पहली योजना काल में ग्रामसेवको के प्रशिक्षण के लिए जो केन्द्र व सस्थाए खोली जा चुकी है, उनका दूसरी योजना काल मे विस्तार किया जाएगा । पशु-चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहली योजना मे कई अल्पकालीन उपायो का निर्देश किया गया था, यथा सस्थाओ मे दो पारी मे शिक्षण और कालेजो मे अल्प-कालीन पाठ्यक्रम जारी करना । यह कार्यक्रम दूसरी योजना काल मे भी जारी रखा जाएगा जिसमे लगभग ५,००० पशु चिकित्सा स्नातको की आवश्यकता होगी । नए पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने और कुछ पुराने कालेजो के विकास की भी व्यवस्था की गई है । देश में विभिन्न क्षेत्रो के कुछ कालेजो में कृषि, पशु-चिकित्सा और पशु-पालन के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जाएगी।

२८ फारेस्ट कालेज, देहरादून तथा रीजनल फारेस्ट कालेज, कोयम्बटूर में जगल अफसरो और रेंजरो के प्रशिक्षण की सुविधाए बढा दी गयी है । उच्च अधिकारियो को सहकारिता की शिक्षा देने के लिए एक कालेज पूना मे खोला जा चुका है । बीच के वर्ग के सहकारी कर्मचारियो को पाच प्रादेशिक केन्द्रो मे प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा नीचे के कर्मचारियो के लिए राज्य सरकारे प्रशिक्षण केन्द्र बना रही है । केन्द्रीय भूमि-सरक्षण मण्डल ने जो अनुसन्धान तथा प्रदर्शन केन्द्र खोले है उनमे राज्य सरकारो के कर्मचारियो को भूमि-सरक्षण की शिक्षा देने का प्रबन्ध कर दिया गया है। मछली उद्योग के क्षेत्रो के प्रबन्ध तथा विकास और मछली पकड़ने के आधुनिक तरीको की शिक्षा मडपम, बम्बई तथा कलकत्ता के अनुसन्धान केन्द्रो में देने की व्यवस्था की जा रही है ।

नवां अध्याय

सिंचाई और बिजली

सिंचाई

पहली पचवर्षीय योजना मे सिंचाई और बिजली के कार्यक्रम एक दीर्घकालीन योजना के पहले भाग के रूप में आरम्भ किए गए थे। उपलब्ध सामग्री की जांच करने के बाद, १५ वर्षो की अवधि में विकास के जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उन्हें निर्धारित किया गया था। ऐसा करते हुए मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के जल-साधनों का यथासम्भव अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

२ सिंचाई और बिजली की योजनाओ का निर्धारण करते समय विभिन्न प्राविधिक एव आर्थिक बातो के अतिरिक्त, दो सामान्य सिद्धान्तो को ध्यान में रखना होगा। पहला तो यह कि बडी और मध्यम आकार की योजनाओ में सतुलन रहना चाहिए। सिंचाई और जल-विद्युत की बडी योजनाओ के पूरा होने में कई साल लगते है और सामान्यतया काफी समय बाद ही उनके पूरे लाभ प्राप्त होते है। किन्तु मध्यम आकार की योजनाओ के परिणाम जल्दी ही निकल आते है और उनसे होने वाले लाभो में एक प्रकार की निरन्तरता बनी रहती है। पहली योजना के आरम्भ में कई बडी योजनाएं पहले से ही चल रहीं थी, इसलिए नई योजनाए बनाने की सम्भावनाए अत्यन्त सीमित थीं। पहली योजना की अवधि में आरम्भ की गई विभिन्न बहूद्देशीय और अन्य विशाल योजनाओ को आगे बढाने के अतिरिक्त, दूसरी योजना में मध्यम आकार की योजनाओं को विशेषता दी गई है। सिंचाई और बिजली के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाते हुए दूसरा सिद्धान्त यह है कि यथासम्भव देश के समस्त प्रदेशो की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी योजना के लिए योजनाए निश्चित करते समय इस ध्येय का अनुसरण किया गया है। इस अध्याय के अन्त में दिए गए विवरण पत्र से भी यही बात प्रकट होती है। इसमें बताया गया है कि दूसरी योजना की अवधि मे कितने अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई होगी और प्रत्येक राज्य में कितनी अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता सस्थापित की जाएगी। इस अवधि में सिंचाई और बिजली पर कुल ९०० करोड रुपया व्यय किया जाएगा जब कि पहली योजना में ६६१ करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था की गई थी।

३. पहली योजना के आरम्भ में, समस्त साधनों द्वारा कुल ५ करोड़ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होती थी। इसमें से १ करोड़ ८० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई सरकारी नहरो से, २० लाख एकड़ की निजी नहरो से, १ करोड़ ३० लाख एकड़ की कुँओं से, ९० लाख एकड़ की तालाबो से और ८० लाख एकड़ की सिंचाई अन्य साधनों से होती थी। केवल लगभग २ करोड ५० लाख एकड क्षेत्र ऐसा था जिसकी बडी और मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओ से सुरक्षित रूप में सिंचाई होती थी। लगभग १५ वर्ष की अवधि में प्राप्तव्य लक्ष्य यह निश्चित किया गया था कि कम वर्षा के सालो में भी सिंचाई की योजनाओ द्वारा इससे दुगुने क्षेत्र की सिंचाई की जा सके। पहली योजना की प्रगति और दूसरी योजना में चालू किए जाने वाले कार्यक्रमो से यह आशा बधती है कि यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

४. पहली योजना की अवधि मे बडी और मध्यम आकार की योजनाओ से ७० लाख एकड़ की सिंचाई होने लगेगी। दूसरी योजना में यह क्षेत्र बढ़कर १ करोड़ २० लाख एकड़ हो जाने की आशा है। इसमें से ९० लाख एकड की सिंचाई पहली योजना मे आरम्भ की गई योजनाओं से होगी और ३० लाख एकड़ की सिंचाई दूसरी योजना में सम्मिलित नई योजनाओ से होगी। अन्त मे इन नई योजनाओ से १ करोड़ ५० लाख एकड क्षेत्र की सिंचाई होगी। पहली योजना के कार्यों की भाति, दूसरी योजना मे सम्मिलित नए कार्यों के अधिकांश लाभ तीसरी योजना की अवधि में ही प्राप्त होंगे। इस अवधि में पहले की योजनाओं से होने वाली सिंचाई के अतिरिक्त लाभो के परिणाम स्वरूप १ करोड़ २० लाख एकड़ और अधिक क्षेत्र की सिंचाई होगी। इन आकड़ों से सिंचाई के विकास के प्रयत्नो एवं परिणामों की निरन्तरता का पता चलता है।

५. सिंचाई की १८८ नई योजनाओ मे से १३६ पर १ करोड़ रुपये से कम व्यय होगा, ३४ पर १ करोड़ से ५ करोड़ रुपये तक व्यय होगा, ८ पर ५ करोड से १० करोड रुपये तक व्यय होगा, ९ पर १० करोड़ से ३० करोड़ रुपये तक व्यय होगा, और केवल एक पर ३० करोड़ रुपये से अधिक व्यय होगा। इस प्रकार बडी बहू-द्देशीय योजनाओं को, जो पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी, संतुलित करने के लिए दूसरी योजना में सिंचाई की जो नई योजनाए आरम्भ की जाएगी उनमे से अधि-काश मध्यम या छोटे आकार की है और उनके लाभ आरम्भ से ही मिलने लगेंगे।

६. कुँएं, तालाब और सिंचाई की छोटी-मोटी नहरे आदि छोटे कार्यो का सिंचाई के विकास मे समान रूप से महत्वपूर्ण भाग है। १९५० मे देश में जितने क्षेत्र की सिंचाई होती थी उसके आधे की सिंचाई छोटे-मोटे कार्यो से होती थी। पहली योजना में १ करोड़ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई छोटे-मोटे सिंचाई कार्यों से होने लगेगी। दूसरी योजना

की व्यवस्था के अनुसार सिंचाई के इन छोटे-मोटे कार्यों से ९० लाख एकड़ क्षेत्र की सिचाई हो सकेगी ।

७. ऊपर बताए गए विशाल कार्यक्रमों के लिए वित्त प्राप्त करने की कठिन समस्या उत्पन्न होती है। उन पर जो लागत लगेगी वह पहली योजनाओं की लागत से बहुत अधिक है । मरम्मत आदि एव सचालन की लागते अब बहुत अधिक बढ गई है । इन समस्याओं पर विचार करते हुए दो सिद्धान्तो पर जोर देना होगा। पहला तो यह कि जिन क्षेत्रो को सिचाई की, विशेषत नहर और नलकूपो से सिचाई की सुविधाएं प्राप्त है, उन्हे इस योजना की लागत का कुछ अश देना चाहिए । सुरक्षित रूप से सिंचाई होने के कारण जमीन की कीमत बढ जाती है और इसलिए यह उचित ही है कि इस बढी हुई कीमत का कुछ भाग आगामी विकास की वित्त व्यवस्था के निमित्त समाज को मिले। दूसरा सिद्धान्त यह है कि सिचाई की दरे व्यावसायिक आधार पर निश्चित की जाए । कई राज्यो की दरे वर्षों पहले नियत की गई थी और सम्भवत उनमे इस बात का पूरा ध्यान नही रक्खा गया कि तबसे फसलो के मूल्य मे वृद्धि हुई है ।

बिजली

८. बिजली के साधनो की वृद्धि औद्योगिक विकास के मुख्य आधारो में से एक है । यह ठीक ही है कि बिजली की खपत आर्थिक विकास की सूचक मानी जाती है ।अभी कुछ साल पहले तक भारत मे पानी और कोयले के साधन होते हुये भी बिजली का उत्पादन बहुत मद गति से हुआ है। पहली योजना के आरम्भ मे बिजली पैदा करने वाले सयन्त्रो की सस्थापित क्षमता कुल २३ लाख किलोवाट बिजली बनाने की थी । इसमें से लगभग आधी क्षमता बिजली देने वाली कम्पनियो की थी जो मुख्यत. बड़े बड़े शहरो मे ही थी। सस्थापित क्षमता का लगभग एक चौथाई सार्वजनिक क्षेत्र मे थी और शेष औद्योगिक सस्थाओं मे थी, जो स्वय अपनी बिजली तैयार करती थी।

९. बिजली के विकास के लिये, दीर्घकालीन योजना बनाना सिचाई की अपेक्षा भी अधिक आवश्यक है । विकसित होने वाली अर्थ नीति मे, बिजली की जितनी आवश्यकता समझी जाती है प्राय उससे भी कही अधिक उसकी आवश्यकता होती है । भारत मे ऐसा हो चुका है । पहली योजना के आरम्भ मे, जबकि सिचाई पर अधिक ज़ोर देना ज़रूरी था, यह समझा गया था कि १५ वर्ष मे बिजली की सस्थापित क्षमता मे ७० लाख किलोवाट की वृद्धि हो जानी चाहिये । अब ऐसी आशा है कि सस्थापित क्षमता का यह लक्ष्य काफी पहले ही प्राप्त हो जाएगा । नई प्रगति से स्थिति इस प्रकार बदल सकती है कि जिसकी विस्तार से अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती । आणविक शक्ति के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय आरम्भिक कार्य किए जा चुके हैं।

१० पहली योजना मे बिजली की सस्थापित क्षमता ११ लाख किलोवाट से बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो गई है । इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भाग ६ लाख से

बढ़कर १४ लाख किलोवाट हो गया है । इसके अतिरिक्त लगभग दो लाख किलोवाट के बिजलीघर करीब तैयार हो चुके है और ये १९५६ के अन्त से पहले ही चालू हो जाएगे। पहली योजना की अवधि मे बिजली की प्रति व्यक्ति खपत १४ से बढ कर २५ एकक हो गई है । ११ वोल्ट और इससे अधिक की बिजली की लगभग १६,००० मील लम्बी लाइनें जमीन के ऊपर और नीचे डल चुकी है । इस प्रकार पहली योजना के आरम्भ मे बिजली की जितनी लाइने थी उनका विस्तार अब दुगुने से भी अधिक हो गया है। १९५१ के आरम्भ मे केवल ३,६८७ शहरों और कस्बो मे ही बिजली थी परन्तु पहली योजना के अन्त तक ६,५०० शहरो और गावों मे बिजली पहुच जाएगी ।

११. यह अनुमान लगाया गया है कि अगले दस वर्षों में बिजली की सस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष २० प्रतिशत बढानी होगी । इसका अर्थ है कि १९६६ के लिए १ करोड ५० लाख किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य होना चाहिए । इस पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए ही दूसरी योजना के अन्त तक बिजली की सस्थापित क्षमता बढ़ाकर ६८ लाख किलोवाट कर देने के कार्यक्रम पर विचार किया जाना चाहिए। १९५५-५६ से १९६०-६१ के बीच होने वाली ३४ लाख किलोवाट की वृद्धि मे से २९ लाख किलोवाट सार्वजनिक क्षेत्र से, २ लाख किलोवाट बिजली देने वालो कम्पनियो से, और ३ लाख किलोवाट औद्योगिक सस्थाओ से मिलेगी। ये सस्थाए अपनी बिजली स्वय पैदा करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में जल से बिजली २१ लाख अतिरिक्त किलोवाट और ताप शक्ति से ८ लाख अतिरिक्त किलोवाट तैयार होगी । दूसरी योजना मे कुल मिलाकर बिजली पैदा करने की ४२ योजनाए (नई योजनाए और वर्तमान बिजली केन्द्रो का विस्तार) चालू की जाएगी। इनमे २३ जल-विद्युत और १९ वाष्प-विद्युत के केन्द्र सम्मिलित होगे। अगले ५ वर्षो मे बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत २५ से बढकर ५० एकक हो जाने की आशा है । जमीन के ऊपर और नीचे ११ वोल्ट और उससे अधिक की ३५,०००मील लम्बी लाइने बन जाने पर सम्प्रेषण की लाइनें लगभग दुगुनी हो जाएगी । पहली योजना से पूर्व, विद्युतशक्ति-उत्पादन ६ अरब ६० करोड़ किलोवाट घटे था। आशा है कि यह १९५५-५६ मे बढ़कर ११ अरब किलोवाट घटे और दूसरी योजना की समाप्ति पर २२ अरब किलोवाट घटे हो जाएगा ।

१२. बिजली की खपत मे वृद्धि और औद्योगिक विकास इन दोनो का घनिष्ठ सम्बन्ध है। १९५० मे सार्वजनिक-उपयोग बिजली केन्द्रो से बिजली की औद्योगिक क्षेत्रो मे खपत २ अरब ६० करोड़ किलोवाट घटे थी । १९५५ मे यह बढ़कर ४ अरब ६० करोड़ किलोवाट घटे हो गई । १९६० में यह अनुमानतः ११ अरब ८० करोड़ किलोवाट घटे हो जाएगी। १९५० म सार्वजनिक-उपयोग बिजली केन्द्रो से उद्योगो मे बिजली की ६३ प्रतिशत खपत होती थी, जो १९५५ में बढ़कर ६६ प्रतिशत हो गई और १९६० मे यह खपत बढ़कर ७२ प्रतिशत हो जाने की आशा है।

१३. विकेन्द्रित आधार पर उद्योग के विकास के लिए और कृषि के लिए भूगर्भ जल-साधनो का लगातार प्रयोग करने के लिए छोटे-छोटे कस्बो और ग्रामीण क्षेत्रो में

बिजली पहुंचाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पहली योजना के अन्त तक २०,००० से अधिक की आबादी वाले लगभग ९५ प्रतिशत कस्बों में बिजली पहुच जाएगी। दूसरी योजना का लक्ष्य ५ हज़ार से २० हज़ार तक की आबादी के उन छोटे-छोटे कस्बों में जो आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के केन्द्र है, बिजली पहुचाना है। इस प्रकार के लगभग ४ हज़ार छोटे-छोटे कस्बे है जिनमें से अब तक केवल ४० प्रतिशत में बिजली पहुंचाई गई है। दूसरी योजना काल में इनमे से ८० से ९० प्रतिशत कस्बो में बिजली पहुचाने की आशा है। ५ हज़ार से कम आबादी वाले गावो में बड़े पैमाने पर बिजली पहुचाना एक बड़ी कठिन समस्या है। सारे देश में ऐसे ५ लाख से भी अधिक गाव है। उनमे बहुत से गाव बिजली के विकसित साधनो से बहुत दूर है। विशाल क्षेत्रो के लिये विभिन्न ग्रिड श्रृंखलाए तैयार हो जाने पर बिजली की लाइनो के पास पड़ने वाले बहुत से गावो को बिजली दी जाएगी। दूसरी योजना-काल में अभी जिन कस्बो को बिजली मिल रही है उनके अतिरिक्त, ७,५०० कस्बो और गावो को बिजली और मिलेगी। नीचे दी गई तालिका मे बताया गया है कि दूसरी योजना के अन्त तक कितनी आबादी के कितने कस्बो और गावो को बिजली पहुचाई जाएगी :—

आबादी	१९५१ की जनगणना के अनुसार बस्तियो की सख्या	मार्च १९५६ तक बिजली पाने वाली बस्तियों की सख्या	मार्च १९६१ तक बिजली पाने वाली बस्तियो की संख्या
१ लाख से ऊपर	७३	७३	७३
१ लाख से ५० हज़ार तक	१११	१११	१११
५० हज़ार से २० हज़ार तक	४०१	३६६	४००
२० हज़ार से १० हज़ार तक	८५६	४५०	८१६
१० हज़ार से ५ हज़ार तक	३,१०१	१,०००	२,६००
५ हज़ार से कम	५,५६,५६५	४,५००	१०,०००
कुल योग	५,६१,१०७	६,५००	१४,०००

१४. ग्रामीण योजनाओ को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाओ तथा अन्य क्षेत्रो मे जनता द्वारा बहुत अधिक सहकारी प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो मे बिजली की एकीकृत प्रणालिया चालू हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्रो मे कम दरो पर बिजली पहुचाना सम्भव हो जाना चाहिये।

बाढ़-नियन्त्रण

१५. बहुत दिनों तक बाढ़-नियन्त्रण को सिंचाई-व्यवस्था के एक सहायक अग के रूप में ही समझा गया। १९५४-५५ की बाढ़ों के कारण बाढ-नियन्त्रण के उपायो को सिंचाई की योजनाओं में एक विशेष स्थान प्राप्त हो गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उत्तर

पश्चिमी और मध्य देश की नदियों की बाढों को रोकने की योजनाए बनाने के लिये नदी आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के बाढ-नियत्रण विभाग द्वारा बाढ-नियत्रण कार्यक्रम एकीकृत किए जाते हैं और केन्द्रीय बाढ-नियत्रण बोर्ड उनके सबन्ध मे नीति निर्धारित करता है। दूसरी योजना मे तटबध, पुश्ते आदि बनाने की ऐसी योजनाओ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो जल्दी ही पूरी हो सकती है। तटबध और नहरो के सुधार आदि की ऐसी योजनाओ को भी आरम्भ किया जाएगा जो अगले ५ से १० वर्षों में शुरू की जा सकती है। नदियों और सहायक नदियो पर जलाशय आदि बनाने के दीर्घकालीन उपाय अभी बाद के लिए छोड दिए गए है।

सर्वेक्षण, जाँच-पड़ताल और शोध

१६. अगली योजना में भी देश की समस्त मुख्य नदियो के प्रवाह एवं जलराशि आदि के बारे मे विस्तार से जाच-पड़ताल करने का कार्य जारी रहेगा। दूसरी योजना में सम्मिलित सिंचाई और बिजली की कई योजनाओ के बारे में अभी विस्तार से जांच-पड़ताल करनी बाकी है। इन योजनाओ के बारे मे तभी अन्तिम निर्णय किए जा सकते हैं जबकि उनके बारे में पूरी जांच-पड़ताल हो जाए और उनके प्राविधिक तथा आर्थिक पहलू स्पष्ट हो जाए। इस आवश्यक कार्य मे प्रगति करने के लिए विभिन्न राज्यो एव केन्द्र की योजनाओ में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आधार पर बिजली के भार का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा। सिंचाई के कार्यक्रमो मे सिंचाई इजीनियरी की विभिन्न मूल समस्याओ के बारे मे शोध करने की योजनाए भी शामिल है। बिजली उत्पादन का जो विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है उसे ध्यान मे रखते हुए तथा बिजली का सामान बनाने वाले उद्योग की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए बिजली सम्बन्धी इजीनियरी के बारे मे शोध करने के निमित्त भी योजना मे व्यवस्था की गई है। बिजली इजीनियरी की शोध के लिए एक संस्थान स्थापित करने का भी विचार है।

जन-सहयोग

१७. सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण के कामो मे जन सहयोग प्राप्त करने की काफी गुंजाइश है। राष्ट्रीय विकास के ऐसे बृहद् क्षेत्रो मे स्वेच्छा से काम करने के व्यापक अवसर है। सिंचाई और बाढ-नियन्त्रण के अलावा बहुत कम सरकारी योजनाए ऐसी है जिनका लोगो की भलाई से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो। मजदूरो की सहकारी समितियाँ गावो के लोगो की आय बढाने और उन्हे रोजगार दिलाने का बहुत अच्छा साधन बन सकती है और उन्हे बनना चाहिए। सुधार-कर लगाने से योजनाओ का खर्च घटाया जा सकता है और इस प्रकार उपलब्ध साधनो से और बडे कार्यक्रम शुरू किए जा सकते है। सिंचाई की सुविधाओ का होशियारी से उपयोग करने और साथ ही अदल-बदल कर फसलें बोने से और अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। छोटे धन्धो मे बिजली का सुचारुरूप से उपयोग करने से कारीगरो और छोटे उद्योग चलाने वालों को बड़ी मदद मिलेगी और अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

संलग्न सूची

दूसरी पंचवर्षीय योजना-काल मे सिंचाई और बिजली सम्बन्धी योजना-कार्यों द्वारा राज्यों को मिलने वाले लाभ का विवरण

राज्य का नाम	दूसरी योजना मे सीचा जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्र (००० एकडो मे)	दूसरी योजना मे बिजली की सस्थापित-क्षमता मे होने वाली वृद्धि (किलोवाटो मे)
आन्ध्र	२६०	१,४०,३००
आसाम*	छोटी छोटी योजनाओ से सिचाई होगी	२१,५००
बिहार	१,१४०	२,०५,०००
बम्बई	१,०००	४,२५,०००†
मध्य प्रदेश	४००	१,९३,०००
मद्रास	१४०	२,८७,०००
उडीसा	१,६००	२,४७,८००
पजाब	१,७००	५,४६,०००
उत्तर प्रदेश	१,३१०	३,०२,०००
पश्चिम बगाल	१,२७०	२,४१,५००†
हैदराबाद	६१०	७५,०००
जम्मू और काश्मीर	१२०	११,०००
मध्य भारत	३००	५६,०००
मैसूर	२००	४७,०००
पेप्सू	२५०	अधिकाश बिजली निकटस्थ विद्युत केन्द्रो से
राजस्थान	१,१६०	७२,८००
सौराष्ट्र	४०	५०,०००
त्रिवांकुर-कोचीन	१४०	१,६१ ०००
अजमेर	१४	१७०
भोपाल	१२	५,०००

† कम्पनियाँ, अपने बिजली घरो मे जो मुख्य विस्तार करेगी वह भी शामिल है।

कुर्ग	३	अधिकाश बिजली निकटस्थ विद्युत केन्द्रो से
दिल्ली	२१	,,
हिमाचल प्रदेश	२०	३,१००
कच्छ	३६	६,३००
मणिपुर	छोटी-छोटी योजनाओ से सिचाई होगी	३४०
त्रिपुरा	,,	४००
विध्य प्रदेश	६८	२३,०००
पाडिचेरी	६	अधिकाँश बिजली निकटस्थ विद्युत-केन्द्रो से
उत्तर-पूर्वी सीमात एजेन्सी	छोटी-छोटी योजनाओ से सिचाई होगी	१,१५०
योग	११,८५०	३१,२१,६६०

टिप्पणी—कुल योग मे वह ३ लाख अतिरिक्त किलोवाट बिजली शामिल नही है जिसका उत्पादन कल-कारखानो मे अपने उपयोग के लिए होगा ।

दसवां अध्याय

उद्योग और खनिज

: १ :

बड़े उद्योग धन्धे

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में कुल जितना खर्च होगा उसका लगभग आधा उद्योगो, खनिजो, परिवहन तथा सचार पर लगेगा। पहली पचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन पर जोर दिया गया था, किन्तु दूसरी योजना में उद्योगो तथा खनिजो के विकास पर अधिक बल दिया जाएगा। पहली योजना में भी इस परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई थी—इसके अन्तर्गत कृषि, सिंचाई, तथा बिजली के साधनो में हुए विकास के फलस्वरूप अब विस्तृत औद्योगिक विकास के लिए आधार तैयार हो चुका है। इस प्रगति का एक पहलू है औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित विनियोग का विस्तार। औद्योगीकरण को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय; किस वस्तु को कितना महत्व दिया जाए; औद्योगिक विकास की रूपरेखा कैसी हो और विस्तृत सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आधुनिक उद्योगो के विकास का छोटे और ग्रामोद्योगो से मेल कैसे बैठाया जाए—ये प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

पहली योजना में प्रगति

२. पहली योजना मे निजी क्षेत्र के ४१ उद्योगो के लिए लक्ष्यों का और प्रस्थापित उत्पादन-क्षमता में वृद्धि का निर्धारण किया गया था। सरकारी क्षेत्र में भी कई नई औद्योगिक इकाइयों की प्रस्थापना इस योजना का अग था। पहली योजना से पहले औद्योगिक उत्पादन का देशनांक १०५ था जो बढ़कर १९५१ में ११७.२, १९५२ में १२८.९, १९५३ में १३५.३ और १९५४ में १४६.६ हो गया। १९५५ के पहले ९ महीनों का औसत देशनाक १५९.२

था। अब तक इस देशनांक का आधार वर्ष १९४६ था, किन्तु हाल में इसे बदलकर १९५१ कर दिया गया है और इसमे पहले की अपेक्षा कही अधिक वस्तुये शामिल कर ली गई हैं। १९५५ के पहले १०महीनो मे औद्योगिक उत्पादन का यह सशोधित सूचक अक औसतन १२५.७ रहा। उत्पादन देशनाक में बढ़ोतरी जिस प्रगति का सूचक है, उसका अन्दाजा इन आंकडों से लगाया जा सकता है :—

उद्योग	इकाई	वार्षिक प्रस्थापित उत्पादन-क्षमता १९५०-५१	वार्षिक प्रस्थापित उत्पादन-क्षमता १९५५-५६ (अनुमानित)	वास्तविक उत्पादन १९५०-५१	वास्तविक उत्पादन १९५५-५६ (अनुमानित)
१	२	३	४	५	६
१. लोहा और इस्पात					
तैयार इस्पात (प्रमुख उत्पादक)	हज़ार टन	१,०१५	१,३००	९७६	१,३००
२. अल्युमिनियम इनगाट	टन	४,०००	७,५००	३,६७७	७,५००
३. सीमेंट	हज़ार टन	३,२८०	५,१००	२,६९२	४,८००
४ रेयन रेशा	लाख पौंड	४०	२८१	७.५	१६०
५ पैट्रोलियम शोधन[१]	हज़ार टन		३,२००		२,५००
६ कागज और गत्ता	,,	१३७	२२०	११४	१८०
७. रेल साज-सज्जा					
(क) इजन	सख्या		१७०		१७०
(ख) सवारी गाडी के डिब्बे	,,	८५०	१,२००	४७९	९५०
(ग) मालगाड़ी के डिब्बे	,,	६,०००	१४,०००	१,०९५	१२,०००
८. कपड़ा मिल मशीनरी					
(क) धुनाई के इजन	सख्या		७९२		६९०
(ख) बुनाई के लिए रिंगफ्रेम	,,	३९६	१,२१२	२६०	८८०

(१) नई इकाइयों के आकड़े

(ग) करघे	,,	३,६००	५,०००	१,८६४	२,६००
९. डीजल इजन	,,	६,३२०	२१,०००	५,५४०	१०,०००
१०. मोटर गाडिया	,,	३०,०००[1]	३५,०००	१६,५१९	२३,०००
११ साइकिले	हजार	१२०	५५०	१०१	५००
१२ बिजली की मोटरे	हजार अश्व-शक्ति	१४९	३७७	९९	२४०
१३ ट्रासफार्मर	हजार के वी ए	३७०	५५०	१७९	५२०
१४ भारी रासायनिक वस्तुए					
(क) गधक का तेजाब	हजार टन	१५०	२६८	९९	१६५
(ख) सोडा ऐश	,,	५४	९०	४५	८०
(ग) कास्टिक सोडा	,,	१९	४६	११	३५
१५. वस्त्रोद्योग					
(क) सूत	लाख पौड	१६,८९०	१७,७५०[2]	११,७९०	१६,०००
(ख) मिल का बना कपडा	लाख गज	४७,४४०	४९,२२०[2]	३७,१८०	५३,०००
१६ उर्वरक —					
(क) अमोनियम सल्फेट	हजार टन	७९	४२६	४६	३८०
(ख) सुपर फास्फेट	,,	१२३	२२८	५५	१००
१७ चीनी	,,	१,५४०	१,७५०	१,१२०	१,६५०
१८. पटसन का माल	,,	१,२००	१,२००	८९२	१,०००

(१) केवल दो प्रतिष्ठित उत्पादको की क्षमता

(२) १ जनवरी, १९५५ की प्रस्थापित क्षमता

३. उत्पादन में हुई अधिकांश वृद्धि का एक बड़ा अंश बकार पड़ी हुई उत्पादन-क्षमता के पूरे उपयोग के कारण है। वस्त्रोद्योग, चीनी और वनस्पति तेल उद्योग इस के दृष्टात हैं। प्रस्थापित उत्पादन-क्षमता का उपयोग पहले से अधिक कच्चे माल की उपलब्धि के कारण ही हो सका। सीमेंट, कागज़, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, रेयन और साईकल आदि कुछ उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि का कारण उत्पादन-क्षमता के पहले से अधिक उपयोग के साथ साथ उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि भी है। कुछ उद्योगो की बढोतरी मे जैसे हल्के इंजीनियरिंग उद्योगो मे घरेलू माग का अभाव, बहुत बड़ी रुकावट रहा है।

४. पहली योजना की अवधि मे, सरकारी क्षेत्र मे बहुत सी औद्योगिक योजनाए पूरी की जा चुकी है, जैसे सिन्दरी का रासायनिक खाद कारखाना, चित्तरजन इजन कारखाना, भारतीय टेलीफोन कारखाना, सवारी डिब्बो का कारखाना, मशीनी औज़ारो का कारखाना तथा पेनिसिलीन, डी डी टी, अखबारी कागज़ और सुपर-फास्फेट के कारखाने। लोहे तथा इस्पात उद्योग और बिजली के भारी सामान के निर्माण की उन योजनाओ की तैयारी में जो सरकारी क्षेत्र का अग थी, जितना समय लगने का अनुमान लगाया गया था उससे कहीं अधिक लगा। सरकारी क्षेत्र की योजनाओ पर कुल १०१ करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था रखी गयी थी, किन्तु अनुमान है कि इसका केवल ६० प्रतिशत भाग ही खर्च हो सकेगा। निजी क्षेत्र मे नयी योजनाओं, पुरानी मशीनो की बदली तथा आधुनिकीकरण पर ३८३ करोड़ रुपये लगाये जाने का अनुमान था, किन्तु उसमे से कुल लगभग ३४० करोड़ रुपये लगाये जाने की सभावना है।

५. पहली पंचवर्षीय योजना में यह बात मान ली गयी थी कि सरकार तो उद्योगों के विकास मे निर्देशक और सगठक के रूप मे प्रमुख भाग लेगी और निजी क्षेत्र को इसमे बहुत बडा योगदान देना होगा। उद्योग (विकास और नियमन) कानून १९५१ मे वह स्थाई ढांचा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार निजी क्षेत्र मे विकास होना चाहिए, केवल तभी यह विकास हमारी राष्ट्रीय योजना और सामाजिक नीति के उद्देश्यों के अनुकूल होगा। इस विधि के अधीन हर नयी इकाई के खोलने अथवा आधुनिक इकाइयो मे महत्वपूर्ण विस्तार करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अलग-अलग उद्योगो के लिए विकास परिषदो की स्थापना करना भी इस विधि का एक अग है। यह विधि इस समय ४२ उद्योगो पर लागू होता है। १० उद्योगो के लिए विकास परिषद भी बनाये जा चुके हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक साख और विनियोग निगम और ११ राज्यों मे राज्य वित्त निगमो की स्थापना और औद्योगिक वित्त निगम के पुनर्गठन से सरकार अपने उद्देश्यो के अनुकूल औद्योगिक विकास का नियन्त्रण, निर्देशन और पथ-प्रदर्शन कर सकेगी।

दूसरी योजना के लिए प्राथमिकताएं

६. पहली योजना में औद्योगिक क्षेत्र तथा तेजी से औद्योगिक प्रगति करने

व्यवस्था मे जो कमिया नजर आई, उन्हे दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं तथा औद्योगिक विकास के कार्यक्रमो द्वारा काफी हद तक दूर कर दिया जाएगा। सब से अधिक खटकने वाली बात इस्पात का कम उत्पादन था। सरकारी क्षेत्र मे इस्पात के तीन नये कारखाने खोलकर तथा वर्तमान कारखानो के उत्पादन को बढाकर इस कमी को पूरा किया जा रहा है। यद्यपि इजनो, बिजली की मोटरो और ट्रासफार्मरो तथा कपडे, सीमेंट, चीनी तथा जूट के कारखानो की मशीनों के निर्माण मे काफी प्रगति हुई है, फिर भी देश के आर्थिक विकास की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए बडी मशीनो का जितना निर्माण होना चाहिए था, उतना नही हुआ।

७ यदि औद्योगिक विकास को देश की आर्थिक प्रगति मे अपना सच्चा हिस्सा अदा करना है तो सरकार को इस दिशा मे अधिक सक्रिय होना होगा। द्वितीय आयोजना मे सरकार ने औद्योगिक तथा खनिज विकास के लिए लगभग ७१० करोड रुपये की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त २०० करोड रुपये छोटे तथा ग्रामोद्योगो के विकास के लिए रखे गये है। निजी क्षेत्र को इसमें काफी योगदान देना है, किन्तु सरकारी क्षेत्र का पूर्णत विस्तार होना चाहिए। इस काम के लिए सरकारी क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रबन्ध तथा प्रौद्योगिक कार्यकर्ताओ तथा डिज़ाइन तैयार करने वाली सस्थाओ का होना अनिवार्य है। आने वाले १०-१५ वर्षों तक औद्योगिक विकास कार्यक्रम अनुकलित होना चाहिए ताकि उपभोग्य-वस्तुओ और उत्पादक-वस्तुओ के उद्योगो तथा बड़ी और छोटी औद्योगिक इकाइयों के आपसी सम्बन्धो का अन्दाजा ठीक तौर पर लगाया जा सके। अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रो जैसे कृषि, बिजली, परिवहन और समाज-कल्याण सेवाओ का प्रभाव भी औद्योगीकरण की आवश्यकताओ और रफ्तार पर धीरे-धीरे बढता जाएगा। सारे देश और इसके विभिन्न क्षेत्रो के लिए सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि नये उद्योगो की स्थापना का स्थान सोच-समझ कर बनाई गयी एक नीति के अनुसार नियत किया जाए, भले ही ये उद्योग सरकारी क्षेत्र मे हो अथवा निजी क्षेत्र मे। अत ज्यो-ज्यो हमारा देश गहन औद्योगीकरण की तरफ बढ रहा है, भविष्य के लिए एक प्रगतिशील और सक्रिय औद्योगिक नीति का निर्धारण हमारी राष्ट्रीय आर्थिक नीति का केन्द्रीय तत्व बनता जा रहा है। इस चीज पर प्रथम अध्याय मे पहले ही विचार किया जा चुका है। इसी पृष्ठ-भूमि को ध्यान रखते हुए दूसरी योजना की औद्योगिक प्राथमिकताओ, उद्योगो और खनिजो के लिए बनाये गये विकास कार्यक्रमो और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसन्धान को दिये गये महत्वपूर्ण स्थान पर दृष्टिपात करना चाहिए।

८. दूसरी योजना मे औद्योगिक-उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताए रखी गयी है :—

(१) लोहे तथा इस्पात का उत्पादन, मशीनो का निर्माण, इंजीनियरिंग के भारी यन्त्रो का निर्माण तथा भारी रसायनो (जिसमे नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद भी शामिल है) का विकास;

(२) सीमेंट तथा फास्फेट युक्त रासायनिक खादो जैसी विकासात्मक तथा उत्पादक सामग्री के उत्पादन का विस्तार;

(३) जूट, कपास तथा चीनी आदि के पहले से स्थापित राष्ट्रीय उद्योगो मे आधुनिक किस्म की मशीने लगाना तथा जीर्ण मशीनो के स्थान पर नयी मशीने लगाना;

(४) जिन वर्तमान उद्योगो का उत्पादन, उत्पादन-शक्ति के बराबर नही हो रहा है, उसका उत्पादन बढाकर पूर्ण उत्पादन-शक्ति तक लाना, और

(५) उपभोग्य वस्तुओ की उत्पादन-शक्ति का विस्तार।

जहाँ तक ऊपर (४) और (५) मे वर्णित उद्योगो का सम्बन्ध है, छोटे तथा ग्रामोद्योगो के उत्पादन कार्यक्रमो के लिए सहायता देने की आवश्यकता तथा उनसे सम्बद्ध बड़े तथा छोटे कारखानो के उत्पादन के सामान्य कार्यक्रमो की आवश्यकताओ पर पूरी तरह ध्यान देना आवश्यक है।

९ अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की रफ्तार काफी हद तक लोहा और इस्पात के उत्पादन पर निर्भर है। भारत अन्य देशो की निस्बत और कम लागत पर लोहा और इस्पात तैयार करने की स्थिति मे है। भारी इजीनियरिंग यन्त्रो और मशीनो के उद्योग तो लोहा और इस्पात उद्योग से ही निकलते है—और ये उद्योग बड़े पमाने पर औद्योगीकरण की नीव है। ऐसी आशा है कि तीसरी पचवर्षीय योजना के दौरान मे भारत, देश के विभिन्न उद्योगो के लिए आवश्यक मशीने अपने ही कारखानो में तैयार करने के साथ-साथ इस्पात के निर्माण मे काम आनेवाला आवश्यक सामान जैसे कोयले की भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस और इस्पात पिघलाने की भट्टी और बिजली पैदा करने वाले कारखानो के लिए मशीनें आदि भी स्वय बनाने लगेगा। भारी मशीनो के निर्माण की दशा मे भी अभी हमे बहुत कुछ करना है। इससे देश के उद्योगो के लिए मशीनो आदि का निर्माण देश ही मे हो सकेगा। इस्पात और अल्यूमीनियम के उत्पादन मे वृद्धि करने का काम तो हाथ मे लिया ही जा चुका है, साथ ही मशीनो की निर्माण सम्बन्धी एक योजना भी चालू की जाएगी जिसके अन्तर्गत लौह और अलौह धातु मिश्रण, औज़ारो के लिए इस्पात और पक्की चमक वाला (स्टेनलैस) इस्पात और विशिष्ट ढलाई व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाएगा। विकास के समूचे कार्यक्रम में ढलाई के भारी कारखानो, लोहा पिघलाने और वस्तुएँ बनाने वाले कारखानो, पुरज़े काटने वाले कारखानो और विभिन्न प्रकार की मशीनो के औज़ारो को बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। मशीनी औज़ार उद्योग के विकास से सम्बन्धित प्रश्नो पर विचार करने के लिए हाल ही में विशेषज्ञो की एक समिति की नियुक्ति की गयी है। मशीनों के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवश्यक उत्पादन सुविधाओ के अतिरिक्त मशीनों के डिज़ाइन तैयार करने के लिए आवश्यक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए

कार्यकर्त्ताओं का होना जरूरी है। नीचे स्तर पर काम करनेवाले कर्मचारियो को ज्यादा कारीगरी वाले काम करके अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। भारी मशीनें बनाने वाले उद्योगो के लिए एक ऐसा एकसूत्री विकास कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसमे कर्मचारियो के प्रशिक्षण को भी स्थान दिया जाएगा।

१० ऊपर लिखी गई अन्य प्राथमिकताओ के सम्बन्ध मे भी कुछ शब्द कहना ठीक होगा। नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के फलस्वरूप कृषि की फसलो की पैदाइश और कृषि उत्पादन मे भी वृद्धि होगी। सल्फर जैसे मूल रसायन की कई उद्योगो में आवश्यकता पडती है। विकास के साथ साथ इमारतें भी बढ जाती है, इसलिए सीमेंट की माँग मे बढोतरी होना अनिवार्य है। जूट और सूती वस्त्रोद्योग में जो देश के पुराने उद्योगो मे से है, आधुनिकीकरण और अधिक मशीनो की अत्यधिक आवश्यकता है। इस क्षेत्र मे असफल होने पर हमारी विदेशी विनिमय की प्राप्ति मे कमी हो जाने की सम्भावना है। पहली योजना के आरम्भ मे जिन-जिन उद्योगो मे उत्पादन शक्ति बेकार पडी हुई थी, अब उसका उपयोग होने लगा है। कुछ उपभोग्य-वस्तुओ के उद्योगो मे और हल्के इजीनियरिंग उद्योगो में अभी कुछ बेकार उत्पादन-शक्ति बची हुई है। इन उद्योगो के लिए कार्यक्रम बनाते समय दो चीजों को स्थान देने की भरसक कोशिश की जाएगी—विकेन्द्रीकरण और अधिक श्रम-भरपूर विधियाँ। इस पहलू पर छोटे और ग्रामोद्योगो के अध्याय में विस्तार पूर्वक विचार किया गया है।

सरकारी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम

११. दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र मे १०-१० लाख टन इस्पात की उत्पादन-शक्ति के तीन कारखाने खोले जाएँगे। इसके अतिरिक्त इनमे एक कारखाने मे ३,५०,००० टन ढला हुआ लोहा भी तैयार किया जाएगा। रूड़केला (उड़ीसा) के कारखाने मे ७,२०,००० टन इस्पात की वस्तुओ का उत्पादन होने की आशा है। इस कारखाने का डिजाइन एल० डी० प्रणाली से कार्य करने के उपयुक्त बनाया जा रहा है। इसमे ऐसी मशीनें लगी होंगी, जिनके द्वारा कोयले की भट्टी की गैसो तथा कोलतार से रसायनो के उत्पादन प्राप्त हो सकेंगे। कोयले की भट्टी की गैसो से मिलने वाली उद्जन (हाइड्रोजन) तथा तरल वायु यन्त्र से मिलने वाली नत्रजन (नाइट्रोजन) का उपयोग मामूली लागत से 'नाइट्रोलाइमस्टोन फर्टिलाइजर' बनाने मे किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के भिलाई स्थान पर स्थापित किए जाने वाले दूसरे कारखाने से बिक्री के लायक ७५०.००० टन इस्पात की भारी तथा दरमियानी किस्म की वस्तुओ का उत्पादन होगा। इसमें "री रोलिंग" उद्योग के लिए १,४०,००० टन इस्पात के छोटे डडे भी तैयार किए जाएगे। दुर्गापुर (पश्चिमी बगाल) मे स्थापित किया जाने वाला कारखाना प्रतिवर्ष ७५०,००० टन इस्पात की हल्की तथा दरमियानी किस्म की वस्तुएँ और डडे तैयार करेगा। मैसूर के लोहे और इस्पात कारखाने का उत्पादन १००,००० टन तक बढ़ा दिया जाएगा।

दूसरी योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के कारखानों से १० लाख टन तैयार इस्पात का उत्पादन होने लगेगा।

१२ इजीनियरिंग के भारी कारखाने स्थापित करने के कार्यक्रम में चित्तरजन इजन कारखाने मे ही एक भारी इस्पात की फाउण्ड्री रेलों की आवश्यकताओ की पूर्ति करेगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के तत्वावधान मे भारी फाउड्रियाँ तथा 'फोर्जे' और 'स्ट्रक्चरल' कारखाने स्थापित किए जाएँगे। बिजली के भारी सामान के निर्माण के लिए एक प्रमुख ब्रिटिश कम्पनी से करार हो गया है और योजना-कार्य सम्बन्धी रिपोर्ट १९५६ के समाप्त होने से पहले ही तैयार हो जाएगी। इस योजना-कार्य के पूरे होने मे करीब ७ या ८ वर्ष लगेगे और इस पर कुल लगभग २५ करोड़ रुपये खर्च होगा। भारी ट्रांस्फार्मरो, औद्योगिक मोटरो, ट्रेक्शन मोटरो तथा स्विच गियरो का उत्पादन तो दूसरी योजना की समाप्ति से पहले ही आरम्भ हो जाएगा, किन्तु हाइड्रोलिक टरबाइनो तथा डीजल सेटो के जेनरेटरो जैसी मशीनो का निर्माण तीसरी योजना के आरम्भिक वर्षों मे शुरू होगा। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड मे इस समय ८॥ इच केन्द्र वाले तेज गति वाले खराद बनते है, किन्तु अब इसका उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा और इसमें अपेक्षाकृत बड़े खराद तथा मिलिग और ड्रिलिंग मशीने आदि बनने लगेगी। बंगलौर स्थित बिजली के सरकारी कारखाने का विस्तार किया जाएगा। चित्तरजन इजन कारखाने को भी बढाया जाएगा, ताकि उसमे प्रति वर्ष २०० इजन तैयार होने लगे। हिन्दुस्तान जहाजी कारखाने का भी विस्तार किया जाएगा और विशाखापत्तनम मे जहाज बनाने की रफ्तार तेज कर दी जाएगी। विशाखापत्तनम मे एक सूखा जहाज घाट बनाने के अतिरिक्त एक अन्य जहाजी कारखाना बनाने का काम भी हाथ मे लिया जाएगा। बिना जोड के सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना, जिसका काम अक्तूबर १९५५ में आरम्भ हुआ था, पूरा किया जाएगा और १९५५ में इसमे प्रति वर्ष ३५० सवारी डिब्बे बनने लगेंगे। इसके अतिरिक्त, रेल-विकास की योजना मे छोटी लाइन के डिब्बे बनाने के लिए १० करोड़ रुपयो की व्यवस्था की गई है।

१३. दक्षिण भारत में कोयला खानो की कमी होने के कारण दक्षिण अर्काट जिले मे नीवेली स्थान के लिग्नाइट की बहूद्देशीय योजना-कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस योजना-कार्य के अन्तर्गत ३२ लाख टन लिग्नाइट का उत्पादन किया जाएगा, जिसका उपयोग (१) एक २,११,००० किलोवाट विद्युत् शक्ति वाले केन्द्र से बिजली पैदा करने, (२) प्रति वर्ष लगभग ७,००,००० टन की उत्पादन-शक्ति वाले 'कार्बोनाइजेशन' कारखाने से 'कार्बोनाइज्ड ब्रिकेटीज' का उत्पादन करने, तथा (३) 'यूरिया' और 'सल्फेट नाइट्रेट' के रूप मे ७०,००० टन 'फिक्स्ड नाइट्रोजन', तैयार करने में किया जाएगा। दक्षिण अर्काट में रासायनिक खाद का एक कारखाना खोलने के अतिरिक्त, दो और कारखाने खोलने का विचार है। इनमें से एक कारखाना नगल में खोला जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष ७०,००० टन 'फिक्स्ड नाइट्रोजन' के बराबर

'नाइट्रो-लाइम-स्टोन' का उत्पादन होगा । यह कारखाना, प्रतिवर्ष ७ से १० टन तक भारी पानी भी तैयार करेगा । रासानियक खाद का तीसरा कारखाना रूरकेला मे खोले जाने की सम्भावना है, जिसमें प्रतिवर्ष ८०,००० टन 'फिक्स्ड नाइट्रोजन' के बराबर 'नाइट्रो-लाइम-स्टोन' का उत्पादन होगा । इस समय नत्रजन युक्त खादे तैयार करने वाले कारखानो की वार्षिक उत्पादन-शक्ति लगभग ८५,००० टन है, किन्तु दूसरी योजना के अन्त तक 'फिक्स्ड नाइट्रोजन' के रूप मे लगभग ३,७० ००० टन की खपत होने का अनुमान है ।

१४. जहाँ तक द्वितीय योजना मे सरकारी क्षेत्र मे आने वाले छोटे तथा दरमियानी किस्म के कारखानो का सम्बन्ध है, डी० डी० टी० के कारखाने, हिन्दुस्तान केबल्स, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी तथा भारतीय टेलीफोन कारखाने का विस्तार किया जाएगा और तिरुवाकुर-कोचीन मे डी० डी० टी० का एक और कारखाना खोला जाएगा । चादी की जिस शोधशाला का आजकल निर्माण हो रहा है वह द्वितीय योजना काल मे उत्पादन आरम्भ कर देगी । नोटो आदि के कागज़ का एक कारखाना भी खोला जाएगा, जो देश को इस प्रकार के कागज के मामले मे आत्म-निर्भर बना देगा । सूचना और प्रसार मत्रालय के अतर्गत एक टेलीप्रिंटर कारखाना खोलन की भी व्यवस्था की गई है ।

१५. राज्य सरकारो की योजनाओ मे भी बहुत से औद्योगिक कार्य सम्मिलित है । पश्चिम बगाल सरकार ने दुर्गापुर मे 'फाउड्री कोक', 'कोल कार्बोनाइजेशन' के उत्पादनो तथा बेकार गैसो से बिजली का उत्पादन करने की एक योजना बनाई है । चीनी मिट्टी के बिजली के 'इन्सुलेटर' तथा 'ट्रासफार्मर' मैसूर मे बनाए जाएंगे । उत्तर प्रदेश के सीमेंट कारखाने, बिहार के सुपर फास्फेट कारखाने तथा आन्ध्र के कागज़ कारखाने का विस्तार और हैदराबाद की 'प्रागा टूल फैक्ट्री' का पुनर्गठन किया जाएगा । सरकारी सहायता से सहकारिता के आधार पर लगभग ३५ चीनी के कारखाने तथा कुछ कताई के कारखाने खोलने का भी विचार है ।

१६. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने दूसरी योजना म विकास का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है । यह निगम सूती कपड़ा उद्योगो के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम मे हाथ बटाएगा । वैसे इस निगम का मुख्य कार्य आधारभूत तथा भारी उद्योगों को आरम्भ करना होगा । यह निगम जिन-जिन योजनाओं के विषय में जाँच-पड़ताल कर रहा है, भारी फाउड्रियो तथा 'फोर्ज' और 'स्ट्रक्चरल' कारखानो के अतिरिक्त 'रिफ्रेक्टरीज़', रासायनिक लुगदी तथा अखबारी कागज, रग, काले कार्बन, 'पाइराइट्स' से गधक बनाने तथा छपाई की मशीनों के उद्योग सम्मिलित है । अलुमीनियम के कारखाने में एक नया एकक खोलने के अतिरिक्त यह निगम कुछ भारी मशीनों के निर्माण की भी व्यवस्था करने जा रहा है, जैसे जमीन खोदन की मशीनें, भारी

दबाब के वायलर, लौह तथा लौह-हीन वस्तुए बनाने वाले कारखानो का साज़-सामान आदि ।

निजी क्षेत्र के कार्यक्रम

१७. निजी क्षत्र मे औद्योगिक विकास के कार्यक्रम, पहले बताई गयी प्राथमिकताओ की योजना के अनुसार चलाए जाएगे । १९५८ के मध्य तक 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' तथा 'इडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' की विस्तार योजनाए पूरी हो जाने पर इन दोनो कारखानो का उत्पादन १२ लाख ५० हजार टन से बढकर २३ लाख टन तक पहुच जाएगा । देश मे तैयार की गई औद्योगिक मशीनो की कीमत लगभग ५ से छ गुना तक बढ जाने की आशा की जाती है । इनमे सूती कपडा, पटसन, चीनी, कागज तथा सीमेट कारखानो की मशीनो के अतिरिक्त बिजली के मोटरो तथा बिजली के ट्रास्फार्मरो का निर्माण भी सम्मिलित है। चाय की मशीने, दुग्धशाला के साज-सामान, सडक बनाने की मशीने तथा कृषि सम्बन्धी मशीने तैयार करने की भी योजनाएं बनाई गई है ।

१८. रासायनिक उद्योग के अन्तर्गत मुख्यत सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, फार्स्फेटिक खादे, औद्योगिक विस्फोटकों तथा रगो के सम्बन्ध मे विकास कार्यक्रम बनाए गए है । सोडा ऐश और कास्टिक सोडा का उत्पादन बढकर चौगुना हो जाने की आशा है । मुख्यत. इस्पात, रासायनिक खाद, रेयन और लम्बे रेशे वाले उद्योगो की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है । विशाखापत्तनम मे तेल का तीसरा शोधनागार १९५७ तक बनकर तैयार हो जाएगा । चीनी उद्योग के उत्पादन मे वृद्धि होने पर शीरा और अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा । औद्योगिक सुरासार की उत्पादन क्षमता २ करोड़ ८० लाख गैलन से बढाकर ३ करोड ६० लाख गैलन करने का विचार है। । डी डी टी, पोलिविनाइल क्लोराइड और बुटाडीन के उत्पादन मे वृद्धि से औद्योगिक सुरासार की खपत की गुंजाइश और अधिक हो जाएगी ।

१९. उपभोग्य वस्तुए बनाने वाले बहुत से उद्योगो का उत्पादन भी बढाया जाएगा । आशा है कि कागज और गत्ते का उत्पादन दुगुना हो जाएगा और चीनी का उत्पादन १६ लाख ५० हजार टन मे बढकर कम से कम २२ लाख ५० हजार टन तक हो जाएगा । चीनी उत्पादन में होने वाली वृद्धि मे से ३ लाख ५० हजार टन की वृद्धि चीनी के सहकारी कारखानो द्वारा की जाएगी । बनस्पति तेलों का उत्पादन १६ लाख टन से बढ़कर १९ लाख ५० हजार टन हो जाएगा और बिनौले के तेल का उत्पादन तथा खलियों से द्रावक निष्काशन प्रक्रिया द्वारा तेल निकालने पर जोर दिया जाएगा । मिल के धाग और मिल के कपड के उत्पादन लक्ष्यो के बारे में अभी विचार किया जा रहा है और इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय नही किए गए है । रग विषयक मध्यवर्त्तियो के निर्माण के लिए जो कदम उठाए गए है उनसे औषध निर्माण उद्योग को पर्याप्त लाभ

होगा। फार्मेसियों में बनाई जाने वाली मिश्रित औषधियों का उत्पादन बढाने के अतिरिक्त इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्हें जिस प्रकार अब उपान्त उपजो से बनाया जाता है, उस तरह न बनाकर मूल प्रारम्भिक जैविक रासायनिक पदार्थ तथा मध्यवर्त्ती वस्तुओ से तैयार किया जाए । मूल रासायनिकों से आवश्यक औषधियाँ बनाने के समस्त कार्यक्रम पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति विचार कर रही है । यह समिति इस विषय मे औषधि निर्माण उद्योग के लिए बनाई गई विकास परिषद के साथ भी परामर्श करेगी ।

२० इस अध्याय की सलग्न सूची में यह बताया गया है कि निजी क्षेत्र मे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के तत्वावधान मे चालू किए जाने वाले औद्योगिक वकास कार्यक्रमो के उत्पादन तथा क्षमता के लक्ष्य क्या है । आशा है कि पाच वर्षों मे निजी क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रमो पर कुल ६२० करोड़ रुपये लगाए जाएगे । इसमे से ४७० करोड रुपये नए कारखाने खोलने तथा १५० करोड़ रुपये पुरानी मशीने बदलने और आधुनिक किस्म की मशीनें लगाने पर खर्च होगा । कुल पूजी नियोजन मे से लगभग १०० करोड रुपये विदेशी निजी नियोजन के रूप में होगा जिसमे पूर्तिकर्त्ताओ की राशि भी सम्मिलित है । पूंजी नियोजन के लिए उपलब्ध औद्योगिक सस्थाओ के आतरिक साधन (पुनःस्थापन समेत) लगभग ३०० करोड रुपये होने का अनुमान है । नवीन पूजी से ८० करोड रुपये तथा प्रबन्धाभिकर्ताओ से अग्रिम देयो आदि विभिन्न साधनो से लगभग ८० करोड रुपये प्राप्त होंगे । औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगमो और औद्योगिक ऋण तथा पूजी नियोजन निगम से लगभग ४० करोड़ रुपये और लगभग २० करोड रुपये समानीकरण निधि से तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारो से पूजी या ऋणो के रूप मे मिले । ये प्राक्कलन अत्यन्त अस्थायी हैं ।

२१. नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट प्रकट हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अधिकाधिक एव बहुमुखी औद्योगिक प्रयत्न किया जाएगा ।

यह कार्यक्रम इतना विशाल एवं व्यापक है कि इसमें तेजी से बढ़ने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए काफी गुंजाइश है तथा कर्मचारियो विषयक साधनो एव निजी क्षेत्र में उपलब्ध अनुभव का भी इसमे पूरी तरह से लाभ उठाया जा सकता है । कार्यक्रम के अनुसार तथा साधनों के प्रयोगों मे मितव्ययिता का ध्यान रखते हुए इसको पूरा करने से देश में एक दृढ सन्तुलित एवं तेजी से बढ़ने वाले औद्योगिक ढाचे का निर्माण हो सकेगा ।

उद्योग	इकाई	१९५५-५६		१९६०-६१	
		क्षमता (अनुमानित)	उत्पादन (अनुमानित)	क्षमता	उत्पादन
१. लोहा और इस्पात					
(क) तैयार इस्पात (मुख्य उत्पादक)	हजार टन	१,३००	१,३००	४५००	४,३००
(ख) फाउड्रियो के लिए कच्चा लोहा	"	३८०	३८०	७५०	७५०
२. निर्माण सम्बन्धी ढाचा	टन	२४२,०००	१८०,०००	५००,०००	५००,०००
३. भारी फाउड्री-फोर्ज कारखान					
(क) इस्पात फाउड्री	"	—	—	१५,०००	१५,०००
(ख) फोर्जिग कार-खाने (३)	"	—	—	१२,०००	१२,०००
(ग) कास्ट आयरन फाउड्रिया	"	—	—	१०,०००	१०,०००
४. फेरो मैंगनीज	"	२८,०००	२८,०००	१६०,०००	१६०,०००
५. अल्युमिनियम	"	७,५००	७,५००	३०,०००	२५,०००
६ रेल-इजन	सख्या	१७०	१७०	३००	३००
७ मोटर गाडिया	"	३,५०००	२३,०००	५७,०००	५७,०००
८ भारी रासायनिक वस्तुए					
(क) गन्धक का तेजाब	हज़ार टन	२६८	१६०	५००	४५०
(ख) सोडा ऐश	टन	९०,०००	८०,०००	२८०,०००	२५०,०००
(ग) कास्टिक सोडा	टन	४६,०००	३५,०००	१३३,०००	१२०,०००
९. उर्वरक					
(क) नत्रजन युक्त (फिक्स्ड नत्रजन)	"	८५,०००	७६,०००	३९०,०००	३२०,०००
(ख) फास्फेटिक पी २ ओ ५	"	३५,०००	२०,०००	१२०,०००	१२०,०००
१०. जहाज़ निर्माण	जी आर.टी.	—	५०,००० (५१-५६)	—	९०,००० (५६-६१)
११. सीमेंट	हज़ार टन	५,१००	४,८००	१२,०००	१०,०००

१२	रिफ्रू विट्रयां	टन	३४३,८००	२६०,०००	१०००,०००	८००,०००
१३	पेट्रोलियम शोधन	लाख टन	३६ २५	२५	४३ १	३८
१४.	कागज़ और गत्ता	हज़ार टन	२२०	१८०	४५०	३५०
१५	अखबारी कागज़	टन	३०,०००	१०,०००	६०,०००	६०,०००
१६.	रेयन					
	(क) रेयन रेशा	लाख पौंड	२८१	१६१	५५०	५५०
	(ख) स्टेपल फाइबर	" "	१२०	१२०	२५०	२५०
	(ग) रासायनिक लुगदी	हज़ार टन	—	—	३० ०	३०.०
१७	डीज़ल इजन	एच पी	२००,०००	१००,०००	२१६,०००	२०५,०००
१८	बाइसिकल	हज़ार सख्या	५००	५००	७६५	१,०००*
१९.	बिजली की मोटरे	एच. पी	३७६,७००	२४०,०००	६००,०००	६००,०००
२०	ए सी एस.आर कडक्टर	टन	१५,३७०	९,०००	१५,३७०	१५,०००

---

* विकेन्द्रित क्षेत्र में २,५०,००० बाइसिकल बनाए जाने की आशा है जिससे इनका कुल उत्पादन १२५०,००० हो जाएगा ।

: २ :

खनिज

१. खनिजो का विकास जितना होता है और औद्योगिक उत्पादन के लिए वे जितने ही अधिक प्रयुक्त किए जाते है उतना ही अधिक यह पता चलता है कि देश का औद्योगिक विकास कितना हुआ है। खनिजो एव उद्योगो के विकास-कार्यक्रमो को एकीकृत करना होगा। यद्यपि दूसरी पचवर्षीय योजना में बडे बडे औद्योगिक कार्यक्रम बनाए गए है किन्तु फिर भी भारत के खनिज साधनो के बारे मे अन्वेषण अभी अधूरा है। इससे यह बात जरूरी हो जाती है कि उनके बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जाए। दूसरी पचवर्षीय योजना मे इस्पात एव परिवहन की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए कोयले के उत्पादन को बढाने की ओर सर्व प्रथम ध्यान दिया जाएगा।

कोयला

२. पहली पचवर्षीय योजना के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम के लिए कोयले का उत्पादन पहले की अपेक्षा कुछ ही अधिक बढाना आवश्यक था। मुख्य समस्या यह थी कि कोयले को खानो से खपत केन्द्रो तक किस प्रकार ले जाया जाए। १९५१ मे कोयले का उत्पादन ३ करोड ४३ लाख टन हुआ था जो १९५४ में बढकर ३ करोड ६८ लाख टन हो गया। किन्तु परिवहन सम्बन्धी कठिनाई कभी पूरी तरह दूर न हो सकी।

३. कोयले का अधिकाश उत्पादन निजी क्षेत्र मे होता है और सार्वजनिक क्षत्र द्वारा केवल ४५ लाख टन कोयला पैदा किया जाता है। १९४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे यह बात निर्धारित की गई थी कि भविष्य मे कोयले का उत्पादन पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र मे ही होना चाहिए। किन्तु राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यदि सरकार चाहे तो निजी क्षेत्र द्वारा भी कोयले का उत्पादन किया जा सकता है। उद्योगो, ताप-शक्ति उत्पादन और रेलों के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए है उनकी दृष्टि से दूसरी योजना के अन्त तक कोयले की माग लगभग ६ करोड टन तक हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार पहली योजना के अन्त तक जितना कोयला पैदा होता था उससे लगभग २ करोड़ ३० लाख टन अधिक कोयला पैदा होने लगेगा। इसमें से लगभग १ करोड़ ५० लाख टन कोयला सार्वजनिक क्षेत्र म और लगभग ८० लाख टन निजी क्षेत्र में पैदा करने का विचार है। दोनो क्षेत्रों में कोयले का कितना कितना उत्पादन किया जाए इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

४. कोयला उत्पादन का विस्तृत कार्यक्रम बनाते हुएं इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा कि रेल परिवहन का प्रयोग मितव्ययिता से किया जाए। विशेषकर इसलिए क्योकि अधिकाश कोयला पश्चिम बगाल और बिहार से आता है। कोयला उत्पादन का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि जिससे विभिन्न राज्यो में कोयले की खानो का विकास हो सके। नीचे दी गई तालिका से यह पता चल सकता है कि १९५४-५५ मे कोयले का उत्पादन किस-किस राज्य में कितना था और दूसरी योजना के अन्त में यह कितना हो जाएगा।

(लाख टनो में)

	१९५४ मे उत्पादन	१९६०-६१ मे उत्पादन	वृद्धि
आसाम	५ ०	५ ०	—
पश्चिमी बगाल			
दार्जिलिग	.३	० ३	—
रानी गज	१२२ २	१८१ ६	५९ ४
बिहार			
झरिया	१३१ ९	१६६.९	३
करनपुरा	१४ ४	६०	४५.६
बोकारो	२३ ८	२८ ८	५
गिरिडीह	२ ६	२ ६	—
बिहार मे अन्य छोटे क्षेत्र	१ ४	१ ४	—
मध्य प्रदेश			
छिन्दवाडा और चांदा	२२ ५	२२ ५	—
कोरबा		४०	४०
सास्ती	०.७	० ७	—
मध्यभारत की कोयला खाने	२३.१	५३.१	३०
उडीसा	५.२	५.२	—
हैदराबाद			
सिगारेनी	१४.३	२९.३	१५
राजस्थान			
बीकानेर	०.३	.३	—
योग	३६७.७	५९७.७	२३०

५. ६ करोड टन कोयले का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें लोहा और इस्पात उद्योग तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ताओ की कोकिंग कोल (कोयले) सम्बन्धी आवश्यकताओ को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार के कोयले के उत्पादन का लक्ष्य १,४० ००,००० टन निर्धारित किया गया है और वास्तव मे इसका उत्पादन इस मात्रा से कुछ कम होता है। दरअसल उपभोक्ताओं की मांग केवल ३५ लाख टन कोयले की है और शेष कोयला रेलों और उद्योगो में खपता है और कोयले की कुछ थोडी सी मात्रा ही निर्यात की जाती है। दूसरी योजना में इस्पात उत्पादन मे वृद्धि हो जाने से ९७,३०,००० टन कोकिंग कोल की आवश्यकता होगी और अन्य आवश्यक उपभोक्ताओ की इस सम्बन्ध मे अनुमानित आवश्यकता १६,८०,००० टन कोयले की होगी। इस प्रकार साफ धुले कोयले के रूप में कुल आवश्यकता १,१४,१०,००० टन या कच्चे कोयले के रूप मे १,६५,००,००० टन होगी। कोयले की सुरक्षा और इस्पात उद्योग के लिए एक जैसा अच्छा कोयला उलपब्ध करने की आवश्कता की दृष्टि से खनिज कोयले की धुलाई करने की आवश्यकता हो गई है। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि सामान्यत सब प्रकार का कोकिंग कोल धोया जाएगा और इसी उद्देश्य के लिए कोयला धोने के संयत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। रूरकेला सयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोकारो की कोयला खानो में एक धुलाई सयत्र स्थापित करने का विचार है और भिलाई सयत्र की आवश्यकताओ को भी इसी से कुछ हद तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा धुलाई की और कहा व्यवस्था की जाए इसके बारे में अभी निर्णय किया जाना है।

अन्य खनिज

६. कोयले के अतिरिक्त दूसरी पचवर्षीय योजना में अन्य खनिजों के उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनका उद्देश्य आतरिक आवश्यकताओ को पूरा करने और कुछ हद तक निर्यात करने के लिए खनिज उत्पन्न करना है।

खनिज	एकक	उत्पादन			निर्यात के लक्ष्य	
		१९५०–१९५४		१९६०–६१	१९५४–५५	१९६०–६१
लोहा	(लाख टनो मे)	२९७	४३१	१२५	९	२०
मेंगनीज धातु	,,	८८	१४१	२०	९४	१५
चूना	,,	ऑकड़े अप्राप्त	ऑकडे अप्राप्त	१८५*	—	—
खडिया मिट्टी	,,	२.१	६.१	१८.६*	—	—
बोकसाइट	(हजार टन)	६४	७५	१७५	२०	—

* ये आंकड़े इन खनिजों के प्रयोग करने वाले उद्योगो के लिए निर्धारित क्षमता के आधार पर दिए गए हैं और इसलिए अन्य विविध उपभोक्ताओ की आवश्यकताएं इन में सम्मिलित नही है क्योकि इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

७ दूसरी योजना मे देश के खनिज साधनों का भरपूर सर्वेक्षण किया जाएगा। कोयले जैसे खनिजो का उत्पादन मुख्यत नए क्षेत्रो मे खानो का पता लगा कर ही बढाया जा सकता है। इसलिए चुने हुए कोयला क्षेत्रो में खोज कार्य करना उत्पादन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अग है। भारतीय भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान विभाग का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा। इनके विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमो के विवरणो पर विचार किया जा रहा है। इनका जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमे भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी और भू-भौतिकीय तरीको से समस्त महत्वपूर्ण खनिजो की जाच पडताल करना और भूगर्भ जल-साधनो की खोज करना तथा सिंचाई और बिजली योजनाओ के भूगर्भ-विज्ञान सम्बन्धी पहलुओ की छानबीन करना आदि सम्मिलित है। भारतीय खान विभाग चुने हुए क्षेत्रों मे विस्तार से खोज करेगा। इस सम्बन्ध मे जो महत्वपूर्ण जाँच-पडताल की जाएगी वह इस प्रकार है.—

कोयला—सार्वजनिक क्षेत्र मे कोयले का उत्पादन करने के सम्बन्ध में भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी विस्तृत जाच-पडताल के बाद निम्न स्थानो पर ड्रिलिंग किया जाएगा कोरबा, दक्षिण करनपुरा, रानीगज, चिरिमिरी, रामगढ, झिलमिली, और उत्तरी करनपुरा। कोयले की किस्म और मात्रा के मूल्याकन के लिए निम्न क्षेत्रो की कोयले की खानो मे यह कार्य किया जाएगा. कोटा, सिंगरौली, उमरिया, सुहागपुर, कन्हन, पेंच घाटी, हैदराबाद, तालचर, गोदावरी घाटी और आसाम।

तांबा—खेतडी और दरीबो (राजस्थान) की ताम्बे की खानो में विस्तृत जाच-पडताल का काम किया जाएगा और आंध्र के कुरनूल जिले के गनी नामक क्षेत्र में भी विस्तृत जांच पड़ताल की जाएगी।

मैंगनीज—मध्यप्रदेश में मैंगनीज़ धातु के क्षेत्र के नक्शे बनाने और जाच पडताल करने के कार्य को जारी रखा जाएगा।

क्रोमाइट—दक्षिण मैसूर के क्रोमाइट क्षेत्र मे तथा उडीसा की नौशाई क्रोमाइट की खानो मे विस्तृत जाच-पड़ताल की जाएगी।

खडिया मिट्टी—नागौर (जोधपुर) और बीकानेर (राजस्थान) की खडिया मिट्टी की खानो मे ड्रिलिंग द्वारा विस्तृत जाच-पड़ताल का कार्य किया जाएगा।

शीशा-जस्ता—जावर (राजस्थान) मे शीशा-जस्ता की खानो में ड्रिलिंग द्वारा जाच-पड़ताल की जाएगी।

मैगनेसाइट—अल्मोड़ा जिला (उत्तर प्रदेश) मे मैगनेसाइट की खानों मे ड्रिलिंग द्वारा जांच-पड़ताल की जाएगी।

टीन—बिहार में टीन निकालने का जो ज्ञात स्थान है वहा विस्तार से जांच-पडताल की जाएगी ।

तेल

८ देश म तेल के साधनो की खोज तथा विकास करना दूसरी योजना के अन्तर्गत एक मुख्य कार्य होगा । भारत सरकार के सहयोग से "स्टैण्डर्ड वैकूम आयल कम्पनी" इस समय पश्चिम बगाल मे तेल की खोज कर रही है । हाल ही मे आसाम मे तेल के कुओ का पता लगा है और इनके विषय मे "आसाम आयल कम्पनी" से बातचीत चल रही है । तेल की खोज का कार्य राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र मे भी शुरू किया जा चुका है और यह कार्य कच्छ तथा पजाब मे भी आरम्भ करने का विचार है । यदि तेल खोजने के कार्य मे सफलता मिली तो उससे औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के कार्य और अधिक तेजी से बढ सकेगे ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

९ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्य का खनिज साधनो के विकास के साथ बडा महत्वपूर्ण सम्बन्ध है । यद्यपि कई अन्य क्षेत्रो से भी इसका सम्बन्ध है । खनिजो, खनिज तेल तथा भूगर्भ जल के भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी तथा भू-भौतिकीय अन्वेषण के लिए नक्शो की आवश्यकता है और इजीनियरिंग के भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी पहलुओ के लिए भी । वन साधनो, रेलो और सडको तथा सिंचाई और बिजली योजनाओ आदि के विकास के लिए भी नक्शो की आवश्यकता है । भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य, जो भारत सरकार का एक बहुत पुराना विभाग है, दूसरे महायुद्ध के समय काफी अस्त-व्यस्त हो गया था । इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से कार्य पिछड गए । युद्धोत्तर वर्षों मे इस सगठन पर और अतिरिक्त कार्य आ पडा । इस स्थिति का सामना करने के लिए इसके विस्तार और यन्त्रीकरण का एक कार्यक्रम १९५३ मे स्वीकार किया गया । यन्त्रीकरण का कार्यक्रम पूरा होने वाला है । दूसरी योजना मे काम का भार और अधिक बढ जाने की आशा है । इस विभाग के और अधिक विस्तार और यन्त्रीकरण का कार्यक्रम स्वीकार किया गया है जिस पर दूसरी योजना में १०७ लाख रुपए खर्च होगे । भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जियोडेटिक और अनुसन्धान शाखा के पुनर्गठन करने की भी व्यवस्था की गई है । यह इस विभाग की बडी महत्वपूर्ण शाखा है और इस पर वह जिम्मेदारी है कि ज्वारभाटा तथा माध्याकर्षण सर्वेक्षणो के लिए समतलन, ट्रायगुलेशन और साथ ही चुम्बकीय तथ्यादि प्रस्तुत करे ।

संलग्न सूची

दूसरी योजना मे निजी क्षेत्र मे तथा एन आई. डी. सी के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

उद्योग	इकाई	३१ मार्च १९५६ को वार्षिक क्षमता का अनुमान	१९५५-५६ मे उत्पादन का अनुमान	१९६०-६१ मे आवश्यकताओ का अनुमान	१९६०-६१ के लक्ष्य वार्षिक क्षमता	उत्पादन	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
भारी उद्योग							
(क) धातु विद्या तथा इजीनियरिंग के बडे उद्योग							
(१) लोहा और इस्पात							
(अ) निजी क्षेत्र मे मुख्य उत्पादको द्वारा बेचने लायक इस्पात	लाख टन	१२ ५	१२ ५	४५	२३	२३	
(आ) कारखानो के लिए कच्चा लोहा	टन	३८०,०००	३८०,०००	७००,०००	—	२५०,०००	
(२) ढांचा निर्माण	टन	२४२,०००	१८०,०००	५००,०००	५००,०००	५००,०००	बडे ढांचो के बनाने की क्षमता के विकास के लिए एन आई डी सी. द्वारा भी कुछ उपाय किये जाएगे।
(३) बडे फाउण्ड्री-फोर्ज कारखाने							
(अ) इस्पात की स्वतन्त्र फाउण्ड्री	टन			१६,०००	१५,०००	१५,०००	सार्वजनिक क्षेत्र मे एन आई. डी सी द्वारा विकसित होगा
(आ) फोर्ज कारखाने (३)	टन			१२,०००	१२,०००	१२,०००	
(इ) लोहा बनाने के कारखाने	टन			१०,०००	१०,०००	१०,०००	
(४) फैरो मैंगनीज़	टन	२८,०००	अप्राप्त	१६०,०००	१६०,०००	१६०,०००	**
(५) अल्युमिनियम	टन	७,५००	७,५००	३०,०००	३०,०००	२५,०००*	**

* इस आधार पर उत्पादन कम है कि हीराकुड मे १०,००० टन की अतिरिक्त क्षमता अथवा १९६० के मध्य तक १०,००० टन की नयी इकाई चालू होगी। यह इकाई १९६०-६१ मे केवल छ महीने तक ही पूरा काम करेगी।

** नये क्षमता का कुछ भाग एन. आई. डी सी द्वारा विकसित होगा।

दूसरी योजना में निजी क्षेत्र में तथा एन. आई. डी. सी. के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

उद्योग	इकाई	३१ मार्च १९-५६ को वार्षिक क्षमता का अनुमान	१९५५-५६ में उत्पादन का अनुमान	१९६०-६१ मे आवश्यकताओ का अनुमान	१९६०-६१ के लक्ष्य		विवरण
					वार्षिक क्षमता	उत्पादन	
१	२	३	४	५	६	७	८
(६) आटोमोबाइल, मोटरसाईकिल तथा सहायक उद्योग							८०%भारतीय माल
(अ) आटोमोबाइल	संख्या	३५,०००	२३,०००	५७,०००	५७,०००	५७,०००	
(आ) मोटर साइकिल और स्कूटर	"	११,०००	उपेक्षणीय	११,०००	११,०००	११,०००	
(७) रेलवे रोलिंग स्टाक और अन्य वस्तुयें							
रेल इजिन	"	५०	५०	—	१००	१००	
(८) औद्योगिक मशीनें							
(अ) सूती कपडा	मूल्य(करोड रु)		४०			१७०	
(आ) जूट का कपडा	"		० ०६(१९५४)			२५	
(इ) सीमेंट	"		० ५६(१९५४)			२०	
(ई) चीनी	"		०.२८(१९५४)			२५	
(उ) कागज	"		उपेक्षणीय			४.०	
(ऊ) छपाई	"					२०	एन आई डी सी. द्वारा उन्नत होगा
(ऋ) अन्य (बडी मशीनें—मशीनी औजारो सहित)							"
(९) औद्योगिक बेयरिंग							
बाल बेयरिंग और रोलर	संख्या	६००,०००	७००,०००	१,८००,०००	६००,०००	१,८००,०००	
(ख) बड़े रासायनिक उद्योग							
(१०) क्षार तथा लवण							
सल्फ्यूरिक एसिड	टन	२६८,१७५	१६०,०००	४५०,०००	५००,०००*	४५०,०००*	

* इसमे सार्वजनिक क्षेत्र के सयन्त्र की उत्पादन क्षमता जैसे बिहार सुपरफास्फेट फैक्टरी का सल्फ्यूरिक एसिड और इस्पात के कारखानों के सहायक सयन्त्र सम्मिलित है ।

दूसरी योजना मे निजी क्षेत्र मे तथा एन आई डी. सी. के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

उद्योग	इकाई	३१ मार्च १९-५६ को वार्षिक क्षमता का अनुमान	१९५५-५६ मे उत्पादन का अनुमान	१९६०-६१ मे आवश्यकताओ का अनुमान	१९६०-६१ के लक्ष्य		विवरण
					वार्षिक क्षमता	उत्पादन	
१	२	३	४	५	६	७	८
(११) क्षार							
(अ) सोडा ऐश	टन	९०,०००	८०,०००	२५०,०००	२८०,०००	२५०,०००	
(आ) सोडा कास्टिक	टन	४६,०००	३५,०००	१२०,०००	१३३,०००	१२०,०००	
(१२) उर्वरक							
(अ) नाइट्रोजीनस (फिक्स्ड एन)	टन	१५,०००	१४,०००	३७०,०००	४५,०००	४५,०००	
(आ) फास्फेट (पी² ओ⁵)	टन	३५,०००	२०,०००	१२०,०००	१२०,०००	१२०,००० ††	
(१३) विविध भारी रासायनिक							
(अ) कैलशियम कार्बाइड	टन	५,०००	३,०००	२४,०००	२५,०००	२४,०००	
(आ) पोटेशियम क्लोरेट	टन	२,३००	१,५००	४,२००	४,२००	४,०००	
(इ) औद्योगिक विस्फोटक	"	×	×	५,०००	५,०००	५,०००	
(ई) कार्बन डिसल्फाईड	"	४,७००	३,०००	१४,०००	१४०००	१४,०००	
(उ) कार्बन ब्लैक	"	८००	२००	१२,०००	८,७००	८,०००	एन आई डी सी द्वारा विकसित होगा
(१४) बेंजोल रिकवरी और रेक्टीफिकेशन	लाख गैलन	२४	१५		१००	९०	कुछ एन आई डी. सी. और कुछ सार्वजनिक क्षत्र मे और तारकोल, नेप्थालीन तथा क्रिओजोट का तेल आदि भी शामिल है।
कोलतार आसवन	टन	७५,०००			१५०,०००		

†† बिहार सुपर फास्फेट फैक्टरी से लगभग ७००० टन सुपर जो पी² ओ⁵ के रूप में है, समेत

दूसरी योजना मे निजी क्षेत्र मे तथा एन. आई. डी सी के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

उद्योग	इकाई	३१ मार्च १९-५६ को वार्षिक क्षमता का अनुमान	१९५५-५६ मे उत्पादन का अनुमान	१९६०-६१ मे आवश्यकताओ का अनुमान	१९६०-६१ के लक्ष्य		विवरण
					वार्षिक क्षमता	उत्पादन	
१	२	३	४	५	६	७	८
(१५) रगने का सामान तथा मध्यवर्ती							
(अ) रगने का सामान	लाख पौंड	२२०	३०	३२०	२२०	२००	कुछ भाग एन आई डी सी मे
(आ) मध्यवर्ती	"					४४०	
(ग) **दूसरे भारी उद्योग**							
(१६) पैट्रोलियम शोधन	लाख टन (कच्चा विधायित)	३६ २५	२५		४३ १	३८	
(१७) कागज़ और गत्ता	टन	२२०,०००	१८०,०००	३५०,०००	४५०,०००	३५०,०००	,
(१८) न्यूज प्रिंट	,	—	—	१२०,०००	३०,०००	३०,०००	दो नयी फैक्ट्रियो मे से एक मे पूरा और दूसरी मे आधा काम होने की आशा है—कुछ एन.आई डी सी के अन्तर्गत
(१९) रेयन							
(अ) विस्कोज फिलामेंट और एक्टेट फिलामेंट	लाख पौड	२८१	१६०	५५०	५५०	५५०	
(आ) स्टेपल फाइवर	"	१२०	१२०	२५०	२५०	२५०	
(इ) केमिकल पल्प	टन	X	X	३०,०००	३०,०००	३०,०००	कुछ एन आई डी सी.मे
(२०) सीमेंट	लाख टन	४८	४५	१००	११५	९५	
(२१) रिफ्रेक्टरीज़	टन	३४३,८००	२६०,०००	८००,०००	१,०००,०००	८००,०००	
(२२) जूट की बनी वस्तुये	टन	१२००,०००	१०००,०००	१,२००,०००	१,२००,०००	१,२००,०००	नया एकक आसाम मे बनेगा

दूसरी योजना मे निजी क्षेत्र में तथा एन. आई. डी. सी. के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

उद्योग	इकाई	३१ मार्च १९५६ को वार्षिक क्षमता का अनुमान	१९५५-५६ में उत्पादन का अनुमान	१९६०-६१ में आवश्यकताओ का अनुमान	१९६०-६१ के लक्ष्य		विवरण
					वार्षिक क्षमता	उत्पादन	
१	२	३	४	५	६	७	८
(२३) रबर की वस्तुयें							
(अ) आटोमोबाइल टायर	०००सख्या	८९५ २	९००	१,२००	१,२००	१,२००	
(आ) बाइसिकल टायर	"	५,७७०.८	६,२००	१२,०००	१२,०००	१२,०००	
(२४) सूती वस्त्र							
(अ) सूत	लाख पौंड	१७,५००*	१६,०००	१९,५००	२०,१००	१९,५००	*जनवरी १९५५ के समान
(आ) मिल का बना कपडा	लाख गज़	४९,२००*	५२,०००	८२,०००‡	×	विचाराधीन	‡ १८ गज प्रत्येक व्यक्ति के खर्चे का अनुमान है।
(२५) चीनी	हजार टन	१,७५०	१,६५०	२,२५०	२,५००	२,२५०	चीनी का मौसम
(२६) फार्मेस्युटिकल वेनजीन हेक्साक्लोराइड	टन	२,४६०	७००	२,०००	२,४६०	२,०००	
(२७) ऊनी वस्त्र							
(अ) ऊनी टाप्स	लाख पौंड	×	×	१८०	९०	९०	
(आ) सादा और बटा हुआ ऊन	"	३८०	१९३ ५	२७०	४५०	२७०	
(इ) ऊनी वस्त्र	लाख गज़	४८०	१३७ ५	२००	५००	२००	
(घ) इंजीनियरिंग के छोटे उद्योग							
(२८) बाईसिकल	हजार सख्या मे	५५०	५००	१,२५०	७६५	१,०००	
(२९) डिजेल इजन	अश्व शक्ति	२००,०००	१००,०००	२०५,०००	२१६,०००	२०५,०००	

दूसरी योजना में निजी क्षेत्र में तथा एन. आई. डी. सी. के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

उद्योग	इकाई	३१ मार्च १९-५६ को वार्षिक क्षमता का अनुमान	१९५५-५६ में उत्पादन का अनुमान	१९६०-६१ में आवश्यकताओ का अनुमान	१९६०-६१ के लक्ष्य		विवरण
					वार्षिक क्षमता	उत्पादन	
१	२	३	४	५	६	७	८
(३०) बिजली से चलने वाले पम्प	सख्या	७३,२००	४०,०००	८६,०००	८६,०००	८६,०००	
(३१) सिलाई की मशीने	"	४१,५००	९०,०००	३००,०००	८५,०००	२२०,०००	
(३२) हरीकेन लालटेने	लाख मे	५५	५०	६०	५५	६०	
(३३) ट्रासफार्मर							
(३३ के वी और उससे कम)	के. वी ए.	५५०,०००	५२०,०००	८८०,०००	८८०,०००	८८०,०००	
(३४) बिजली के मोटर	अश्वशक्ति	३७६,७००	२४०,०००	६००,०००	६००,०००	६००,०००	
(३५) सूखी बैटरी	लाख	२२५०	१६००	२२५०	२२५०	२२५०	
(३६) स्टोरेज बैटरी	सख्या	३३३,१९२	२२५,०००	४२५,०००	३५०,०००	३५०,०००	
(३७) बिजली के लैम्प जी एल एस.	लाख	३१०	२७०	५००	५००	५००	
(३८) रेडियो रिसीवर्स	सख्या	१६२,०००	८०,०००	२००,०००	१६२,०००	२००,०००	
(३९) केबिल और तार							
ए सी. एस आर कन्डक्टर	टन	१५,३७०	९,०००	१५,०००	१५,३७०	१५,०००	
(४०) बिजली के पखे	सख्या	४३९,०००	२७५,०००	४५०,०००	४३९,१००	४५०,०००	
(४१) कोटेड एबरेसिब्ज	रिम	१९५,०००	८०,०००	१५०,०००	२५५,०००	१५०,०००	
(४२) चक्किया	टन	१,३७०	८५०	१,५००	१,७२०	१,५००	

दूसरी योजना में निजी क्षेत्र में तथा एन आई डी सी के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

उद्योग	इकाई	३१ मार्च १९-५६ को वार्षिक क्षमता का अनुमान	१९५५-५६ में उत्पादन का अनुमान	१९६०-६१ में आवश्यकताओ का अनुमान	१९६०-६१ के लक्ष्य वार्षिक क्षमता	१९६०-६१ के लक्ष्य उत्पादन	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
(४३) शीशा और शीशे के बर्तन (चूडियो के अतिरिक्त)	टन	२८९,३२०	१००,०००	१६०,०००	३३०,०००	१६०,०००	
(४४) प्लास्टिक, सिन्थेटिक मोल्डिग पाउडर	,,	१,२००	७००	७,८००	२,४००	२,४००	
(४५) बिजली और औद्योगिक सुरासार	लाख गै	२८०	१७०	३००	३६०	१८०	
						(शक्ति सुरासार) १२० (औद्योगिक सुरासार)	
(४६) पेण्ट्स और वार्निश							
(अ) तैल रग, वार्निश और इनैमेल	टन	६५,०००	४०,०००	६०,०००	६५,०००	६०,०००	
(आ) नाइट्रोसेल्यूलोज लैकर्स	गैलन	८५२,०००	२७५,०००	५००,०००	८५२,०००	५००,०००	
(४७) प्लाई वुड	लाख वर्गफुट	१४४० से १५०० तक	१०००	१०००	१६००	१५००	
				केवल चाय की पेटिया		(व्यावसायिक प्लाईवुड समेत)	
(४८) स्टार्च और ग्लूकोज़							
(अ) स्टार्च	टन	८०,४००	५०,०००	१००,०००	१००,०००	१००,०००	
(आ) तरल ग्लूकोज	,,	८,३५०	३००	४,०००	८,३५०	४,०००	
(इ) ग्लूकोज पाउडर	,,	६००	×	२,६००	२,६००	२,०००	
(४९) वनस्पति तेल							
(अ) खल से निकला हुआ तेल	टन	८२,५००*	५,०००	×	८००,०००*	६४,०००	*विधायित तेल की खली के अर्थ मे
(आ) बिनौले का तेल	,,	अप्राप्त	१०,०००	×	३०,०००	३०,०००	
(इ) समस्त साधनो समेत कुल	लाख टन	,,	१६	१९ ५ ‡	×	१९ ५	‡ निर्यात के लिए १७०,००० टन समेत

दूसरी योजना में निजी क्षेत्र में तथा एन आई डी सी. के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

उद्योग	इकाई	३१ मार्च १९-५६ को वार्षिक क्षमता का अनुमान	१९५५-५६ मे उत्पादन का अनुमान	१९६०-६१ मे आवश्यकताओ का अनुमान	१९६०-६१ के लक्ष्य वार्षिक क्षमता	१९६०-६१ के लक्ष्य उत्पादन	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
(५०) वनस्पति	टन	४५०,०००	२५०,०००	३५०,०००	४५०,०००	३५०,०००	
(५१) साबुन (संगठित कारखाने)	टन	२४०,०००	१००,०००	२५०,००० मे ३००,०००	२४०,०००	२००,०००	
(५२) दियासलाई	लाख ग्रुस डिब्बे	३५३	३२०	३५०	३५३	३५०‡	‡ विकेन्द्रित क्षेत्र समेत
(५३) चमडे की रगाई और जूते (केवल संगठित क्षेत्र)							
(अ) जूते (पश्चिमी ढग के)	लाख जोडे	५९७	३२	१०००	५९७	५९७	
(आ) जूते (भारतीय ढग के)	,,	अप्राप्त	२२		अप्राप्त	२२	
(५४) नमक	हजार मन	८५,०००	१००,०००			१००,०००	सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन समेत
(५५) बिस्कुट और मिठाइया							
(अ) बिस्कुट	टन	४०,०००	१२,०००	१५,०००	४०,०००	१५,०००	
(आ) मिठाइया	टन	४०,०००	८,०००	१०,०००	४०,०००	१०,०००	

सामान्य विवरण—सम्पूर्ण उत्पादन और क्षमताओ के आकड़े सगठित कारखानो के बारे मे है और विकेन्द्रित क्षेत्र उसमे नही आते ।

ग्यारहवां अध्याय

ग्राम और छोटे उद्योग

आवंटन और संगठन

पहली पचवर्षीय योजना मे उन बातों का निर्धारण किया गया था, जिन्हे ध्यान मे रखते हुए ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास-कार्यक्रमो को राष्ट्रीय योजना के अग के रूप में हाथ मे लिया जा सके। पिछले तीन वर्षो मे इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और इनकी दिशा-निर्धारण के लिए नये सगठन कार्य करते रहे है और इनसे उपयोगी अनुभव भी मिला है। योजना-आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति ने दूसरी योजना मे कार्यान्वित होने वाले ग्राम और छोटे उद्योगो के और अधिक बडे कार्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न समस्याओ तथा विकास कार्य-क्रमो की हाल ही मे समीक्षा की है। ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योग (दूसरी पचवर्षीय योजना) समिति के प्रतिवेदन मे उन प्रश्नों पर विचार किया गया है, जिनका आयोजित आर्थिक विकास की दृष्टि से ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास के प्रति मूल रवैये से सम्बन्ध है। पहली पचवर्षीय योजना मे घोषित नीति को और आगे बढाया गया है।

२. अपने प्रस्ताव उपस्थित करते हुए समिति के सामने तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य थ, जो इस प्रकार है :—

(१) दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में टैक्नोलौजिकल बेरोज़गारी को, विशेषत. परम्परागत ग्रामोद्योगो में होने वाली बेरोज़गारी को यथा-सभव दूर करना,

(२) योजना की अवधि में विभिन्न ग्राम और छोटे उद्योगों द्वारा यथा-सभव अधिक से अधिक रोज़गार की व्यवस्था करना, और

(३) विकेन्द्रित समाज के ढाचे और तेज़ी से प्रगतिशील आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करना।

यह रुख़ अपनाते हुए दो बाते सामने आती है—टैक्नोलौजिकल परिवर्तन किस प्रकार किये जायें और उद्योग मे विकेन्द्रित क्षेत्र की धारणा क्या हो? समिति ने बताया है कि परम्परागत

ग्रामोद्योगो मे तत्काल ही प्राविधिक सुधार किस प्रकार किये जाने चाहिए और भविष्य के लिये अधिक अच्छी प्रणालिया अपनाने के लिए भी नियमित कार्यक्रम होना चाहिए। साथ ही जहा नया पूजी-नियोजन करना हो, वहा, जहा तक सम्भव हो सके, यह उन्नत साज-सज्जा पर किया जाना चाहिए और कुछ अवस्थाओ मे यह सुधार वर्तमान साज-सज्जा को बढाने या उसमे परिवर्तन करने के रूप मे होना चाहिए।

३ विकेन्द्रित अर्थ नीति की धारणा का सम्बन्ध किसी विशेष प्रणाली के स्तर या कार्य-सचालन की विधि से ही नही है। इसका अर्थ तो यह है कि प्राविधिक सुधार इस प्रकार और इस हद तक किये जाय कि जिनसे देश भर मे विस्तार से फैले हुए अपेक्षाकृत छोटे एकक भी आर्थिक कार्य कर सके। इस बारे मे ग्रामीण लोग उन्नत उद्योग के रूप मे अपने गाव मे जो कुछ भी कर सके, उसी का ग्राम आधार पर सगठन किया जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया है कि ग्राम उद्योग का निरन्तर विस्तार और आधुनिकीकरण करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि देश भर के बडे-बड़े गावो और छोटे-छोटे कस्बो में आवश्यक सेवाओ के साथ छोटे औद्योगिक एकको का विस्तार किया जाय। बडे-बडे कस्बो के आसपास औद्योगिक विस्तार से उद्योग का जमाव कम होगा, यह नही कहा जा सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक कार्यकलाप का ऐसा रूप हो, जिसमे गाव का एक वर्ग अपने स्वाभाविक औद्योगिक और शहरी केन्द्र की ओर झुकाव रखता हुआ भी एक एकक बनाये। इसी बात को यदि समिति के शब्दो मे कहा जाय तो यह होगा— "प्रगतिशील ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आधार पर उद्योग का एक पिरामिड बनाया जाय, जिसका आधार अधिक-से-अधिक व्यापक हो"। आगे चलकर विभिन्न रूप से सहयोग प्राप्त करके छोटे एकको में परिमाण और सगठन सम्बन्धी मितव्ययता भी की जा सकती है।

४ मोटे तौर पर, दूसरी योजना मे ग्राम और छोटे उद्योगो के प्रति जो रवैया है, वह निम्न तीन सम्बद्ध और अन्योन्याश्रित धारणाओ पर आधारित है :—

(१) उसी उद्योग में बड़े और छोटे एकको के लिए सर्वसामान्य उत्पादन कार्यक्रम,
(२) औद्योगिक उत्पादन के विकेन्द्रित क्षेत्र की वाछनीयता, और
(३) प्राविधिक पथप्रदर्शन और वित्त तथा पूर्तियो मे सहायता, शोध और प्रशिक्षण, तथा सहकारी-सगठन आदि के द्वारा छोटे एकको के लिए सहायता के निश्चित कार्यक्रम।

सर्वसामान्य उत्पादन कार्यक्रम की बात लागू करते हुए कभी-कभी बड़े कठिन प्रश्न खडे हो सकते है। उदाहरणार्थ, किसी उद्योग के बडे एकको की क्षमता बढाने की कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए या नही और यह सीमा कहा निर्धारित की जाय; उत्पाद करो के उपकर लगाये जाय या नही और लगाये जायं तो किस स्तर पर लगाये जाय; उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित किये जाने चाहिये या नही औरयदि किये जायं तो उनका क्या रूप हो, और इसी प्रकार के और बहुत से प्रश्न खड़े हो सकते है। ये मतभेद सिद्धान्तो के विषय मे उतने

रेशम की बुनाई	५	१५
ऊन की बुनाई	३	२
	८८	६६.५
खादी		
ऊन की कताई और बुनाई	२२	
विकेन्द्रित सूत की कताई और खादी	२३	
	२५ २	
ग्रामोद्योग		४८.४
हाथ-कुटाई या चावल	८ ३	
वनस्पति तैल (घानी)	१३	
चमडे के जूते और चमडे की रंगाई (ग्राम)	६ २	
गुड और खाडसारी	८	
कुटीर दियासलाई	१	
अन्य ग्रामोद्योग	११	
	४७ ५	
दस्तकारिया	११	९
छोटे उद्योग	६५	५५
रेशम के कीडो का पालन	६	५
नारियल-जटा की कताई और बुनाई	२	१
सामान्य योजनाए (प्रशासन, शोध आदि)	१५	१५
कुल योग	२६०	२००

७ राज्यो की सशोधित योजनाओ मे ग्राम और छोटे उद्योगो के लिए लगभग कुल ~~१२७ करोड~~ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस व्यवस्था मे भी सशोधन किया जायेगा जिससे यह ग्राम और छोटे उद्योग समिति के प्रतिवेदन मे वितरण का जो रूप

नियत किया गया है उसके और अधिक अनुकूल हो सके। प्राप्तव्य उद्देश्य ये है कि उद्योगों के लिए जो राशिया निश्चित की गई हैं, वे व्यापक रूप से समिति की योजना के अनुकूल होनी चाहिएँ और विभिन्न बोर्ड अपने नियत क्षेत्रो मे प्रभावशाली रूप से कार्य कर सके तथा साथ ही राज्यो मे ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास का समस्त कार्यक्रम, उनके अपने जिला और स्थानीय योजनाओ के रूप मे एकीकृत और सम्बद्ध रूप से चलता रहे। इस सम्बन्ध मे प्रक्रिया विषयक कुछ प्रश्न है, जिनको निकट भविष्य मे हल किया जायगा। उद्योगो के प्रत्येक वर्ग मे कार्यक्रमो के विषय मे एक और भेद करना आवश्यक है। कुछ कार्यक्रम ऐसे है, जिन्हे केन्द्रीय अभिकरण (सम्बन्धित मत्रालय या बोर्ड) स्वय ही कार्यान्वित करेगे और जिनके लिए विशिष्ट राशियां निर्धारित करना आवश्यक होगा। और कुछ कार्यक्रम ऐसे है, जिन्हे राज्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न अभिकरणो की सलाह से कार्यान्वित करेगे।

८. विभिन्न ग्राम और छोटे उद्योगो के लिए समिति द्वारा प्रस्तावित आवटनों मे चालू पूजी की व्यवस्था भी सम्मिलित है। योजना के अत तक सामान जमा रखने और अन्य आवश्यकताए पूरी करने के निमित्त आवश्यक चालू पूजी की कुल राशि ६५ करोड रुपये होने का अनुमान है, जिसमे ३० करोड रुपये खादी और ग्रामोद्योगो के लिए, १७ करोड रुपये हाथकरघे के लिए और १० करोड रुपये छोटे उद्योगो के लिए सम्मिलित है। ये बहुत ही मोटे प्राक्कलन है। रिज़र्व बैंक, कुटीर और छोटे उद्योगो के लिए उपयुक्त सहकारी अभिकरणो के माध्यम से अल्पकालीन और मध्यमकालीन वित्त व्यवस्था मे सहायता देने के लिए तैयार है। आवश्यक चालू पूजी का अधिकाश भाग यथाशीघ्र सहकारी तथा अन्य महाजनी अभिकरणो से प्राप्त होना चाहिए और यह बात बडी महत्वपूर्ण है कि सगठनात्मक रूप से प्रत्येक बोर्ड को इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। निस्सदेह बीच की अवधि मे सरकार को विशेषत सहकारी समितियो और पजीकृत सार्वजनिक सस्थाओ द्वारा सगठित उत्पादन के लिए, चालू पूजी की आवश्यकताए पूरी करनी होगी।

९. यद्यपि बहुत-सा प्रारम्भिक कार्य और पथ-प्रदर्शन मत्रालयो और बोर्डों को करना होगा, परन्तु फिर भी इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक है कि ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास का कार्य मुख्यत. राज्यो को ज़िला और क्षेत्र-स्तर पर अन्य विकास कार्यक्रमो के साथ ही साथ करना होगा। ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने यह बात बताई कि उन्होने जिस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, वह योजना, वित्त और प्रशासन के सामान्य क्रिया-कलापों का एक ऐसा अग है जो बहुत देर तक योजना को कार्यान्वित करने के निमित्त की जाने वाली साधारण प्रशासनिक व्यवस्थाओ से अलग नही किया जा सकता। समिति ने सिफारिश की है कि ग्राम और छोटे उद्योगों सम्बन्धी सभी समस्याओ की देखभाल के लिए राज्यो मे आत्म-भरित विभाग होने चाहिए, जिनका राज्यीय सहकारी अभिकरण से घनिष्ठ सम्बन्ध हो और जिनकी सहायता के लिए ज़िला स्तर पर पूरे समय काम करने वाला कम-से-कम एक अधिकारी

हो। इस अधिकारी का सबध ज़िले मे ग्राम और छोटे उद्योगो के सम्बन्ध में किए जाने वाले प्रशासनिक तथा सगठनात्मक कार्यों से रहेगा। इस समय राज्य स्तर पर जो प्राविधिक और प्रशासनिक सगठन उपलब्ध है वह बड़ा कमजोर है। जिला स्तर पर वह इतना ढीला-ढाला है कि दूसरी पचवर्षीय योजना मे निधारित दायित्वो को नही उठा सकता। बस्तुत अब ऐसी स्थिति हो गई है जब प्रत्येक राज्य को राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन के सहयोग से ग्राम और छोटे उद्योगो के लिए एक कुशल सगठन का निर्माण करना चाहिए जो छोटे कस्बो और ग्रामीण क्षेत्रो मे कार्य कर सके।

१०. इस आधारभूत सगठन के निर्माण की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही पूरी हो सकती है, यदि ग्राम और छोटे उद्योग समिति की सिफारिश के अनुसार एक उपयुक्त समन्वय समिति निकट भविष्य मे ही स्थापित कर दी जाय, जिसमे सब बोर्डों के अध्यक्ष सम्मिलित हो और जिसका कार्य नीति-समन्वय, वित्त और ग्राम तथा छोटे उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम के समग्र क्षेत्र मे प्रशासन आदि के बारे मे सहायता करना हो। ग्राम और छोटे उद्योग समिति के प्रतिवेदन से पहले विभिन्न बोर्डों ने विकास के जो कार्यक्रम बनाये थे, उनकी वे अब फिर समीक्षा करेगे। यह समीक्षा समिति की सिफारिशो, कार्यक्रमो सम्बन्धी नीति विषयक प्रश्नो के बारे मे केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निर्णयो तथा दूसरी योजना की अवधि के लिए उद्योगो द्वारा निश्चित की गई रकमो को ध्यान मे रख कर की जायगी। ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है। राज्यो की योजनाओ मे ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास की जो योजनाए सम्मिलित है, उनमे उनको ही प्राथमिकता दी गई है, जिनको भूतकाल मे बोर्डों ने दी थी और उन्हे दी जाने वाली सहायता का रूप भी वही है, जिसकी ओर बोर्डो ने सकेत किया था। किन्तु सम्बन्धित बोर्डों, मत्रालयो तथा योजना आयोग को इन दोनो पहलुओ पर नए रूप से विचार करना चाहिए, जिससे राज्यो को स्पष्ट तौर पर इस बारे में पथ-प्रदर्शन किया जा सके कि वे अपनी सशोधित योजनाओ मे सम्मिलित प्रस्तावों में किस प्रकार परिवर्तन करे ताकि वे दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत प्राथमिकताओ और सहायता के अनुकूल हो सकें। क्योकि अभी फिर समीक्षा की जानी है, इसलिए इस मसविदे की रूपरेखा में विभिन्न बोर्डों के कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन करना या उनके सम्बन्ध मे ग्राम तथा छोटे उद्योग समिति के सुझावो का उल्लेख करना अनावश्यक है। किन्तु फिर भी ग्राम तथा छोटे उद्योगों के कार्यक्रमो को पूरा करने से सम्बन्धित जो तीन सामान्य प्रश्न है, उनका सक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी होगा। वे ये है :—

(१) सम्बद्ध बड़े और छोटे उद्योगों के सर्वसामान्य उत्पादन-कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने की प्रणालिया,

(२) ग्राम और छोटे उद्योगो के कार्यक्रमों में सहकारी समितियो का स्थान, और

(३) औद्योगिक प्रतिष्ठान।

छोटे उद्योगो को संरक्षण देने या सहकारी समितिया सगठित करने या औद्योगिक

प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए जो कार्यवाही की जाती है, उसका अर्थ यह है कि कारीगरो और छोटे औद्योगिक एकको की सहायता के लिए निश्चित उपाय किये जाय। पिछले तीन वर्षों मे विभिन्न बोर्डो ने अपने-अपने-क्षेत्रो मे इस पहलू की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। छोटे एकक की आर्थिक स्थिति दृढ करने के लिए जो उपाय किये गये और उनका क्या प्रभाव हुआ, इसका अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए सुझाव दिये जा सकें।

सर्वसामान्य उत्पादन-कार्यक्रम सम्बन्धी विधियां

११ समाज की सम्पूर्ण आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए छोटे और बडे एकको को अपना क्या-क्या योगदान देना चाहिए और छोटे उद्योगो के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये है, उन्हे पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जायँ इन दोनो बातो पर प्रत्येक उद्योग एक साथ विचार करे, इसी बात को सुविधा-जनक रूप से प्रकट करने के लिए पहली पचवर्षीय योजना मे 'सर्वसामान्य उत्पादन कार्यक्रम" का प्रयोग किया गया है। ये उपाय मोटे तौर पर दो प्रकार के है —(१) ऐसे उपाय, जिनसे छोटे एकको के लिए बाजार की वरीयता या आश्वासन दिया जा सके और (२) ऐसे उपाय, जिनसे कच्चे माल की पूर्ति, प्राविधिक पथ-प्रदर्शन, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, शोध और बिक्री के सगठन आदि के द्वारा निश्चित सहायता दी जाय। दोनो ही प्रकार के उपाय समान रूप से महत्वपूर्ण है और अधिक व्यापक दृष्टिकोण से दूसरे प्रकार के उपायो की अवधि मे प्रत्याशित सफलता को ध्यान मे रखते हुए प्रतिबन्ध लगाना या इसी प्रकार के अन्य उपाय करना विशेष रूप से न्यायसगत हो सकता है।

१२. पहली पचवर्षीय योजना मे किसी उद्योग के बडे एकको के सम्बन्ध मे यह सुझाव दिया गया था कि नीचे बताये गये तीन मुख्य कदमो मे से एक या एक से अधिक कदम उठाने आवश्यक हो सकते है —

(१) उत्पादन क्षेत्रो को सुरक्षित करना या उनका सीमा-निर्धारण

(२) किसी बडे उद्योग की क्षमता का विस्तार न करना, और

(३) किसी बडे उद्योग पर उपकर लगाना।

जब कि इन प्रस्तावो मे से दूसरे और तीसरे प्रस्तावो को लागू करना परम्परागत ग्रामोद्योग की दृष्टि से मुख्य रूप से उपयोगी समझा गया था उस समय बिजली और मशीनें प्रयुक्त करने वाले छोटे पैमाने के एकको की दृष्टि से उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित करने या उनकी सीमा निर्धारित करने की बात सोची गई थी। पहली पचवर्षीय योजना में इन एकको को तीन निम्न श्रेणियो मे विभक्त किया गया था :—

(१) वे, जिनमें छोटे पैमाने पर उत्पादन करने के निश्चित लाभ हैं और जिनके उत्पादन पर किसी बडी हद तक बड़े उद्योग का प्रभाव नहीं पडता,

(२) वे, जिनमें छोटा उद्योग कुछ पुर्जे बनाता है या जिसका सम्बन्ध किसी

उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की उन निश्चित दशाओ से है जिनमें मुख्य उत्पादन कार्य बडे उद्योग द्वारा होता है, और

(३) वे, जिनमे छोटे उद्योग को उसी प्रकार के बडे उद्योग के साथ प्रतियोगिता का सामना करना पडता है ।

आधुनिक उद्योग मे विकेन्द्रित क्षेत्र के निर्माण के लिए, प्राविधिक सम्भावनाओं की सीमा के अन्दर अन्दर उत्पादन क्षेत्रो के सीमा-निर्धारण से छोटे एकको की वास्तविक सहायता हो सकती है । इन एकको को, किन्ही विशेष वस्तुओ के बनाने में बडे एकको के साथ सघर्ष मे आना पडता है । इनका उत्पादन की अवस्थाओं की दृष्टि से या सहायक पुर्जों के निर्माण की दृष्टि से बडे एकको के साथ एकीकरण कर दिया जाना चाहिए। उचित क्षेत्रो मे यही रुख अपनाना पडेगा, चाहे बडे एकक सार्वजनिक क्षेत्र मे हो या निजी क्षेत्र मे ।

१३ किसी बडे उद्योग की क्षमता मे विस्तार न करने के प्रस्तावो पर दो भिन्न दृष्टिकोणो से विचार करना होगा। पहला तो यह कि ऐसा करने से किस हद तक छोटे एकको के लिए और अधिक बाजार प्राप्त हो सकेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि संगठन के अभाव या इसी प्रकार के अन्य कारणो से वर्तमान बाजार या बडे एकको की वृद्धि पर रोक लगाने से मिलने वाले अतिरिक्त बाजार का भी लाभ न उठाया जा सके । दूसरा विचारणीय पहलू यह भी है कि किसी वस्तु का एक निश्चित मात्रा मे उत्पादन अर्थ-नीति के लिए आवश्यक हो सकता है। इस सम्बन्ध मे, विकास की अवधि में जिसमे पर्याप्त सार्वजनिक और निजी व्यय किया जायगा, आगामी माग की सभावित मनोवृत्तियो का ध्यान रखना विशेष रूप से आवश्यक है । वस्तुओ की कमी दूर करने के लिए जितना उत्पादन आवश्यक हो, तथा अधिक बडे बाजार का लाभ उटाने के लिए छोटे एकको मे प्रभावशाली ढग से जितना उत्पादन किया जा सके, उतना उत्पादन किया जाया । और इसके बाद जो सार्वजनिक लाभ हो, उसके आधार पर यह निश्चय किया जाना चाहिए कि किसी बडे उद्योग की क्षमता सीमित की जानी चाहिए या नही और यदि की जानी चाहिए तो किस स्तर पर की जानी चाहिए। यह नीति लागू करते हुए परिवर्तित होने वाली आर्थिक स्थितियो को ध्यान में रख कर समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए उद्योगो को लाइसेंस देने की प्रणाली कृषि सम्बन्धी कार्यो , विशेषत चावल मिलो, तेल मिलों और आटा मिलो आदि के क्षेत्रो मे भी लागू कर देनी चाहिए । इस सम्बन्ध मे विस्तार सीमित करने विषयक दो प्रस्तावो का उल्लेख किया जा सकता है, जिनका सम्बन्ध ग्रामोद्योग से है और जिन पर इस समय विचार किया जा रहा है।

चावल की हाथकुटाई को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने सिफारिश की है कि नयी कुटाई या कुटाई-छटाई मिले या छटाई मिले स्थापित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए और योजनाकाल मे इस समय जो उत्पादन है, उससे अधिक उत्पादन नही होने देना चाहिए। इस का अपवाद केवल तभी हो सकता है, जब कि उचित रूप से हाथकुटाई का प्रबन्ध न किया जा सके । उदाहरणार्थ, जब

मजदूरों की कमी हो या किसी नए औद्योगिक क्षेत्र की पूर्ति करने का प्रबन्ध करना हो। इस सम्बन्ध में 'राइस मिलिंग कमेटी' की सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है। ग्राम तैल उद्योग के सम्बन्ध मे एक विशेष समिति द्वारा जाच पडताल की जा रही है। यह समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी और इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

१४. जैसा कि ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने बताया है, किसी बड़े उद्योग के उत्पादन पर कोई उत्पाद-कर या कोई उपकर लगाने के उद्देश्य ये होते है :—(१) किसी वस्तु के उपभोक्ताओ से निधिया इकट्ठा करना। (२) क्षमता के विस्तार पर प्रतिबंध लगाने के परिणाम स्वरूप बडे एकको को होने वाले अतिरिक्त लाभों का कुछ भाग ले लेना और (३) छोटे एकको के पक्ष मे एक सीमित मूल्य विशेष की व्यवस्था करना। उपयुक्त अवस्थाओं मे कोई उपकर या उत्पाद-कर लगाना एक स्वीकृत आर्थिक तरीका है और प्रत्येक दशा मे उसके अपने गुणो के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। कभी-कभी आर्थिक सहायताओ का प्रश्न उपस्थित किया जाता है, उससे विभिन्न प्रकार की बातें सामने आती है। ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने इस बात के पक्ष मे अपने विचार प्रकट नही किए कि उत्पादन पर आर्थिक सहायता या बिक्री पर छूट दी जाय। समिति ने कहा है कि किसी कार्य-कलाप को संरक्षण देने के निमित्त जो योजनायें बनाई जायं, उनकी लागत का शीघ्र ही अन्दाजा लगाया जाना चाहिए और सामान्य आर्थिक कार्य-कलाप के लिए सरक्षण की समस्त योजनाएं इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि अन्त में उन्हे वापस भी लिया जा सके। समिति ने बताया है कि कुछ सीमित अपवाद भी है, जैसे उदाहरण के तौर पर चावल की हथकुटाई के लिए उन्नत प्रकार की साज-सज्जा के निमित्त थोडी आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव। ग्राम और छोटे उद्योग समिति के प्रस्तावो मे समस्त ग्रामोद्योगों के लिए उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक सहायता की जो कुल राशि निर्धारित की गई है वह अनुमानत लगभग ८ करोड रुपया है। हाथकरघा और खादी की बिक्री पर छूट देने के कारण क्रमश लगभग २० करोड़ रुपये और ७ करोड रुपये के व्यय होने का अनुमान है।

१५. अम्बर चर्खे की बात ही दूसरी है। इस बारे मे विचारणीय विषय यह है कि अम्बर चर्खे के प्रयोग और बडे पैमाने पर विकेन्द्रित कताई शुरू करने से पूरे समय तक चलने वाले ग्रामीण रोजगार मे सभवत. इतनी अधिक वृद्धि होगी कि जिससे योजना की अवधि मे किया जाने वाला व्यय भी न्याय-सगत होगा। इस प्रस्ताव से सम्बद्ध प्राविधिक और आर्थिक बातो की छान-बीन की जा रही हैं। और हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने शोध और परीक्षण के लिए एक योजना स्वीकार की है, जिस पर ३० लाख रुपया व्यय होगा। ग्राम और छोटे उद्योग समिति की सिफारिशो के अनुसार इस समय की जाने वाली जांच-पडतालो के परिणामो की प्रतीक्षा की जा रही है और संग्रठित सूती कपडा उद्योग में कपड़े और धागे के उत्पादन लक्ष्य कुछ महीनो में तभी निर्धारित किए जायेंगे जब कि और अधिक स्पष्ट मूल्यांकन हो जाएगा।

१६. सर्वसामान्य उत्पादन कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के जिन विभिन्न तरीकों पर ऊपर विचार किया गया है, वे केवल ग्राम और छोटे उद्योगों के विकास के लिए की जाने वाली समस्त कार्यवाही का एक छोटा-सा भाग ही है। इनका उद्देश्य यह है कि ग्राम और छोटे उद्योग स्वयं अपने आप विकसित होने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त कर सकें। उन्हे पूरा करने के लिए जब भी सभव हो, सहकारी सगठनो द्वारा सर्वसामान्य बिक्री की व्यवस्था करनी होगी और राज्य भी इन सहकारी सगठनो मे हिस्सा ले सकता है। इस बात की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि सगठन और सहायता के निश्चित उपाय सफल हों, तथा और अधिक समय नष्ट किये बिना वे सफल हो।

औद्योगिक सहकारी समितियां

१७. यह एक सर्वसामान्य बात है कि जहा तक अधिग-से-अधिक सम्भव हो सके, वहा तक छोटे उद्योगो के लिए सहकारी समितियो का विकास किया जाय। बुनकरों की सहकारी समितिया बनाने मे हाथ-करघा बोर्ड का जो रिकार्ड है उससे यह पता चलता है कि छोटे उद्योग मे सहयोग को बढाने के लिए किन बातो की आवश्यकता है। महकारी श्रेणी मे सम्मिलित हाथ-करघो की सख्या १९५०-५१ मे ६,२६,११९ थी, जो बढ-कर १९५३-५४ मे ७८८,६६४ हो गई और यह सख्या १९५४-५५ मे बढकर ८,७८,९८४ हो गई तथा पहली योजना के अन्त मे यह सख्या बढकर १० लाख हो जाने की आशा है। सहकारी समितिया बनाने के लिए हाथ-करघा बोर्ड ने बुनकरो को भागपूजी और कार्यवाहक पूजी में सहायता दी है। सरकार भागपूजी का ७५ से ८५ प्रतिशत तक ऋण के रूप मे देती है और शेष बुनकर देता है। जहा तक कार्यवाहक पूजी का सबध है, वहां तक सरकार प्रति रुई करघा २०० रुपया और प्रति रेशम करघा ५०० रुपया देती है। बुनकरो के सहकारी सगठनो के विभिन्न स्तरो पर सघ बने हुए है, जिससे कि केन्द्रीय अभिकरणो द्वारा कच्चे माल की पूर्ति, प्राविधिक परामर्श, सहकारी अभिकरणो द्वारा ऋण की व्यवस्था और बिक्री की और अधिक सुविधाओ आदि की व्यवस्था की जाती है। नारियल-जटा उद्योग के लिए, जहा विचवैयो को हटाना है, ११९ प्रारम्भिक नारियल-जटा बिक्री व्यवस्था समितिया, २४ छिलकन (हस्क) सहकारी समि-तिया और २ केन्द्रीय नारियल-जटा बिक्री व्यवस्था समितिया हाल ही मे बनाई गई है। कुछ राज्यो मे कारीगरो की विशेष श्रेणियो के सम्बन्ध मे प्रगति की गई है, जैसे बम्बई, उत्तर प्रदेश और पजाब के चमडा रगने वाले तथा चमडे का अन्य काम करने वाले लोग और मद्रास के ताड का गुड बनाने वाले लोग। सामान्यत इस विषय मे जो प्रगति हुई है, वह बहुत धीमी है।

१८ पहले तो औद्योगिक सहकारी समितिया स्थापित करने और दूसरे उनका रक्षण तथा विकास करने के लिए कई बातो की आवश्यकता है। छोटे उद्योग की लगभग सभी शाखाओ मे पूर्ति और बिक्री व्यवस्था विषयक सहकारी समितिया बनाने की गुंजा-इश है। अन्य क्षेत्रो की अपेक्षा कुछ क्षेत्रो मे उत्पादक सहकारी समितियो की अधिक सम्भावना है। विकास की वर्तमान अवस्था मे, बिजली और मशीने प्रयुक्त करने

वाले छोटे उद्योगो के क्षेत्र मे ऐसे व्यक्तियो के लिए काफी गुजाइश है, जो उद्योग के साथ कारीगरी का समन्वय कर सके और ऐसे शिक्षित व्यक्तियो के लिए भी गुजाइश है, जो छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर सके । पूर्ति और बिक्री व्यवस्था विषयक सहकारी समितिया स्वय भी छोटे एकको की सहायता करने और प्रणालियो मे निरन्तर सुधार करने का, जिसमे किस्म का नियत्रण और भविष्य मे होने वाली माग के लिए स्टाक जमा रखना और ऋण देना भी सम्मिलित है, एक महत्वपूर्ण साधन है । जहा पूर्ति और बिक्री व्यवस्था विषयक सहकारी समितिया विद्यमान हो, वहा सरकार भी कुछ आर्थिक जिम्मेवारिया ले सकती है, जिससे कि उत्पादन को निरन्तर बनाये रखने के लिए राज्य की एक सीमित गारटी दी जा सकती है । ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने भी इस जिम्मेवारी का उल्लेख किया है ।

१९ पूर्ति और बिक्री व्यवस्था विषयक सहकारी समितियो और उत्पादक सहकारी समितियो दोनो का ही सगठन करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्यो के औद्योगिक विभाग, कुशल विस्तार सगठनो का निर्माण करे, जो मुख्य शहरी क्षेत्रो और गावो के कारीगरो तक पहुच सके । ग्रामीण क्षेत्रो मे एक विस्तार सगठन की विशेष रूप से आवश्यकता है, क्योकि वहा समाज के उत्पादन और समाज की माग के बीच घनिष्ठ सबध होने के कारण कारीगरो की सहकारी समितिया बनाने के लिए अनुकूल परि-स्थितिया विद्यमान है । इस दिशा में २५ प्रारम्भिक क्षेत्रो मे शुरूआत की जा रही है । ये क्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए है । किसी भी एक प्रकार को सहकारी समितिया बन जाने से छोटे उद्योग को सरकार से तथा सस्थाओ से और अधिक मात्रा मे आर्थिक सहायता मिल सकेगी तथा प्राविधिक सेवा सस्थाओ, प्रशिक्षण केन्द्रो और चलती-फिरती प्राविधिक सेवाओ से पथ प्रदर्शन भी मिल सकेगा । इसलिए उद्योग विभाग के कर्मचारियो और विभिन्न बोर्डों की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियो को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे कारीगरो के साथ सम्पर्क स्थापित करे और जैसी भी सभव हो, उसी प्रकार की सहकारी समितिया बना कर उनका सगठन करें। अन्य कार्य-कलापो की भाति इस दिशा मे भी सहयोग, विकास की कोई अवस्था न होकर एक प्रणाली ही अधिक है और दृढ आर्थिक तथा सगठनात्मक आधार बन जाने पर सहयोग की दिशा मे किया गया एक सफल प्रयत्न दूसरे प्रयत्न को सफल बना सकता है ।

औद्योगिक संस्थान

२० कस्बो या गावो मे अधिकाश छोटे उद्योगो को जिन परिस्थितियो में कार्य करना पडता है, वे ऐसी है, जो कार्यकुशलता, उत्पादन मे एक जैसे स्तर बनाये रखने और सामान तथा साज-सज्जा के मितव्ययता पूर्ण उपयोग की दृष्टि से हानिकारक है । इन कमियो को दूर करना होगा । शहरी क्षेत्रो में औद्योगिक सस्थान और बडे तथा केन्द्रीय स्थिति वाले गाव मे सामुदायिक कारखानें स्थापित करके कारीगरो और छोटे उद्योग परिचालको की सहायता की जा सकती है और उन्हे विभिन्न प्रकार की सुविधाये

भी दी जा सकती है । ग्राम और छोटे उद्योगों के विकास के लिए किए गये विभिन्न निश्चित उपायों का मुख्य उद्देश्य यह है कि यथा सभव ऋण, उचित दरो पर बिजली की पूर्ति, मरम्मत की सुविधाए, मजदूरो का प्रशिक्षण, प्राविधिक सहायता और पथ-प्रदर्शन की प्राप्ति और शोध के परिणामो से लाभ उठाने आदि के बारे मे छोटे उद्योगो को जो कठिनाइयाँ उठानी पडती है, उन्हें दूर किया जाय । ये कठिनाइया दूर होने पर आरम्भिक कार्य, कम मज़दूरी और परिवर्तन की क्षमता आदि छोटे एकको के जो अपने स्वाभाविक गुण है, उनके कारण उनकी प्रतियोगितात्मक स्थिति सुधर जानी चाहिए जिससे कि ग्राम और छोटे उद्योगो का औद्योगिक अर्थनीति के एक अपरिहाय, सुसंगठित क्षेत्र मे विकास हो सकेगा। राज्य की नीति भी एक विकेन्द्रित क्षेत्र के विकास करने के पक्ष मे ही है ।

२१. राज्य सरकारो ने अपनी योजनाओ में औद्योगिक सस्थानों के लिए कई योजनाए सम्मिलित की है, जिनके लिए छोटे उद्योग बोर्ड ने एक प्रारम्भिक योजना बनाई थी । बम्बई, दिल्ली और कानपुर जैसे बडे शहरों के पास कुछ औद्योगिक सस्थान बनाने का विचार है और कुछ सस्थान आगरा, नागपुर, जयपुर, विजयवाडा, बड़ौदा, इन्दौर और ग्वालियर आदि में भी स्थापित किए जायगे। और शेष सस्थान पश्चिमी बगाल के कल्याणी जैसे अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रो में स्थापित करने का विचार है । राजकोट (सौराष्ट्र) मे इस समय एक औद्योगिक सस्थान का निर्माण किया जा रहा ह। यह सुझाव दिया गया है कि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक संस्थानो की स्थापना कहाँ की जाय, इस बारे में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकारों को इस विषय में उन बातो का भी ध्यान रखना चाहिए, जो इस सम्बन्ध में ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने बताई है और जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है ।

२२ औद्योगिक सस्थानों के लाभ बहुत हद तक उन छोटे उद्योगों को होगे, जो बिजली और मशीनों का प्रयोग करते है, तथा जो छोटे उद्योग बोर्ड क्षेत्र में आते है । उद्योग के बारे मे यह भेद करना आसान नही है कि उनमें से किसका किस बोर्ड से विशेष सम्बन्ध है । इसलिए विभिन्न बोर्डों के अध्यक्षों की एकीकरण समिति द्वारा वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करना और सिफारिश करना उपयोगी होगा, जिससे कि औद्योगिक सस्थानों द्वारा छोटे एककों को अधिक-से-अधिक सहायता दी जा सके। ब्रिटेन में औद्योगिक संस्थानो का अनुभव विशेषतः युद्धकाल के बाद से बड़ा उत्साहवर्धक रहा है, किन्तु भारत में अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सफल अनभव नही हुआ । योजना में वित्तीय व्यवस्था विद्यमान है और क्योंकि इस कार्य के लिए काफ़ी व्यय किए जाने की आशा है, इस लिए आरम्भ से ही इस कार्यक्रम का आधार बहुत ठोस होना चाहिए ।

बारहवां अध्याय

परिवहन तथा संचार

अर्थ-व्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में रेले, सडके, सडक-परिवहन, बन्दरगाहे, आन्तरिक जल-परिवहन, जहाज़रानी तथा नागरिक वायु परिवहन सम्मिलित है। संचार सेवाओ मे, जिन पर सामान्यत परिवहन सेवाओ के साथ ही साथ विचार किया जाता है, डाक और तार, समुद्रपारीय सचार साधन, वार्तादि प्रसार तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्मिलित है। भूतकाल मे परिवहन तथा सचार सेवाओ के विकास के सम्बन्ध मे व्यापार तथा प्रशासन को प्रमुख रूप से ध्यान मे रखा जाता था। द्वितीय महायुद्ध के समय से औद्योगिक विकास की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए परिवहन प्रणाली को अधिकाधिक नया रूप दिया जा रहा है। दूसरी योजना मे इसी को और आगे बढाया जायगा। सामान्यतया यही अनुभव किया जाता रहा है कि अर्थ-व्यवस्था के तेजी से विकास होने के साथ-साथ परिवहन सेवाओ पर बहुत काफी हद तक भार पडने लगता है। कार्यकुशल परिवहन प्रणाली तेज़ी से विकास होने की अवधि मे उस स्थिति मे काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जबकि बढ़ते हुए उत्पादन के साथ इसका प्रभावपूर्ण ढग से समन्वय स्थापित किया जाय। तो भी, आज की स्थिति ऐसी है कि उपलब्ध साधनो से परिवहन सेवाओ तथा उद्योग की बढी हुई आवश्यकताओ की पूर्ति करना बहुत ही कठिन है। उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनो, जिनमे विदेशी-विनिमय सम्मिलित है, तथा वित्त की बढती हुई आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए दूसरी योजना मे परिवहन तथा सचार सेवाओ के लिए १,३८४ करोड़ रुपये के आवण्टन की व्यवस्था की गई है, जो योजना के अन्तर्गत कुल व्यय के २९ प्रतिशत के बराबर होगा। इस राशि मे से रेलो के लिए ९०० करोड़ रुपये, सड़कों, सड़क-परिवहन और पर्यटन उद्योग के लिए २६८ करोड़ रुपये, जहाज़रानी और बन्दरगाहो, प्रकाशगृहो और आन्तरिक जल परिवहन के लिए ९७ करोड़ रुपये, नागरिक वायु-परिवहन के लिए ४४ करोड़ रुपय तथा संचार सेवाओं और वार्तादि प्रसार के लिए ७५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये है।

रेल

२. सभी प्रकार के परिवहन-साधनों का विस्तार किया जाना है, किन्तु सबसे अधिक महत्व रेलों को दिया जाता है जिनको राष्ट्र की 'जीवन-रेखा' का नाम दिया जाना युक्तिसगत है। भारतीय रेलें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है, जिनमे ९६० करोड़ रुपये की पूजी लगी हुई है और

जो कुल ३५,००० मील में फैली हुई है। इनकी गणना सदा उन मुख्य आधारों में होती रहेगी, जिन पर राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था अवलम्बित रहती है। भारतीय रेलो पर पहली पचवर्षीय योजना के पूर्व के दशक मे बहुत अधिक भार पडा। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में रेलों का विस्तार करने की अपेक्षा पुनस्सस्थापन, माल और सवारी गाडियों के डिब्बों के आधुनिकीकरण तथा नयी आवश्यकताओ की पूर्ति पर ही अधिक ज़ोर दिया गया।

३ पहली योजना के निर्धारित लक्ष्यों की सफलतापूर्वक पूर्ति कर लिये जाने के फलस्वरूप रेलें इस स्थिति को प्राप्त हो चुकी है, कि उन्हे दूसरी पचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सगठित किया जा सकता है। पहली योजना के प्रारम्भ में देश में ८,२०९ इंजिन, सवारी के १९,२२५ डिब्बे तथा मालगाडी के २,२२,४४१* डिब्बे थे। दूसरी योजना काल में इनमें १,६०९ इंजिनों, सवारी के ४,८३७ डिब्बों तथा मालगाडी के ६१,७७३ डिब्बों की वृद्धि होने की आशा है। इनका अधिकतर उपयोग माल और सवारी के उन अधिक पुराने डिब्बो को बदलने के लिए किया जायगा जिन्हे अब उपयोग मे नही लाया जा सकता। प्रथम योजना काल मे जिन मुख्य योजनाकार्यों को पूर्णत कार्यान्वित किया गया, उनमें है; ३८० मील लम्बी नई रेल लाइनो का बिछाया जाना, ४३० मील लम्बी उखडी हुई रेल लाइनो का फिर से ठीक किया जाना, ४६ मील नैरो गेज लाइनो का ब्रौड गेज लाइनो में बदला जाना, चित्तरजन रेल इजिन कारखाने की स्थापना जिसमे ३२२ रेल इजिन तैयार किये जा चुके है, तथा सवारी के जोड रहित डिब्बो के कारखाने की स्थापना जिसने अपना उत्पादन कार्य अक्तूबर १९५५ मे आरम्भ किया। जिन योजनाकार्यों को कार्यान्वित किया जा रहा है, उनमे है कलकत्ता की उपनगरीय लाइनो तथा बर्द्धमान तक की मुख्य लाइन में बिजली का लगाया जाना, गगा का पुल, ४२७ मील लम्बी रेल लाइनो का निर्माण अथवा उनका पुन. ठीक किया जाना तथा ५२ मील मीटर गेज रेल लाइनों का ब्रौड गेज लाइनों में बदला जाना।

४. दूसरी योजना मे रेलो का मुख्य कार्य माल तथा सवारी यातायात की बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति करना है,। विभिन्न क्षेत्रो में उत्पादन लक्ष्यो के सम्बन्ध में माल यातायात में लगभग ५१ प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। आशा है बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप मे रेलें बडे पैमाने पर सवारी के और डिब्बे प्राप्त करके, लाइनों की क्षमता मे वृद्धि करके तथा कार्यक्षमता मे सुधार करके देश के विकास मे महान् योग देंगी। किन्तु इसमें सन्देह है कि रेल उद्योग के लिए जो राशि आवण्टित की गई है, उससे उस समस्त अतिरिक्त यातायात की व्यवस्था हो सकेगी जिसकी योजना काल में अपेक्षा की गयी है; और उनसे प्राप्त होने वाली सुविधाओ से माल और सवारी के डिब्बो के सम्बन्ध मे १० प्रतिशत तथा रेल लाइनो की क्षमता के सम्बन्ध मे ५ प्रतिशत आवश्यकताओ की पूर्ति न होने की सम्भावना है। सवारी यातायात के सम्बन्ध मे योजना के पाच वर्षों में सवारी गाडियो में १५ प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था रखी गयी है। इसमे रेले सवारी-यातायात में होने वाली साधारण वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकेगी, किन्तु बहुत अधिक भीडभाड़ की स्थिति मे अपेक्षित सुविधा प्राप्त न हो सकेगी। पर माल तथा सवारी गाडियो के उन पुराने

* चार पहिये वाले।

डिब्बों को चालू रखने से, जो उपयोग में लाये जा सकते हैं, माल तथा सवारी-यातायात के सम्बन्ध मे कुछ सुगमता अवश्य हो सकेगी । स्थिति पर विचार किया जाता रहेगा और अन्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम की भाँति रेल योजना में आवश्यक सुधार किये जाते रहेंगे ।

५. दूसरी योजना काल में रेलों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नयी रेल लाइनों का निर्माण करना है । यह कार्यक्रम मुख्यतः उन नयी रेल लाइनो के सम्बन्ध मे है, जो इस्पात सयन्त्रो, कोयला खानों जैसे बड़े औद्योगिक योजना कार्यों के लिए आवश्यक हैं । योजना काल में कुल मिला कर लगभग ८५० मील लम्बी रेल लाइनो का निर्माण किया जायगा । बाद को और अधिक वित्त की व्यवस्था हो सकी तो सम्भव है कि इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा सके और पिछडे क्षेत्रो मे कुछ अधिक रेल लाइने और बिछायी जा सके ।

६. पहली पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेलो के सम्मुख पुनस्सस्थापन में और भी प्रगति की जाने की आशा है । पहली पचवर्षीय योजना के अन्त मे ६,२६२ इजिन, २,६६,०४६ माल-डिब्बे और २३,७७६ सवारी-डिब्बे हो जायेंगे । इनमे से ३२ प्रतिशत इजन, १६ प्रतिशत माल के डिब्बे तथा लगभग २७ प्रतिशत सवारी के डिब्बे बेकार होकर पुनस्संस्थापन के योग्य हो जायेंगे । दूसरी पचवर्षीय योजना मे २,२५८ इजिन, १,०७,२४७ माल-डिब्बे तथा ११,३६४ सवारी-डिब्बे नये प्राप्त किये जा सकेंगे, जिनमे से १,३५२ इजिन, २३,८५२ माल-डिब्बे, ६,४४७ सवारी-डिब्बे बेकार इजिनों और डिब्बो की स्थानपूर्ति करेंगे । लाइन पर इस प्रकार, बेकार इजिनों, माल-डिब्बों और सवारी-डिब्बो के बदले क्रमश १८ ३, ८.५ तथा १०.५ प्रतिशत इजिन और डिब्बे स्थानपूर्ति करेंगे ।

७. बेकाम रेल मार्ग के नवनिर्माण के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में काफी व्यवस्था है । पुराने रेल मार्गों पर रेलगाडी की रफ्तार सीमित रखी जाय ऐसा नियम बनाना ही पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप रेल-यातायात की गति कम हो जायेगी और रेल मार्ग पर अधिक गाड़ियाँ नही आ-जा सकेंगी । पहली पचवर्षीय योजना मे रेल मार्ग नवनिर्माण का जो बचा हुआ काम है, उसके साथ दूसरी पचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर १३,००० मील लम्बे मार्ग का नवनिर्माण करना होगा । दूसरी पचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष लगभग १,६०० मील या पाच वर्षों में ८,००० मील रेलमार्ग का सुधार करना तय हुआ है । इससे रेल मार्ग का वह हिस्सा, जिस पर रफ्तार सीमित रखनी अनिवार्य होगी, काफी कम हो जायेगा ।

८. रेल-योजना मे लाइनों की क्षमता सम्बन्धी कार्य, विद्युतीकरण तथा सिगनल में सुधार कार्य पर काफी ज़ोर दिया गया है । योजना मे १,६०० मील रेलमार्ग पर दोहरी लाइन डालने तथा २६५ मील छोटी लाइन को बड़ी लाइन मे परिवर्तित करने की व्यवस्था है । अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन, शाखा लाइनें तथा कई एक स्टेशनो पर काटा बदलने के लिए अतिरिक्त शाखा लाइने तथा अधिक संख्या में रेल-यार्ड बनाने का कार्य भी शुरू किया जायेगा । जहा पर रेलवे लाइन डालने की अब गुंजाइश नही रही है, ऐसे स्थानो पर कुल मिलाकर ८१० मील तक बिजली से रेल चलाने की व्यवस्था की जायेगी । यह भी

विचार है कि १,२६३ मील रेल-मार्ग पर डिजल इंजिन चलाये जायें। रेल चलाने का कार्य अधिक सावधानी से हो सके तथा अधिक सख्या में गाडिया आ-जा सकें, इसके लिए बेहतरीन ढग के सिगनल और स्वचालित सिगनलो की भी व्यवस्था की गई है।

९. पहली पंचवर्षीय योजना में यात्रियो, विशेष रूप से तीसरी श्रेणी के यात्रियों को अधिक आराम मिल सके, इसके लिये उनको अधिक सुविधाए दी गई है। प्राप्य सीमित साधनों के अन्दर इस कार्य को दूसरी पचवर्षीय योजना में भी भरसक चालू रखा जायेगा। रेलवे कर्मचारियों के कल्याण-कार्य के लिये भी काफी व्यवस्था की गई है। भारत मे केवल रेलवे ही एक ऐसा बड़ा विभाग है जिसमें अत्यधिक सख्या मे कर्मचारी नियुक्त है, इसलिए अपने कर्मचारियो के कल्याण कार्य को अधिक महत्व देना वाछनीय है। पहली पचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक कुल १०५ लाख कर्मचारी रेलवे विभाग में हो जायेंगे और दूसरी पंच-वर्षीय योजना तक यह सख्या बढकर १२ लाख तक पहुच जायगी। दूसरी पचवर्षीय योजना काल मे इन कर्मचारियो के रहने के लिए ६०,००० क्वार्टर बनाये जाने की आशा है। इसमें कर्मचारियो के लिए वर्कशाप से लगे हुए जो नवीन नगर बनाये जायेंगे, उनमें बने क्वार्टर भी शामिल है। लगभग ६,००० क्वार्टर नये क्रासिंग स्टेशनो और नई रेलवे लाइनो पर भी बनाये जाने की सम्भावना है। दूसरी पचवर्षीय योजना काल मे कल्याण-योजना के अन्तर्गत १३ अस्पताल, ६५ दवाखाने तथा लगभग १,६०० रोगी शय्याओ की व्यवस्था की जायगी।

१०. उपरोक्त रेलवे-विकास-योजना को कार्यान्वित करने के लिए काफी सख्या में रेलवे कर्मचारी और प्रशिक्षित कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए विभाग मे काफी व्यवस्था और पुनस्सगठन की आवश्यकता होगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए अन्य प्रकार के यातायात के साधनों, उद्योग तथा योजना के अन्य योजना-कार्यों का भी सहयोग प्राप्त करना वाछनीय होगा। यद्यपि रेल-विभाग इंजिन और रेलगाड़ियो के निर्माण कार्य मे देश मे उपलब्ध सामग्री का पूर्ण उपयोग करेगा तथापि ४२५ करोड़ रुपये की सामग्री विदेश से भी मगानी पडेगी। रेलवे-योजना को कार्यान्वित करने के लिए फौलाद विशेष रूप से विदेश से मगाना पड़ेगा।

सड़कें तथा सड़क परिवहन

११. ग्राम अर्थ-व्यवस्था के विकास और राज्य तथा प्रदेशो की सीमा सम्बन्धी अड़चनो को मिटाने के लिए सडको तथा उसके यातायात के साधनो के विकास का पर्याप्त महत्व है। १६४३ की नागपुर योजना के अनुसार २० वर्षों में देश में कोई भी गाँव मुख्य सड़क से पांच मील से अधिक की दूरी पर नही होना चाहिए। देश के एकीकरण के बाद यह सम्भव हो गया है कि सडकों के विकास कार्य को विस्तृत रूप से कार्यान्वित किया जाये। परस्पर दो सडकों को जोड़ने वाली सयोजक सडको, पुल तथा वर्तमान सडको के नवनिर्माण पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इस क्षेत्र मे, पिछले कुछ वर्षों मे काफी प्रगति हुई है। विशेष कर गांबो की सड़कों के निर्माण कार्य मे स्वय गाव वालो ने विशेष उत्साह दिखाया और सहयोग दिया।

१२. पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में भारत में ६७,००० मील गिट्टी की पक्की सड़कें तथा १,४७,००० मील कच्ची सड़के थी। पहली पचवर्षीय योजना के काल में ही लगभग ६,००० मील पक्की धरातल वाली नई सडकें तथा लगभग २०,००० मील निम्न कोटि की और सडकें बन जाने की आशा है। केन्द्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सडकों के निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ६४० मील सयोजक सडकों का और ४० बडे पुलों का निर्माण तथा २,५०० मील मौजूदा सडको में सुधार किया गया है। राष्ट्रीय सडकों के निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सड़को के निर्माण मे भी काफी प्रगति की गई है। ऐसी सडको में जो कि राज्यो को परस्पर जोडती है, तथा जो आर्थिक महत्व रखती है और जिनका निर्माण कार्य दो वर्ष पहले शुरू किया गया था, काफी तरक्की हुई है। नागपुर योजना में सडके बनाने का जो ध्येय निर्धारित किया गया था, पहली योजना के अन्त तक वह एक तिहाई पूरा हो जायेगा।

१३ परिणामस्वरूप दूसरी पंचवर्षीय योजना में सडक निर्माण कार्य के लिए अधिक साधन जुटाये गये है। राष्ट्रीय सडको के निर्माण कार्यक्रम मे जो काम पहली पच-वर्षीय योजना मे आरम्भ किये गये थे, वे सब पूर्ण किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ६०० मील लम्बी सयोजक सडको, ६० बडे पुलो का निर्माण किया जायगा, १,७०० मील लम्बी मौजूदा सडको की मरम्मत की जायगी तथा गाडिया चलने लायक ३,७५० मील लम्बी सडके चौडी की जायेंगी। राष्ट्रीय सडकों के अतिरिक्त, सडक निर्माण का जो कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत १,१५० मील लम्बी सडके बनाई जायेगी और ५०० मील लम्बी सडको मे सुधार किया जायगा। राज्यो में लगभग ८,००० से ६,००० मील तक पक्की धरातल वाली सडके तैयार करने की योजना है। राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजना कायक्षेत्रों मे तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्त-र्गत भी जनता के सहयोग से गावो मे और अधिक सड़कें बनाई जायेंगी। ऐसी आशा है कि नागपुर योजना के अनुसार गांवो में जितनी सडके बनाने का ध्येय रखा गया था उसमे से लगभग दो-तिहाई सडकें दूसरी पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक बन जायेगी।

१४ स्वेच्छा से गैर सरकारी तौर पर सड़क परिवहन सेवा में जो प्रगति हुई है उससे कई एक गाव, शहरो तथा अन्य गावो से, यातायात की सुविधा होने के कारण जुड गये है। अनेक राज्य अपने यहा की यात्री-सेवाओ को बढाने के लिए उत्सुक है। योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि वर्तमान सडक परिवहन सेवाओ को धीरे धीरे अपने हाथ में ले लेना चाहिए। यदि राज्य स्वय सडक परिवहन सेवाओ को सचालित करने का विचार नही रखता तो उसे चाहिए कि गैर-सरकारी लोगो को लाइसेस देने की शर्तें कडी न रखे। राष्ट्रीय सडक परिवहन सेवा की व्यवस्था एक कारपोरेशन के अधीन होनी चाहिए जिसमें रेलवे विभाग और गैर-सरकारी कार्यकर्ता, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे। दूसरी पचवर्षीय योजना काल में माल ढोने वाली गाडियो की व्यवस्था का काम गैर-सरकारी सस्थाओ के हाथ में ही रहेगा। इस सेवा का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नही है। अभी हाल में सवारी और माल ढोने वाली गाडियों के विकास के लिए उपाय करन तथा उनमे रोजगार बढाने के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यह तय हो गया है कि सिद्धान्त और आचार की सहिता के अन्तर्गत

पाबन्दियो को ढीला कर दिया जाये और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर दो जगह टैक्स न लिया जाये । केन्द्रीय सरकार का, मोटर वेहिकल ऐक्ट के अधीन चलने वाली गाड़ियो पर अन्तर्राज्यीय सडक परिवहन सेवा के नियमन करने के लिए आज्ञा विषयक अधिकार अपने हाथ मे लेने का विचार है । सड़क परिवहन का विकास राज्यो की दूसरी पचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण अग है । इसके कार्यान्वित होने पर ५,००० नई मोटर गाडिया और बढ़ जायेगी । राज्यो मे कई कारखानो का भी निर्माण होगा ।

बन्दरगाह

१५. विभाजन के समय भारत के पास कुल पाच बडे बन्दरगाह थे, जहाँ प्रतिवर्ष २ करोड़ टन सामान उतारा और लादा जाता था । पहली पचवर्षीय योजना काल मे छठा बड़ा बन्दरगाह, कंडला का निर्माण पूरा हो गया जिससे सामान उतारने और लादने की क्षमता बढ़ कर २ करोड़ ६० लाख टन हो गयी । बड़े बन्दरगाहो के पुनस्सस्थापन और आधुनिकीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है । दूसरी पचवर्षीय योजना काल मे बडे बन्दरगाहो की क्षमता ३० प्रतिशत बढा दी जायेगी । इसके अतिरिक्त राज्यो के अनेक छोटे बन्दरगाहो का विकास किया जायेगा । योजना मे प्रकाशस्तम्भ के विकास और नवनिर्माण का कार्य विस्तृत रूप से किया जायेगा और इनकी व्यवस्था धीरे-धीरे केन्द्रीय सरकार अपने हाथ मे ले लेगी ।

१६ लडाई के बाद भारतीय जहाज़रानी के विकास की प्रगति आशातीत रूप से धीमी बनी रही । १९५० से तटीय व्यापार भारतीय जहाज़ो के लिए सुरक्षित रखा गया है, लेकिन यात्रियो व माल को ले जाने के लिए जहाज़ पर्याप्त सख्या मे उपलब्ध नही हो रहे है । पहली पचवर्षीय योजना के आरम्भ मे भारत के पास ३,९०,७०७, जी. आर. टी के जहाज़ थे । पहली योजना का ध्येय ६,००,००० जी आर टी. के जहाज़ प्राप्त करना था । सम्भव है इसमे सफलता भी मिले । परन्तु कुछ जहाज़ द्वितीय योजना काल में चालू कर दिये जायेंगे । द्वितीय योजना काल में ९०,००० जी आर टी के जहाज़ो के बदले जाने के बाद कुल मिलाकर ९,००,००० जी आर. टी के जहाज़ हो जायेंगे । दूसरी योजना की समाप्ति पर भारतीय जहाजो द्वारा किया गया सामुद्रिक व्यापार १५ प्रतिशत बढ़ जायेगा ।

१७. हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार किया जायेगा ताकि वहा आधुनिक ढग के चार जहाज़ प्रतिवर्ष तैयार किये जा सके । विशाखापत्तनम मे एक ड्राई डाक का निर्माण किया जायगा । एक दूसरे शिपयार्ड के निर्माण के लिये प्रारम्भिक तैयारिया करने का भी सुझाव दिया गया है ।

आभ्यन्तरिक जल परिवहन

१८. १९वी शताब्दी के मध्य तक भारतीय जलमार्गों ने परिवहन क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भाग लिया है । परन्तु रेल प्रणाली के विकसित होने और नदी के ऊपरी हिस्सो में सिंचाई के लिये काफी मात्रा मे पानी रोक लेने से, जल-परिवहन काफी कम होता जा रहा है । तो भी देश के उत्तर-पूर्वी भागों में अभी भी जल-परिवहन

का काफी महत्व बना हुआ है। यह अनुमान है कि भारत में लगभग ५००० मील नदी-मार्ग आधुनिक जलयानो के लिये उपयुक्त है। अभी १५५७ मील लम्बी नदिया यन्त्र चालित जलयानो के लिए उपयुक्त है और ३,५८७ मील नदी-मार्ग मे देशी बडी नावें आ-जा सकती है और यहा पर विद्युतशक्ति का भी विकास किया जा सकता है। नदियो को गहरा करके, नहरे निकाल करके, अथवा छिछले जलमार्ग के उपयुक्त नावे तैयार करके, छिछली नदियो को जल परिवहन के अनुकूल बनाया जा सकता है। नदी को हमेशा गहरा बनाए रखने की व्यवस्था करने मे काफी पूँजी लगेगी इसलिए छिछले जल-मार्ग के लिये उपयुक्त नावे बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना काल में जो गगा-ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्थापित किया गया था, उसने ऐसे तीन योजना-कार्य परीक्षण के लिए शुरू भी कर दिये है। इनमे से दो योजना कार्य अपर गगा और आसाम में उसकी सहायक नदियो पर चालू किए जायेगे और तीसरा ब्रह्मपुत्र पर यात्रियो और गाड़ियाँ ढोने के जलयानो के आवागमन के लिए आरम्भ किया जाएगा। अपर गगा के इस योजना कार्य पर दूसरी योजना काल के प्रारम्भ मेंही काम शुरू कर दिया जायगा। अन्य दो योजना कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि मे गगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र मे विकास कार्यो को क्रियान्वित किया जायगा। इसमें महत्वपूर्ण जल मार्गों की सफाई, जल परिवहन सम्बन्धी सुविधाए तथा रेडियो टेलीफोन, स्वचालित पथ-प्रदर्शक (बीकन)और चुने हुए स्थानो पर घाट बनाने की व्यवस्था सम्मिलित है। योजना मे बकिंघम नहर के और मद्रास बन्दरगाह से उसे मिलाने वाली तथा पश्चिमी तट की नहरो के विकास की भी व्यवस्था की गई है।

नागरिक वायु परिवहन

१९. वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण १९५३ मे हुआ था। इडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा सचालित सेवाएँ देश के सभी भागो को मिलाती है। इनके वायु मार्गो की कुल लम्बाई १५,२०९ मील है। एयर इडिया इन्टरनेशनल द्वारा सचालित सेवाओ के विमान १५ देशो को जाते है और उनके वायुमार्गो की कुल लम्बाई १६६७३ मील है। दोनो कारपोरेशनो ने अतिरिक्त सख्या में विमान खरीदने और सचालन सुविधाओ मे सुधार करने के बड़े कार्यक्रम बनाए है।

२०. पहली पचवर्षीय योजना की अवधि मे नागरिक उड्डयन के सम्बन्ध मे बहुत-सा कार्य किया गया। इस मे वायुयानो के ९ हवाई अड्डो का निर्माण और वर्तमान अड्डो मे काफी कुछ सुधार किया जाना सम्मिलित है। दूसरी योजना काल मे आठ और हवाई अड्डे बनाए जायेंगे और कई हवाई अड्डों मे दूर सचार का तथा अन्य आवश्यक साज सामान बढ़ाया जायगा। योजना में विमान-चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं।

डाक-तार और अन्य संचार सेवाएं

२१. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि मे विभिन्न सचार सेवाओ मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है। डाकखानो की सख्या ३६ हजार स बढ़कर ५३ हजार, टेलीफोनों की संख्या १ लाख ६८ हजार से बढकर २ लाख ६० हजार और टेलीफोन करने के सार्वजनिक स्थानों की संख्या ३३८ से बढ़कर १,२०० तक पहुंच गई। समुद्रपारीय सचार सेवाओं के क्षेत्र

में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। १२ देशों के साथ रेडियो-तार के, १६ देशो के साथ रेडियो-टेलीफोन के तथा ५ देशो के साथ रेडियो-फोटो के सम्बन्ध स्थापित किए गए। भारतीय टेली-फोन कारखाने की उत्पादन शक्ति मे वृद्धि हुई है और प्रतिवर्ष ३० हज़ार एक्सचेंज लाइनें तथा ५० हज़ार टेलीफोन बनाए जाने लगे है।

२२ दूसरी पचवर्षीय योजना मे सचार कार्यक्रमो का और भी विस्तार किया जायेगा। आशा की जाती है कि डाकखानो की सख्या ७३ हज़ार तक तथा टेलीफोनो की सख्या लगभग ४ लाख ५० हज़ार तक पहुच जायगी। सब महत्वपूर्ण तहसीलो तथा पुलिस चौकियो और २० हज़ार या उससे अधिक की जनसख्या वाले सभी नगरो मे टेलीफोन करने के सार्व-जनिक स्थान निर्धारित किये जायेंगे। ओपन वायर ट्रक और उसके प्रेषक तारो मे काफी वृद्धि की जायगी तथा ट्रक तारो और ट्रक केबलो का भी विस्तार किया जायगा। पहली योजना की अवधि मे तारघरो की सख्या ३,५९२ से बढकर लगभग ५ हज़ार तक पहुच गई थी। इन्हे अब और भी अधिक बढाना है ताकि ५ हज़ार या इससे अधिक की जनसख्या वाले सभी स्थानो पर तार-घर खुल जाय। समुद्र पार की सचार सेवाओ मे २५ और देशो के साथ सीधी तार, टेलीफोन तथा रेडियो फोटो सेवाए चालू हो जाने का भी अनुमान है।

२३. मौसम सूचना विभाग ने भी कई विभिन्न दिशाओ मे विकास किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डो की मौसम सम्बन्धी सूचनाए एकत्र करने वाली वेधशालाओ में साज-सामानो का आधुनिकीकरण, विभागीय कारखाने खोलना, मध्यवर्ती दूरी तक के लिये मौसम सम्बन्धी सूचना देने के तरीको का विकास और खगोलविद्या तथा नौसेना सम्बन्धी वेधशालाये खोलना सम्मिलित है।

प्रसारण

२४ अखिल भारतीय रेडियो के २६ केन्द्र है। पहली योजना की अवधि में जो विस्तार हुआ है, उसके द्वारा प्रत्येक भाषा के लिए कम-से-कम एक प्रसार केन्द्र हो गया है और सभी क्षेत्रो मे रेडियो प्रसारण अच्छी तरह से सुने जा सकते हैं। दूसरी योजना में सब भाषाओ के प्रसार केन्द्रो के प्रसार-क्षेत्र को यथासम्भव अधिक बढाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन क्षेत्रो मे दूसरे ध्वनिक्षेपक यन्त्र प्रभावशाली नही रहेंगे, वहा लघु तरग ध्वनिक्षेपक यन्त्र लगाए जायेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रमो की बढती हुई माग की पूर्ति के लिए तथा देश भर मे राष्ट्रीय प्रसा-रण को सुनने की सुविधा प्रदान करने के लिये दिल्ली मे १०० किलोवाट का एक लघु तरग व १०० किलोवाट का एक मध्यम तरग ध्वनिक्षेपक यन्त्र तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ५० किलोवाट का एक-एक लघु तरग ध्वनिक्षेपक यन्त्र लगाया जायेगा। विदेशो के लिए भी प्रसारण सेवाओ का विस्तार किया जायगा। गावो मे रेडियो सुनने की आदत को बढावा देने के लिए एक हज़ार तथा इससे अधिक की जनसख्या वाले सभी गावो मे पचायती रेडियो-सेट लगाए जायेंगे। दूसरी योजना की अवधि मे इस प्रकार के लगभग ७२ हज़ार सेट लगाये जाने की आशा है।

तेरहवाँ अध्याय

समाज सेवाएँ

भूमिका

दूसरी पंचवर्षीय योजना मे समाज सेवाओ के लिए पहली योजना से लगभग दुगुनी राशि की व्यवस्था की गयी है। यद्यपि दूसरी योजना बहुत अधिक विस्तृत पैमाने पर बनाई गई है, फिर भी (विस्थापितो के पुनर्वास को छोड कर) समाज सेवाओ पर होने वाले खर्च का सार्वजनिक क्षेत्र की उन्नति पर सम्पूर्ण खर्च के अनुपात से ही व्यवस्था की गई है। यह सर्वविदित है कि समाजसेवाओ से लाभ उठाने का प्रत्येक को समान अवसर मिलता है और राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक ढाँचा सुदृढ होता है। पहली पंचवर्षीय योजना में समाज सेवाओ का कार्यक्रम जैसे-जैसे आगे बढा उससे यह प्रतीत होता गया कि इस क्षेत्र मे ऐच्छिक सेवाओ और सगठित सामुदायिक प्रयासों तथा गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओ का बहुत अधिक महत्व है। सामाजिक सेवाओ की उन्नति का वास्तविक भार तो ग्राम्य और नागरिक समुदायो पर ही है, जिन्हे अपनी आवश्यकताओ तथा अपने साधनो के अनुसार इन कार्यक्रमो को चलाना चाहिये। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओ का जनता के उपवर्ग के स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास सम्बन्धी तथा अन्य विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओ की पूर्ति मे बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाग अदा करना है, जो भूतकाल में उपेक्षित रहे। उनका वास्तविक कार्य तो यही होना चाहिये कि वे राष्ट्रीय योजना में विभिन्न समुदायो के कार्यक्रमो की उन्नति मे सहायता दे और उनके प्रयत्नो को यथाशक्ति प्रोत्साहन दे।

२. दूसरी पचवर्षीय योजना मे समाज सेवाओ के लिए ९४६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसका वितरण विभिन्न मदो मे इस प्रकार होगा —

	रुपए (करोड)
शिक्षा	३२०
स्वास्थ्य (शहरी क्षेत्रो मे जलव्यवस्था भी शामिल है)	२६७
आवास	१२०
श्रम	२६
पिछड़े वर्गों का कल्याण	९०
समाज कल्याण	२८
पुनर्वास	९०
शिक्षित बेकारो की समस्या सुलझाने की समाज परियोजनाएँ	५
	९४६

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओ का विस्तार करके स्वास्थ्य के सामान्य स्तर को उन्नत किया जाए और उन सेवाओं को जनता की पहुँच के अन्दर लाया जाए। विशेषकर पंचवर्षीय योजना मे जिन उद्देश्यो पर ज़ोर दिया गया है वे इस प्रकार हैं–

(१) ऐसे संक्रामक रोगो का नियन्त्रण जिनका असर जनता के बड़े भाग पर पड़ता है,

(२) परिस्थितिगत स्वास्थ्यऔर सफाई की उन्नति,

(३) उपयुक्त संस्था सम्बन्धी सुविधाओ की व्यवस्था जिससे कि वे स्वास्थ्य सेवाओ को सगठित करने के लिए आधार बन सके,

(४) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य करने वाले कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओ की व्यवस्था, और

(५) परिवार नियन्त्रण।

पहली पंचवर्षीय योजना में जहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए १३१ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, वहाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना मे २६७ करोड रुपए की व्यवस्था है। जो कार्यक्रम बनाए गए है वे काफी व्यापक और दूरगामी है।

२. दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए यह प्रयास किया जाएगा कि अस्पतालो में अधिक जगह मिले, और अस्पतालो की सेवाओ जिनमे कर्मचारी, रोगियो के लिए स्थान, साज-सामान तथा पूर्तियों में उन्नति की जाए। इस उद्देश्य से योजना मे ४० करोड़ रुपए की व्यवस्था है। यह अनुमान किया जाता है कि १९५१ में देश में ८,६०० चिकित्सा करनेवाली सस्थाएं थीं जिनमें १,१३,००० रोगी शैयाए थी। अनुमान किया जाता है कि १९५५-५६ मे इन संस्थाओं की संख्या १०,००० पहुँच गई और शैयाओ की सख्या १,२५,००० हो गई। इन आँकड़ों से पता चलता है कि पहली योजनाकाल में सस्थाओ मे १६ प्रतिशत और शैयाओ में

१० प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना के अन्त तक संस्थाओं की संख्या १२,६०० और शैयाओं की संख्या १,५५,००० हो जाएगी, ऐसी आशा है और इस प्रकार सस्थाओ की सख्या में २६ प्रतिशत और शैयाओ की सख्या मे २४ प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।

३. स्वास्थ्य की योजना मे देहातो मे चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओ की व्यवस्था केन्द्रीय समस्या है। इस उद्देश्य को हम इस तरह से प्राप्त करने जा रहे है कि राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजना क्षेत्र मे स्वास्थ्य इकाइयाँ, स्थापित करे। इन इकाइयो से कई तरह के काम निकलते है और इनमे सृजनात्मक तथा निवारणात्मक दोनो तरह के काम एक साथ मिलकर किए जाते है। ऐसी आशा है कि पहली योजना के युग मे कुल मिलाकर ७२५ स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित हो जाएगी। अस्थायी योजना के अनुसार जो इस समय विचाराधीन है यह प्रस्ताव रखा गया है कि सामुदायिक योजना क्षेत्र, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा अन्य क्षेत्रो मे ३००० स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की जाएँ। राज्य सरकारो के सामने भी यह प्रस्ताव है कि वे १३१ मौजूदा औषधालयो को प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयो मे परिणत कर दे और कुछ माध्यमिक स्वास्थ्य इकाइयो की स्थापना करे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

४. स्वास्थ्य सेवाओ का विस्तार तथा इन्हे कुशलतापूर्वक चलाने मे हम तभी सफल हो सकते है जबकि हमे सब तरह के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी प्राप्त हो। प्रशिक्षण कार्यक्रमो को इस तरह से सयुक्त और सगठित करना है ताकि रोज़गार सम्बन्धी सुविधाएँ बढे। १९५० के अन्त में ५९,३०० पजीकृत चिकित्सा व्यवसायी थे। १९५४ के अन्त तक इनकी सख्या बढकर ६७,००० हो गई है। यह अनुमान किया जाता है कि पहली पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ७०,००० पजीकृत चिकित्सा व्यवसायी हो जाएँगे। प्रति ५,००० आबादी पर एक डाक्टर के हिसाब से दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८०,००० डाक्टरो की आवश्यकता होगी। इनके साथ ही यदि देख-रेख रखनेवाले अन्य कर्मचारियो को गिना जाए, तो कुल मिलाकर ९०,००० डाक्टरो की जरूरत होगी यानो प्रति वर्ष हमे ४,००० नए डाक्टर चाहिए। १९५०-५१ मे जहाँ मेडिकल कालेजो की सख्या ३० थी, वहा १९५५-५६ मे उनकी सख्या ४० हो चुकी है और इस समय २,५०० से ३,५०० तक वार्षिक नई भर्ती को व्यवस्था है जिससे कि प्रति वर्ष २००० नए डाक्टर हो सके। राज्यो की योजना मे २८ मेडिकल कालेजो तथा उनसे सयुक्त अस्पतालो के विस्तार की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ६ नए मेडिकल कालेजो, तथा मेडिकल कालेजो मे पूर्ण समय तक शिक्षा देने वाली इकाइयो, निवारणात्मक औषधियो तथा मनोरोग चिकित्सा विभागो की स्थापना मे सहायता देगी। इस बात की व्यवस्था की गई है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान सस्था को सम्पूर्ण कर दिया जाए और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा शोध के लिए मेडिकल कालेजो के कुछ विभागो का उन्नयन किया जाए।

५. डाक्टरो के अलावा स्वास्थ्य कर्मचारीवर्ग मे भी कमी बहुत अधिक रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि डाक्टरो की कमी की पूर्ति हो जाने के बाद भी इनकी कमी बनी रहेगी।

१९५४ के अन्त मे राज्यो मे जो विभिन्न वर्गो के लोग पजीकृत थे, उनमें २०,७९३ नर्सें, २४,२९० धात्रियाँ, ७५६ हेल्थ विजीटर, ४४६८ दाइयाँ और ९४६ नर्स-दाइयाँ होगी। हमारे सामने इस समय का आदर्श यह हो सकता है कि १,००० की आबादी पर एक अस्पताली रोग शैय्या, ५,००० की आबादी पर एक नर्स और एक धात्री और २०,००० की आबादी पर १ हेल्थ विजीटर और एक सफाई इन्स्पेक्टर हो। अन्य सम्बद्ध वर्गो के कर्मचारियो के लिए नीचे दी हुई तालिका के अन्त मे अन्तिम स्तम्भ मे जो आँकड़े दिए गए हैं, वे अभी काफी दूर हैं। पर उनसे यह पता लगता है कि इस समय हमारे यहाँ कितनी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए हमे कितनी तेजी से काम करना है चाहे हमारे सामने इतना ही उद्देश्य रहे कि अत्यन्त प्राथमिक सेवाए ही जनता के लिए कुछ हद तक प्राप्त हो।

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	आवश्यक संख्या
डाक्टर	५९,०००	७०,०००	८०,०००	९०,०००
नर्स (जिसमे सहायक नर्स धात्रिया भी आ जाती है)	१७,०००	२२,०००	३१,०००	८०,०००
धात्रियाँ	१८,०००	२६,०००	३२,०००	८०,०००
हेल्थ विजीटर	६००	८००	२,५००	२०,०००
नर्स-दाइयाँ और दाइयाँ	४,०००	६,०००	४१,०००	८०,०००
स्वास्थ्य सहायक और सफाई इन्स्पेक्टर	३,५००	४,०००	७,०००	२०,०००

दूसरी योजना मे एक प्रयत्न यह किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कर्मचारियो के लिए प्रशिक्षण सुविधाओ की व्यवस्था हो। नर्सो, धात्रियो, दवाफरोशो, सफाई इन्स्पेक्टरो तथा मेडिकल कालेजो और ऐसे बडे अस्पतालो मे, जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल में नही आ रहे है, दूसरी तरह के विशेष कार्य करने वालो के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इस समय देश मे ६ दन्त चिकित्सा कालेज है, उनमे उपयुक्त कर्मचारियो, सामान तथा मकान आदि का काफी अभाव है। ४ नए दन्त चिकित्सा कालेज स्थापित करना तथा २ मौजूदा कालेजो के विस्तार का प्रस्ताव ह। योजना मे विभिन्न प्रशिक्षण कार्य-क्रमो के लिए ४० करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

फैलनेवाले रोगों का नियंत्रण

६. पहली पचवर्षीय योजना मे फैलनेवाले रोगो पर एक जबर्दस्त हमले का आरम्भ कर दिया था। इन रोगो मे मलेरिया, फिलेरियसिस, तपेदिक, कोढ तथा गुप्त रोग

है। पहली योजना में जहाँ इस काम के लिए २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी वहां दूसरी योजना में ५५ करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

७. मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम मे २०० इकाइयो की स्थापना का प्रस्ताव है जिनमे से प्रत्येक इकाई घरों के अन्दर डी० डी० टी० का छिड़काव तथा मलेरिया पीडित लोगो को मलेरिया निवारक दवाईयो द्वारा १० लाख व्यक्तियो की रक्षा करेगी। पहली योजना के अन्त मे १६२ इकाइयाँ काम करती होगी। दूसरी योजना मे मलेरिया नियन्त्रण कार्य के लिए २७ करोड रुपए की व्यवस्था है। फिलेरियासिस नियंत्रण के लिए पहली योजना के दौरान में स्थापित १३ नियत्रण इकाइयो के अतिरिक्त ६५ नियत्रण इकाइयाँ और २२ सर्वेक्षण इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी। इस नियत्रण कार्यक्रम में कीट नाशक तथा विष नाशक दवाइयो का छिड़काव तथा रोग पीड़ित क्षेत्रो में हैटराजन गोलियाँ खिलाने का प्रबन्ध रहेगा। योजना मे फिलेरियासिस नियन्त्रण के लिए लगभग ६ करोड रुपए की व्यवस्था की है।

८. तपेदिक नियत्रण मे सबसे अधिक जोर निवारण पर दिया गया है। यह काम १३० बी०सी०जी०टीमो द्वारा किए जानेवाले बी०सी०जी० के टीके देने, क्लिनिको की स्थापना, घरेलू चिकित्सा का सगठन, प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र तथा सीमित हद तक रोगियो को पृथक रखने तथा पुनर्वास आदि द्वारा होगा। पहली योजना मे १६६ क्लिनिको की स्थापना की गई है। दूसरी योजना मे इनकी सख्या बढाकर ३४० कर दी जाएगी। पहली योजना के दौरान मे ५ प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित्त किए गए है, दूसरी योजना मे १० और केन्द्रो की स्थापना प्रस्तावित है। योजना मे तपेदिक नियत्रण के लिए १४ करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

९. कोढ नियंत्रण का कार्यक्रम यह है कि क्षेत्र नियंत्रण इकाइयाँ स्थापित की जाएँ, जो रोगो के विस्तार तथा कितने लोगों को रोग हुआ है इसका सर्वेक्षण करे, जिनको रोग हुआ है उनकी घरेलू चिकित्सा करे और साथ ही ऐसे लोगो की चिकित्सा करें जो रोगो के सस्पर्श में आ चुके है। पहली योजना के काल में ३५ केन्द्र स्थापित हो चुकेंगे, दूसरी योजना म १०० अतिरिक्त नियत्रण इकाइयाँ ऐसे क्षेत्रो में स्थापित करने का प्रस्ताव है जहाँ कोढ़ बहुत फैला हुआ है। राज्यों की योजनाओ में भी कोढ़ के रोगियों के लिए अतिरिक्त शयाओं की व्यवस्था है, इसके अलावा कोढ़-कुटीरों, स्वास्थ्य निवासो तथा कोढ़ उपनिवेशो की स्थापना की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय कोढ़ सम्बन्धी शिक्षा और शोध सस्था की स्थापना की है। कोढ़ नियत्रण के लिए योजना में ४ करोड से ऊपर की व्यवस्था है।

१०. देश के कुछ भागो में गुप्त रोग बहुत ही भयंकर रूप से फैले हुए है। इन रोगो के निदान और चिकित्सा में वर्तमान समय मे जो प्रगति हुई है, उसको देखते हुए यह सम्भव है कि रोग का सक्रमण घटाया जाए बशर्ते कि स्वास्थ्य के कुछ सार्वजनिक तरीको को गुप्त रोग नियत्रण के कार्यक्रम में मिला लिए जाएं। गुप्त रोगो के नियत्रण के लिए राज्यो की योजनाओं में जो प्रस्ताव है, उन पर इस पहलू से विचार करना पड़ेगा।

परिस्थितिगत सफाई

११. स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओ में जल-पूर्ति की व्यवस्था तथा सफाई प्राथमिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली पचवर्षीय योजना मे इस मद मे शहरी क्षेत्रो के लिये २६ करोड रुपये तथा ग्राम्य क्षेत्रो के लिये २२ करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी। ग्राम्य क्षेत्रों मे बहुत से गावो मे स्थानीय विकास कार्यक्रमो के और राष्ट्रीय-विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत जल-पूर्ति की अच्छी व्यवस्था हो गई है। शहरी क्षेत्रो मे जल-पूर्ति की समुचित व्यवस्था की योजनाओं मे काफी बाधाएं पड़ती रही है, क्योकि कई राज्यो मे इन योजनाओ की प्रगति के लिये आवश्यक सामग्रियो तथा संगठनो का अभाव है। विभिन राज्यो से जल-पूर्ति के सम्बन्ध मे जो योजनाएं केन्द्र के पास भेजी गई, उनमे से १६८ शहरी क्षेत्रो के लिये थी। केन्द्रीय सरकार ने इन मे से लगभग १५० योजनाओ को या तो स्वीकृति दे दी, अथवा उन पर प्रारम्भिक कार्रवाई हो रही है। दूसरी पचवर्षीय योजना में राज्य सरकारो ने अपनी योजनाओ में ग्राम्य क्षेत्रो मे जल-पूर्ति के लिये २७ करोड़ रुपयो तथा शहरी क्षेत्रो के लिये २३ करोड़ रुपयो की व्यवस्था की है। केन्द्रीय सरकार ने भी शहरी क्षेत्रो मे जल-पूर्ति व सफाई के निमित्त २५ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया है और निगमो को, विशेषतया जल-पूर्ति व सफाई की योजनाओ में सहायता के लिए, १० करोड रुपये तक की व्यवस्था की जा रही है।

देशी चिकित्सा पद्धति

१२ राज्य सरकारो ने अपनी योजनाओ मे देशी चिकित्सा पद्धतियो की सहायता के लिए ५ करोड रुपये की व्यवस्था की है जो शहरी और ग्राम्य क्षेत्रो मे बहुत लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति करती रही है। दूसरी पचवर्षीय योजना में १३ आयुर्वेदिक कालेजो और २५५ औषधालयों मे सुधार किये जाएगे तथा ५ नए कालेज व १,१०० औषधालय खोले जाएगे। केन्द्रीय सरकार ने देशी चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध मे अनुसन्धान व उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया है।

पोषक भोजन

१३ स्वास्थ्य के सरक्षण के लिए पोषक भोजन का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। पहली योजना के समय में अनाज के उत्पादन में वृद्धि की गई थी, अब दूसरी योजना में, दूध, अण्डा, मछली, मांस, फल, हरी तरकारियो आदि संरक्षक पदार्थों के अधिक उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओ, दुध-मुहे, घुटनो चलने वाले, स्कूल न जाने वाले छोटे-छोटे तथा स्कूल जाने वाले बच्चो की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओ को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दिशा मे विकास के साधन इतने सीमित है कि केवल इसकी शुरुआत ही की जा सकती है। स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के अन्तगत, विशेषतया, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओ, दुध-मुहे और घुटनो चलने वाले बच्चो मे दूध का पाउडर तथा अन्य पोषक पदार्थों जैसे कि मछली का तेल और विटामिन की गोलिया वितरित किए जाने की व्यवस्था है।

१४ इडियन कौसिल आफ मेडिकल रिसर्च पोषण सम्बन्धी अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान दे रही है । इस योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनो की भी व्यवस्था की गई है । इस कौसिल ने दूसरी योजना के अन्तर्गत निम्न विषयो को प्राथमिकता देने का निश्चय किया है —

१. प्रोटीन सम्बन्धी कमी का सर्वेक्षण और उसका निराकरण

२ भारतीय बच्चो की शारीरिक वृद्धि और विकास

३. लेथाइरिज्म व एनडेमिक फ्लुओरोसिस जैसे पोषणाभाव और खाद्य सम्बन्धी रोगो पर नियत्रण

४ पोषण सम्बन्धी क्लिनिकल अनुसन्धान

५ खाद्य-टैकनोलाजी (चावल अधूरा (पारबायलिंग) पकाने की क्रिया)

६ बच्चो के दोपहर का भोजन

७ पोषक तत्वो के गुणावगुणों का अध्ययन, उनके स्फूर्ति-दायक जीवाणुकरण तथा प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थो के जीवाणुकरण के सम्बन्ध में अध्ययन

८ पोषण सम्बन्धी अनुसन्धान करने वाली प्रयोगशालाओ का विस्तार

स्वास्थ्य मत्रालय ने हिमालय की तराई में गण्डमाला रोग के नियत्रण के लिए एक योजना बनाई है ।

मातृत्व और शिशु-स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं

१५ मातृत्व और शिशु-सम्बन्धी योजनाओं को आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओ में ही स्थान देने की व्यवस्था की जाने का विचार है । राज्य सरकारो की योजनाओं में २,१०० मातृकल्याण तथा शिशु-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आयोजन किया गया है। वर्तमान समय में मातृत्व और शिशु-स्वास्थ्य सेवाओं में सब से अधिक बाधा शिशुस्वास्थ्यविद्या के अभाव के कारण पड़ती है । इसलिए यह विचार किया गया है कि शिशुस्वास्थ्यविद्या के चार प्रादेशिक केन्द्र खोले जाएं ताकि डाक्टरी चिकित्सा और विशेषतः निवारणात्मक और आरोग्यमूलक शिशुस्वास्थ्यविद्या के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार किये जा सके । इन प्रशिक्षण केन्द्रो मे पूर्ण साज-सामान वाले मातृ-कल्याण व शिशु-स्वास्थ्य केन्द्र भी रहेगे, जिससे प्रशिक्षण केन्द्र के आस-पास के इलाके में शिशुस्वास्थ्यविद्या सम्बन्धी देख-रेख हो सकेगी ।

परिवार-नियोजन

१६ परिवार-नियोजन का जो कार्य-क्रम पहली पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था उसे अब और भी बड़े पैमाने पर चलाया जायगा। इस कार्यक्रम की मुख्य बाते ये हैं :—

(१) परिवार-नियोजन सस्थान खोलने के लिये राज्य सरकारो, स्थानीय अधिकारियो और स्वतत्र सगठनो को अनुदान देना।

(२) कर्मचारी प्रशिक्षण ।

(३) परिवार-नियोजन और जनसख्या सम्बन्धी समस्याओ के बारे मे जनता को शिक्षित करना।

(४) मनुष्य की प्रजनन-शक्ति के सम्बन्ध मे अनुसन्धान करना और उसको नियत्रित रखने के साधन व उपाय ढूढना।

(५) राष्ट्र की आबादी सम्बन्धी स्थिति के विवेचन के सम्बन्ध मे अनुसन्धान करना, जिसमे सामाजिक, आर्थिक अवस्था और जनसंख्या म परिवर्तनो का पारस्परिक सम्बन्ध, प्रजनन के सम्बन्ध मे व्यक्तियो के विचार तथा तौर-तरीके जिनका परिवार की सदस्य-सख्या पर प्रभाव पडता है, तथा लोगो को इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र शिक्षित करना सम्मि-लित है।

परिवार-नियोजन कार्यक्रमो के लिये लगभग ४ करोड रुपयों का आयोजन किया गया है। यह आशा की जाती है कि दूसरी योजना काल मे शहरी क्षेत्रो मे ३०० और ग्राम्य क्षेत्रो मे २,००० ऐसे संस्थान खोले जाएगे। परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए केन्द्र मे दो समितियो की नियुक्ति की गई थी। इनमें से एक का कार्यक्षेत्र तो जनसख्या सम्बन्धी नीति का निर्धारण था और दूसरी का परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमो के बारे मे अनुसन्धान करना था

स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा

१७. औषधि सम्बन्धी और जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं से तभी पूर्ण रूप में स्वास्थ्य वृद्धि हो सकेगी जब कि लोग इन सुविधाओ से पूरा पूरा लाभ उठाएं और स्वास्थ्य के बारे में उनके जो तौर-तरीके है, उन्हें बदल दें। इस सबसे स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के प्रचार की विशेष व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है। केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा ब्यूरो इस बारे में प्राविधिक निर्देश, सेवाएं और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करेगा और स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के लिये व्यवस्था करेगा। दूसरी पचवर्षीय योजना मे स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के कार्यक्रमो के लिये ७५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

: २ :

गृहनिर्माण-व्यवस्था

आवास व्यवस्था की समस्या के सम्बन्ध मे दो मुख्य पहलुओ पर विचार किया जाना चाहिए (१) योजना की अवधि में केन्द्रीय और राज्य सरकारो तथा अन्य सार्वजनिक अधिकारियो द्वारा आरभ किये जाने वाले गृहनिर्माण कार्यक्रमो का परिमाण और कार्यक्षेत्र (२) ऐसी नीतियो का निर्धारण जिन से कम आय वाले लोगो के लिए मकानो की व्यवस्था की जा सके। किन्तु ये मकान उतने किरायो पर दिए जाए जितना कि वे दे सकें, और अल्प साधन वाले व्यक्ति भी स्वय अपना मकान बना सके। सस्ती जमीनो, ऋण की सुविधाओ, मकान बनाने के सामान के उपयोग के बारे मे निर्देश और प्रमाणीकृत भागो के उत्पादन की व्यवस्था के द्वारा गृहनिर्माण सम्बन्धी कार्यकलाप को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है और इस प्रकार विकास पर व्यय करने के लिए उपलब्ध राज्य के सीमित साधनो पर भी बहुत अधिक भार नही पडेगा।

२. शहरी और ग्राम्य दोनो ही क्षेत्रो मे गृहनिर्माण की समस्या बड़ी विशाल है। ग्रामीण क्षेत्रो मे ५४० लाख मकान ऐसे है, जिनमे से बहुतो की मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। ग्रामो मे मकानो के लिये स्थान की व्यवस्था के रूप मे सहायता की जाने की तुरन्त आवश्यकता है, विशेषत· अनुसूचित जातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रों में ग्रामीणो के लिए १८,००० मकान बनाए गए है और ९५,००० मकानो की मरम्मत की गई है। इन क्षेत्रो मे किए गए कार्य से पता चला कि यदि थोड़ा निर्देश और कुछ सहायता दी जाए तो गाव के लोग अपने लिए और अधिक अच्छी सफाई, नालियो और प्रकाश की व्यवस्था कर सकते है, और अपेक्षाकृत कम समय में अपनी गृहनिर्माण विषयक परिस्थितियो मे सुधार कर सकते है। सहकारी स्वावलम्वन, अच्छे मकानो के प्रदर्शन, स्थानीय सामान एवं कौशल तथा और अधिक उन्नत प्रणालियो के उपयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में बहुत-सा कार्य किया जा सकता है।

३ शहरी क्षेत्रो में बड़ी जटिल समस्याओ का सामना करना होगा। व्यवस्थित नगर योजना न होने के कारण तथा भूमि के उपयोग एवं गृहनिर्माण सम्बन्धी कार्यकलाप पर नियत्रण हुए बिना, सार्वजनिक अधिकारियो या व्यक्तियो द्वारा स्वय मकान बनाना महगा होता जाता है। परिणामत. जन-सख्या मे वृद्धि हो जाने से मकानो की कमी, जो पहले से ही बडी उग्र है और अधिक बढ़ जाती है। नगरों मे गृहनिर्माण की समस्या, आर्थिक योजना की दृष्टि से शहरी विकास की विस्तृत तर समस्या का ही एक भाग है। अव्यवस्थित एवं अनियोजित गृहनिर्माण के खतरों को दूर करने के लिए नगर निर्माण योजना और

समस्त शहरी क्षेत्रों के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करना आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में विशाल नदी-घाटी योजनाए चल रही है और जहां राजधानिया है और जो उद्योग के मुख्य केन्द्र है, उनके लिए आचलिक योजनाए तैयार करनी होगी। दामोदर घाटी मे शीघ्र ही आचलिक योजनाएं तैयार करने के विषय में प्रारभिक अध्ययन किया जाएगा।

४. पिछले बीस वर्षों से विशेषत शहरी क्षेत्रो में मकानो की कमी की समस्या हरसाल विकट होती चली गई है। १९३१ से १९४१ तक और १९४१ से १९५१ तक शहरी आबादी मे क्रमश १०६ लाख और १६३ लाख व्यक्तियो की वृद्धि हुई। इन दो दशको मे शहरी क्षेत्र में जिन मकानो मे व्यक्ति रह रहे थे, उनकी संख्या मे क्रमश १८ लाख और १७ लाख की वृद्धि हुई। मकानो की बुरी स्थिति होने के अतिरिक्त १९४१ से १९५१ तक के दस वर्षो मे मकानो की सख्या मे भी पर्याप्त कमी हुई। युद्धकालीन विकास एव विभाजन के साथ साथ शहरी आबादी मे भी वृद्धि हुई। १९५१ से १९६१ तक कुल शहरी जनसख्या में ३३ प्रतिशत वृद्धि हो जाने की आशा है, जिसका परिणाम यह होगा कि प्रभावशाली कदम उठाए बिना मकानो की कमी की स्थिति और भी अधिक कठिन हो जाएगी।

५ अभी इस बात का ठीक ठीक निश्चय नही किया जा सका है कि शहरी क्षेत्रो में मकानो की कितनी कमी है। इसका कारण यह है कि मकानो के सम्बन्ध मे ठीक ठीक आकडे उपलब्ध नही है और मकानो की स्थिति के सम्बन्ध म विश्वसनीय सर्वेक्षण भी विद्यमान नही है। निजी रूप से किए गए गृहनिर्माण की प्रगति के विषय मे भी सूचना प्राप्त नही है। इस सम्बन्ध मे ठीक ठीक आकड़े सकलित करने के लिए अब विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिएं, जिससे नीति में समन्वय और प्रगति का निर्धारण प्रभावशाली रूप से किया जा सके। १९५१ मे ६ करोड़ २० लाख शहरी आबादी के लिए लगभग १ करोड मकान थे। उस वर्ष मे अनुमानत. लगभग २५ लाख मकानो की कमी थी।

६. निजी गृहनिर्माण की दृष्टि से हाल के वर्षों में मध्यम एवं उच्च आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने पर अधिक जोर रहा है, परिणामत. कम आय वाले लोगो के लिए मकानो की कमी पहले से भी अधिक रही है। पहली योजना में इन लोगो के लिए मकान की व्यवस्था करने के निमित्त प्रारम्भिक कदम उठाए गए है। केन्द्रीय सरकार ने दो मुख्य गृहनिर्माण कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, सहायता प्राप्त औद्योगिक गृहनिर्माण योजना और कम आय वाले व्यक्तियो के लिए गृहनिर्माण योजना। पहली योजना के अन्तर्गत नवम्बर १९५५ के अन्त तक ७७,००० मकान बनाना स्वीकार किया गया था जिसमें से अब तक ३४,००० बनकर तैयार हो गए है। कम आय वाले लोगो के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत २१ करोड़ रु० ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है और ५ करोड़ रुपया दिया जा चुका है। अब तक जो कार्यक्रम चालू हो चुका है उससे अनुमानतः ४०,००० मकान बनाए जाएगे। इस दिशा मे थोडी होते हुए भी यह शुरुआत महत्वपूर्ण है। राजगीरो तथा भवन निर्माण उद्योग के कर्मचारियो को प्रशिक्षित करने का भी उपयोगी कार्य आरम्भ किया गया है। इन प्रशिक्षण सुविधाओ मे विस्तार करने का विचार है। १९५४ मे जो राष्ट्रीय भवन निर्माण सगठन स्थापित किया गया था, वह भविष्य निर्माण विषयक शोध के

परिणामो को एकीकृत करने तथा भवन निर्माण मे मितव्ययिता लाने के तरीकों के अध्ययन करने मे लगा हुआ है ।

७ केन्द्रीय और राज्य सरकारो ने भी प्रशासनिक सेवाओ तथा औद्योगिक एव व्यवसायिक सस्थाओ मे काम करने वाले अपने कर्मचारियो के लिए मकान बनवाए है। पुनर्वास मन्त्रालय ने भी पश्चिमी एव पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितो के लिए बडे पैमाने पर मकान बनाने का काम हाथ मे लिया है । पहली योजना की अवधि मे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मे बनाए गए मकानो की कुल सख्या के मोटे आकडे नीचे की तालिका मे दिए गए है —

सार्वजनिक निर्माण		मकानो की सख्या
औद्योगिक आवास		७७,०००
कम आय वाले लोगो के लिए आवास		४०,०००
पुनर्वास आवास		३,२३,०००
केन्द्रीय और राज्य सरकारो द्वारा आवास		३,००,०००
	कुल योग	७,४०,०००
अनुमानित निजी निर्माण—		७,५०,०००
	कुल योग	१४,९०,०००

८. १९५१ से १९६१ तक शहरी क्षेत्रो मे अनुमानत लगभग ८९ लाख मकानो की आवश्यकता होगी । इसमे १९५१ की अनुमानित कमी, जनसख्या मे अनुमानित ३३ प्रतिशत वृद्धि, प्रतिवर्ष १ प्रतिशत की दर से वर्तमान मकानो का मूल्य-ह्रास और वर्तमान मकानो के ११ प्रतिशत के स्थान पर दूसरे मकान बनाना भी सम्मिलित है। १९५१ से १९५६ तक की अवधि में अनुमानत लगभग १५ लाख मकान बनाए गए। दूसरी पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक अधिकारियो, व्यक्तियो द्वारा निजी तौर पर और सगठनो द्वारा शहरी क्षेत्रो मे लगभग २१ लाख मकान बनाए जाने की आशा है । इस प्रकार इस समय, जहा तक अनुमान किया जा सकता है वहा तक, १९६१ में शहरी क्षेत्रो में लगभग ५३ लाख मकानो की कमी हो सकती है । दूसरे शब्दो मे, मोटे तौर पर, १९६१ मे १९५१ की अपेक्षा मकानो की कमी लगभग दुगुनी होगी ।

९ इस समय द्वितीय योजना के लिए आवास कार्यक्रमो के विवरण तैयार किए जा रहे है। योजना मे राज्यो मे तथा कार्य, भवन-निर्माण और सभरण मन्त्रालय के तत्वावधान मे कार्यान्वित किए जाने वाले आवास-कार्यक्रमो के लिए १२० करोड रु. की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त, पुनर्वास, रेल, प्रतिरक्षा और श्रम मन्त्रालयो और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी आवास-कार्यक्रम है। दूसरी योजना की अवधि में सार्वजनिक अधिकारियो द्वारा लगभग १२ लाख मकान बनाए जाने का अनुमान है और निजी रूप से किए गए निर्माण द्वारा लगभग १० लाख मकानो की व्यवस्था होने

की आशा है । इस प्रकार कुल २२ लाख मकान बन जाने की आशा है । एक अस्थायी विवरण इस प्रकार से है —

	मकानो की सख्या (हज़ार मे)
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास	१४२
कम आयवाले लोगो के लिए आवास	६८
दरिद्र बस्तियो को हटाने और भगियो के लिए आवास	११०
बागान आवास	११
ग्रामीण आवास	१२०
मध्यम आयवाले लोगो के लिए आवास	५
केन्द्रीय और राज्य सरकारे तथा स्थानीय सस्थाए	४००
केन्द्रीय मन्त्रालय (कार्य, गृह-निर्माण और सभरण मन्त्रालय के अतिरिक्त)	१७६
बागान और खाने	१७७
अनमानित निजी निर्माण	१,०००
कुलयोग	२,२०९

दूसरी योजना मे आवास के लिए १२० करोड रु की जो स्थायी व्यवस्था की गयी है, वह इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास	५०
कम आय वाले लोगो के लिए आवास	४०
दरिद्र बस्तिया हटाने और भगियो के लिए आवास	२०
ग्रामीण आवास	५
मध्यम आय वाले लोगो के लिए आवास	३
बागान आवास	२

१०. सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना की इस समय समीक्षा की जा रही है । इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार निर्माण की २५ प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देती है जिसमे जमीन की लागत भी सम्मिलित है, और मालिको को ३७॥ प्रतिशत ऋण भी देती है, किन्तु मालिको को इस सम्बन्ध मे जो दिलचस्पी और उत्साह दिखाना चाहिए वह वे नही दिखाते । सहकारी समितियो को लागत के ५० प्रतिशत तक ऋण दिए जाते है । किन्तु मजदूरो की बहुत ही कम सहकारी समितियो ने इस सहूलियत का लाभ उठाया है । मालिक और सहकारी समितिया इस बारे में और अधिक उत्साह लें, ऐसे उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

११. दूसरी योजना में दरिद्र बस्तियों को हटाने और भंगियों के लिए मकानों की व्यवस्था करने का कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार लागत के ५० प्रतिशत तक ऋण देगी जो २० से ३० साल तक की अवधि में ४।। प्रतिशत सूद की दर से वापिस करने होगे। लागत की शेष रकम आर्थिक सहायता से प्राप्त होगी जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारे या सम्बद्ध सार्वजनिक अधिकारी बराबर बराबर मिल कर देगे। यह कार्यक्रम पूरा करते हुए दरिद्र बस्तियो के इलाकों को हटाने के अतिरिक्त, उन व्यक्तियो को और मकान भी देने होगे जो इन दरिद्र बस्तियो से हटाएं जाएगे।

: ३ :

पिछड़े वर्ग का कल्याण

भारत जैसे कम विकसित देश मे जनसंख्या के ऐसे वर्गों की ठीक ठीक परिभाषा करना आसान नही है जिनके लिए आर्थिक एव सामाजिक विकास के सामान्य कार्यक्रमो के अलावा संरक्षण और सहायता के विशेष कदम उठाये जाए। किन्तु फिर भी जनसख्या के कुछ वर्ग विशेष व्यवहार के लिए अन्य वर्गों से पृथक् किये जा सकते है। वे वर्ग ये है:—

१. **अनुसूचित आदिम-जातियां**—इन जातियो के सदस्यो की सख्या लगभग १९१ लाख है। उन्नत सचार-साधनो, अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सुविधाओ तथा शिक्षा आदि की व्यवस्था के अतिरिक्त इन जातियो की आर्थिक स्थिति सुधारने मे सहायता की आवश्यकता है।

२. **अनुसूचित जातियां**—इन जातियो के सदस्यो की सख्या ५२१ लाख है। सदियों से ये जातिया अनेक अयोग्यताओ से पीडित रही है, और इसलिए उनकी सामाजिक एव आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है।

३ **अन्य पिछड़े वर्ग**—इन वर्गो मे वे जातिया है जो पहले 'अपराधी जातियां' कहलाती थी। इन जातियो के सदस्यो की संख्या ४२ लाख है, जिनका विशेष रूप से उल्लेख करना अपेक्षित है। इन जातियो के सदस्यो के लिए ऐसी परिस्थितिया पैदा करनी होगी जिनमे ये ऐसे नागरिक बन सकें कि साधारण रूप से अपने व्यवसाय चला सके। भत्ते, छात्रवृत्तियाँ और इसी प्रकार की अन्य सहूलियतें देने के लिए, शिक्षा की दृष्टि से पिछडी हुई जातियो के कुछ वर्गों या भागो को पहले से ही मान्यता दी जा चुकी है। ऐसे अन्य वर्ग भी हो सकते है जिन्हे सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडा हुआ समझा जा सकता है। पिछडे वर्ग आयोग द्वारा की गयी सिफारिशो को ध्यान मे रखते हुए केन्द्रीय सरकार इस समय ऐसे बर्गो के निर्धारण के सम्बन्ध मे विचार कर रही है।

पहली योजना में प्रगति

२. पहली पंचवर्षीय योजना मे सम्मिलित कार्यक्रमो मे, जन-सख्या के ऊपर बताए गए वर्गो की विशेष आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए गए थे और योजना मे कुल मिलाकर ३९ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी थी। इसमे से २० करोड़ रु० की व्यवस्था राज्यों की योजनाओ मे की गयी थी और शेष मे से १५ करोड़ रु० के केन्द्रीय अनुदान अनुसूचित आदिम जातियो के कल्याण के लिए और ४ करोड़ रु० अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियो के लिए तत्सम्बन्धी योजना और पहले जो 'अपराधी जातिया' कहलाती थी उनके तथा अन्य पिछड़े वर्गो के पुनर्वास और कल्याण के लिए रखे गए थे। सविधान के अनुसार अनुसूचित

आदिम जातियो के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए संघ विशेष रूप से उत्तरदायी है। इस उद्देश्य के लिए १९५१-५२ से केन्द्रीय सरकार ने राज्यो को सहायतार्थ अनुदान दिये हैं। आरम्भ मे इस विषय मे प्रगति कुछ धीमी थी क्योकि उपयुक्त कल्याण-योजनाएं बनाने और राज्यो मे आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने मे अनिवार्यत कुछ समय लग गया। चूकि कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की देख भाल के लिए राज्यो मे विशेष विभाग स्थापित हो गये है इसलिए दी गई निधियो का उपयोग करने की उनकी योग्यता भी निरन्तर बढी है।

३. राज्य सरकारो ने कुल अनुमानित व्यय मे से ११ करोड रु० से अधिक पिछडे वर्गो को शैक्षणिक सुविधाए देने की व्यवस्था पर खर्च किया। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में शिक्षा मन्त्रालय ने, पिछडे वर्ग के सदस्यो को मैट्रीकुलेशन के बाद की पढाई के लिए छात्रवृत्तियो के रूप मे लगभग ३ ४ करोड रु० दिये। केन्द्रीय सरकार ने शुरू मे प्रतिवर्ष ३,००० से कम छात्रवृत्तिया देना आरम्भ किया था किन्तु अब वह प्रतिवर्ष २६,००० से अधिक छात्रवृत्तिया देती है जिनकी वार्षिक लागत १ करोड रु० से अधिक है। आदिवासी लोगो के सम्बन्ध मे इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि आश्रम-स्कूलो मे उनके लिए मुफ्त रहने और उन्हे धन्धो की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। आदिवासी लोगो को उनकी अपनी प्रादेशिक भाषाओ मे शिक्षा देने के प्रयत्न किये जा रहे है और हैदराबाद, बिहार, आसाम और पूर्वोतर सीमान्त-प्रदेश (नेफा) मे आदिवासियो की जन-भाषा मे बाल-पुस्तके तैयार की गयी है। बम्बई, बिहार, उडीसा और विन्ध्य प्रदेश मे एक हजार से अधिक आश्रम-स्कूल, सेवा-आश्रम आदि खोले गये है और बम्बई, बिहार, मध्य भारत और राजस्थान मे लगभग ६५० सस्कार केन्द्र (बालवाडिया, सामूहिक केन्द्र आदि) स्थापित किये गये है। पूर्वोत्तर-सीमान्त प्रदेश (नेफा) मे आदिवासी अध्यापको को हिन्दी और सम्बद्ध विषयो मे शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सस्थाए खोली गई है जिससे कि वे आदिवासी लडको और लडकियो के अध्यापन का कार्य स्वय कर सके। यहा स्थानीय आवश्यकताओ और परिस्थितियो के अनुकूल एक सरल प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है।

४. इसी प्रकार, आर्थिक उन्नति के क्षेत्र मे पहली योजना की अवधि मे व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, घरेलू उद्योग केन्द्र स्थापित करने तथा छोटे उद्योग आरम्भ या विकसित करने के लिए व्यक्तियो और सहकारी समितियो को ऋण और आर्थिक सहायता देने पर लगभग ३ ६ करोड रु० खर्च किए गए। पिछड़े वर्ग के बहुत से सदस्यो को टोकरी बनाने, चमडा कमाने, बढईगीरी, मुर्गी-पालन और मधु-मक्खी पालन आदि घरेलू तथा सहायक उद्योगो के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण दिया गया। कई राज्यो मे आदिवासी लोगो की सहकारी समितिया बनाई गई जिससे कि वे अपने लाभ के लिए वनो में पैदा होने वाली छोटी-मोटी चीजो का उपयोग कर सकें। बिहार तथा उड़ीसा में ३५० से अधिक अनाज के गोले स्थापित किए गए। एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि पश्चिमी बगाल मे डेरी समितियो का संगठन किया गया और उनका काम सफलता-पूर्वक चलता रहा। सहकारी आधार पर खेती की वस्तुओ की बिक्री में सहायता देने के लिए सहकारी समितियां भी स्थापित की गई है। पूर्वोत्तर

सीमान्त प्रदेश (नेफा) में एक योजना आरम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य, आदिवासी ग्रामीण लोगो को सहकारी स्टोर और सरकारी प्रबन्ध के अधीन दूकानें चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

५. आदिवासी एव अनुसूचित क्षेत्रो मे सचार साधनो मे सुधार करने की ओर भी ध्यान दिया गया है। अन्य सडक विकास कार्यक्रमो के अतिरिक्त, राज्य सरकारो ने आदिवासी लोगो के क्षेत्रो मे छोटी छोटी सचार सड़को, पहाड़ी रास्तो और पुल निर्माण पर लगभग ६ ५ करोड़ रु० व्यय किया है। आसाम राज्य के जनजातीय क्षेत्र मे सचार साधनो में सुधार करने के लिए आसाम सरकार को २ ६ करोड़ रु० का एक विशेष अनुदान दिया गया। आन्ध्र, आसाम, बिहार, उडीसा, मध्य-भारत और विन्ध्य-प्रदेश में कुल मिलाकर २,३४६ मील लम्बे पहाड़ी रास्ते बनाये गए। पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश में स्वावलम्बन और आदिवासी लोगो के सहयोग से सहकारी आधार पर सड़के तथा खच्चरो के लिए रास्ते बनाने की योजना में बडी सफलता मिली है, और ठेके की प्रणाली की अपेक्षा इस प्रकार सड़क बनाने मे व्यय भी कम हुआ है। आम लागत की आधी से भी कम लागत पर ऐसी लगभग २०० मील लम्बी सड़के बनाई गई है।

६. अनुसूचित क्षेत्रो मे चिकित्सा एव सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाए बढाने के लिए भी कदम उठाए गए है। आदिवासी लोगो तथा अनुसूचित जातियो के सदस्यो को जो मुख्य कठिनाइयाँ उठानी पडती है, उनमे से एक यह है कि उन्हे पीने का स्वच्छ पानी नही मिलता। पहली योजना की अवधि में १०,००० से अधिक कुँओ की व्यवस्था की गई थी। आदिवासी और अन्य क्षेत्रो में १३३ अस्पताल और औषधालय खोलने के अतिरिक्त, इन वर्गों के सदस्यो को मुफ्त दवा बांटने और रोगी-शय्याओ को सुरक्षित करने आदि के रूप मे चिकित्सा सम्बन्धी सहायता दी गई।

७. अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन-जातियो के सदस्य साधारणतया जिस प्रकार के मकानो में रहते है, उनकी अवस्था अत्यन्त असंतोषजनक है। इस समस्या के समाधान के लिए पहली योजना की अवधि मे मकानो के लिए मुफ्त स्थानो की व्यवस्था करने और मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, ऋण या मकान बनाने का सामान देने पर लगभग ३ करोड़ रु० व्यय किये गये।

८. देश के कुछ भागों में आदिवासी लोगो द्वारा कभी कही और कभी कही खेती करने की समस्या की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत से राज्यो में, विशेषकर आसाम, आन्ध्र, उड़ीसा और हैदराबाद मे परीक्षणात्मक योजनाए चालू की गईं जिनका उद्देश्य यह था कि आदिवासी लोगो को, ऊपर बताए गए तरीके की खेती को छोड़कर कृषि के निश्चित तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अनुसूचित जन जातियो के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करन में जो बड़ी बाधाए रही है उनमें से एक बाधा प्रशिक्षित कल्याण-कायकर्ताओ और प्राविधिक कर्मचारियो के अभाव की है। पिछले तीन वर्षों में क्षेत्र कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण एव आदिवासी विषयक शोध के लिए

बिहार, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश, सौराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर सीमान्त-प्रदेश (नफा) मे सस्थाएं स्थापित हो जाने से इस सम्बन्ध मे स्थिति कुछ सुधरी है।

९. अस्पृश्यता की समस्या हल करने के लिए, अस्पृश्यता अपराध अधि-नियम बनाने के अतिरिक्त, फीचर फिल्में तैयार की गई और प्रचार एकको द्वारा दिखाई गई, पोस्टर प्रकाशित किए गए और इश्तहार बाँटे गए, और सामाजिक मेले आयोजित किए गए तथा अन्तर्जातीय भोज किए गए । उन गैर-सरकारी सगठनों को भी आर्थिक सहायता दी गई जिन्होने अस्पृश्यता निवारक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने, विशेषत प्रचार तथा प्रकाशन के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भाग लिया।

अनुसूचित आदिम-जातियाँ और क्षेत्र

१० जिन समस्याओ का ऊपर उल्लेख किया गया है उन्हें दूसरी योजना की अवधि में और अधिक विस्तृत पैमाने पर हल किया जाएगा । इस अवधि मे पिछडे वर्ग के कल्याण के लिए कुल ९० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । इसमे से लगभग दो तिहाई रकम अनुसूचित जन-जातियो के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रो के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमो पर लगाई जाएगी । जिन कार्यक्रमो पर सब से अधिक बल दिया जा रहा है, उनमे से एक है कभी कही और कभी कही खेती करने वाले आदिवासी लोगो को कृषि उपनिवेशो मे बसाना । ये बस्तियाँ बहूद्देशीय योजनाओ के रूप में होगी, जहा भूमि, कृषि-पशुओ, खेती के औजारो, बीजों, खाद आदि के अलावा, छोटी मोटी सिंचाई के कार्यक्रम, प्रदर्शन फार्म, बीज स्टोर, खेतो की क्यारिया बनाना, मकान, ग्रामीण और पहाडी रास्ते, प्रारम्भिक स्कूल, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाए, वयस्क शिक्षा, कल्याण और सामुदायिक केन्द्र, पशु चिकित्सा विषयक सुविधाए और सहकारी समितियो आदि की व्यवस्था होगी। भूमि सरक्षण के लिए और कभी कही तो कभी कही खेती को रोकने के लिए आसाम में एक प्रारम्भिक योजना चालू करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, अन्यत्र उसका इन समस्याओ को सुल-झाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

११ जिन अन्य कार्यक्रमो पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, वे ये है —

(१) ऐसे रोगो को, विशेषत जो बहुत अधिक फैलते है, दूर करने की योजनाए। वे रोग है —मलेरिया, क्षय, कुष्ठ और फफोले पडने वाला चर्मरोग। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध करने और पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने की योजनाए,

(२) अगम्य क्षेत्रो मे सचार साधनो का विकास विशेषत ग्रामो मे उन्नत सड़के, पहाड़ी और जगल के रास्ते, छोटे मोटे पुल आदि, और

(३) अन्य योजनाए जिनसे आर्थिक परिस्थितियो में शीघ्र सुधार हो सके। कुटीर उद्योगों के लिये वन-सहकारी समितियाँ, अनाज के गोले तथा

प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्रो का विकास हो रहा है । प्रशिक्षण के लिये कल्याण सेवको का चुनाव जहा तक सभव हो सकेगा आदिम जातियो से ही होगा । विकास की इस स्थिति मे पर्याप्त सख्या में नर्सों और दाइयों आदि को प्रशिक्षण मिलना बहुत आवश्यक है । इम्फाल मे एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार किया जा रहा है जहाँ आदिवासी छात्रो को सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट कोर्स के लिये प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अतिरिक्त छात्रो को छात्रवृत्तियाँ भी दी जायेगी जिससे उन्हे व्यावसायिक और टैकनिकल विषयो का अध्ययन करने में सहायता मिले ।

अनुसूचित जातियां

१२ अस्पृश्यता दूर करने के लिये पीने के पानी के कुएँ, मिली-जुली बस्ती, संयुक्त सामुदायिक केन्द्र बनाने और प्रचार साधनो के अतिरिक्त अनुसूचित जातियो के लिये आर्थिक उन्नति की भी व्यवस्था है । उनको छात्रवृतियाँ और भत्ता देकर जमीन पाने, पारिश्रमिक मिल सकने वाले कला कौशलो का प्रशिक्षण पाने, और अध्ययन करने मे सहायता देनी चाहिये । ये अनुसूचित जातियाँ भी देश की विशेषकर गॉव की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओ का एक अभिन्न भाग है । उनकी सामाजिक असमर्थताएं दूर हो रही है, परन्तु उन्हे काम की अधिकतम सुविधाएं मिलनी चाहिये । दूसरी पचवर्षीय योजना का यह महत्वपूर्ण भाग है । अस्पृश्यता को दूर करने के लिये जन साधारण और अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियो मे जनमत और शिक्षा के विकास का काफी महत्व है । योजना मे अस्पृश्यता को दूर करने के लिये इस पहलू को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ।

भूतपूर्व जरायमपेशा आदिम जातियाँ

१३ जो जातियाँ पहले अपराधी समझी जाती थी उनके पुनर्वास के लिये काफी ध्यान दिया जा रहा है जिससे उन्हे अच्छा रोजगार मिले और वे अच्छे नागरिक बन सकें।

आवास

१४ योजना की एक बडी समस्या जिस पर ध्यान दिया जायेगा आदिम जातियों, अनुसूचित जातियो और पिछडे हुये वर्गों के आवास की है। इसके लिये एक विशेष कार्यक्रम की योजना है । अगले पाँच वर्षों में राज्यो का इन लोगो के लिये ८६,००० घर बनाने का विचार है ।

राज्यीय योजनाओं के लक्ष्य

१५ राज्य सरकारो ने अपनी योजनाओ मे जिन लक्ष्यो का उल्लेख किया है, उनमें से कुछ का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। शिक्षा के लिये ७,५०० से ऊपर स्कूल और छात्रावास तथा २४ लाख की छात्रवृत्तियाँ तथा भत्ते और साथ ही अन्य सहायताए, जैसे पुस्तको तथा वस्त्र आदि की सुविधाए देने का विचार है । छात्रावास मे रहने वाले पिछड़े हुए

वर्ग के छात्रो को रहने और भोजन के सम्बन्ध में अनुदान दिया जाएगा। यातायात के लिये लगभग ६००० मील सडक और पहाडी रास्ते बनाये जायेंगे। १४,००० से अधिक परिवारो को कृषि-भूमि दी जायेगी और लगभग १७,००० व्यक्तियो को व्यापार तथा कुटीर उद्योगो के लिये ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। लगभग १८,००० व्यक्तियो को कला कौशल के भिन्न क्षेत्रो, जैसे सिलाई, कटाई, लोहारी, चमडे का काम, बुनाई, कताई, टोकरी बनाना, मधु मक्खी पालन, मुर्गी पालन आदि कामो की शिक्षा दी जाएगी। अनेक प्रकार की सहकारी समितियाँ जैसे--बहु-धधी समितिया, वन सहकारी समितियाँ, कृषि ऋण समितिया आदि को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। गृह-समस्या का उल्लेख पहले किया जा चुका है। लगभग १४५ अस्पताल और दवाखाने खोले तथा पानी पीने के २३,००० कुँए बनाये जाएगे। कुछ खास रोगो के लिये विशेष चिकित्सा केन्द्र भी खोले जाएगे।

प्रशासनिक कर्मचारीवर्ग

१६ अनुसूचित क्षेत्रो मे दूसरी योजना प्रयोग में लाने के लिये एक खास परेशानी यह है कि भिन्न स्तर के प्रशिक्षण प्राप्त तथा योग्य व्यक्ति कैसे मिलें। इस कठिनाई को दूर करने के लिये भारत सरकार ने भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा नाम से एक नवीन स्थायी सेवा का आरम्भ किया है जिससे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वैदेशिक सेवा, सुरक्षा सेवा और अन्य केन्द्रीय तथा राज्यीय सेवा के साथ ही पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा मे श्रेणी १ और वर्ग २ के स्थानो की पूर्ति करने के लिये तथा विश्वविद्यालयो से लोग आ सके। यह स्थानीय सेवा इस समय तो छोटे स्तर पर है जिसमे प्रथम श्रेणी की ४३ जगहो मे २३ पहले दर्जे के और २० दूसरे दर्जे के है। दूसरे पिछडे हुए वर्ग और सीमा प्रदेशो के अधिकारियो को अवसर देने के लिये संभवतया इनका और भी प्रसारण करना होगा।

१७ इन क्षेत्रो मे अधीनस्थ सेवाओ के लिये एक विशेष स्थायी सेवा योजना बनाने का विचार है। आवश्यकता इस बात की है कि कुछ स्थायी कार्यकर्त्ता हों जो आदिम जातियो के बीच रहकर तथा उनके दुख सुख मे साथ देकर उनकी सेवा कर सकें। इस बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक आदिवासी अधिकारियो को प्रशिक्षण देकर इन क्षेत्रो मे काम करने के योग्य बनाया जाए। उदाहरणार्थ पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश मे प्रथम श्रेणी मे लगभग एक तिहाई, दूसरी मे ४० प्रतिशत और तीसरी तथा चौथी मे ५० प्रतिशत अधिकारी आदिवासी है।

१८. पहली योजना मे पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये तत्कालीन प्रशासनिक प्रबन्धो को दृढ करने पर खास जोर दिया गया था। राज्यो की योजनाओ मे भी इस विषय पर विचार किया गया है। केन्द्रीय सरकार योजना के कार्यक्रमो के विकास तथा विशिष्टता पर खास ध्यान देती है और प्रशासनिक तथा टैकनिकल व्यक्तियो की आवश्यक सख्या की पूर्ति करना चाहती है।

: ४ :

समाज कल्याण

किसी भी देश मे समाज सेवाओ का विकास अनिवार्यत. धीरे-धीरे ही होता है। इसकी मुख्य परिसीमाओं का सम्बन्ध समुदाय के साधनो के परिमाण, प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओ के अभाव और समाज कल्याण-कार्य में रत सगठनो के साथ है। समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार अथवा सार्वजनिक अधिकारियो द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यकर्ता तो सामान्यत: समुदाय की सेवा में अनेक व्यक्तियो द्वारा श्रमदान के लिए एक प्रेरणा-स्रोत का कार्य करते है। भूतकाल मे स्वयसेवा अभिकरण व्यक्तिगत सहायता पर पूरी तरह आश्रित थे। यह महसूस किया गया कि समुदाय के हित मे इन स्वयसेवी अभिकरणो को इनके कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, और राज्य एव केन्द्रीय सरकारे इस दिशा मे वैयक्तिक प्रयासो को आगे बढावे।

२ इन परिस्थितियो को देखते हुए ही केन्द्रीय सरकार ने पहली पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों, बच्चो और अपाहिजो के कल्याण-कार्य मे रत स्वयसेवी अभिकरणो की सहायता करना था। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने राज्य सरकारो से परामर्श करके देश भर मे राज्य समाज कल्याण बोर्डो की स्थापना की। सगठनो के इस जाल के बिछ जाने से दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि मे समाज-कल्याण के वृहद् कार्यक्रमो को हाथ मे लेना अब सभव हो सकेगा। गत ३ वर्षों मे इन कार्यक्रमो की बुनियाद तो रखी भी जा चुकी है। केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड अब तक ७८१ महिला कल्याण सस्थाओ, ६८९ बाल-कल्याण सस्थाओं, अपाहिजो और अपराधी मनोवृत्ति वालो मे कल्याणकार्य की सेवा करनेवाली २०१ सस्थाओ और सामान्य कल्याण का कार्य करनेवाली ८११ सस्थाओ की सहायता कर चुका है। बोर्ड ने देश के प्रत्येक जिले मे एक-एक कल्याण-विस्तार-योजना-कार्य का कार्य हाथ मे लिया। प्रत्येक योजना कार्य के अन्तर्गत लगभग २५ गाँवो की सेवा की गई। बोर्ड ने ग्राम सेविकाओ और दाइयो के पूर्ण प्रशिक्षण का भी एक कार्यक्रम चालू किया। बोर्ड ने स्त्रियो को घर पर ही काम दिलाने के कठिन कार्य का दिल्ली, पूना, हैदराबाद, और विजयवाड़ा मे श्रीगणेश भी किया। दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बोर्ड के प्रत्येक जिले मे ३ और कल्याण-विस्तार-योजना कार्य चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है जिससे योजना के अन्त तक इनकी कुल सख्या १,३२० हो जाएगी।

३. बोर्ड द्वारा निर्मित समितियो या विशेष समूहो ने स्त्रियो और बच्चो तथा अपाहिजो और अपराधी मनोवृत्ति वालो के कल्याण-कार्य से सबद्ध समस्याओ का अध्ययन

किया और दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्य कार्यक्रम अपराधी मनोवृत्ति वाले बालको, नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान, भिखमगो की समस्याओ और काम सिखानेवाली सेवाओ के बारे मे है जिनकी रूप-रेखा विचाराधीन है।

४ समाज कल्याण के सभी क्षेत्रो मे प्रत्येक स्थानीय समुदाय को जरूरतमन्दो और अपाहिजो को सहायता और राहत पहुँचाने का मुख्य दायित्व निभाना पडता है। राज्य और उसके द्वारा स्थापित अन्य अभिकरणो की भूमिका अनिवार्यत सीमित होती है, तथापि पहली पचवर्षीय योजना के अनुभव से पता चलता है कि सार्वजनिक पदाधिकारियो द्वारा उपलब्ध कराए गए साधन और कार्यकर्ता समुदाय के प्रयासो मे प्राण फूकने और अत्यधिक श्रमदान आकर्षित करने मे बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। योजना आयोग के सुझाव पर राष्ट्रीय सगठन के रूप मे स्थापित भारत सेवक समाज तथा कई अन्य स्वय-सेवी सगठन इस रीति से समुदाय के कल्याण मे महत्वपूर्ण योगदान देने मे सफल हुए है। दूसरी पचवर्षीय योजना में इन कामो के और बढने की आशा है। दूसरी पचवर्षीय योजना मे समाज कल्याण परियोजनाओ के लिए २८ करोड रुपये, स्थायी विकास के निर्माण-कार्यों के लिए १५ करोड़ रुपय और रचना कार्यक्रमो मे जनता के सहयोग सम्बन्धी विशेष परियोजनाओ के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

श्रम-नीति और कार्यक्रम

पहली योजना की श्रम-नीति मे नये कानून बनाने की अपेक्षा पहले से विद्यमान कानूनों का पालन भली प्रकार करवाने पर अधिक जोर दिया गया था। मालिको और मजदूरो के झगडे तय करवाने के लिए, विभिन्न स्तरो पर परस्पर विचार-विनिमय कर लेने की सलाह दी गयी थी। योजना का लक्ष्य श्रमिको की मजदूरी मे वृद्धि करना रखा गया था। राज्य-कर्मचारी-बीमा-योजना, कर्मचारी निर्वाह निधि कानून, और कारखानों मे काम करने वाले मजदूरो के लिये सरकारी सहायता से मकान बनाने जैसी योजनाओ पर विशष ध्यान दिया गया था जिनसे सामाजिक सुरक्षा मे वृद्धि हो। कारखानो, बागानो और खानो में काम करने की अवस्थाओ मे सुधार करने का यत्न किया गया था। श्रमिको के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से, उत्पादन की समस्याओ का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय श्रम-सस्था खोलने और कुछ उद्योगो में उत्पादन का अध्ययन करने का निश्चय किया गया। कई राज्यो में श्रम-कल्याण-केन्द्र भी स्थापित किये जाने वाले थे।

२. पहली योजना की अवधि मे मालिको और मजदूरो के सम्बन्धो मे सुधार होता दिखाई दिया। योजना मे सुझाये गये कई काम, सरकार, मालिको और मजदूरो के परस्पर सहयोग से पूरे किये गये। मालिको ने काम करने की अवस्थाओ मे सुधार करने की आवश्यकता को अधिकाधिक समझा और मजदूरों ने भी सब मिलाकर राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाने मे योग देने की तत्परता दिखलायी।

३. पहली योजना के समय जो श्रम-नीति रखी गयी थी और मालिक-मजदूरो के आपसी सम्बन्ध सुधारने के लिए जो कुछ किया गया था, उन सबके आधार-भूत सिद्धात दूसरी योजना की अवधि मे भी लागू किये जा सकेगे; नि.सदेह समाजवादी ढग का समाज स्थापित करने का निश्चय कर लेने के कारण उनमे थोडा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। योजना के सार्वजनिक भाग का क्षत्र के विस्तृत हो जाने के कारण उस क्षत्र में काम करने वाले श्रमिको पर भारी उत्तर-दायित्व आ पड़ेगा और क्योकि सार्वजनिक कारखानो मे काम करने की अवस्था को निजी

क्षेत्र के लिए आदर्श के रूप में उपस्थित करने की आशा की जाती है, इसलिए इनके प्रबन्धकर्ताओ को श्रमिको के हितो का ध्यान विशेषरूप से रखना पडेगा । योजना-आयोग ने १९५५ के मध्य मे एक प्रतिनिधि मडल इस प्रयोजन से नियुक्त किया था कि वह ऐसी श्रम-नीति सुझाये जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति तो हो ही जाय, साथ ही वह संबद्ध मालिको और मजदूरो, दोनो को, पसन्द भी हो । इस मडल ने विचार विमर्श के पश्चात जो सुझाव दिये, उन्ही को आगे सक्षेप मे समझाया गया है ।

४. मजदूर सघो के वर्तमान कानून मे निम्न उद्देश्यो से सुधार किये जाने की आवश्यकता है—(१) मजदूर-संघो में बाहर-वालो की सख्या कम हो जाय, (२) सघ को कुछ शर्तें पूरी करने पर कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाय, (३) यूनियनो के पदाधिकारियो की मालिकों का कोप भाजन बनने से रक्षा हो सके, और (४) यूनियनें अपने आर्थिक आधार को अपने ही साधनो के द्वारा पुष्ट कर सके । इस प्रकार के कानून की आवश्यकता मजदूर-संघ आदोलन को बल प्रदान करने के लिये भी है । मजदूरसघ आदोलन में, मजदूरो के अपने ही प्रयत्नो से एकता लाने की भी आवश्यकता है ।

५ मालिक-मजदूरो के झगडे निपटाने के लिये आपसी बातचीत और स्वेच्छापूर्वक किये गये पच फैसलो पर बार बार बल दिया जाना चाहिए । सरकार को उन्ही मामलो मे दखल देना चाहिये जो आसानी से न सुलझ सके । "इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट" (औद्योगिक झगडा कानून) में वर्तमान सशोधन इसी दिशा मे किया जा रहा है ।

६. "इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट" मे पच-फैसलो की शर्तों पर अमल कराने की वर्तमान व्यवस्था अधिक प्रभावशाली नही है । पच-फैसले पर अमल कराने की जिम्मेवारी स्थायी औद्योगिक न्यायालय पर डाल देनी चाहिये, ओर दोनो पक्षो के लिये सीधे इस न्यायालय तक पहुचना सभव होना चाहिए ।

७. मालिको और मजदूरो में मिल-जुलकर विचार करने की व्यवस्था पर भी भली भाति अमल हो रहा है । परन्तु उसकी पहुँच नीचे के मजदूरो तक नही हो पाती । मजदूर-समितियाँ भी ठीक प्रकार काम नही कर रही है । उनकी कार्य-प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे वे अधिक प्रभावशाली बन कर ऊपर दिखलाई पड़ने वाली सद्भावना को नीचे तक पहुँचाने का साधन बन जाएँ ।

८. योजना को सफल बनाने के लिए मजदूरो और मैनेजरो मे अधिकाधिक मेल-जोल बढ़ते रहना आवश्यक है । इससे दोनो के सम्बन्ध सुधर जायेंगे और उत्पादन के बढाने में सहायता मिलेगी । इसके लिए यह सिफारिश की जाती है कि हरेक कारखाने में एक-एक प्रबन्ध-परिषद बना दी जाय, जिसमे प्रबन्धकर्ताओ और मजदूरो, दोनो के प्रतिनिधि बराबर बराबर संख्या मे हों । इन प्रबन्ध-परिषदो को सब प्रकार की जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रबन्धकर्ताओ पर रहनी चाहिए, और इन्हे वित्तीय मामलो के सिवाय, कारखानो की सब बातों पर विचार करने का अधिकार होना चाहिए । परन्तु जो प्रश्न मजदूरों के सम्मिलित

संगठन द्वारा हल करने के क्षेत्र में आते हों उन्हे इन परिषदों के विचार-क्षत्र में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। श्रम-कल्याण के प्रश्नों पर विचार पहले मजदूर-समितियो में किया जा सकता है और फिर, यदि आवश्यकता हो, तो उन्हे प्रबन्ध-परिषदो के सामने रखा जा सकता है।

९. भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार शीघ्र होने की सभावना है, इसलिए सरकार को, मालिक के नाते, उपयुक्त आदर्श उपस्थित करने चाहिएँ। सार्वजनिक कारखानो के प्रबन्ध-कर्ताओ को कानूनो के प्रभाव से बचने का या ऐसी रियायते प्राप्त करने का प्रयत्न नही करना चाहिए जो निजी क्षेत्र के कारखानो को न मिलती हो।

१०. विकसित होती हुई अर्थ-व्यवस्था मे पारिश्रमिक देने की नीति ऐसी होनी चाहिए कि उससे श्रमिकों का वास्तविक पारिश्रमिक बढता चला जाने का निश्चय हो जाय। ऐसी नीति उत्पादन मे वृद्धि और श्रमिको को इस बात का आश्वासन देने पर ही कि उन्हे उनका उचित भाग अवश्य मिलता रहेगा आधारित हो सकती है। मजदूरी तय करने की वर्तमान प्रणाली ऐसी है कि उसका प्रभाव बहुत थोडा नफा कमाने वाले कारखानो पर नही पड़ता। सोचकर देखना चाहिए कि इस प्रणाली को बदल कर ऐसा क्यो न कर दिया जाय कि मजदूरी निर्धारित करते हुए औसत कारखानो की अवस्थाओ को ही आधारमाना जाय। परिणाम को देखकर मजदूरी देने की पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहिए, और यह अब तक जहाँ प्रचलित नही है वहाँ भी इसे प्रारम्भ करना चाहिए परन्तु यह पारिश्रमिक न्यूनतम होना चाहिए। यह परिवर्तन मजदूरो के साथ सलाह करके करना चाहिए।

११. मजदूरी के दरों का लेखा सग्रहीत करने और विभिन्न श्रेणियो के मजदूरो के रहन-सहन के व्यय के सूचक अंकों को एक से आधार पर लाने के लिये आवश्यक उपाय करने चाहिएँ। यह तो आवश्यक है ही कि मजदूरी तय करने के सिद्धांत ऐसे बनाये जायें जो हमारे सामाजिक आदर्श के अनुरूप हो। सब उद्योगो मे मजदूरी के झगडे तय करने के लिये त्रिदलीय मजदूरी-बोर्ड भी तुरन्त ही कायम कर देने चाहिएँ।

१२. कर्मचारी निर्वाह निधि की योजना को इतना विस्तृत कर देना चाहिए कि इसमें वे उद्योग और व्यापारिक दूकानें आदि भी शामिल हो जाएँ जो अब तक नही हैं। सुझाव यह है कि देश के जिन उद्योगो में मजदूरो की सख्या १०,००० है उनको और व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि को दूसरी योजना की अवधि में ही निर्वाह निधि की स्कीम में शामिल कर लिया जाय। इस निधि के चदे की दर भी ६¼ प्रति रुपया से बढ़ाकर ८⅓ प्रति कर देने का सुझाव है। इन सुझावो के वित्तीय पहलू पर विचार किया जा रहा है।

१३ कारखानो मे काम की अवस्थाए सुधारने के लिए, वर्तमान कानूनो के पालन किये जाने पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त, निर्माण उद्योगो,

परिवहन सेवाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों मे भी काम की अवस्थाएं नियमित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। ठेके पर मजदूरी करने वालो की समस्या की भी जाच करनी चाहिए, जिससे उन्हे यथासम्भव सुरक्षा प्रदान की जा सके।

१४ पाच वर्ष हुए, खेती के मजदूरो की स्थिति की जाच की गयी थी। उसकी रिपोर्ट अब प्राप्त है। उससे खेत-मजदूरो की बरोजगारी और अर्ध-बरोजगारी की विशालता का पता चल जाता है। आज की अवस्था मे, इस वर्ग के मजदूरो के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करके, उनकी प्रभावकारी सहायता नही की जा सकती। इस विषय पर, देहातो के विकास की समस्याओ के प्रसग में एक अन्य अध्याय मे विचार हो चुका है। यहा उसकी ओर ध्यान दिलाकर इतनी बात सुझा देनो काफी है कि इन लोगो के रहन-सहन की और इन्हे रोजगार मिलने की अवस्थाओ मे सुधार के उपाय करते रहने का, केन्द्र और राज्यो की सरकारो को निरन्तर और नियमपूर्वक ध्यान रखना चाहिए, और समय समय पर यह देखते रहना चाहिए कि उन उपायो पर अमल कितना हो रहा है।

१५. कोयले और अभ्रक के खान-मजदूरो के लिए जैसे कल्याण-कोष खुले हुए है वैसा ही एक कोष मगनीज-व्यवसाय के मजदूरो के लिए भी खोलना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि इन तीनो कोषो का इकट्ठा प्रबन्ध किया जा सकता है या नही।

१६. मजदूरो की शिक्षा के क्षेत्र मे, मजदूरो के बालको को काम सिखाने के स्कूल खोलने चाहिए और मजदूर-सघो के कार्यकर्ताओ को सघ के काम मे प्रशिक्षित करने के लिए कोई योजना तैयार करनी चाहिए।

१७. बम्बई मे इस समय जो "सेण्ट्रल-लेबर-इन्स्टिट्यूट" बन रहा है उसे दूसरी योजना की अवधि में विस्तृत किया जायगा। उसमे औद्योगिक मनो-विज्ञान और औद्योगिक शरीर-विज्ञान का अध्ययन करने के विभाग तो अभी बढाये जा रहे है। बाद को और भी विभाग खोले जायगे। कलकत्ता, मद्रास और कानपुर मे क्रमश. औद्योगिक मजदूरो के स्वास्थ्य रक्षा और कल्याण के अजायबघर खोले जायगे।

१८. दूसरी योजना मे श्रम-कार्यक्रमो की पूर्ति के लिए २६ करोड़ रु० रखे गये है। कई राज्यो ने भी अपनी योजनाओ मे मजदूरो के लिए कल्याण-केन्द्र खोलने का कार्यक्रम रखा है। इन केन्द्रो के व्यय और सचालन का अधिकतर भार मालिको और मजदूरो के ही सगठनो पर पड़ेगा। राज्यो की सरकारों का भाग उसमें थोड़ा ही होगा।

१९. दूसरी पच-वर्षीय योजना में अधिक जोर उद्योगो, खानो और परिवहन के विकास पर दिया गया है। इस कारण कुशल कर्मचारियो की माग निरन्तर बढ़ती चली जायगी। उसे पूरा करने के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओ को विशेष व्यवस्था करने का ध्यान रखा जायगा। केन्द्र-सरकार के श्रम-मन्त्रालय को ओर से अब जो प्रशिक्षण-केन्द्र चलाये जा रहे हैं, उन्हे राज्यो के सुपुर्द कर दिया जायगा। उनमें १०,००० व्यक्तियों को

प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरी योजना की अवधि में, उनमें प्रतिवर्ष २०,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की सुविधा कर दी जायगी। कुशल कर्मचारियो की आवश्यकता पूरी करने के लिए, दूसरी योजना के प्रथम वर्ष में अप्रेन्टिसो के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था धीरे धीरे बढायी जाती रहेगी यहाँ तक कि योजना की समाप्ति पर औद्योगिक कारखानों में प्रति वर्ष ५,००० अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगे। प्रशिक्षण की सुविधाओ का विस्तार प्रशिक्षित प्रशिक्षको मिलने पर भी निर्भर करता है, इसलिए दो 'इन्स्टीट्यूट खोले जा रहे हैं।

२०. दूसरी योजना के भारी औद्योगिक कायक्रम के कारण काम-दिलाऊ दफ्तरो का काम भी बहुत बढ जायगा। इस कारण इन दफ्तरो को अब राज्य सरकारो के प्रबन्ध मे चलाया जायगा; केन्द्र सरकार इनमे केवल समन्वय का काम करेगी। इन दफ्तरो का क्षेत्र भी विस्तृत किया जा रहा है। ये अब रोजगार सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी करने वाले अभिकरणो का भी काम करेगे। आशा है कि तब ये रोजगार बढाने की योजनाओ को पूरा करने में अच्छी सहायता कर सकेगे। इस समय दफ्तरों की सख्या १३१ है। दूसरी योजना की अवधि में यह सख्या २५६ तक पहुच जायगी।

: ६ :

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

देश के विभाजन के बाद पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो की सहायता और पुनर्वास का कार्य एक मुख्य राष्ट्रीय समस्या थी। पहली पंचवर्षीय योजना में ८५ लाख ३० हजार विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास को उच्च प्राथमिकता दी गई, और इस सम्बन्ध मे कुल १३६ करोड रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

२. पहली योजना को समाप्ति पर पश्चिमी पाकिस्तान के लगभग २३ लाख विस्थापित व्यक्ति खेती-बाडी मे लगाए जा चुके है, और उन्हे कर्ज और अनुदाम के रूप में सहायता दी गई है। शहरी क्षेत्रो मे १२ लाख व्यक्तियों को निष्क्रान्तो के घरो में और १० लाख व्यक्तियो को २००,००० नए बने घरो मे बसाया गया है। राज्य सरकारो ने विस्थापित व्यक्तियो को शहरी क्षेत्रो मे छोटे धधो, उद्योगो और व्यवसायो मे लगा कर बसने के निमित्त ५,००० रु० प्रति परिवार के हिसाब से कर्ज दिये है। बडे-बडे धधो के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा बडी राशिया भी कर्ज के रूप मे दी गई है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए है, जिनमे अब तक लगभग ७५,००० व्यक्ति विभिन्न धधो के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है, और ६,००० आजकल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। विस्थापित छात्रो को शिक्षा देने वाली निजी शिक्षण सस्थाओ को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। विस्थापित छात्रो को भत्ते, फीस की माफी, अनुदान और छात्रवृत्ति आदि के रूप मे आर्थिक सहायता दी गई। १४ नए नगर बसाए गए जिससे विस्थापित व्यक्तियो को सुचारु रूप से रहने को स्थान व रोजी मिल सके। इन नगरो मे जलपूर्ति, नालियो और बिजली आदि नागरिक सुविधाओ के विकास की व्यवस्था भी की गई है। इन नगरों में रोजगार के अवसर बढाने के लिए हाल ही मे सरकारी सहायता द्वारा कुछ उद्योग-धधे खोलने की योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी है। अनुमान है कि अब तक जो उद्योग-धधे खोले जा चुके है उनमे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए लगभग ११,००० विस्थापित व्यक्ति खप चुके है। पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो के सम्बन्ध मे बनाई गई मुआवजा योजना भी चालू कर दी गई है। जब तक इस योजना को पूरी तरह अमल मे ला कर मुआवजा आदि का भुगतान न हो जाय, तब तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या की ओर ध्यान देना आवश्यक रहेगा।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

३. पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति पश्चिम बगाल और आस-पास के इलाकों में लगातार आते रहे है। ३८.३ लाख व्यक्तियों मे से, जो अब तक भारत में आ चुके हैं, ३८८,००० परिवारो को खेती-बाड़ी और अन्य सहायक उद्योगों में

लगाया जा चुका है। शहरी और ग्राम्य क्षेत्रों में मुख्यत. सरकारी कर्जों के द्वारा, विस्थापित व्यक्तियो ने लगभग ३५०,००० मकान बनवा लिए है। लगभग २२,००० विस्थापित व्यक्ति व्यावसायिक और प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है, और ८,००० आजकल प्रशिक्षण पा रहे है। लगभग ८८,००० परिवारो को व्यापार सम्बन्धी कर्जे दिए जा चुके है। निरन्तर विस्थापित व्यक्तियो के आते रहने से पूर्वी-राज्यो मे पुनर्वास की समस्या विशेषतया कठिन हो गई है। यह अनुमान किया गया है कि अभी लगभग १७०,००० परिवारो को बसाना बाकी है।

दूसरी योजना के पुनर्वास कार्यक्रम

४. दूसरी योजना के अन्तर्गत पुनर्वास कार्यक्रमो को निम्न वर्गों मे बांटा गया है: (१) शहरी क्षेत्रो के लिये कर्जे (२) ग्राम्य क्षेत्रों के लिए कर्जे (३) कृषि भूमि का विकास (४) आवास व्यवस्था (५) मध्यम, छोटे और कुटीर उद्योगो का विकास (६) शिक्षा (७) व्यावसायिक और प्राविधिक प्रशिक्षण और (८) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाए। पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा भी कर्जे दिए जाएगे। दूसरी योजना मे इन कार्यक्रमो के निमित्त ९० करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वभावत इस राशि मे से अधिकतर खर्च पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितो को बसाने मे ही होगा। फिर भी, जैसा पहले कहा जा चुका है, चूंकि मुआवजा योजना के पूरा होने मे कुछ समय लगेगा, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी इस योजना में थोडी व्यवस्था की गई है।

५. ग्राम्य क्षेत्रो के लिए कर्जे देने की योजना के अन्तर्गत लगभग ८०,००० पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो को खेती-बाडी और अन्य सहायक उद्योग धधो के लिए कर्जे देकर ग्राम्य क्षेत्रो में बसाने का प्रस्ताव है। पूर्वी पाकिस्तान से आए खेतिहर विस्थापितो को फिर से बसाने के लिए पश्चिमी बंगाल के अलावा अन्य राज्यों मे भूमि प्राप्त करने और उसका विकास करने की समस्या की ओर तत्काल ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने राज्यो से कहा है कि वे पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितो को भूमि देने की व्यवस्था करने के लिए विशेष रूप से प्रयास करे। देश के विभिन्न भागो मे कृषि योग्य उपयुक्त भूमि खण्ड उपलब्ध करने के प्रयास किए जा रहे है, विशेषतया उडीसा, विन्ध्य प्रदेश, मैसूर, आन्ध्र व हैदराबाद में।

६. आशा की जाती है कि शहरी क्षेत्रो मे कर्जे देने की योजना के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लगभग २०,००० विस्थापित परिवारो को सहायता मिल सकेगी। निरन्तर घटते पैमाने पर पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए कुछ उन विस्थापित व्यक्तियो की सहायता की भी व्यवस्था की गई हैं जो मुआवजा-योजना से कोई लाभ उठाने के हकदार नही है या जिनके दावे बहुत थोडी राशि के लिए है। पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा अधिकतर पूर्वी राज्यो के प्रार्थियो को ही कर्जा मिलेगा। पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो के लिए आवास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य के सम्बन्ध मे जारी निर्माण-कार्य समाप्त करना और जो उपनगर और नगर बसाए जा चुके है उनका विकास करना है। पूर्वी

पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो के लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १३,००० परिवारो को औसत रूप मे २,५०० रुपया प्रति परिवार के हिसाब से कर्ज़ मिल सकेगा। प्रति मकान पर ५,००० रुपये के खर्च के हिसाब से १२,००० मकानो का निर्माण किया जाएगा। जो बस्तियाँ बसाई जा चुकी है, उनके विकास के लिए भी योजनाएँ बनाई गई है और विस्थापित व्यक्तियो को बस्तियो मे नागरिक सुविधाओ की व्यवस्था करने के लिए नगरपालिकाओ और स्थानीय निकायो को सहायता देने का भी आयोजन किया गया है।

७. दूसरी योजना के अन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी प्रदेशो मे और उन क्षेत्रो मे जहा विस्थापित व्यक्ति अधिक सख्या में है, शरणार्थी कस्बो और बस्तियो मे मध्यम, छोटे और कुटीर उद्योगो के विकास के लिए समुचित राशि की व्यवस्था की गई है। इन औद्योगिक योजनाओ का, योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के व्यापक कार्यक्रम के साथ समुचित समन्वय करने की भी व्यवस्था की गई है।

८ विस्थापित छात्रो और निजी शिक्षण सस्थाओ को सहायता देने का कार्यक्रम पश्चिमी क्षेत्रो मे कुछ सीमित आधार पर जारी रहेगा। पूर्वी राज्यो मे इस सम्बन्ध मे कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रो मे कुछ नए कालेज और बहुत से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खोले जाने का प्रबन्ध है। विस्थापित व्यक्तियो को विभिन्न व्यवसायो के लिए प्रशिक्षण देना जारी रखा जाएगा ताकि वे प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता और टेक्नीशियन बन सके। दूसरी योजना काल मे ७०,००० विस्थापित व्यक्तियो को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

९ पूर्वी पाकिस्तान से पिछले वर्ष बहुत से विस्थापित व्यक्तियो के आ जाने से पूर्वी क्षेत्रो के नगरो और बस्तियो में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओ को समुन्नत करने की विशेष आवश्यकता है। चूकि उपलब्ध साधन पर्याप्त नही है, शहरी क्षेत्रो मे नए अस्पताल और ग्राम्य क्षेत्रो मे औषधालय तथा मातृ-कल्याण केन्द्र खोले जाएगे। तपेदिक के अस्पतालो और सैनीटोरियमो मे विस्थापित व्यक्तियो के लिए अतिरिक्त रोगी-शय्याओ की व्यवस्था भी की जाएगी।

१०. दूसरी योजना मे पुनर्वास कार्यक्रम का जो रूप होगा उसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। पुनर्वास कार्यक्रम व व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कार्यक्रमो को तेजी से समन्वित किया जा रहा है। जिन राज्यो मे पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितो को बहुत अधिक सख्या मे बसाया गया है, वहा पुनर्वास की समस्या बहुत हद तक राज्य के सामान्य आर्थिक विकास की समस्या का ही अग बन गई है। यह आवश्यक है कि पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो की समस्याओ के समाधान के लिए जो कार्यक्रम बनाया जाए उसका यदा कदा समीक्षण होता रहे ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार उसमे फेर-बदल किया जा सके।

मद्य-निषेध

अनेको वर्षों से जनता के एक बहुत बडे वर्ग ने इस बात पर जोर दिया है कि सामाजिक नीति के एक आवश्यक अंग के रूप मे मादक पेयो तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियो के प्रयोग पर पाबदी लगायी जानी चाहिए। इस बात को सविधान के ४७ वे अनुच्छेद में एक निदेशक सिद्धान्त के रूप मे स्वीकार किया जा चुका है। इस बारे में सामान्यतया बहुत कम प्रगति हुई है, इसलिए योजना आयोग ने एक विशेष जाच समिति नियुक्त की, जो राज्य सरकारो द्वारा इस विषय में किए गए उपायो से प्राप्त अनुभव की जाच करे और राष्ट्रीय आधार पर मद्य-निषेध कार्यक्रम के बारे मे सिफारिश करे तथा यह भी बताए कि यह कार्यक्रम किन सोपानो में तथा कैसा सगठन स्थापित करके पूरा किया जाए। अभी हाल मे इस समिति का जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर राज्य सरकारों एव केन्द्रीय मत्रालयों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। यहा तो केवल इतना बता देना ही पर्याप्त होगा कि इस विषय के प्रति सामान्यत क्या दृष्टिकोण है।

२. किसी भी आधारभूत सामाजिक नीति पर विचार करते हुए वित्त-व्यवस्था का यद्यपि बहुत अधिक व्यावहारिक महत्व है फिर भी एकमात्र उसे ही निर्णयात्मक नही मान लेना चाहिए। असली महत्व की बात तो यह है कि कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाए कि वे एक निश्चित अवधि मे सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सके। मद्य-निषेध के बारे मे देश भर में एक समान रुख अपनाने की आवश्यकता है, किन्तु इस सम्बन्ध में राज्य सरकारो को विस्तृत कार्यक्रम बनाने होगे। कुछ राज्य अन्य राज्यो से आगे निकल जाएगे और वे इस बारे मे जितनी प्रगति कर सकेंगे, उतना ही वे दूसरे राज्यों का पथ-प्रदर्शन कर सकेंगे और उनके अनभव के आधार पर दूसरे राज्य अपने विस्तृत कार्यक्रम बना सकेंगे।

३ मद्य-निषेध जैसी राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए कई दिशाओ मे काम करना होगा। वे दिशाएं ये है :—लागू करने के उपाय, जन-मत को तैयार और विकसित करना, सामाजिक सेवा सगठनो और सामाजिक कार्यकर्ताओ द्वारा ऐच्छिक काय तथा वैकल्पिक दिलचस्पियो और आमोद-प्रमोद की व्यवस्था। दिशा तो एक ही रहेगी पर देश के विभिन्न भागो में जो कदम उठाए जाएगे, उनमें स्थानीय दशाओ और परिस्थितियो के अनुसार भिन्नता होने की गुजाइश है। ऊपर जिन दिशाओ की ओर सकेत किया गया है, उनमें प्रत्येक राज्य बहुत से विशिष्ट कार्य कर सकता है। मद्य-निषेध जाच समिति ने समस्त देश मे समान रूप से मद्य-निषेध लागू करने की तिथि अप्रैल, १९५८ सुझाई है। हमारे विचार मे यह बात व्यावहारिक रूप से लाभकारी होगी यदि प्रत्येक राज्य सरकार निश्चित कार्यक्रम बनाकर इस समस्या को सोपानों म सुलझाए और

मद्य-निषेध सम्बन्धी समस्त सामाजिक एव प्रशासनिक कार्यवाही के क्षेत्र म विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके उन्हे प्राप्त करे। जो कार्यक्रम चाल किया जाए, उसकी मुख्य दिशाओ के बारे मे सामान्य रूप से एक मत तो होना ही चाहिए और उसमे निरन्तर समीक्षा एव मूल्याकन की व्यवस्था भी होगी किन्तु यह आवश्यक नही है कि सघ के समस्त राज्यो के लिए एक जैसे कदम उठाने या मद्य-निषेध के लिए एक जैसी तिथिया निर्धारित करने पर जोर दिया जाए। हमारे विचार से अन्तत मद्य-निषेध के उद्देश्य की ओर बढने का यही सर्वोत्तम उपाय प्रतीत होता है।

४ मद्य-निषेध जाच-समिति ने एक केन्द्रीय समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है जो मद्य-निषेध कार्यक्रमो की प्रगति की समीक्षा करेगी, और विभिन्न राज्यो मे इस सम्बन्ध मे किए गए कार्यों को समन्वित करेगी तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयो के विषय मे जानकारी रखेगी। यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय समिति साल मे एक बार राष्ट्रीय विकास परिषद् को अपना प्रतिवेदन दे। इन सिफारिशो से हम सहमत है। जैसा कि समिति का विचार है, और जिसे हम भी उपयोगी समझते है, राज्यो मे मद्य-निषेध बोर्ड और ज़िला मद्य-निषेध समितिया स्थापित की जानी चाहिएँ और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मद्य-निषेध प्रशासक भी होने चाहिएँ।

५ समिति के कई प्रस्तावो पर मन्त्रालयों एव राज्यो द्वारा विस्तृत विचार किए जाने की आवश्यकता है। हमारा यह सुझाव है कि राज्य सरकारे निम्न रूप से इस विषय मे प्रारम्भिक कार्यवाही कर सकती है –

१ मादक पेयों के सम्बन्ध मे विज्ञापनो और सार्वजनिक आकर्षण के साधनो को बद कर दिया जाए।

२. सार्वजनिक स्थानो मे (होटलो, होस्टलो, रेस्तोराओ, क्लबो,) और सार्वजनिक स्वागत-समारोहो पर शराब पीना बंद कर दिया जाए।

इस प्रकार के नियम लागू करते हुए इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि विदेशी दूतावासो के अधिकार सुरक्षित रहे और विदेशी दर्शको एवं पर्यटको को कोई असुविधा या दिक्कत न हो।

३ निम्न उद्देश्यो के हेतु क्रमिक कार्यक्रम बनाने के लिए प्राविधिक समितियो की स्थापना की जाय –

(क) ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रो मे मदिरा की दूकानो की सख्या धीरे-धीरे कम की जाए,

(ख) सप्ताह में मदिरा की दूकानें अधिक से अधिक दिन बंद रखी जाए,

(ग) मदिरा की दूकानो के लिए स्वीकृत मदिरा की मात्रा घटाई जाए,

(घ) भारत के आसवनीयो द्वारा तैयार की गई आसवित मदिरा के मादक तत्व को क्रमश. कम किया जाए,

(च) निर्दिष्ट औद्योगिक एव अन्य विकास योजनाकार्य क्षेत्रो में या उनके आस-पास मदिरा की दूकाने बद कर दी जाए, और

(छ) शहरों और ग्रामो की मुख्य सडको और निवास स्थानो के पास से हटाकर मदिरा की दूकाने अन्य दूरवर्ती स्थानो पर ले जाई जाए।

४. सस्ते और स्वास्थ्य-वर्द्धक कोमल पेयो के उत्पादन को प्रोत्साहित करने एव बढाने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाए,

५. मनोरजन केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले सगठनो की सहायता की जाए, और

६ राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्य क्षेत्रो और समाज कल्याण विस्तार योजना कार्यों मे मद्य-निषेध को रचनात्मक कार्य के एक अग के रूप मे सम्मिलित किया जाए।

६. राष्ट्रीय विकास परिषद् ने उपर्युक्तदृष्टिकोण का आमतौर से समर्थन किया है।

चौदहवां अध्याय

शिक्षा और वैज्ञानिक शोध

: १ :

शिक्षा

किसी देश की शिक्षा पद्धति का असर वहा की आर्थिक प्रगति की रफ्तार पर पड़ता है, तथा यह भी मालूम हो जाता है कि उस आर्थिक प्रगति से क्या लाभ हो सकते है। आर्थिक विकास स्वाभाविक रूप से मानवीय साधनो की माग करता है, और लोकतान्त्रिक ढाचे मे ऐसे मूल्यो तथा मान्यताओ के निर्माण की आशा की जाती है जिनके लिये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। समाजवादी ढग के समाज का अर्थ यह है कि विभिन्न स्तरो पर प्रत्येक कार्य मे जनता का सहयोग और रचनात्मक नेतृत्व प्राप्त हो। भरपूर विकास के युग मे शिक्षा के लिए जो साधन आवण्टित होने है तथा जिन लक्ष्यो को सामने रखकर हमे चलना है, उनका निर्णय, उस समय जबकि आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाये बनाई जा रही है, एक कठिन समस्या है। हाल के वर्षो मे शिक्षा के ढाचे के सम्बन्ध मे बहुत कुछ विचार-विमर्श हुआ है, और बहुत से विषयो पर परिवर्तन के लिये कुछ विशेष प्रस्तावो पर शिक्षा शास्त्री सहमत हो चुके है, जैसा कि विश्व-विद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा अन्य कई ऐसी समितियो की रिपोर्टों से, जिन्होने गत कुछ वर्षो मे शिक्षा सम्बन्धी समस्याओ पर विचार किया है, ज़ाहिर है। यथेष्ठ साधनो के अभाव के कारण इनमे से कई प्रस्तावो को कार्यान्वित करने की दिशा मे यथेष्ठ प्रगति सम्भव नही हो सकी है। दूसरी योजना काल मे शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम क्या होगे इस सम्बन्ध म विचार हो रहा है। इस अध्याय मे दूसरी योजना की पृष्ठभूमि में शिक्षा की समस्याओ के कुछ पहलुओ तथा विचारणीय सुझावो पर प्रकाश डाला जा रहा है। -

२. सविधान के निदेशक सिद्धान्तो मे एक यह भी है कि राष्ट्र १० साल के अन्दर प्रत्येक बालक और बालिका के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करे और इस प्रकार की शिक्षा तब तक जारी रहे जब तक कि बच्चे १४ साल की उम्र म न पहुँच जाए। पहली योजना शुरू होने के पहले परिस्थिति यह थी कि ६ से ११ साल के वय-वर्ग के बच्चो में से ४२ प्रतिशत के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था

थी। इनमे से बालको की संख्या ५६ प्रतिशत और बालिकाओ की २५ प्रतिशत थी। पहली योजना के अन्त मे इस वय-वर्ग के ५० प्रतिशत बच्चो के लिए अतिरिक्त सुविधाए प्राप्त होगी और स्कूल जाने वाले बच्चो मे बालक ६८ प्रतिशत और बालिकाए ३२ प्रतिशत होगी। ११ से १४ वर्ष वाले वय-वर्ग मे जिन बच्चो के लिए सुविधाए प्राप्त है, उनकी सख्या बढकर १४ से १७ प्रतिशत हो चुकी है, पर स्कूल जाने वाले ऐसे बच्चो मे लडकिया २० प्रतिशत ही है। १४ से १७ वर्ष के वय-वर्ग मे पहली योजना के काल मे छात्रो की सख्या ६.४ प्रतिशत से ६ प्रतिशत पहुँच गई, पर स्कूल जाने वाले बच्चो मे लडकियो का भाग १/६ ही है। बहुत से बच्चे, विशेषकर देहातो के बच्चे, २ या ३ साल स्कूल जाने के बाद स्कूल छोड देते है। इससे बड़ा अपव्यय होता है और इसे दूर करना है।

३ शिक्षा मे प्रगति और आर्थिक विकास के कार्यक्रम जिस रफ्तार से तालमेल रखते हुए चल सकते है, उसके सम्बन्ध मे ये आकडे कुछ आधारभूत प्रश्न उत्पन्न करते है। यह तो स्पष्ट ही है कि इस समय जो साधन प्राप्त है, उनमे से एक बडा भाग आर्थिक विकास मे ही लगाना है। दूसरी योजना के लिए शिक्षा पर कुल प्रस्तावित रकम ३२० करोड़ रु० है। इसके अलावा राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास क्षेत्रो के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमो मे जो खर्च होगा, वह अलग है। इसमे से २२५ करोड़ रुपये राज्यो की योजना मे और ६५ करोड रुपये केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय की शिक्षा योजना मे आवण्टित है। शिक्षा के सम्बन्ध मे खर्च का अस्थायी आवन्टन इस प्रकार है :

	(अंक करोड़ रुपयो मे)
प्रशासन	७.४
प्राथमिक (जूनियर बेसिक) शिक्षा	८२.६
मिडिल स्कूल शिक्षा	२४.२
माध्यमिक शिक्षा	४२.५
विश्वविद्यालय शिक्षा	६६.६
प्रौद्योगिक शिक्षा	४६.३
समाज शिक्षा	५.०
विविध	४२.१
	३२०.०

इस कार्यक्रम में जो सौपान गिनाए गए है, उनके सम्बन्ध मे ब्योरा इस प्रकार है।

प्राथमिक शिक्षा

४ जो कार्यक्रम बनाए गए है, वे यदि कार्यान्वित किए जाए तो यह आशा की जाती है कि दूसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष वाले वय-वर्ग के ६० प्रतिशत, तथा ११ से १४ वर्ष वाले वय-वर्ग के १९ प्रतिशत बच्चो के लिए शिक्षा सुविधाए प्राप्त होगी। प्राथमिक कक्षाओ में ६६

लाख और माध्यमिक कक्षाओ मे ८ लाख छात्र बढेंगे। इन लक्ष्यो की पूर्ति के लिए ६०,००० नए प्राथमिक स्कूल तथा ५,००० मिडिल स्कूलो के खोलने की आवश्यकता है। आशा की जाती है कि बेसिक स्कूलो की सख्या १२,००० हो जाएगी और जिन मौजूदा स्कूलो को बेसिक स्कूलो मे परिणत किया जायगा, उन्हे मिलाकर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलो की सख्या १३ प्रतिशत हो जाएगी। यह स्पष्ट है कि समस्या के बडे आकार को देखते हुए प्रगति को गति को काफी बढाना पडेगा। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने मे शिक्षको के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। १९५०-५१ में प्राथमिक स्कूलो मे प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात ५९ प्रतिशत था जो पहली योजना के अन्त तक अनुमानत ६४ प्रतिशत हो जाएगा। दूसरी योजना काल मे इसे बढाकर ७५ प्रतिशत तक पहुचा देने की आशा है।

५ यह जरूरी है कि साधनो के सीमित होने पर भी आगामी १० सालों मे, संविधान मे उल्लिखित १४ वर्ष तक के बच्चो को निशल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के निदेशक सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की पूरी चेष्टा की जाए। इस लक्ष्य को तीसरी योजना के अन्त तक भी प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय और राज्य सरकारो को मिलकर योजनात्मक तरीके से काम करना पडेगा और अनेक विशेष उपाय भी करने पडेगे। जहाँ तक हो सके खर्च मे कमी करनी पडेगी, अपव्यय रोकना होगा और ऐसा प्रबन्ध निश्चित करना होगा कि प्राप्य साधन सामान्यत जितने समय चलते, उससे अधिक चले। साथ ही, स्थानीय सामूहिक प्रयासो से साधनो को बढाना पड़ेगा। लड़कियो की शिक्षा के लिए भी फौरन ही विशेष उपाय करने पडेगे। यदि वर्तमान प्रवृत्तिया कायम रही तो यह सम्भव है कि दूसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के वय-वर्ग के ८० प्रतिशत बालक स्कूलो मे होगे, पर बालिकाओ का प्रतिशत ४० से भी कम ही रहेगा। यह विषमता केवल बालक और बालिकाओ को स्थिति मे ही नही, बल्कि देश के भिन्न-भिन्न अंचलो में भी है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सो मे शिक्षा की प्रगति राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है।

६. इस सुझाव पर कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकारी खर्च मे जहा तक हो सके कमी की जाए, प्राय यह आलोचना की जाती है कि इससे शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। यह निर्विवाद है कि अच्छी शिक्षा पद्धति वही होगी जिसमे शिक्षा के गुण और परिमाण दोनो का ध्यान रखा जाए और दोनो मे किसी की भी अवहेलना नही की जा सकती। उच्चतर मानदड प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रयोग तथा उन्नत तरीको पर बराबर जोर देना बहुत ही महत्वपूण है। शिक्षको को प्रशिक्षण-सुविधाए, पुस्तको की उपयुक्त व्यवस्था, शिक्षा मे सहायक उपकरण तथा साज-सामान, शिक्षण-कार्य का ऐसा सगठन जिससे योग्य लोग इसे अपनाए, ये कुछ थोडी सी बाते है, जो शिक्षा के मानदड उच्च बनाने के लिये जरूरी है। स्वाभाविक है कि विकास की वर्तमान दशा मे सख्या पर जोर देना एक तात्कालिक आवश्यकता है। देहातो के पुर्ननिर्माण में स्कूलो का बहुत बड़ा भाग है और यह जरूरी है कि दूसरी योजना के अन्त तक कोई भी गाव, जिसकी आबादी ५०० या उससे अधिक है, स्कूल के बिना न रह जाए। स्कूल स्थापित हो जाने पर मोटे तौर पर उसका बुनियादी शिक्षा के ढग पर विकास एक बहुत जरूरी बात है। अन्य उन्नति काय क्रमो के साथ साथ

बुनियादी शिक्षा को विकसित करने का कार्य चालू रखा जाए और योजनात्मक प्रयोगो के द्वारा इसको यत्नपूर्वक सहारा दिया जाए।

७. प्राथमिक सतह पर शिक्षा में तेजी से वृद्धि करने के लिए मितव्ययता की चेष्टा करनी चाहिए। मितव्ययता कई दिशाओ मे विशेषकर इन बातों मे होनी चाहिए (१) इमारतो पर सरकारी खर्च कम किया जाए (२) बारी (शिफ्ट) की पद्धति पर स्कूलों को सगठित किया जाए (३) जहाँ तक सम्भव हो, ६ से ११ वाले वयवर्ग के लडके लडकियों को एक साथ शिक्षा दी जाए। गाँव मे इमारतो का स्वीकृत मानदड पूरा होने पर ही नए प्राथमिक स्कूलो की स्थापना पर निर्भर नही होना चाहिए। बच्चे अधिकांश समय खुली हवा मे पेडों के नीचे पढ सकते है और इमारतें तो केवल गौण काम देती है। गाव के मन्दिरो तथा पचायतघरो को समाज शिक्षा और स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि एक स्कूल चालू हो जाए, तो परिस्थिति अनुकूल होने पर और स्थानीय सहयोग प्राप्त होने पर इमारत की व्यवस्था की जा सकती है। कई राज्यो मे इमारतों पर लागत घटाने की व्यवस्था की गई है और इस मामले मे विभिन्न राज्यो में सूचनाओ तथा तजर्बों का लेन-देन होना चाहिए। उदाहरणस्वरूप एक राज्य मे प्रारम्भिक स्कूल की इमारत के लिए जिला स्कूल बोर्ड के प्राथमिक स्कूल के शिक्षको के निर्वाह-निधि कोष से कर्ज दिया जाता है। १९५१ में केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता मण्डल ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसे इन्ही दिशाओ मे प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन मे स्थानीय संस्था तथा राज्य सरकारो के बीच के सम्बन्ध पर सलाह देनी थी। कुछ राज्यो ने शिक्षको के लिए आवश्यक निवास स्थान के बनाने की व्यवस्था की है। शिक्षिकाओ के लिए घर बनाने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता हो सकती है पर शिक्षको की जिम्मेदारी साधारण रूप से ग्राम-समाज पर छोडी जा सकती है।

८. शिक्षा-शास्त्रियो मे कई लोगो का ऐसा मत है कि शिक्षा के विस्तार के लिए बारी पद्धति को ग्रहण करना चाहिए। बारी पद्धति से एक ही शिक्षक साधारण रूप मे अधिक छात्रो को पढा सकता है, इस प्रकार विस्तार का खर्च यानी शिक्षको सम्बन्धी खर्च और आवश्यक अतिरिक्त इमारतो का खर्च भी कम होता है। जहा ज़रूरत हो लडको और लडकियो के लिए अलग शिक्षा देने की व्यवस्था भी की जा सकती है। शहरो मे भी देहातो की तरह बारी पद्धति को ग्रहण किया जा सकता है।

तिरुवाकुर-कोचीन, बम्बई और अन्यत्र जो तजर्बे किए गए, उनसे यह ज्ञात हुआ है कि इस पद्धति को कार्यान्वित करने मे कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता मण्डल की एक समिति ने यह सिफारिश की है कि जहा भी ज़रूरत हो वहा स्कूल सम्बन्धी प्रचलित परिस्थिति का अच्छी तरह सर्वेक्षण करने के बाद बारी वाली पद्धति प्रवर्तित की जाए। बुनियादी और गैर बुनियादी स्कूलो तथा नए और मौजूदा स्कलो के पहले दो दर्जों के लिए इसका परीक्षण होना चाहिए। पहले दो दर्जों में प्रत्येक बच्चे के लिए जो समय घटाया जायगा, उससे कोई विशेष कठिनाई पैदा नही होगी।

बारी पद्धति के साथ साथ भरती बढाने में भी तेजी होनी चाहिए, जिससे यथा समय अनिवार्य शिक्षा पद्धति प्रवर्तित की जा सके। लडकियों की शिक्षा के क्षेत्र मे यह मामला विशेष महत्व का है।

९. ऊपर जो कार्यक्रम बतलाया गया है, उसे कार्यान्वित करने के लिये तात्कालिक कदम के रूप मे शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक ब्योरेवार शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण करने जा रहा है जिससे यह मालूम हो सके कि प्रत्येक क्षेत्र मे विस्तार का क्या ढग हो और वह किस प्रकार का हो।

१०. सामान्य] राजस्व से चाहे वह केन्द्रीय से हो या राज्यीय, शिक्षा के लिए प्राप्त साधनो को विस्तृत करने के सम्बन्ध में लोग अधिकाधिक सचेत हो रहे हैं। कई देशो में प्राथमिक शिक्षा देने की मुख्य जिम्मेदारी स्थानीय समाज पर रहती है। राज्य स्थानीय प्रयासो को उपयुक्त अनुदान देकर प्रोत्साहित करता है। १० साल के अन्दर सविधान के निदेशक सिद्धान्तो को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी साधनो को स्थानीय सामुदायिक प्रयासो के द्वारा विस्तृत किया जाए। हाल के वर्षों में स्थानीय समुदायों ने स्कूलो की इमारतो के लिए जमीन, श्रम तथा धन देने के लिए उदारता दिखलाई है। इसके अलावा अब जिस बात की जरूरत है वह यह है कि स्कूलो के चालू रखने के खर्च का प्रबन्ध किया जाए और वह आवर्त्तक रूप से बराबर आता रहे, यह नही कि कभी बहुत आए और कभी कुछ नही। स्थानीय समुदायो को चालू जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए कुछ हद तक समर्थ करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक राज्य ऐसे कानून बनाने के सम्बन्ध मे सोचे जिससे स्थानीय अधिकारी वर्ग को, शहरी और देहाती (जिसमे ग्राम पचायत आ जाती है) शिक्षा के लिए एक उपकर वसूल करने का हक हो। स्थानीय रूप से इस उपकर लेने का लाभ यह होगा कि स्थानीय समुदायों की जिम्मेदारी और साथ ही आगे बढकर काम करने की शक्ति पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा और लोग यह देखेंगे कि वे जो कुछ दान के रूप मे देते है, वह उन्ही के कल्याण के लिए काम मे लिया जाता है। कानून बनाने मे ब्यौरे मे कुछ हद तक लचीलापन रह सकता है जिससे जो स्थानीय समुदाय प्रगतिशील और दूरदर्शी है, वे दूसरो को भी ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरणा द सके। शिक्षा सम्बन्धी इस उपकर को आबादी के विभिन्न वर्गो के लिए पृथक् रूप मे उपयुक्त राज्यीय तथा स्थानीय करो जैसे राजस्व, सम्पत्ति कर इत्यादि के साथ सयुक्त किया जा सकता है।

११. आमतौर से यह बात मान ली गई है कि देश के बहुत से भागो मे शिक्षको को बहुत कम वेतन दिया जाता है और उस से प्राथमिक शिक्षा पद्धति मे उन्नति नही हो पाती। जिस समय शिक्षा के विस्तार की बात सोची जा रही है, उस समय इस सम्बन्ध मे विचार करना बहुत जरूरी है। शिक्षा के प्रभावकारी पुनर्गठन के लिए शिक्षको के वेतन में सन्तोष-जनक वृद्धि की व्यवस्था जरूरी है। आमतौर पर यह मान लिया जाएगा कि शिक्षकों के वेतन की सतह स्थानीय वेतनों के ढाचे के साथ इस प्रकार से सयुक्त होनी चाहिये कि उस वेतन पर इस पेशे में अच्छे लोग आए और उसमे टिके रहे। विभिन्न राज्यो मे इस समस्या

का रूप भिन्न है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस सम्बन्ध में निरीक्षण किया जा रहा है। आमतौर पर शिक्षकों के वेतन बढाने के अलावा शिक्षको को विशेष परिस्थितियों म जैसे प्रशिक्षण सम्बन्धी योग्यता, अध्यापन सम्बन्धी अनुभव, बारी शिक्षा पद्धति या सामाजिक शिक्षा वर्गों के सचालन आदि की दृष्टि से अतिरिक्त वेतन दिया जा सकता है।

१२. इस समय राज्य सरकारे, नगरपालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और निजी संस्थाएं शिक्षको को नियुक्त करती है। इस प्रकार नियुक्तकारी संस्थाएं अलग अलग होने के कारण शिक्षकों के वेतन, मानदण्ड, काम करने की अवस्था, भविष्य में उन्नति की आशा, एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न है। इस पर यह सुझाव दिया गया है कि एक राज्य मे प्राथमिक स्कूलों के जितने मी शिक्षक हो, वे सब राज्य सरकार की सेवा के उपयुक्त ग्रेड के अन्तर्गत कर दिए जाए। जब शिक्षको की सेवाएँ स्थानीय तथा अन्य सस्थाओं को दे दी जाएं, तब वे जिस वर्ग में है उसी के अनुसार उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। इससे राज्य सरकारो के लिए यह सभव होगा कि वे शिक्षको को सुरक्षा के उपयुक्त लाभ. पेन्शन, निर्वाह निधि, अनुदान, तरक्की, ऊँचे ग्रेड के लिए अपने मे गुण पैदा करने की सुविधाएँ तथा अन्य सहूलियते दे सकेगी।

माध्यमिक शिक्षा

१३. गत दो वर्षों मे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो ढाचा बतलाया था उसे कार्यान्वित करने का काम शुरू किया गया है। दूसरी योजना मे इस कार्य के लिए ४३ करोड रुपए आवन्टित है जबकि पहली योजना में केवल २२ करोड रुपए ही थे। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा का नवीकरण और एक कदम आगे बढेगा। अन्य कार्यक्रमो मे इस समय मौजूदा हाई स्कूलो का एक अनुपात उच्चतर माध्यमिक स्कूलो और बहूद्देशीय स्कूलो में परिणत किया जाएगा। पहली योजना मे लगभग २५० बहूद्देशीय स्कूलो की स्थापना हुई है, दूसरी योजना काल में बहूद्देशीय स्कूलो की सख्या बढकर ८७५ हो जाएगी और हाई स्कूलो तथा उच्च माध्यमिक स्कूलो की सख्या (जिनमे साधारणत मिडिल स्कूल सम्मिलित है) १०,८०० से बढकर दूसरी योजना के अन्त तक ११,३०० हो जाएगी। अगले योजना काल मे १४ से १७ के वय वर्ग में छात्रसख्या २२ लाख से बढकर २६ लाख हो जाएगी।

१४. दूसरी योजना मे बहुत से ऐसे हुनरवाले मजदूरो, टैक्नीशियनो तथा विशेषज्ञो की जरूरत होगी जो विशेष पेशो के लिए बुनियादी प्रशिक्षण युक्त प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हो। इस प्रकार १४ से १७ वाले वय-वर्ग से ही मुख्यत. शिक्षक, विस्तार सेवा तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रो के कार्यकर्ता, सहकारी सस्थाओ के कर्मचारी, राजस्व प्रशासन, औद्योगिक धन्धो, खेती तथा विकास के अन्य क्षेत्रो के लिये प्रौद्योगिक और परिदर्शक कर्मचारी वर्ग भरती किए जाएगे। इस वय-वर्ग मे बहुत से काम बेकार जाते है, इसके अतिरिक्त गलत दिशा में काम होता है जैसा कि इस बात से जाहिर है कि जो छात्र मेट्रीक्यूलेशन या उसकी समकक्ष परीक्षा देते है, वे उत्तीर्ण नही हो पाते। यह एक सर्वमान्य बात है कि माध्यमिक शिक्षा के सोपान मे पाठ्यक्रम मे बढती हुई

विविधता आनी चाहिए जिससे कि छात्र अपनी रुचि, तथा सामर्थ्य के अनुसार प्रशिक्षित हो सकें। यदि दस्तकारी का पाठ्यक्रम, विज्ञान की शिक्षा के लिए अधिकतर सुविधाएं, बहूद्देशीय स्कूलो की स्थापना तथा जूनियर प्रौद्योगिक स्कूल हो, तो यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। इन जूनियर स्कूलो में ऐसे छात्रो को ३ साल तक प्रौद्योगिक तथा पेशे सम्बन्धी विषयो मे शिक्षा दी जाएगी, जो मिडिल या सीनियर बेसिक शिक्षा समाप्त कर चुके हो। आरम्भ के तौर पर ५० जूनियर प्रौद्योगिक स्कूल खोले जाएगे। पर स्वाभाविक रूप से शिक्षा पद्धति के नवीकरण के कार्य ज्यो-ज्यो चालू होगे, त्यो-त्यो उनकी अधिक सख्या में जरूरत होगी। इस सम्बन्ध मे श्रम मत्रालय का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अप्रेन्टिस वाली योजनाए बहुत महत्व की है।

१५. पहली योजना के अन्त मे माध्यमिक स्कूलो के कर्मचारी वर्ग मे ६० प्रतिशत प्रशिक्षित शिक्षको का होगा। राज्यो की योजनाओ के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात अब बढकर ६५ प्रतिशत हो जाएगा। बहूद्देशीय तथा जूनियर औद्योगिक और अन्य स्कूलो के पेशे सम्बन्धी पाठ्यक्रम के लिए माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान देना पडेगा। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलो मे दस्तकारियो की शिक्षा, शिक्षा पद्धति के पुनर्गठन मे एक बहुत ही अनिवार्य भाग है, पर ऐसे पाठ्यक्रमो मे प्रगति तभी हो सकती है, जबकि उपयुक्त शिक्षक उपयुक्त मात्रा में पाए जाए। राज्यो की योजना यह है कि ५०० डिग्री वाले शिक्षको तथा १,००० डिप्लोमा वाले शिक्षकों की व्यवस्था हो। इन प्रस्तावो पर विचार हो रहा है क्योंकि शायद इससे भी अधिक संख्या की जरूरत हो।

विश्वविद्यालय की शिक्षा

१६. हाल के वर्षों मे विश्वविद्यालय तथा कालेजो मे छात्रो की सख्या बहुत बढी है। पहली योजना के अन्त तक इनकी सख्या ७,२०,००० हो जाएगी जबकि ५ साल पहले इनकी सख्या ४,२०,००० ही थी। आर्ट्स, वाणिज्य और विज्ञान मे जो छात्र डिग्री प्राप्त कर रहे है उनकी सख्या इसी काल मे ४१,००० से बढकर ५८,००० हो गई। इन आंकड़ो से पता लगता है कि इस क्षेत्र मे कितनी शक्ति बेकार जा रही है। विश्वविद्यालय तथा कालेज की शिक्षा की किस्म को उन्नत करने तथा अपव्यय को घटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ उपाय कर रहा है। माध्यमिक दर्जो मे विविधतायुक्त शिक्षा के प्रवर्तन से शायद कालेजो मे छात्रों की भीड कुछ कम हो। यह भी प्रश्न उठा है कि सार्वजनिक सेवाओ में भरती की दृष्टि से किसी हद तक डिग्री पर निर्भर किया जाए या बिल्कुल ही न किया जाए। इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति विचार कर रही है। विश्वविद्यालय के अन्तर्मुक्त कालेज जिनमे से कइयो मे मानदण्ड असन्तोषजनक है एक और महत्वपूर्ण समस्या पेश करते है और केन्द्रीय सरकार इस पर भी विचार कर रही है। यह बहुत ही जरूरी है कि माध्यमिक दर्जो तथा विश्वविद्यालयो की सतह पर और सार्वजनिक सेवाओ मे भरती की शर्तो और तरीको मे उपयुक्त परिवर्तन से विश्वविद्यालय की शिक्षा को वृहत्तर उद्देश्य, अर्थ तथा दिशा प्राप्त होगी और इस प्रकार राष्ट्रीय विकास मे अधिक सहायता मिल सकेगी।

समाज-शिक्षा

१७. १९५१ की जनगणना से ज्ञात हुआ था कि आबादी के १६.६ प्रतिशत साक्षर है और यदि इसमें १० वर्ष से कम उम्र वाले बच्चो को निकाल दिया जाए तो अनुपात २० प्रतिशत तक ही पहुंचेगा। साक्षरता के इस प्रकार कम अनुपात के अलावा पुरुषो(२४.९ प्रतिशत)और स्त्रियों (७.९ प्रतिशत), के तथा शहरी आबादी (३४.६ प्रतिशत) और देहाती आबादी (१२.१ प्रतिशत) के बीच बडा फर्क है। इसलिए समाज शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देने की जरूरत है। समाज शिक्षा इस समय मुख्यत· राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास सेवा और गैर सरकारी जरियो से दी जा रही है। शिक्षा पद्धति में ज्योही आवश्यक प्रस्तावित सुधार कर दिए जाते है, त्योही यह सभव होगा कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलो में अधिकाधिक संख्या मे शिक्षा जारी रखने की निरन्तरता की श्रेणिया तथा समाज शिक्षा की श्रेणियां बढायी जाए। दूसरी योजना मे समाज शिक्षा के संगठनकर्ताओ के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढाने, जनता कालेजो की स्थापना करने, ग्राम तथा जिला पुस्तकालयो के खुलने, दृश्य-श्रव्य शिक्षा की व्यवस्था करना तथा बच्चो और वयस्को के लिए साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था की गई है। जल्दी ही एक मौलिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जरूरत है, जिसमे समाज शिक्षा के संगठनकर्ताओ को प्रशिक्षित किया जाए और साथ ही समाज और बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध समस्याओ पर शोध और अध्ययन जारी रखा जाए।

छात्रवृत्तियां

१८. शिक्षा के क्षेत्र मे अधिक सुविधा देने के लिए तथा योग्य छात्रो को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाए देने के लिए पहली योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियो के कुछ कार्यक्रम चालू किए गए थे। योजना मे लगभग १२ करोड रुपए छात्रवृत्तियो के लिए देने की व्यवस्था है। यह उस राशि के अलावा है जो पहली योजना काल के सामान्य कार्यक्रमो को जारी रखने के लिए जरूरी है। अन्य छात्रवृत्तियो में अनुसूचित आदिमजातियो, अनुसूचित जातियो तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए छात्रवृत्तियो की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में मेट्रिक्यूलेशन के बाद की छात्र-वृत्तिया, शोध छात्रवृत्तिया, समुद्र पार की छात्रवृत्तिया तथा भारत मे एशियाई, अफ्रीकी तथा दूसरे विदेशी छात्रो के लिए सास्कृतिक छात्रवृत्तियाँ शामिल है। इन छात्रवृत्तियो के कार्य-क्रमो को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप यह अनुमान किया जाता है कि दूसरे योजना काल मे लगभग २५० छात्रो को बाहर जाकर ऊची शिक्षा पाने, अनुसूचित आदिम जातियो, अनुसूचित जातियो तथा अन्य पिछडे वर्गों के ७४,५०० छात्रो, ४,००० मैट्रिकोत्तर छात्रों, ३४० फैलोगणो और ३,७२५ शोध कार्यकर्ताओ को शोध सबधी प्रशिक्षण की और २,०६० विदेशी छात्रो को भारत मे अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त होगी। अधिकाश राज्यो मे भी इसी प्रकार छात्रवृतिया, फैलोशिप, मुफ्त पुस्तको इत्यादि की व्यवस्था, प्राथमिक तथा माध्यमिक दर्जों के लिए तथा प्रौद्योगिक शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्तिया दी जाएगी। राज्यो के श्रम तथा प्रौद्योगिक विभागो ने तथा केन्द्र मे श्रम मत्रालय ने कई कार्यक्रम चालू किए है जिनके अनुसार पेशो तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए भत्ते दिए जायेगे। उच्चतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विषयो मे शोध करने के लिए प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध मत्रालय, कृषि

पर शोध करने के लिए कृषि मंत्रालय और डाक्टरी शोध के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भत्त देता है। दूसरी योजना में ऐसी व्यवस्था है कि उच्च योग्यता वाले अधिकाश ऐसे छात्रो को जो उच्चतर शिक्षा और शोध करना चाहते हैं, राज्य से उपयुक्त और व्यावहारिक प्रोत्साहन प्राप्त हो ।

प्रौद्योगिक शिक्षा

१९. विकास के प्रत्येक क्षेत्र मे तेजी से बढती हुई सख्या में प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। डाक्टरों, कृषि तथा पशुपालन विशेषज्ञो तथा अन्य लोगो के प्रशिक्षण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका दूसरे अध्यायो मे वर्णन किया गया है। पहली योजना में कुछ उन्नति होने पर भी हमें जितने इजीनियरो तथा प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता है, उतने लोगो को भरती करना मौजूदा सस्थाओ के सामर्थ्य के बाहर है। दूसरी योजना मे प्रौद्योगिक शिक्षा के विकास के सम्वन्ध मे यह सबसे बडी समस्या है।

२०. पहली योजना मे जो मुख्य कार्यक्रम था, उस में खडगपुर मे उच्च प्रौद्योगिक विज्ञान की भारतीय सस्था की स्थापना, बगलौर की भारतीय विज्ञान सस्था का विकास, चुनी हुई गैर सरकारी इजीनिरिंग तथा प्रौद्योगिक विज्ञान सम्बन्धी सस्थाओ का प्रौद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद द्वारा प्रस्तावित दिशाओ मे उन्नयन, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भत्ते तथा शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए छात्रवृतियो की व्यवस्था थी। पहली योजना के अन्त मे ४५ स्नातक तथा स्नातकोत्तर इजीनियरिंग सस्थाए तथा डिप्लोमा सतह की ८३ सस्थाए थी, जबकि इसके पहले १९५० मे इन सस्थाओ की सख्या क्रमश ४१ और ६४ थी। १९५० मे जहा प्रतिवर्ष १,६६२ इंजीनियरिंग के स्नातक निकलते थे, वहा १९५५ मे लगभग ३,६०० स्नातक निकले। इसी प्रकार इसी अरसे मे डिप्लोमा वालों की सख्या १,८६४ से बढकर ४,९०७ हो गई है। प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम मे भी इस प्रकार डिग्री सतह मे ५२१ से ६८५ तथा डिप्लोमा सतह मे संख्या ३५४ से ४६० पहुँची है।

२१ दूसरी योजना की अवधि मे प्रौद्योगिक विषयो की प्रशिक्षण सुविधाओ को बढाने लिए ५० करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिससे इजीनियर, परिदर्शक, ओवरसियर तथा अन्य जरूरी कर्मचारी प्रशिक्षित हो जायेंगे। पहली योजना मे कई कार्यक्रम चालू किए गये थे जो दूसरी मे जाकर पूरे होगे, जैसे डिग्री और डिप्लोमा की सतह पर मौजूदा सस्थाओ का उन्नयन तथा चुनी हुई सस्थाओ मे स्नातकोतर पाठ्यक्रमो और शोध सम्बन्धी सुविधाओ की व्यवस्था। पहली योजना मे जो अध्ययन का नया पाठ्यक्रम चालू किया गया था या प्रसारित किया गया था, उनमें विशेष रूप से मुद्रण विज्ञान, नगर निर्माण, और आचलिक योजना निर्माण, भवन निर्माण तथा व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन गिनाए जा सकते है। इन्हे और भी विकसित किया जायगा। औद्योगिक धन्धो मे व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नए स्नातको को भत्ता देना जारी रहेगा और यह आशा की जाती है कि योजना अवधि में लगभग १३,००० छात्रो को इससे लाभ पहुचेगा।

२२. अखिल भारतीय रूप से कार्य करने वाली कुछ मौजूदा संस्थाओं को और भी विकसित किया जाएगा विशेषकर दिल्ली पौलिटेक्निक, खड्गपुर की प्रौद्योगिक विज्ञान संस्था का उल्लेख किया जा सकता है। जब इनका पूरा विकास होगा, तब इनमें अध्ययन और शोध के लिए नए विषयो की श्रेणिया भी खोली जाएगी। खडगपुर संस्था १,००० स्नातक और ८०० स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षित करेगी। यह प्रस्ताव है कि खडगपुर संस्था के अतिरिक्त तीन और भी उच्च प्रौद्योगिक सस्थाएं, एक उत्तर में, दूसरी पश्चिम में और तीसरी दक्षिण मे स्थापित की जाए। इन सस्थाओ में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान के सारे विषयो मे स्नातकोत्तर सुविधाए दी जाएगी। पश्चिम वाली संस्था १९५६–५७ मे, दक्षिण वाली सस्था १९५८–५९ मे और उत्तर वाली सस्था १९६०–६१ मे स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन सस्थाओ मे से प्रत्येक मे ८०० प्राक्-स्नातक तथा ६०० स्नातकोतर छात्रो की शिक्षा की व्यवस्था होगी। धनबाद की खनिज तथा व्यवहारिक भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी सस्था का प्रसार होगा। अन्य कार्यक्रम जो दूसरी योजना मे पूरे किए जाएगे वे है ४ विभिन्न केन्द्रो में प्रौद्योगिक शिक्षको के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का सगठन किया जाना, लगभग ५०० शिक्षको को डिग्री सस्थाओ में तथा १,०००को अन्य सस्थाओ में प्रशिक्षित किया जाएगा। एक कार्यक्रम यह भी है कि ४,००० डिग्री छात्रो, ५,००० डिप्लोमा छात्रो, १,८०० अप्रेन्टिसो, १६,८०० जूनियर प्रौद्योगिक छात्रो और ५०० शिक्षको के लिए होस्टल बनाए जाएं। योजना काल मे एक प्रशासन कर्मचारी कालेज तथा प्रबन्धक सस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार मुद्रण की एक केन्द्रीय सस्था की स्थापना होगी। अन्त मे औद्यौगिक धन्धो के फोरमैनो के प्रशिक्षण के लिए इस योजना मे व्यवस्था रखी गई है।

२३. इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त तक ५१ ऐसी सस्थाए होगी जो स्नातक सतह पर और १०४ सस्थाए डिप्लोमा की सतह पर शिक्षा देगी। इजीनियरिंग में स्नातको की सख्या १९५५ मे जहा ३,६०० और इंजीनियरिंग डिप्लोमा-धारियो की सख्या जहा ४,९०० थी वहा १९६० मे क्रमशः ६,००० और ८,००० हो जाएगी।

२४. रहा यह कि प्रशिक्षण की जो सुविधाए प्रस्तावित हैं उनसे काम बनेगा या नहीं, इस पर इजीनियरिंग कर्मचारी वर्ग समिति ने विचार किया है और इनकी अन्तरिम सिफारिशें प्राप्त हो चुकी है। समिति का निष्कर्ष यह है कि दूसरी योजना मे इजीनियरिंग शिक्षा की जो सुविधाए प्रस्तावित है, उनके अलावा १,६९० इजीनियरिंग स्नातको को असैनिक, यात्रिक। वैद्युतिक, तार-सचार, धातु शास्त्रीय, खान सम्बन्धी इजीनियरिंग की तथा ५,७५० डिप्लोमा धारियो को असैनिक, यात्रिक तथा विद्युत्-इजीनियररिंग की अतिरिक्त सुविधाएं देना आवश्यक होगा। जब तक इसका उपाय नही किया जा सकता, तब तक दूसरे और तीसरे योजना काल में कमी बढती जाएगी। समिति ने यह सिफारिश की है कि स्नातक प्रशिक्षण की मौजूदा सस्थाओ तथा डिप्लोमा देने वाली सस्थाओ मे क्रमशः २० और २५ प्रतिशत क्षमता बढाई जाए। इसने यह भी सुझाव रखा है कि १५ इंजीनियरिंग कालेज तथा ६२ इजीनियरिंग स्कूल देश के विभिन्न भागो में और स्थापित किए जाए। इन सुझावो को कार्यान्वित करने के लिए कुल १५ करोड रुपए की आवश्यकता है, इस समय इस पर विचार हो रहा है।

२५ हुनर वाले मजदूरों, फोरमैनो तथा अन्य परिदर्शक कर्मचारियों के लिए जो माग बढती जाएगी उसका भी दूसरी योजना मे सामना करना है। श्रम मत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष शिल्पियो की संख्या २०,००० बढाई जाए और दो संस्थाए शिल्प शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए खोली जा रही है। अप्रेन्टिसो के प्रशिक्षण की सुविधाओ को बडे पैमाने पर विकसित करना पडेगा, और इस क्षेत्र मे निजी धन्धो पर जो अपेक्षाकृत सगठित उद्यम है, उनके व्यवस्थापन पर इसका भार पडेगा। लोहा तथा इस्पात मत्रालय ने एक प्रशिक्षण विभाग खोला है जिसका काम है इस्पात के कारखानो के कर्मचारियो की जरूरत सम्बन्धी देखरेख और आवश्यक व्यवस्था करना। ऐसे जो बहुत बडे कार्यक्रम करने है, उसे देखते हुए रेल मंत्रालय ने कई नए प्रौद्योगिक स्कूलो की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।

: २ :

वैज्ञानिक शोध

पहली पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ तथा दूसरी शोध संस्थाओ के निर्माण की व्यवस्था थी। दूसरी योजना का प्रथम उद्देश्य यह है कि मौजूदा सुविधाओं को विकसित किया जाए और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ मे काम करने वाले वैज्ञानिको तथा विश्व-विद्यालयो मे शोध करने वाले लोगो के कार्यों से राष्ट्रीय विकास के विभिन्न विभागो की समस्याओ का हल निकले।

२. पहली योजना मे भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान, ईंधन, कांच और उन्नत मिट्टी के बर्तन, खाद्य प्रौद्योगिक विज्ञान, औषधिया, वैद्युतिक रसायन, सडक शोध, चमड़ा और भवन निर्माण शोध के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ को पूर्ण रूप से सगठित किया गया। पिलानी मे इलेक्ट्रोनिक्स की शीघ्र व्यवस्था, भावनगर में लवण सस्था, और लखनऊ मे राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान के कार्य भी पूरे किए गए।

३. राष्ट्रीय प्रयोगशालाए तथा अन्य विविध सस्थाए मौलिक तथा व्यावहारिक शोध मे लगी हुई है और इस सम्बन्ध मे पूरा प्रयास किया जा रहा है कि औद्योगिक धधो की आवश्यकताओ के साथ ही उनके कार्यों को सयुक्त किया जाय। इन प्रयोगशालाओ मे जो प्रक्रियाए विकसित हुई थी, उनके लिए १८८ पेटेण्ट लिए गए।

४. वैज्ञानिक और शोध परिषद् की देख-रेख मे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्याजयो तथा दूसरे केन्द्रो मे वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध बोर्डों ने जो शोध कार्यक्रम किए है, उन पर हाल ही मे परिषद् द्वारा प्रकाशित रिपोर्टो पर विचार हुआ है। पहले योजना काल मे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ की इमारतो तथा साज-सामान पर ५ करोड रु० खर्च होने की आशा है। इसी अरसे मे वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद् के कार्यों पर ७ करोड़ रुपए के खर्च होने की आशा है। बहुत पहले से स्थापित सस्थाओ, जैसे वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण सस्थाओ के पुनस्सगठन तथा विकास के कार्य पहली योजना काल में किए गए। १९५३ मे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चालू किया गया, वह था राष्ट्रीय शोध विकास निगम की स्थापना, जिससे विभिन्न सरकारी शोध विभागों तथा

सगठना के आविष्कारों का सार्वजनिक हित के लिए विकास हो और वे उसस काम ले सकें। इस समय तक १७७ आविष्कार विकास के लिए प्रतिवेदित हुए है, और उनमे से कुछ के लिए कारखानो मे आवश्यक परीक्षण की व्यवस्था की गई है। एक और क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है वह है, सिंचाई और शक्तिचालित इजीनिर्यारग।

५. आणविक शक्ति विभाग ने शोध के कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक कर्मचारियो के प्रशिक्षण मे बहुत उन्नति की है। शोध के सम्बन्ध में एक स्विमिंग पूल रिएक्टर का निर्माण हो रहा है। इससे प्राणी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा औद्यौगिक शोध के लिए इसोटोप उत्पादन में सहायता होगी। इसके अलावा रिएक्टर इजीनियरो का प्रशिक्षण होगा। कोलम्बो योजना के अनुसार केनेडा की सरकार की ओर से एक उच्च शक्तियुक्त उच्च फ्लक्स-रिएक्टर प्राप्त हुआ है, और आशा की जाती है कि १९५७ के अन्त तक यह चालू हो जाएगा। उन्नत शक्ति रिएक्टरो के साथ सम्बन्धित शोध मे इससे सुविधा रहेगी।

६. थोरियम और यूरेनियम के सम्बन्ध मे अणु शक्ति विभाग ने भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण किया है, और खुदाई तथा खनिज पदार्थ निकालने आदि के सम्बन्ध मे कार्य शुरू हुआ है। ट्राम्बे मे एक थोरियम / यूरेनियम का कारखाना खोला गया है। विभाग ने एक यूरेनियम धातु कारखाना और एक इंधन बिधायन कारखाने के सम्बन्ध मे योजना बनाई है।

७ अणु शक्ति विभाग नगल तथा अन्य उपयुक्त स्थानो मे रासायनिक खाद के साथ ही भारी पानी (हेवी वाटर) तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

८. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरम्भ से ही वैज्ञानिक शिक्षण तथा शोध को बढाने की तरफ विशेष ध्यान दिया है। २८ विश्वविद्यालयो को ३,५०,००,००० रुपए का अनुदान मिला है। इन अनुदानो के कारण विश्वविद्यालयो के शोध और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की सुविधा मे विस्तार करने मे सहायता मिली है। आयोग ने इजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान विभागो को १,७०,००,००० रुपए तक की मदद दी है और प्रौद्योगिक विषयो मे स्नातकोत्तर शोध कार्य करने वाले कुछ केन्द्रो को भी सहायता दी गई है।

९. १९५४ के अन्त मे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ के कार्य को योजनात्मक तरीके से चालू रखने के लिए एक समिति बनाई जिससे राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओ के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। इसका उद्देश्य यह है कि बहुत यत्नपूर्वक सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किए हुए कार्यो के साथ जहाँ तक हो सके शोध कार्य को सगठित करे। वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध की नई योजनाओ के लिए यथेष्ठ धन दिया जाएगा, अस्थायी रूप से इस समय २० करोड़ रुपए आबन्टित किए गए हैं। कुछ नई सस्थाओ जैसे, धनबाद मे खनिज विज्ञान सस्था, केन्द्रीय यांत्रिक इजीनियरिंग सस्था तथा कलकत्ते के वैज्ञानिक और औद्योगिक अजायबघर की तरह कुछ सस्थाओ की स्थापना का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद्

हैदराबाद की केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा कलकत्ते की भारतीय चिकित्सा शोध सस्था को ले लें। अन्य जो सस्थाए स्थापित करने की आशा की जाती है वे है, राष्ट्रीय प्राणि विज्ञान शोध प्रयोगशाला, मरुभूमि शोध सस्था तथा केन्द्रीय भू-भौतिक विज्ञान सस्था। इस प्रकार एक शक्ति इजीनिरिग शोध सस्था की स्थापना भी विचाराधीन है और वायुयान विज्ञान तथा वायु शक्ति मे टरबाइन गैस शोध, कोक को कोयले बिना किए लोहे का उत्पादन, आयोनोस्फीयर मे शोध, मेघ का माइक्रोफीजिक्स तथा अत्यावश्यक तेलो, जडी-बूटियो और प्राणी विज्ञान की उपजो पर शोध। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध मे आचलिक प्रयोगशालाए स्थापित होगी। विस्तार कार्यक्रमों मे केन्द्रीय हरबेरियम, सामुद्रिक प्राणी विज्ञान केन्द्र, ताजे पानी के प्राणी विज्ञान केन्द्र, तथा पशुओ की आबादी के सम्बन्ध मे अध्ययन की एक इकाई की स्थापना भी है। छोटी देहाती वैज्ञानिक प्रयोगशालाओ की स्थापना के लिए भी व्यवस्था है, इन्हे विज्ञान मन्दिर कहा जाएगा। विज्ञान मन्दिर कार्यक्रम मे बहुत बड़ी सम्भावनाए है और इसके द्वारा स्थानीय समस्याओ पर वैज्ञानिक रूप से सोचने का अवसर मिल सकता है।

१०. योजना मे कोचीन में एक भौतिक वैज्ञानिक समुद्र-नाप शोध इकाई की स्थापना होगी जो बैथीमैट्रिक कार्य करेगी, तापमान की नाप करेगी, धरातल तथा गहराई में पानी के नमूने का अध्ययन करेगी और महासमुद्र के नीचे के धरातल मे जो चीजे है उनका अध्ययन करेगी। भारतीय खनिज वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक भूगर्भ वैज्ञानिक स्कूलो के विकास के लिए भी व्यवस्था है। योजना की अवधि मे ही राष्ट्रीय मानचित्र तैयार करने पर भी कार्य का सगठन किया जाएगा।

११. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध तथा उच्च प्रौद्योगिक वैज्ञानिक शिक्षा मे सहायता देने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे है। विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओ के उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम होगे उन्हे भी सहायता दी जाएगी।

१२. ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक शिक्षा की तेजी से वृद्धि करने के प्रयास किए जाएगे और इस बात की चेष्टा की जाएगी कि वैज्ञानिक कार्य-कर्ताओ की प्रतिभा को पूर्ण क्षेत्र मिले और राष्ट्रीय विकास की जरूरतो के साथ जो समस्याएं लगी हुई है उन मे विज्ञान का पूरा उपयोग किया जाएगा। अन्तिम विश्लेषण में विज्ञान की प्रगति ही अर्थ तथा सामाजिक प्रगति की गति का निर्माण करेगी। देश में वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं द्वारा जो उच्च कोटि के कार्य किए जा रहे है उससे इस बात की विशेष पुष्टि होती है कि भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय विकास में उत्तरोत्तर अधिक सहायता करेगा।